हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

1987

(आर्थिक स्थिति व विकास कार्यक्रम)

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 13823
Date 24.6.80

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना ..	iii
भाग I--वर्ष 1986-87 की प्रगति की समीक्षा	
1. **सामान्य आर्थिक स्थिति**	1
2. **कृषि कार्यक्रम**	
2.1 कृषि	4
2.2 उद्यान	6
2.3 लघु तथा मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	8
2.4 भू-संरक्षण	9
2.5 पशुपालन	9
2.6 वन	12
2.7 मत्स्य पालन	13
2.8 भू-एकत्रीकरण	13
2.9 भूमि सुधार	14
3. **सहकारिता एवं ग्रामीण विकास**	
3.1 सहकारिता	15
3.2 ग्रामीण विकास	16
3.3 पंचायत	17
4. **बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत**	
4.1 बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत	18
5. **उद्योग तथा खनिज विकास**	
5.1 उद्योग एवं खनिज विकास	19
6. **परिवहन एवं संचार**	
6.1 सड़कें तथा भवन निर्माण	22
6.2 पथ परिवहन	23
6.3 पर्यटन	24

7. सामाजिक सेवाएं	पृष्ठ
7.1 शिक्षा	26
7.2 तकनीकी शिक्षा	26
7.3 युवा सेवाएं एवं क्रीड़ाएं	27
7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	29
7.5 आयुर्वेद	31
7.6 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	32
7.7 आवास	33
7.8 पेयजल योजना	34
7.9 पिछड़े वर्गों का कल्याण	34
7.10 समाज तथा स्त्री कल्याण	35
7.11 पोषाहार कार्यक्रम	35
7.12 श्रमिक कल्याण तथा रोजगार	36
7.13 नगर विकास तथा ग्राम नियोजन	38
7.14 भाषा एवं संस्कृति	38
7.15 पर्वतारोहण	39
7.16 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एंव पर्यावरण	40
7.17 जनजाति तथा अनुसूचित जातियों का विकास	41
8. विविध	
8.1 आबकारी एवं कराधान	43
8.2 खाद्य एवं आपूर्ति	44
8.3 लोक सम्पर्क	46
8.4 नगरीय स्थानीय निकास	47
8.5 विवरणिका	47
8.6 सांख्यिकी	47
8.7 हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान	49
8.8 सार्वजनिक उपक्रम	50
भाग II--सांख्यिकीय सारणियां	111

प्रस्तावना

आर्थिक समीक्षा एक बजट प्रलेख है जो सरकार की उसके विभागों द्वारा की गई समस्त आर्थिक गतिविधियों को विस्तार से प्रस्तुत करता है । इसमें वर्ष 1986-87 के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सभी पहलुओं को समावेश करने का प्रयत्न किया गया है। वर्ष 1986–87 में हुई उपलब्धियों का विवरण भाग एक में हिन्दी व इंगलिश दोनों में दिया गया है । दूसरे भाग में महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों की सांख्यिकीय तालिकाएं दी गई हैं ।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । इस समीक्षा के लिये इतनी विशाल तथा विस्तृत सामग्री के एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने किया है। मैं निदेशालय के अधिकारियों द्वारा किये गये कड़े परिश्रम की प्रशंसा करता हूँ ।

सुरेन्द्र मोहन कंवर
आई. ए. एस,
वित्त आयुक्त एवं सचिव (वित्त एवं योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

भाग I

वर्ष 1986-87 की प्रगति की समीक्षा

1 सामान्य आर्थिक स्थिति

1.1 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

वर्ष 1984–85 में राष्ट्र की शुद्ध आय जो कि 57,243 करोड़ रुपये थी बढ़कर 1985–86 में 60,143 करोड़ रुपये हो गई। स्थिर भावों (1970-71) पर निर्मित राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष 3.5 प्रतिशत की तुलना में 5.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस वर्ष कुल खाद्यान्न उत्पादन 150.5 मिलियन टन हुआ जिससे खाद्यान्न उत्पादन में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु अन्य दूसरी फसलों के उत्पादन में कुछ कमी आ जाने से कुल कृषि उत्पादन केवल 1.1 प्रतिशत ही बढ़ा। कोयले, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस व चूना पत्थर के उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप खनन क्षेत्र में कुल 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र में 6.9 प्रतिशत, गैस, विद्युत एवं जलपूर्ति में 8.6 प्रतिशत तथा "अन्य सेवाओं" क्षेत्र में 7.8 प्रतिशत वृद्धि हुई।

प्रचलित भावों पर राष्ट्रीय आय 1984–85 के 1,74,018 करोड़ रुपयों से बढ़ कर 1985–86 में 1,95,707 करोड़ रुपये हो गई और इस प्रकार अर्थ व्यवस्था में 12.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 1984–85 में 775 रु० से बढ़कर 1985–86 में 798 रु० पहुंच गई। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 1984-85 के 2,355 रु० की तुलना में 1985–86 में 2,596 रु० हो गई।

1.2 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष 1984–85 में सूखे की स्थिति के कारण स्थिर भावों (1970–71) पर बनाये गए अनुमानों के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 4.7 प्रतिशत कमी आ गई थी। किन्तु वर्ष 1985–86 में स्थिति सामान्य होने से राज्य उत्पाद में 12.1 प्रतिशत की प्रभावयुक्त वृद्धि हुई। राज्य की शुद्ध आय वर्ष 1984–85 में 328.11 करोड़ रुपये से बढ़कर 367.70 करोड़ रुपये हो गई। राज्य के वर्ष 1984–85 व 1985–86 का सम्मिलित औसत वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में केवल 3.4 प्रतिशत ही था। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1984-85 में 716 रुपये से बढ़कर 1985-86 में 788 रुपये हो गई।

प्रचलित भावों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 1984–85 के 1,014.84 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1985–86 में 1,184.99 करोड़ रुपये हो गया। प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 1984–85 में 2,213 रुपये थी बढ़कर वर्ष 1985–86 में 2,538 रुपये हो गई।

प्रचलित भावों पर राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी जाती है :—

	1984–85	1985–86
	(रुपयों में)	(रुपयों में)
समस्त भारत ..	2,355	2,596
हिमाचल प्रदेश ..	2,213	2,538

1.3 मूल्य स्थिति

दिसम्बर, 1986 में थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 1985 के 356.4 से बढ़ कर 378.0 हो गया। इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर 6.1 प्रतिशत हो गई जबकि गत वर्ष इस दौरान यह दर 5.4 प्रतिशत थी। मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए :—

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना जिसमें अनाजों का पर्याप्त भण्डार भी सम्मिलित है ;

(ii) खाने के तेल और चीनी जैसे घरेलू वस्तुओं को उपलब्ध कराना ;

(iii) अधिक उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहन वर्धक मूल्य देना ;

(iv) राजकोषीय अनुशासन का प्रवर्तन ;

(v) सरकारी व्यय में मितव्ययता तथा शासकीय प्रणाली में अन्धाधुन्ध व्यय पर नियन्त्रण।

निम्न तालिका में वर्ष 1984 से 1986 तक के थोक मूल्य सूचकाकों को सारणीबद्ध किया गया है :—

थोक मूल्य सूचकांक—समस्त भारत

(आधार 1970–71=100)

	मास	1984	1985	1986
1.	जनवरी	322.3	340.1	356.6
2.	फरवरी	323.2	339.2	357.5
3.	मार्च	322.9	342.5	359.4
4.	अप्रैल	323.6	350.5	361.0
5.	मई	327.4	353.7	367.3

मास	1984	1985	1986
6. जून	334.5	357.5	371.1
7. जुलाई	342.3	362.3	377.1
8. अगस्त	345.9	363.1	380.6
9. सितम्बर	342.2	357.6	381·0
10. अक्तूबर	342 6	360.0	383.6
11. नवम्बर	340.6	357.9	381.0
12. दिसम्बर	338.0	356.4	378.0
	334.0	353.3	371.2

नोट:—जनवरी, 1986 से आगे सूचकांक अस्थायी है।
स्रोत :—उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1965=100) के अनुसार नवम्बर, 1985 में 455 से बढ़कर यह सूचकांक नवम्बर, 1986 में 493 हो गया जिससे 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हिमाचल प्रदेश में भी आवश्यक वस्तुओं के भावों की गतिविधियों पर एक विशेष नजर रखी जाती है। अर्थ एवं संख्या विभाग प्रत्येक जिला मुख्यालय में 13 अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के पाक्षिक परचून भाव एकत्रित करता है। प्रत्येक तहसील/सब-तहसील मुख्यालयों केलिये यह भाव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा एकत्रित करवाए जाते हैं। प्रत्येक जिला संख्या अधिकारी अपने जिले की मासिक भाव समीक्षा तैयार करता है और इन समीक्षाओं के आधार पर अर्थ एवं संख्या निदेशालय प्रदेश की मासिक समीक्षा तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजता है।

1.4 रोजगार स्थिति

जून, 1986 के अन्त में प्रदेश में कुल 2,70,237 (सार्वजनिक क्षेत्र में 2,48,150 तथा निजी क्षेत्र में 22,087) कर्मचारी थे जबकि जून, 1985 के अन्त में 2,63,234 (2,44,443 सार्वजनिक तथा 18,791 निजी क्षेत्र में) कर्मचारी कार्यरत थे। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कर्मचारियों में 71.19 प्रतिशत राज्य सरकार के 6.61 प्रतिशत केन्द्र सरकार के 5.83 प्रतिशत अर्ध-सरकारी (केन्द्रीय) 15.14 प्रतिशत अर्ध-सरकारी (राज्य) और 1.23 प्रतिशत स्थानीय निकायों के प्रतिष्ठानों में काम कर रहे थे।

पहली जनवरी, 1986 से 31 अक्तूबर, 1986 तक कुल 70,557 प्रार्थी पंजीकृत किए गए तथा 5,693 लोगों को रोजगार दिया गया। विभिन्न नियोजकों ने इस दौरान 9,862 रिक्त स्थान अधिसूचित किए। 31 अक्तूबर, 1986 को हिमाचल के सभी रोजगार कार्यालयों में कुल 3,51,468 प्रार्थी पंजीकृत थे।

राज्य सरकार ने 13 अनुसूचित रोजगारों के लिये न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की है। चाय बागानों में कार्यरत मजदूरों के अतिरिक्त शेष सभी अकुशल मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम 10 रुपये प्रति दिन से बढ़ा कर 12 रुपये कर दी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रम कल्याण योजनाएं जैसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मकारों के लिये शिक्षायोजना भी श्रमिकों के कल्याण के लिये प्रारम्भ की गई है।

1.5 विकास सम्बन्धी उद्व्यय

योजना आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 1,050 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। इसमें से 863.02 करोड़ रुपये केन्द्र से सहायता के रूप में प्राप्त होंगे तथा 186.98 करोड़ रुपये राज्य सरकार अपने साधनों से जुटाएगी। सातवीं योजना में सर्वाधिक महत्व 'आर्थिक सेवा' क्षेत्र को दिया गया है जो कुल व्यय का 77.68 प्रतिशत होगा। सामाजिक सेवाओं के लिये 20.19 प्रतिशत तथा अन्य विभिन्न सेवाओं के लिये 2.13 प्रतिशत रखा गया है।

विकास कार्यक्रमों में सबसे अधिक महत्व विद्युत उत्पादन को दिया गया है उसके बाद क्रमशः सड़कें, पुल, वन, जल आपूर्ति, लघु एवं मध्यम सिंचाई तथा शिक्षा क्षेत्र को रखा गया है।

वित्त आयोग ने वर्ष 1986–87 के लिये 205 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 1987–88 के लिए वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत 235 करोड़ रुपये के उद्व्यय में 39.74 करोड़ रुपये न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के लिये तथा 10.29 करोड़ रुपये पिछड़े क्षेत्रों के लिये सम्मिलित हैं। विशेष घटक योजना के लिए 24.81 करोड़ रुपये तथा जनजातीय उपयोजना के लिये 20.25 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकृत 235 करोड़ रुपया सातवीं योजना उद्व्यय का कुल 22.38 प्रतिशत है।

1.6 नया 20 सूत्री कार्यक्रम

वर्ष 1986–87 में हिमाचल प्रदेश ने नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं तथा योजना आयोग द्वारा वर्ष के प्रथम त्रैमास की उपलब्धियों के आधार पर दूसरे सब राज्यों में हिमाचल प्रदेश को सर्वप्रथम स्थान दिया है। दूसरे त्रैमास में 94 प्रतिशत उपलब्धियों को प्राप्त करने के कारण दूसरा स्थान प्राप्त किया। अप्रैल से नवम्बर, 1986 तक 89 प्रतिशत उपलब्धियों के कारण हिमाचल को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 1986–87

में विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत संक्षिप्त उपलब्धियां निम्नलिखित है।

सूत्र नं०	मद	इकाई	वर्ष 1986-87 के लक्ष्य	दिसम्बर, 1986 तक की उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	सिंचाई सम्भावना			
	(i) सी.सी.ए.	हैक्टेयर	2,604	1,037
	(ii) कमाण्ड क्षेत्र विकास/क्षेत्र वाहिका	,,	3,195	801
3.	(क) आई.आर.डी.पी. के अधीन लाभान्वित परिवार			
	(i) पुराने मामले	संख्या	20,000	17,363
	(ii) नए मामले	,,	10,000	10,404
	(ख) आई.आर.डी.पी. के अधीन रोजगार	लाख मैनडेज	13.50	12.41
	(ग) आर.एल.इ.जी.पी. के अधीन रोजगार	,,	15.00	10.51
7.	(क) अनुसूचित जाति के लाभान्वित परिवार ..	संख्या	24,000	22,961
	(ख) अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित परिवार	,,	2,650	3,581
8.	पेय जल के अधीन लाए गए गांव	,,	500	357
10.	झुगी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को सुविधा ..	,,	5,000	3,753
11.	(क) विद्युतित गांव ..	संख्या	500	539
	(ख) पम्प सैट लगाए गए..	,,	60	165
12.	(क) पौध रोपण ..	संख्या लाख में	625.00	473.81
	(ख) बायोगैस संयंत्र ..	संख्या	2,500	2,605
13.	(क) नसबन्दियां की गईं ..	संख्या	35,000	16,928
	(ख) आई.यू.डी.	,,	30,000	20,130
	(ग) सी.सी. यूजरज ..	,,	35,000	28,540
	(घ) ओ.पी. यूजरज	,,	5,400	6,476
14.	(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए ..	,,	16	15
	(ख) उप केन्द्र खोले गए ..	,,	15	3
15.	आई.सी.डी.एस. ब्लाक खोले गए ..	,,	6	6
16.	लघु उद्योग केन्द्र स्थायी रूप से पंजीकृत..	,,	450	747

वित्तीय वर्ष 1986-87 के अन्त तक लगभग सभी सूत्रों के अधीन लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त करने की आशा है। वर्ष 1987-88 के लिए कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

2 कृषि कार्यक्रम

2.1 कृषि

कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अत: यहां की अर्थव्यवस्था में इसका विशेष महत्व है । प्रदेश की लगभग 70.8 प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर है। राज्य के कुल घरेलू उत्पाद का लगभग 45 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.7 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 6.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कृषि के अधीन है। यह भूमि अधिकतर लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा ही जोती जाती है। कृषि विभाग यहां के किसानों के लिये उन्नत तकनीकी के साथ-साथ समय-समय पर कृषि उपकरणों जैसे कि उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण, सामग्री तथा उन्नत किस्म के औजारों की आपूर्ति का भी पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध करता है। नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन नीति की एक नई दिशा प्राप्त हुई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में शुष्क खेती, तिलहनों एवं दालों के बीजों के विकास और उर्जा स्रोत के विकल्प के रूप में बायोगैस संयंत्रों के लगाये जाने पर अत्याधिक बल दिया जा रहा है।

नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन हुई प्रगति का विवरण निम्नलिखित है।

सूत्र नं० 1 : सिंचाई स्रोतों का विकास तथा शुष्क खेतों की उत्पादन सामग्री की आपूर्ति और इसकी तकनीकी जानकारी का प्रसार

हिमाचल प्रदेश में लगभग 82 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है किन्तु प्रदेश में हर जगह वर्षा समान रूप से नहीं होती। ऐसी दशा में कृषि उत्पादन में स्थिरता बनाये रखने के लिये कृषि विभाग, शुष्क खेती की प्रणाली को किसानों में लोक प्रिय कर रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत भूमि में नमी बनाये रखना, फसलों की उचित किस्मों तथा उर्वरकों के उपयोग व खरपतवारों के विनाश और आपात के समय खेती इत्यादि सम्बन्धी तकनीक सम्मिलित है। इन तकनीकियों के विषय में किसानों को शिक्षित करने हेतु स्थान-स्थान पर प्रशिक्षण शिविर लगाये जाते हैं।

किसानों को शुष्क खेती सम्बन्धी जानकारी देने के लिये वर्ष 1986-87 में 70 माइक्रो वाटर शैडज (सूक्ष्म पानी छप्पर) चुने गये। इस वर्ष शुष्क खेती के अधीन 8,191 हैक्टेयर क्षेत्र इन माईक्रो वाटर शैडज द्वारा तथा 60,059 हैक्टेयर क्षेत्र इनके बाहर लाये जाने तथा 15,371 सुधरे कृषि यन्त्र जिनमें बीज एवं उर्वरक ड्रील भी शामिल हैं बांटे जाने की सम्भावना है। इस वर्ष की अन्तिम तैमाही में 379 और सुधरे हुए कृषि यन्त्र बांटने की योजना है। इसके अतिरिक्त पानी के संग्रह हेतु 400 रचनाओं (वाटर हारवैस्टिंग तथा स्टोरेज स्ट्रक्चर) का निर्माण किया गया ।

सूत्र नं० 2 : दालों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु विशेष पग

वर्ष 1986-87 में 85,250 हैक्टेयर क्षेत्र दालों और 33,000 हैक्टेयर क्षेत्र तिलहन फसलों के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि 27,000 टन दालें व 16,000 टन तेलों के बीज उत्पादित किये जा सकें। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये 31-12-1986 तक 621 टन दालों के बीज तथा 202 टन तिलहन के बीज किसानों को बांटे जा चुके हैं। उन्नत किस्म के बीजों को लोकप्रिय बनाने के लिये दालों एवं तिलहनों के लगभग 27,600 मिनिकीटस भी इन किसानों को बांटे गये ।

सूत्र नं० 7 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों का विकास

अनुसूचित जाति तथा जन-जातियों के लोगों के आर्थिक विकास के लिये विशेष घटक योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन लोगों को विशेष अनुदान पर कृषि उत्पादन सामग्री व उपकरणों के साथ प्रभावशाली तकनीकी जानकारी भी दी गई।

सूत्र नं० 12 : बायो गैस का विकास

वर्ष 1986-87 में 2,500 बायोगैस संयंत्र लगाये जाने के लक्ष्य के विपरीत दिसम्बर, 1986 तक 2,605 संयंत्र लगाये गये। वर्ष 1987-88 में 3,000 बायोगैस संयंत्र लगाने की योजना है।

वर्ष 1986-87 में कार्यक्रम की उपलब्धियां तथा 1987-88 हेतु प्रस्तावित लक्ष्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

(क) खाद्यान्न: प्रदेश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 में कुल 13.65 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है जबकि वर्ष 1986-87 में अनुमानित उत्पादन 13.20 लाख टन आंका गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) अधिक उपजाऊ फसलों की किस्म का कार्यक्रम :— कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को ध्यान में रखते हुये कृषि

विभाग अधिक से अधिक क्षेत्र को अनाज की अधिक उपज देने वाली तथा सुधरी हुई किस्मों के अधीन लाने का निरन्तर प्रयास कर रहा है। इस क्षेत्र में की गई प्रगति निम्न तालिका में में दर्शाई गई है :—

फसल	इकाई	उपलब्धियां		लक्ष्य
		1985-86	1986-87 (सम्भावित)	1987-88
1. मक्की	'000 हैक्टेयर	521.07	629.00	630.00
2. धान	,,	125.40	120.00	125.00
3. गेहूं	,,	491.89	454.00	503.00

(ii) **उर्वरक** :—रासायनिक खाद कृषि उत्पादन को बढ़ाने में विशेष सहायक सिद्ध होती है विशेषत: जब उसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के साथ प्रयोग में लाया जाये। निम्न तालिका से यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में उर्वरकों के प्रयोग में महत्व-पूर्ण वृद्धि हुई है :—

(पौष्टिकता के रूप में खपत)

मद	इकाई	उपभोग			
		1985-86	1986-87 लक्ष्य	नवम्बर, 1986 तक उपलब्धियां	1987-88 के लिए लक्ष्य
एन	'000 मी.टन.	17.80	17.50	13.15	18.00
पी	,,	3.43	3.00	2.50	3.30
के	,,	2.43	2.50	1.61	2.70
योग एन+पी+के		23.66	23.00	17.26	24.00

उर्वरकों के प्रयोग के साथ-साथ स्थानीय हरी खाद के उपयोग पर भी बल दिया जा रहा है। वर्ष 1987-88 में 38 लाख टन हरी खाद तथा 46,000 टन शहरी कम्पोस्ट के उत्पादन की सम्भावना है।

(iii) **पौध संरक्षण** :—वर्ष 1987-88 में 4.15 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र को विभिन्न पौध सरंक्षण उपायों के अधीन लाने का लक्ष्य है जबकि वर्ष 1986-87 में कुल 4.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र इन उपायों के अधीन लाया जायेगा।

(iv) **मिट्टी की जांच** :—वर्ष 1986-87 में 66,100 मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण की सम्भावित उपलब्धि के विरुद्ध 1987-88 में 68,000 नमूनों के विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है।

(v) **बहुफसलीय खेती** :—वर्ष 1987-88 में बहु-फसलीय खेती के अधीन 44,500 हैक्टेयर क्षेत्र को लाने का लक्ष्य है जबकि वर्ष 1986-87 में यह उपलब्धि 44,000 हैक्टेयर अनुमानित की गई है।

(ख) वाणिज्य फसलें

(i) **आलू** :—आलू हमारे प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसल है जिस पर विशेषत: जिला शिमला, लाहौल-स्पिति तथा किन्नौर जिले के पूह मण्डल के किसानों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक निर्भर करती है। उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए तथा ग्राहकों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "हिमाचल बीज आलू नियन्त्रण आदेश" प्रदेश में लागू किया गया। इससे बीज आलू के गुण, ग्रेडिंग, भार व शुद्धता आदि को नियन्त्रण में रखा जायेगा। खरीफ 1986 के दौरान बीज प्रमाण अभिकरण ने 1.40 लाख मी.टन. बीज आलू को प्रमाणित किया। 1986-87 के आलू मौसम में आलू उपभोक्ता प्रान्तों को 82,000 मी० टन बीज व सब्जी का आलू निर्यात किया गया।

(ii) **सब्जियां** :—प्रदेश का विशेष जलवायु वहां पर बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिये अत्यन्त सहायक है। इन सब्जियों को उगाने के लिये किसानों को आवश्यक आदान तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1986-87 की 3.00 लाख टन की सम्भावित उपलब्धियों की अपेक्षा वर्ष 1987-88 में 3.5 लाख टन सब्जियों को उगाने का प्रस्ताव है।

(iii) **अदरक** :—वर्ष 1986-87 में 20,500 टन अदरक उत्पादन का अनुमान है तथा वर्ष 1987-88 के लिये यह उत्पादन लक्ष्य 21,000 टन रखा गया है। अदरक अधिकतर जिला सिरमौर, शिमला व सोलन में उगाया जाता है।

(ग) **कृषि विपणन** : किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने हेतू हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पादन विपणन 1969 (1970 का एक्ट 9) इस दौरान लागू रहा। समस्त प्रदेश को इस एक्ट के अधीन लाये जाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) **अन्य कार्यक्रम** : वर्ष 1986-87 के दौरान अन्य कार्य-क्रम जैसे कृषि कार्य सम्बन्धी सूचना, आंकड़े, बीजों की जांच तथा प्रमाणीकरण, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र और कृषि इन्जिनियरिंग कक्ष इत्यादि किसानों को लाभदायक सेवाएं भी विभाग द्वारा चलाये गये।

(ङ) **केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**

(i) **गेहूँ में से छोटे तथा जंगली घासपात जैसे फलेरिस का नियन्त्रण** :—इस योजना का उद्देश्य गेहूं में छोटे तथा जंगली घासपात जैसे फलेरिस का नियन्त्रण करना है। इस योजना के अधीन अनुसूचित जाति व जन-जातिय कृषकों को 50 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों के कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(ii) **फसलों के अधीन क्षेत्र व अनुमानित उत्पादन हेतु सामयिक प्रतिवेदन योजना** :—इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत चयनित गांवों में अग्रिम गिरदावरी तथा फसलों की कटाई के परीक्षण किये जाते हैं।

(iii) **फसलों के सांख्यिकीयकरण में सुधार**:—इस योजना का उद्देश्य फसल सम्बन्धी आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण में सुधार लाना है। इस योजना के अनुसार प्रतिदर्श गांवों में गिरदावरी किये हुए फसली क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण किया जाता है और इसकी तुलना पटवारी की जमाबन्दी से की जाती है। इसका निरीक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था तथा राज्य कृषि सांख्यिकी अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(iv) **राष्ट्रीय तिलहन बीज विकास प्रोजेक्ट** :—इस योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रदर्शन द्वारा तेल के बीजों की खेती के लिये सुधरी हुई कृषि तकनीकों को अपनाने की शिक्षा दी जाती है तथा फसलों को कीड़े मकौड़े व अन्य रोगों से बचाने के उपाय बताये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत तेल के बीजों की 13,800 मिनीकिटस रवी तथा इतनी ही किटस खरीफ के दौरान किसानों में वितरित की गई।

(v) **दालों का विकास** :—इस योजना के अन्तर्गत भी खरीफ तथा रवी दोनों ही समय 13,800 प्रति फसल के लिये दालों के बीजों की थैलियां किसानों को दी गई।

(vi) **कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु लघु व सीमान्त किसानों को अधिक सहायता देने की परियोजना** :—इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमान्त किसानों को आधुनिक तकनीकी जानकारी से अवगत करवा कर कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दाल व तिलहन बीजों की 27,600 छोटी थैलियां इन किसानों को बांटी गई।

(च) **भू-संरक्षण कार्य** :—प्रदेश में अधिक वर्षा व लवान-दार खेतों के कारण मिट्टी के कटाव की विकट समस्या को सुलझाने के लिये विभिन्न भू-संरक्षण उपाय कृषि विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।

इन उपायों के लिए कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान व 50 प्रतिशत राशी ऋण के रूप में दी जाती है। वर्ष 1986-87 में 809 हैक्टेयर की सम्भावित सफलता की तुलना में 1987-88 में 1,159 हैक्टेयर क्षेत्र को भू-संरक्षण के अधीन लाने की राज्य सरकार की योजना है। इसके अतिरिक्त 1987-88 में केन्द्र द्वारा भी 1,250 हैक्टेयर को भू-संरक्षण के अधीन लाया जायेगा।

वर्ष 1987-88 के लिये योजना :—वर्ष 1986-87 में प्रारम्भ किये गये सभी कार्यक्रम वर्ष 1987-88 में भी कार्यान्वित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यक्रम सम्बन्धी 1987-88 की योजना सम्बन्धित स्कीमों में ऊपर दर्शायी जा चुकी है।

2.2 उद्यान

हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्यान विकास का विशेष महत्व है। उपलब्ध भूमि के उचित उपयोग, कृषि जलवायु, वनस्पति स्त्रोतों तथा पर्यावरण की सुरक्षा व समुचित प्रयोग द्वारा यह मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्य अर्थात् अधिक अन्न उपजाओ तथा रोजगार के अधिक अवसरों को पूरा करने में सहायक है। राज्य सरकार तथा प्रदेश के लोगों के अधिक परिश्रम के कारण ही प्रदेश ने देश के उद्यान के क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त किया है।

वर्ष 1986-87 में उद्यान के क्षेत्र में हुई मुख्य उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है :—

1. **फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल** :—वर्ष 1986-87 में 6,500 हैक्टेयर भूमि को बागवानी के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है इसमें से 4,335 हैक्टेयर भूमि दिसम्बर, 1986 तक बागवानी के अन्तर्गत लाई जा चुकी है तथा शेष लक्ष्य वर्ष 1986-87 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है। वर्ष 1986-87 में 17.00 लाख फलों के पौधों को वितरित करने के लक्ष्य की तुलना में लगभग 25 लाख पौधों को वितरित करने की सम्भावना है।

2. **फल उत्पादन** :—वर्ष 1986-87 में प्रदेश में मौसम अनुकूल रहा जिसके कारण कुल 3.97 लाख टन फल उत्पादन होने की सम्भावना है जो कि अब तक का अधिकतम उत्पादन है।

3. **जंगली फलों के पेड़ों का उत्तम किस्मों में सुधार करना**:—इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 10.00 लाख जंगली फलों के पौधों को शीर्ष कलम बन्दी द्वारा उत्तम किस्म में परिवर्तित करने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1986 तक

1.14 लाख बेड़ों पर टाप वर्किंग की जा चुकी है, क्योंकि टाप वर्किंग का कार्य अधिकतर बसन्त ऋतु में होता है अतः वर्ष के अन्त तक लक्ष्य अवश्य पूरा हो जाएगा।

4. **पौध संरक्षण** :—पौध सरक्षण कार्यों क अन्तगत, दिसम्बर, 1986 तक 54,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाया जा चुका है तथा यह सम्भावना है कि वर्ष 1986–87 के अन्त तक कुल 1.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा। स्कैब की रोकथाम के लिये उठाये गये सामयिक कदमों के कारण इस वर्ष इस रोग को पूरी तरह से नियन्त्रण में रखा गया। इस वर्ष 80,000 हैक्टेयर सेब के फल क्षेत्र को स्कैब रोधक उपचारों के अधीन लाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1986 तक 28,000 हैक्टेयर क्षेत्र में स्कैब रोधक दवाईयों का छिड़काव किया जा चुका है।

5. **उद्यान उद्योग में विविधता लाना** :—उद्यान उद्योग में विविधता लाने के लिये अन्य विशेष फलों जैसे जैतून, अंजीर, पिस्ता, सरदा मैलन, केसर, होप्स, खुम्ब तथा फूलों इत्यादि की खेती को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। विशेषत: जैतून तथा अन्य शीतोषण फलों के विकास के लिये कुल्लू, मण्डी तथा चम्बा जिलों में इटली सरकार की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। जनजातीय क्षेत्र में होप्स की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। खुम्ब उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 128 टन रासायनिक खाद तथा 27,974 स्पान की बोतलें विभिन्न उत्पादकों को वितरित की तथा दिसम्बर, 1986 तक 192 टन खुम्ब का उत्पादन हुआ। डच सरकार की सहायता से पालमपुर में नई तकनीकी से खुम्ब उत्पादन हेतु एक परियोजना चलाई जा रही है। प्रदेश के शुष्क एवं ठण्डे इलाकों में केसर तथा सरदा मैलन की खेती के विकास को लोकप्रिय बनाने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

6. **फलों का विपणन एवं विधायन** :—फलों के विपणन तथा विधायन के लिये प्रदेश में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना कार्यान्वित की गई जिसके अन्तर्गत "उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम" की स्थापना की गई। यह निगम प्रदेश में फल उत्पादन के उचित संरक्षण व विपणन के लिये उत्तरदायी है।

उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम देश में अपनी किस्म का प्रथम संगठन है जिसने फल उत्पादन क्षेत्रों में 12 पैकिंग हाऊस के ताजे फलों के विपणन के लिये स्थापित किए हैं। इनमें फलों की ग्रेडिंग की आधुनिक यन्त्र रचना वैज्ञानिक तरीके से पैकिंग, धोने तथा पोंछने की सुविधाएं प्राप्त हैं। अधिक देर तक फलों को ताजा रखने तथा गर्मी से बचाने के लिये इन पैकिंग गृहों के साथ 5 शीत भण्डार भी बनाये गये हैं। दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास की मण्डियों में भी शीत भण्डार स्थापित किये जा चुके हैं। निगम द्वारा 13,250 मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता विकसित की गई। फलों के लदान के लिये कुंडली (हरियाणा-दिल्ली सीमा पर), किरतपुर साहिब तथा परवाणु में वैज्ञानिक प्रणाली से गोदाम बनाये गये हैं। चार करोड़ रू० की लागत से परवाणु में फल प्रसंस्करण प्लांटस स्थापित किया गया है। इस आधुनिक तकनीक से युक्त अर्ध स्वचालित प्लांट में सेबों का रस निकाला जाता है तथा इसका प्रकेन्द्रण किया जाता है। इस सेवों के रस से मीठी सुगन्ध निकाली जाती है तथा अन्य आधुनिक प्रसंस्करण तथा कैनिंग लाईनस की जाती है जिससे फलों तथा सब्जियों की किस्मों को देखभाल की जाती है। इन प्लांटों की प्रसंस्करण क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष है। महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, चिकित्सालयों तथा मण्डियों में एच. पी. एम. सी. ने 300 रस निकालने की मशीनें स्थापित की हैं। इससे साधारण लोगों को पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवर्धक सेवों के रस को उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त काफी लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

वर्ष 1986–87 के दौरान इसकी उपलब्धियों की मुख्य बात यह रही कि इसके द्वारा स्थापित की गई विभिन्न इकाईयों की कार्य क्षमता बहुत बढ़ी है तथा यह क्षमता कुल क्षमता 30–40 प्रतिशत से बढ़ कर 70 प्रतिशत हो गई है। इस वर्ष 3.30 लाख पेटियों की ग्रेडिंग तथा पैकिंग की गई। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों की तुलना में फलों की बिक्री में भी बढ़ौतरी हुई है। कीटाणुओं तथा अन्य बिमारियों से फलों की रोकथाम के लिये जापान से 2,300 आधुनिक व सुगमता से उठाए जा सकने वाले पावर स्प्रेयर प्राप्त किये गए। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने अधिक कार्यकुशलता हेतु इन स्प्रेयरज को बहुत पसंद किया है। आधुनिक किस्म से खेती करने तथा बगीचों को साफ सुथरा करने के लिये 1,000 घास व झाड़ियां काटने के यन्त्र भी खरीदे जा रहे हैं। इसी वर्ष लगभग 20 लाख गत्ते की पेटियां सेब बन्द करने के लिए किसानों को दी गई जिसका मुख्य उद्देश्य लकड़ी को पेटी की अपेक्षा इन्हें अधिक लोकप्रिय बनाना है ताकि जंगलों को बचाने की प्रदेश को नीति सफल हो सके।

प्रदेश के बागवानों को वैज्ञानिक तौर से फलों के वर्गीकरण एवं पैकिंग के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देने के लिये 1.84 लाख फलों की पेटियों को प्रदर्शित किया तथा दिसम्बर, 1986 तक 1,770 बागबानों को इस सम्बन्ध में उद्यान विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उद्यान विभाग द्वारा चलाए जा रहे फल विधायन केन्द्रों में बिक्री के लिये 200.62 टन फलोत्पाद तैयार किये गये तथा 41.18 टन उत्पाद सामुहिक डिब्बाबन्दी सेव के अन्तर्गत तैयार किये।

7. समाज के कमजोर वर्गों के लिये उद्यान विकास :— नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों जैसे लघु व सीमान्त किसानों अनुसूचित जाति तथा जन जाति के किसानों तथा पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये सरकार में जनसामान्य द्वारा उद्यान के विकास की योजना प्रारम्भ की है। इस उद्देश्य के लिये विशेष अनुदान योजनाएं शुरू की हैं तथा जिसके लिये वर्ष 1986–87 में 29.63 लाख रुपये का प्रावधान है।

8. प्राकृतिक विपत्तियों के लिये सहायता: :— वर्ष 1986–87 में ओलावृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित हुए बागवानों को सहायता देने के लिये 24.75 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अन्तर्गत बागवानों को फलदार पौधे 50 प्रतिशत उपदान पर तथा कीटनाशक दवाईयां 25 प्रतिशत उपदान पर प्रदान किये जायेंगे।

9. उत्तम फलों का उत्पादन :—प्रदेश में न केवल फलों का अधिक उत्पादन हुआ है बल्कि अच्छी किस्मों के फलों का भी उत्पादन रहा। भारत सरकार द्वारा आयोजित त्रिवेन्द्रम (केरल) में "आल इंडिया एपल शो" प्रदर्शनी में राज्य में उत्पादित सेबों तथा इससे बनाये गये पदार्थों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। 119 इनामों में से 70 इनाम हिमाचल प्रदेश ने प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त ए तथा बी और सी तथा डी श्रेणियों में उच्चतम अंक तथा इस शो में सबसे उत्तम सेब हेतु भी रंनईग शील्डें हिमाचल को ही प्राप्त हुई।

वर्ष 1987-88 के लिये योजना :—पहले से चल रही स्कीमों के अतिरिक्त वर्ष 1987–88 में निर्धारित कार्यक्रमों के लक्ष्यों के अन्तर्गत (i) 6,500 हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अन्तर्गत (ii) प्रति इकाई फल उत्पादकता बढ़ाने को (iii) प्रदेश में प्रशिक्षण हेतु कृषि एवं उद्यान प्रसार सेवाओं को पुनर्गठन करने (iv) उद्यान क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रम को सुदृढ़ करने तथा क्राफ्ट कागज व गत्ते की पेटियां बनाने की परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनायें जैसे (1) सेबों के स्कैब रोग पर नियन्त्रण (2) उत्तम सेब उत्पादन के लिये उन्नत तकनीक तथा (3) फसल अनुमान सर्वेक्षण के कार्यान्वियन का भी प्रस्ताव है। वर्ष 1987–88 में 5.10 लाख टन फल उत्पादन करने का प्रस्ताव है।

2.3 लघु तथा मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग असिंचित है। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं सर्जित की जायें। प्रदेश के कुल 55.7 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 5.50 लाख हैक्टेयर निबल क्षेत्र बोया गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं को कार्यन्वित किया जाये तो बोये हुये क्षेत्र के 60 प्रतिशत भाग में सिंचाई की जा सकती है। छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सरकारी निजी तथा अन्य सामुदायिक सिंचित योजना द्वारा लगभग 1.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया गया।

लघु सिंचाई :—वर्ष 1986–87 के लिये राज्य क्षेत्र में 405.00 लाख रुपये की धनराशि 300 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत लाने हेतू प्रदान की गई थी। इसके प्रतिकूल दिसम्बर 1986 तक 338.8 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया था। इसी प्रकार यू०एस०ए०आई० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत 445.00 लाख रुपये की राशि 1,150 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रदान की गई। इस योजना से दिसम्बर, 1986 तक 63 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया।

मध्यम सिंचाई :—वर्ष 1986–87 के दौरान 165.00 लाख रुपये की धन राशि मध्यम सिंचाई की योजनाओं के लिये प्रदान की गई जिससे 400 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जायेगा। इस लक्ष्य के प्रतिकूल दिसम्बर, 1986 तक बल्हघाटी परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 298 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया गया।

मुख्य सिंचाई योजनाएं :—राज्य में शाह नहर पहली मुख्य सिंचाई परियोजना है जिससे कांगड़ा जिले में 15,287 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने की अपेक्षा है। वर्ष 1986–87 के दौरान इस योजना के लिये 40.74 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को बनाने का कार्य अभी प्रगति पर है।

जल वितरण क्षेत्र :—पहले से सर्जित सिंचाई सम्भावनाओं का सदुपयोग करने हेतु यह जरूरी है कि जल वितरण कार्यक्रम को लागू किया जाये। यह कार्यक्रम मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं तथा यू०एस०एड से चलाई जाने वाली लघु योजनाओं मात्र तक ही सीमित है। 600 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिये वर्ष 1986–87 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 36.00 लाख रुपये का प्रावधान था। इसके विपरीत दिसम्बर 1986 तक 424 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया। इसी प्रकार वर्ष 1986-87 के दौरान यू० एस० एड के अन्तर्गत 2,000 हैक्टेयर सी०सी०ए० के लक्ष्य में से दिसम्बर, 1986 तक 424 हैक्टेयर सी०सी०ए० का विस्तार किया गया।

बाढ़ नियन्त्रण :—वर्ष 1986–87 के दौरान बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के निर्माण के लिये 70 लाख रुपये का प्रावधान था। बाढ़ नियन्त्रण उपायों के अन्तर्गत नवम्बर, 1986 तक 2.5 एकड़ सी०सी०ए० क्षेत्र लाभान्वित किया गया।

2.4 भू-संरक्षण

भू–संरक्षण उपाय नदी घाटी परियोजनाओं के सन्दर्भ में अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इनसे (1) सिंचाई/विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु जलाशयों को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है (2) लघु सिंचाई जलाशयों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है तथा (3) बाढ़ों को कम करने में सहायता मिलती है। निम्नलिखित भू-संरक्षण योजनाएं प्रदेश में राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही हैं :—

राज्य क्षेत्र

1. **रक्षक बनारोपण भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन** :—वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत गैर जनजातीय क्षेत्र में 550 हैक्टेयर नई भूमि पर मिट्टी की रक्षा के लिये बनारोपण के तथा प्रदर्शन भवन निर्माण व इनकी सुरक्षा हेतु अन्य कार्य किये गये। इसके साथ ही इस वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में इस योजना के अन्तर्गत 200 हैक्टेयर नई भूमि समुपचार की गई।

2. **भू-संरक्षण प्रशिक्षण** :—इस योजना का उद्देश्य राज्य में भू-संरक्षण चलाने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है। वर्ष 1985–86 में 18 डिप्टी रेंजर तथा 72 वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय क्षेत्र

भू-संरक्षण के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत तीन योजनाएं कार्य कर रही हैं जिनमें (1) सतलुज तथा ब्यास नदी घाटी परियोजनाओं के लिये जल ग्रहण क्षेत्रों में भू तथा जल संरक्षण (2) हिमालय क्षेत्र में एकीकृत भू–जल तथा पेड़ संरक्षण योजना (3) ईन्डो–गैन्जटिक नदी क्षेत्र बाढ़ वाली निदयों, जिनमें गिरीबाता व पब्बर-टौंस सम्मिलित हैं, के जलग्रहण क्षेत्र के एकीकृत बिकास के लिये कार्य योजनाएं बनाना। इन योजनाओं के अन्तर्गत दिसम्बर, 1986 तक 6,247 हैक्टेयर भूमि बनारोपण के अधीन लाई गई, 6 पानी के हारवेस्टिंग ढांचे बनाये गये, 60 स्परस/रोधी बांध प्रतिधारण दिवालें बनाई गई तथा 3,89,000 छोटे पौधे उगाये गये। इसके अतिरिक्त भू-संरक्षण उपाय कृषि विभाग द्वारा भी किये जाते हैं जिनका विवरण सम्बन्धित अध्याय में दिया गया है।

2·5 पशु पालन

हिमाचल प्रदेश जहां कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है वहां पशु पालन विकास ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास कार्यक्रम में (1) पशु स्वास्थ्य और रोग नियन्त्रण, (2) गोजातीय पशु विकास, (3) भेड़ प्रजनन एवं ऊन का विकास, (4) कुक्कुट विकास, (5) पशु आहार तथा चारा विकास, (6) दुग्ध विकास की वितरण योजना और (7) पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा सम्मिलित है। इन क्षेत्रों की वर्ष 1986–87 की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

1. **पशु स्वास्थ्य और रोग नियन्त्रण** :—इस समय राज्य में 209 पशु चिकित्सालय, 411 औषधालय तथा 85 आउट लाइंग औषधालय हैं। इन संस्थाओं द्वारा पशु चिकित्सा तथा छूत के रोगों की रोकथाम के लिये विभिन्न कार्य किए गये। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 14 चलते-फिरते औषधालय भी कार्य कर रहे हैं। जोकि महामारी को फैलने से रोकने के अतिरिक्त पशु चिकित्सा सुविधा शीघ्र पहुंचाते हैं। प्रदेश में 4 कलीनिक प्रयोगशालायें कार्य कर रही हैं जिनसे पशुओं के विभिन्न रोग लक्षणों की तुरन्त जांच की जाती है। राज्य मुख्यालय में एक संनिरीक्षण इकाई कार्य कर रही है जिसके द्वारा पशुओं के रोगों की जांच व नियन्त्रण किया जाता है।

वर्ष 1986-87 में पशु महामारी रिडंरपैस्ट जो छूत की बिमारी है की रोकथाम के लिये 4 चेकपोस्ट, पंडोगा तथा मांदली, जिला ऊना, स्वारघाट, जिला बिलासपुर तथा मलवां, जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं। इनके द्वारा वर्ष 1986-87 में 35,000 आने जाने वाले पशुओं को टीके लगाने का अनुमान है। वर्ष 1986-87 में पशु चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :—

क्रम संख्या	मद	1986–87 की सम्भावित उपलब्धियां ('000)
1	2	3
1	छूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग व वाह्य रोगी)	28.50
2	अछूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग तथा वाह्य रोगी) ..	1,111.01
3	उन रोग ग्रस्त पशुओं को दवाई दी गई जो कि चिकित्सालय/औषधालय आदि में नहीं ले जाये गये ..	18.00
4	टीके लगाये गय ..	24.00
5	वधियाकरण किया गया ..	75.00
6	परिभ्रमण में दी गई चिकित्सा सुविधा	
	(क) छूत ..	26.10
	(ख) अछूत ..	410.00
7	परिभ्रमण में वधियाकरण ..	91.00
8	परिभ्रमण में लगाये गये टीके ..	570.00

2. **गोजातीय विकास** :—प्रजनन के लिये जर्सी नसल को सब जातियों से उचित माना गया, इस लिये पहाड़ी गायों को जर्सी से प्रजनन पर विशेष बल दिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर होलस्टीन फ्रिजियन नस्ल का भी प्रजनन किया जा रहा है। भैंस की वर्तमान नस्ल को सुधारने तथा प्रजनन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान माजरा, कोटगढ़ तथा ऊना ग्राम सम्बर्धन ब्लाक और जिला सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, चम्बा, सोलन तथा हमीरपुर के चिकित्सालयों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 78 सांड चिकित्सालयों/केन्द्रों में गायों तथा भैंसों की प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा ग्राम सम्बर्धन योजना तथा सघन गोजातीय पशु विकास योजना के अन्तर्गत भी उपलब्ध हैं। गोजातीय विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये प्रदेश में निम्नलिखित योजनाएं कार्यरत हैं :—

(क) **ग्राम सम्बर्धन योजना** :—इस योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम सम्बर्धन ब्लाक तथा 59 ग्राम सम्बर्धन केन्द्रों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर तथा ऊना जिलों में कार्यरत हैं।

(ख) **पहाड़ी पशु विकास कार्यक्रम** :—यह कार्यक्रम शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू तथा चम्बा जिलों में चलाया जा रहा है तथा 35 केन्द्र/उपकेन्द्र इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों/उपकेन्द्रों में जर्सी/होलस्टीन और रैड सिंधी जर्सी नस्लों का वीर्य कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) **सघन गोजातीय विकास परियोजना** :—यह परियोजना शिमला तथा सोलन जिलों में 22 सघन गोजातीय विकास केन्द्रों (16 केन्द्र शिमला तथा 6 केन्द्र सोलन) तथा घनाहट्टी में स्थित वीर्य बैंक के साथ चलाई जा रही है।

(घ) **चिकित्सालयों/औषधालयों तथा सांड़ केन्द्रों द्वारा प्रजनन सुविधाएं** :—प्रदेश में दो विभिन्न जाति के प्रजनन को अधिक बढ़ावा देने के लिये 373 चिकित्सालयों तथा औषधालयों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जहां वीर्य पहुंचाना सम्भव नहीं है वहां 20 गाय सांड तथा 46 भैंस सांड केन्द्रों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ङ) **कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र** :—उन क्षेत्रों में जहां चिकित्सालयों तथा औषधालयों की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, वहां 50 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा प्रजनन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

विजातीय बछड़ियों के पालन पोषण की लागत में सहायता करने के लिये सरकार ने प्रदेश में एक अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत लघु व सीमान्त किसानों को बछड़ियों के लिये सन्तुलित आहार के रूप में अनुदान दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :—

क्रम संख्या	मद	वर्ष 1986-87 की सम्भावित उपलब्धियां	
		गाय	भैंस
1	2	3	4
1	कृत्रिम गर्भाधान ..	1,50,000	26,000
2	प्राकृतिक गर्भाधान ..	2,000	6,500
3	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बच्चे ..	58,000	7,500
4	प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न बच्चे ..	900	3,100

प्रदेश में शुद्ध व अच्छी नस्ल के सांडों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये 5 गोजातीय पशु प्रजनन फार्म कमान्ड व भंगरोटू (मण्डी), कोठीपुरा (बिलासपुर), पालमपुर (कांगड़ा) तथा बागथन (सिरमौर) में कार्यरत हैं। इन सभी पशु प्रजनन फार्म तथा अन्य फार्मों में 30 सितम्बर, 1986 तक पशुओं की कुल संख्या 598 थी। ये फार्म विदेशी नस्ल व पशुओं के प्रबन्ध की समस्याओं के अध्ययन में भी सहायता करते हैं। एक वीर्य कोष जिसमें एक गहरी जमी हुई प्रयोगशाला तथा दो तरल नाईट्रोजन संयंत्र भंगरोटू में स्थापित किये गये हैं। यह बैंक वीर्य कोष बंशावली सांडों का जमा हुआ वीर्य मण्डी, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन व लाहौल-स्पिति जिलों में विभिन्न चिकित्सालयों/औषधालयों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों और सरकारी फार्मों को भेजता है। एक और वीर्य कोष जिसमें एक जमी हुई वीर्य प्रयोगशाला तथा दो तरल नाईट्रोजन संयंत्र, पालमपुर में स्थापित किये गए तथा यह वीर्य कोष प्रदेश के विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को जमा हुआ वीर्य भेजता है। एक-एक तरल नाईट्रोजन संयंत्र ज्योरी (शिमला), सोलन व घनाहट्टी में चालू है। इन कार्यक्रमों को लागू करने से वर्ष 1986-87 में 445 हजार टन दूध के उत्पादन की सम्भावना है।

3. **भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास** :—भेड़ पालन जो कि ऊन, मांस, खालें तथा प्राकृतिक खाद का प्रमुख स्रोत है, प्रदेश के लोगों की आय का एक महत्वपूर्ण सहायक स्रोत भी है। भेड़ों तथा ऊन में सुधार लाने के लिये सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला), चम्बा, नगवाईं (मण्डी) ताल (हमीरपुर), कड़छम (किन्नौर) तथा भेड़ व ऊन केन्द्र चुड़ी (चम्बा) किसानों को उन्नत भेड़ें वितरित करते हैं। 30 सितम्बर, 1986 तक इन फार्मों में भेड़ों की कुल संख्या 2,254 थी। वर्ष 1986-87 में

लगभग 500 उन्नत किस्म की भेड़ें किसानों में बांटने की सम्भावना है। भेड़ों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुये तथा सोवियत मैरीनों और अमेरिकन रेम्बुलटस को ख्याति को देखते हुये सरकार ने वर्तमान सरकारी फार्मों पर शुद्ध प्र जनन का कार्य शुरु कर दिया है। चार भेड़ प्रसारण केन्द्र जिला कांगड़ा, मण्डी, कुल्लू तथा शिमला में शुरु किये जा रहे हैं।

भेड़ों के विकास के लिये विशेष पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को कम दरों पर ऋण प्रदान किये जाते हैं। यह परियोजना जिला सिरमौर में चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सघन भेड़ विकास कार्यक्रम जो चम्बा जिले की भरमौर, चम्बा व भटियात तहसीलों में लागू हैं के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें दी जाती हैं तथा उन्हें डिपींग तथा ड्रेंचिग की सुविधाओं के साथ उन्नत चारागाहें उपलब्ध हैं। बड़े पैमाने पर भेड़ों के लिये दवाई पिलाने तथा प्रगतिशील भेड़ पालकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया गया। वर्ष 1986-87 में 13.10 लाख किलोग्राम ऊन उत्पादन की सम्भावना है।

4. **कुक्कुट विकास** :—सुधरी किस्म के कुक्कुट पक्षी वितरित करने तथा अण्डों से बच्चे निकालने के लिये प्रदेश में 14 कुक्कुट फार्म/केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 1986–87 मे निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है:—

क्रम संख्या	मद	वर्ष 1986–87 की सम्भावित उपलब्धियां
1	2	3
1	सरकारी फार्मों पर अण्डे देने वाली मुर्गियों की औसत संख्या ..	3,900
2	अण्डों का उत्पादन ..	7,75,000
3	चुजों का उत्पादन ..	1,80,000
4	चुजे निकालने के लिये रखे गये अण्डे ..	2,40,000
5	खाने के लिए अण्डों का विक्रय ..	5,00,000
6	चुजे निकालने के लिये अण्डों का विक्रय ..	2,000
7	प्रजनन के लिए पक्षियों का विक्रय ..	98,000
8	खाने के लिए पक्षियों का विक्रय ..	60,000

वर्ष 1986-87 में विशेष पशुधन (कुक्कुट) उत्पादन कार्यक्रम जोकि शिमला, बिलासपुर तथा ऊना जिलों में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से लघु एवं सीमान्त किसानों के लाभ के लिये 100 कुक्कु ट इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1986-87 में सघन कुक्कुट विकास कार्यक्रम भी ऊना जिला में चलाया जा रहा है।

5. **पशु आहार तथा चारा विकास.**—उच्च वंश पशुओं का उत्पादन तथा संरक्षण, पौष्टिक पशु आहार तथा उन्नत चरागाहों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रदेश में चरागाहों तथा घासनियों के विकास तथा उन्नति के लिये सरकार अपने कार्यक्रमों को राज्य में पशु आहार के साधनों की उन्नति की तरफ केन्द्रित कर रही है। फ्लारस, दयुबरोसा तथा राई घास जो कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु के बहुत अनुकूल है को और अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका अधिक उत्पादन करने के लिये सरकारी फार्मों तथा प्लाट ब्रीडरों को बांटा जा रहा है।

6. **गव्यशालय विकास तथा दुग्ध वितरण योजना.**—दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध दूध उपलब्ध करवाने के लिये कांगड़ा, चम्बा, कुल्लू तथा नात्थपा झाखड़ी में 4 दुग्ध वितरण योजनाएं विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। प्रदेश में 1985-86 में 431.14 हजार टन दूध पैदा हुआ था।

7. **पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा.**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग ने 51 प्रत्याशी औषधियोजक का कोर्स करने के लिये चम्बा तथा सुन्दरनगर भेजे हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमित रूप से पशु-पालकों को भी गव्य व्यवसाय, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन तथा अन्य पशु पालन क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है।

8. **अनुसूचित जातियों के लिये समन्वित योजना.**—इसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लोगों को सुधरी हुई किस्म के पशु दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधाएं जैसे 6 मास के लिये पशु आहार तथा पशु और कुक्कुट शैड को बनाने के लिये 50 प्रतिशत सहायता तथा बीमा इत्यादि के लिये अनुदान दिया जाता है। इस कार्यक्रम से वर्ष 1986-87 में 2,480 परिवार लाभान्वित किये जाने को संभावना है।

9. **अनुसूचित जनजातीय उप-योजना.**—अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किन्नौर, लाहौल-स्पिती, पांगी तथा भरमौर (जिला चम्बा) में विशेष सहायता कार्यक्रम चला रखा है। विभिन्न पशु वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 280 परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 507 परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

वर्ष 1987-88 के लिये योजना :—वे सभी योजनाएं जो पहले से चल रही हैं वर्ष 1987-88 में भी कार्यरत रखने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश पशु चिकित्सा की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूर्ण रूप से और प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से 24 औषधालय खोलने तथा 14 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में परिवर्तित करने की योजना है ।

2.6 वन

हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन 21,325 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हैं जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 38.3 प्रतिशत है। इसमें घने जंगलों का क्षेत्रफल बहुत ही कम है । इन वनों में अखबारी कागज, रेऑन ग्रेड पल्प, आर्ट-पेपर, गत्ता तथा कपड़े उद्योग के लिये पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वनों में पर्याप्त मात्रा में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो औषधियां बनाने के काम में लाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, वन भू-संरक्षण तथा नदियों में पानी ठीक तरह से प्रवाहित होने में सहायता करते हैं, जिससे बहुद्देशीय विद्युत परियोजनाओं को संरक्षण मिल सके ।

1. वन रोपण

(क) वन उत्पाद :—3,825 हैक्टेयर भूमि पर शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों के वृक्ष रोपण का प्रस्ताव है तथा 4,209 हैक्टेयर भूमि पर महत्वपूर्ण औद्योगिक इमारती लकड़ी की जातियों के विस्तृत रोपण का प्रस्ताव है । दिसम्बर, 1986 तक 7,435 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हो चुका था ।

(ख) चारागाह विकास :—इस योजना का उद्देश्य उत्तम किस्म के देशी व विदेशी चारे के प्रचलन व परिचय द्वारा चारे के गुण व मात्रा में वृद्धि लाना है। इस वर्ष के दौरान 1,458 हैक्टेयर भूमि उत्तम चरागाह के अधीन लानी है। जिसमें से दिसम्बर, 1986 तक 1,220 हैक्टेयर क्षेत्र को लाया जा चुका है।

(ग) सामाजिक वन योजनाएं

(i) राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना (अम्बरैला) :—वर्ष 1985-86 में विश्व बैंक की सहायता से 57 करोड़ रुपये की लागत से सामाजिक वानिकी परियोजना शुरू की गई । यह पंच-वर्षीय परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप चलाई जा रही है। प्रचलित वर्ष में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य लोगों की आम जरूरतों को पूरा करने के लिए जलाने की लकड़ी, चारा तथा इमारती लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाना है। वर्ष 1986-87 के दौरान वन रोपण का कार्य 20,166 हैक्टेयर भूमि पर किया जाना है। यह वनरोपण निजी. बेकार भूमि तथा सरकारी डीग्रेड/घटिया जंगलात भूमि पर किया जायेगा। इस वर्ष 11,390 हैक्टेयर भूमि में वन रोपण का कार्य इस परियोजना के अन्तर्गत किया गया जिसमें 1.45 करोड़ पौधे सार्वजनिक वितरण द्वारा लगाये जायेंगे ।

(ii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण ईंधन सामाजिक वन रोपण योजनाएं :—इस योजना का उद्देश्य सरकारी व्यर्थ भूमि, गांव की सामूहिक भूमि तथा सड़कों के किनारे इत्यादि पर ईंधन प्रदान करने वाले पौधों का रोपण करना है। इसमें 50:50 का अनुपात होगा जिसमें केन्द्रीय भाग अधिकतम 1,000 रुपये के रूप में दिया जाए गा। यह योजना 5 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, मण्डी, सोलन तथा शिमला में चलाई जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत 3,960 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाये जायेंगे । जिसमें दिसम्बर, 1986 तक 3,744 हैक्टेयर क्षेत्र पर पौधरोपण किया जा चुका है।

(iii) चिलगोजा पाइन का पुनः प्रजनन—केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना :—चिलगोजा के जंगल जिनके बीजों को खाने के काम में लाया जाता है और बहुत कीमती होते हैं जिला किन्नौर के शुष्क क्षेत्रों तथा सीमित मात्रा में पांगी क्षेत्र में लगभग 2,060 हैक्टेयर क्षेत्र में पाए जाते हैं । इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को इन बीजों को एकत्र करने का अधिकार है जिससे उनकी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। कैलेन्डर वर्ष के दौरान 6 हैक्टेयर क्षेत्र पर इनका पौधरोपण किया गया।

2. धौलाधार में प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना :—यह परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना से निरन्तर चल रही है तथा यह धौलाधार क्षेत्र के विनवा जलग्रह में संघीय गणराज्य जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। वनरोपण, पशु पालन, लकड़ी बचाने वाले साधनों की एक संयुक्त योजना है। इस परियोजना से वनों के अन्तर्गत 10 प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना तीसरे चरण पर है। प्रथम चरण अभिविन्यास स्तर पर था तथा दूसरा चरण कार्यान्वयन स्तर पर था। इस परियोजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1986 तक 23.66 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

3. वन्य प्राणी तथा प्राकृतिक संरक्षण :—हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार की पशु तथा पक्षी सम्बन्धी क्रीड़ाओं के लिये प्रसिद्ध है । इस योजना का उद्देश्य आखेट शरण्यों तथा शूटिंग खंडों में सुधार करना है ताकि लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाया जा सके। कैलेन्डर वर्ष में इन कार्यों के लिये 32.52 लाख रु० की धनराशि उपयोग में लाई जा चुकी है ।

4. **वन सांख्यिकी एवं मूल्यांकन शाखा :**—विश्वसनीय आंकड़े संकलन करने हेतु विभाग में सांख्यिकीय तथा मूल्यांकन शाखा की स्थापना की गई । यह शाखा इस वर्ष भी कार्य करती रही ।

5. **वन सुरक्षा :**—वनों को अग्नि, अवैध गिरान तथा अतिक्रमण आदि खतरों का सामना करना पड़ता है। इस लिये यह आवश्यक है कि उपयुक्त स्थानों पर चैक पोस्टस की स्थापना, अग्नि शमन उपकरणों का प्रावधान तथा दूरभाष यन्त्रों की स्थापना की जानी चाहिए। यह योजना इस वर्ष भी कार्य करती रही।

अन्य कार्यक्रमों के साथ विभाग सड़कों, भवनों, जिनमें लेबर हट का निर्माण भी सम्मिलित है, तथा लोगों को वनों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभों के विषय में तथा उन के उचित प्रबन्ध व आरक्षण हेतु आवश्यक जानकारी देने के कार्यक्रम भी चला रहा है ।

2.7 मत्स्य पालन

हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन व उत्पादन के विकास के लिये प्राकृतिक मत्स्य सम्पदा को कानूनी संरक्षण तथा मत्स्य शरण्यों का निर्माण करके किया गया है। इस के अतिरिक्त भारतीय मेजर कार्प के साथ-साथ अभ्यागत जातियों जैसे साधारण कार्प तथा ट्राउट का प्रजनन एवं समवर्धन प्रारम्भ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य संसाधनों में 40,000 हैक्टेयर जलाशय जिन में गोबिन्द सागर तथा पौंग डैम मुख्य हैं, नदियों की 3,000 किलोमीटर की लम्बाई, 150 हैक्टेयर ग्रामीण तालाब सघन मत्स्य पालन के लिए उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त प्रदेश की घाटियों में बहुत से छोटे-छोटे बारह मासी नाले बहते हैं, इन नालों के पानी को रोक कर किसानों के लिये तालाब बना कर मछली उत्पादन किया जा रहा है।

प्रदेश में मत्स्य पालन के बहुमुखी विकास के दृष्टिगत सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) में 7 स्कीमें शामिल की गई हैं । मुख्य मदों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

क्रमांक	मद	इकाई	वर्ष 1986-87 के निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियां	
				नवम्बर, 1986 तक	मार्च, 1987 तक संभावित
1	2	3	4	5	6
1.	मिरर कार्प के बच्चों का उत्पादन	दस लाख	8.00	7.55	8.00
2.	ट्राउट के अंडों का उत्पादन	लाख	9.00	4.15	9.00
3.	पंजीकृत मछेरे ..	संख्या	9,000	7,300	9,000
4.	मत्स्य उत्पादन ..	टन	3,600	1,525	3,000

जलाशयों से मत्स्य विदोहन तथा विपणन पूर्ण रूप से सहकारी क्षेत्र के अधीन किया जा रहा है। गोबिन्द सागर, पौंग डैम जलाशयों में क्रमशः 9, 9 प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं। इन जलाशयों से मत्स्य समुपयोजना एवं विपणन कार्य भी इन्हीं समितियों द्वारा किया जा रहा है। इन समितियों का प्रत्येक सदस्य मछली पकड़ने के लिए लाईसेंस फीस 50 रुपये प्रति वर्ष प्रति गिलनैट देता है। यह समितियां अपने मछली विक्रय के सकल मूल्य का 15 प्रतिशत भाग प्रति वर्ष सरकार को अदा करती हैं।

1987-88 के लिये योजना :—प्रदेश के जलाशयों पर 10 मिलीयन मत्स्य क्षुद्रमीन के उत्पादन तथा ट्राउट के 9 लाख अण्डे उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्प और ट्राउट फार्मों के प्रबन्ध को सुदृढ़ रखने के साथ-साथ वर्तमान मछली फार्मों का जल क्षेत्र 15 हैक्टेयर तक किया जाएगा । राष्ट्रीय मत्स्य बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 हैक्टेयर क्षेत्र का मत्स्य बीज फार्म को स्थापित करने का प्रस्ताव है। कृषि उद्योग में लगे लोगों को मत्स्य पालन के लिये प्रोत्साहित करने के लिये बहते पानी में मछली उत्पादन की तकनीक पर आधारित प्रचलित प्रणाली के अनुरूप मत्स्य पालन करने हेतु मंडी में मत्स्य विकास एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस स्कीम के अन्तर्गत इच्छुक मत्स्य पालकों को जलाशय बनाने के लिये तथा मत्स्य बीज और खुराक खरीदने के लिये अनुदान प्रदान किया जायेगा । मंडी में माहिशिर मत्स्य फार्म को बनाने का कार्य भी जारी रखा जाएगा। प्रदेश की प्राकृतिक परिस्थितियों में केज कल्चर की आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिये एक योजना का कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव है । विभागीय फार्मों पर 50 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त 2 विभागीय तथा 2 बजीफा प्राप्त प्रत्याशियों को प्रशिक्षण पर भेजने का प्रस्ताव है। जन-जातीय घटक योजना के अन्तर्गत 290 मछेरों तथा मत्स्य पालकों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। जन-जातीय उपयोजना के अन्तर्गत जन-जातीय क्षेत्रों में मछली पालन उद्योग की क्षमता का सर्वेक्षण कार्य जारी रखा जायेगा । जिला किन्नौर में ट्राउट फार्म सांगला में 1.2 लाख ट्राउट अण्डों के उत्पादन करने का भी प्रस्ताव है।

2.8 भू-एकत्रीकरण

भू-एकत्रीकरण कार्य को प्रगति पर लाने के लिये नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

पुराने सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 49 लाख एकड़ भूमि भू-एकत्रीकरण के योग्य है । इसमें से 14.72 लाख

एकड़ का क्षेत्रफल 31–3–1986 तक एकत्रित किया जा चुका है । भू-एकत्रीकरण कार्य कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और मण्डी जिलों में चल रहा है। वर्ष 1986-87 के दौरान 84,500 एकड़ भूमि को एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 30–11–1986 तक 42,466 एकड़ भूमि एकत्रित की जा चुकी है । वर्ष 1987-88 के लिये 84,500 एकड़ भूमि को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

2.9 भूमि सुधार

हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल, 1981 तक 20,455 भूमिहीन तथा 70,029 अन्य पात्र व्यक्तियों की पहचान की गई । अब तक इनमें से 20,363 भूमिहीनों तथा 67,392 अन्य पात्र व्यक्तियों को भूमि दी गई। भूमिहीन तथा बेघर व्यक्तियों की पहचान के लिये 31–3–83 तक सरकार द्वारा नई तारीख निश्चित की गई। इस तारीख तक 1,310 भूमिहीन तथा 660 बेघर व्यक्तियों की पहचान की गई थी । अब तक इनमें से 463 भूमिहीन तथा 334 बेघर व्यक्तियों को भूमि दी गई। इस कार्य के लिये कोई भी लक्ष्य निश्चित नहीं किये गये क्योंकि कुछ जिलों में भूमि बांटने योग्य नहीं है । समस्या यह है कि जहां पर उचित भूमि उपलब्ध है वहां पर उचित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तथा जहां उचित व्यक्ति है वहां उचित भूमि उपलब्ध नहीं है।

सभी 86,952 भोगाधिकारी किसान पहले ही अपनी भूमि के मालिक हो चुके हैं। सितम्बर, 1986 तक 4,22,145 गैर-भोगाधिकारी किसानों में से 3,82,003 को कानून के अन्तर्गत स्वामित्व के अधिकार दिये जा चुके हैं। शेष 40,142 ऐसे किसान हैं जिनके पास सुरक्षित वर्ग जैसे अल्पवयस्क, विधवाएं, रक्षा कर्मचारी तथा अपंग व्यक्ति इत्यादि के अन्तर्गत भूमि अधिकार प्राप्त है। तथापि स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने का कार्य चल रहा है।

प्रदेश के सभी किसानों को चरण-बद्ध तरीके से किसान पास बुक देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1986-87 के 2,28,120 किसान पास बुकों को वितरित करने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1986 तक 39,174 किसान पास बुकें पूर्ण की गई तथा किसानों को वितरित की गई । इन पास बुकों का वैधानिक महत्व है और इनमें अपनी जोत के सम्बन्ध में किसानों के अधिकार तथा दायित्व की नवीनतम सूचना दी होती है ।

3 सहकारिता एवं ग्रामीण विकास

3.1 सहकारिता

प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। कमजोर वर्ग के लोगों को सुगम ऋण की सुविधा तथा कृषि कार्य में अन्य प्रकार की सहायता हेतु वर्ष 1985-86 में विभिन्न प्राथमिक, औद्योगिक, बुनकर और गैर कृषि सहकारी सभाओं का पंजीयन होने से सभी प्रकार की समितियों की संख्या 3,453 से बढ़कर 3,516 हो गई। परन्तु वर्ष के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी संस्थाओं की संख्या जो 30-6-1985 को 2,113 थी घटकर 30-6-1986 को 2,110 रह गई। राज्य में सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है :—

क्र० सं०	मद	इकाई	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5
1	समस्त प्रकार की समितियां ..	संख्या	3,453	3,516
2	सदस्यता ..	संख्या लाखों में	8.32	8 63
3	अंश पूंजी ..	रुपये लाखों में	2,169.76	2,520.23
4	जमा पूंजी ..	,,	9,325.59	11,109.11
5	कुल अल्प कालीन व मध्य कालीन ऋण वितरण (कृषि तथा गैर कृषि ऋण) ..	,,	1,740.35	2,622.62
6	दीर्घ कालीन ऋण वितरण ..	,,	109.95	154.09
7	कृषि उपज का विपणन मूल्य ..	,,	795.71	707.08
8	उपभोक्ता वस्तुओं का फुटकर वितरण ..	,,	3,939.27	4,326.74
9	कृषि उर्वरकों का फुटकर वितरण ..	,,	696.09	785.99
10	ग्रामीण जनसंख्या की सहकारिता में भागीदारी ..	प्रतिशत	87	90

सहकारी समितियों के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(1) **सहकारी ऋण**:—सहकारी ऋण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय भूमि विकास बैंक परिसीमित शिमला तथा प्राथमिक विकास बैंक परिसीमित धर्मशाला द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं। ये दीर्घकाली ऋण किसानों को विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिये दिये जाते हैं।

(2) **विपणन** :—सहकारी संस्थाएं नकदी फसलों, जैसे बीज का आलू, चाय, अदरक तथा सेब की फसल, के विपणन का काम कर रही हैं। ये सहकारी संस्थाएं किसानों की कृषि उपज बड़ी-बड़ी मंडियों में भेजती हैं ताकि उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सकें।

(3) **उपभोक्ता वस्तेओं का वितरण** :—प्रदेश के विशेष कर दूरदराज क्षेत्रों में लोगों के उपभोग की आवश्यक

वस्तुओं का वितरण उचित मूल्यों पर करती हैं ।

(4) **उपकरणों की आपूर्ति** :—सहकारी समितियां किसानों को उचित समय व उचित मूल्य पर विभिन्न कृषि उपकरणों जैसे उर्वरक, उन्नत बीज आदि की आपूर्ति करती है ।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :–वर्ष 1987–88 में सहकारिता के अन्तर्गत चल रही योजनाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा ताकि सहकारिता में निहित उद्देश्यों की वास्तविकता में पूर्ति हो सके ।

3.2 ग्रामीण विकास

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :—(1) अधिक उत्पादन, (2) अधिक रोजगार, (3) आय का अधिक संतुलित वितरण, (4) निर्धन ग्रामीणों पर अधिक व्यय, तथा (5) ग्रामीण के रहन-सहन, स्वास्थ्य, सफाई, संतुलित आहार तथा सामाजिक-आर्थिक उत्थान में जागृति पैदा करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ग्रामीण विकास विभाग निम्न-लिखित कार्य कर रहा है।

1. **सामुदायिक विकास** :—ग्रामीण लोगों का उन के सहयोग के अन्तर्गत एकीकृत विकास इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 1986–87 में निम्नलिखित कार्य किये गये :—

(1) **शिक्षा** :—शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिये पाठशाला भवनों का निर्माण तथा मुरम्मत की गई ।

(2) **सामाजिक शिक्षा** :—सामाजिक शिक्षा के विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा ग्रामीण खेलों का आयोजन किया गया।

(3) **अन्य सामुहिक कार्यक्रम** :—महिला मंडलों व युवक मंडलों को सुदृढ़ करना तथा इनके सम्मेलनों को आयोजित करना इत्यादि सामुदायिक विकास का मुख्य कार्य रहा है ।

(4) **आवास** :—क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदात करना व कार्यालय भवन बनाना इत्यादि ।.

इसके अतिरिक्त, गांवों में धुआं रहित चूल्हों तथा शोचालयों को बनाने का काम भी चल रहा है। नवम्बर, 1986 तक, 17,879 धुआं रहित चूल्हों का निर्माण किया गया तथा 1,445 लोगों को चूल्हे बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस समय हिमाचल प्रदेश में 124 ऐसे गांव है जहां पर पूर्ण रूप से धुआं रहित चुल्हे हैं । इस के अतिरिक्त नवम्बर, 1986 तक गांवों में 1,500 ग्रामीण शौचालय बनाये गए ।

2. **व्यवहारिक पौषाहार कार्यक्रम** :—यह कार्यक्रम मूलतः शैक्षिक कार्यक्रम है। इस का मुख्य कार्य लोगों के आहार की आदतों को बदलना है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत कुक्कुट इकाईयां स्थापित करना, गृह वाटिका बनाना तथा निर्धन बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के लिए 1986–87 में 9 लाख रु० का प्रावधान किया गया है ।

3. **केन्द्रीय संचलित कार्यक्रम** :—

(क) **ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम** :—यह कार्यक्रम केन्द्र तथा प्रदेश सरकार का मिला जुला कार्यक्रम है तथा इसमें व्यय करने की 50 : 50 की भागीदारी है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सहायता करना तथा रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है। 1986–87 के दौरान इस के अन्तर्गत 31,000 नये व पुराने परिवारों को इस कार्यक्रम के अधीन लाना था। दिसम्बर, 1986 तक इस के अधीन 17,363 पुराने परिवारों को तथा 10,404 नये परिवारों को लाभान्वित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य "काम के साथ-साथ नौजवानों को प्रशिक्षण देना" भी शामिल है । नवम्बर, 1986 तक इस कार्यक्रम के तहत, 1,129 नौजवानों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 471 नौजवानों को काम पर लगाया गया ।

(ख) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन० आर० ई० पी०)**:—इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (1) बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना, (2) सामुदायिक सम्पति का निर्माण करके ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, तथा (3) सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना है । वर्ष 1986-87 के दौरान 13.50 लाख कार्य दिवस सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया था जिस में से 12.41 लाख कार्य दिवस नवम्बर, 1986 तक सर्जन किये जा चुके हैं । इन कार्य दिवसों में से 4.21 लाख कार्य दिवस अनुसूचित जाति के लोगों के लिये तथा 0.76 लाख कार्य दिवस अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये अर्जित किये गये । दिसम्बर, 1986 तक 2,145.98 मी० ट० अनाज बांटा गया तथा सितम्बर, 1986 तक 359 सामुदायिक सम्पतिओं का निर्माण किया गया ।

(ग) **भूमिहीन ग्रामीणों के लिये रोजगार गारंटी योजना** :—(आर० एल० ई० जी० पी०) इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं :—(1) भूमिहीन बेरोजगार ग्रामीण परिवारों को वर्ष भर में कम से कम 100 दिन का काम दिलाना, (2) निर्धन वर्गों के लिये उत्पादक अचल सम्पत्ति का निर्माण करना, सामाजिक–आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, तथा (3) गांवों में सार्वजनिक जीवन का उत्थान करना है ।

इस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1986–87 में 15 लाख कार्य दिवस सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया जिस में से नवम्बर, 1986 तक 8.79 लाख कार्य दिवस सर्जित किये गये। इन में से 3.04 लाख कार्यदिवस अनुसूचित जाति तथा 0.50 लाख अनुसूचित जन जाति के लिये सर्जित किये गये। सितम्बर, 1986 तक 1,470.37 मि०ट० अनाज का वितरण किया गया तथा 5.5 कि.मी. मार्ग का निर्माण 4.60 कि.मी. सड़कों में नालियों का निर्माण व 13.17 कि.मी. सड़कों में सोलिंग की गई। इस के अतिरिक्त 4.0 हैक्टेयर में अगस्त, 1986 तक नर्सरी तैयार की गई तथा 628 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया। जल निष्कासन के कार्य भी प्रगति पर रहे। इसके अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये मकान बनाने की योजना वर्ष 1986–87 में 39.00 लाख रुपये के प्रावधान से प्रगति पर रही। वर्ष 1986–87 में इस योजना के अन्तर्गत 1,462 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। यद्यपि नवम्बर, 1986 तक 86 मकानों का निर्माण किया गया था।

(घ) ग्रामीण शौचालय निर्माण :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये ग्रामीण शौचालय का निर्माण करना है। वर्ष 1986–87 के लिये हर विकास खण्ड में 200 शौचालय (100 अनुसूचित जाति के लिये और 100 अनुसूचित जनजाति के लिये) बनाने का लक्ष्य रखा गया था। सितम्बर, 1986 तक एन०आर०ई०पी० के अधीन 105 तथा आर०एल०ई०जी०पी० के अधीन नवम्बर, 1986 तक 80 शौचालय बनाये गये।

(ङ) स्पिति तथा पूह विकास खंडों में मरुस्थल विकास परियोजना :—यह कार्यक्रम लाहौलस्पिति जिले के स्पिति सब-डिविजन में 1979–80 से तथा किन्नौर जिले के पूह सबडिवीजन में 1982 से केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में 50 : 50 के अनुपात पर चलाया जा रहा था। वर्ष 1985-86 से यह कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रुप में चलाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य कार्य इन मरुस्थल विकास खण्डों का समुचित विकास करना है जिससे लोगों की आय, उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि हो सके। साथ ही इस परियोजना का उद्धेश्य इन स्थानों की मरुस्थलीय स्थिति को बढ़ने से रोकना है। वर्ष 1986–87 में इस परियोजन के लिये 1.50 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था जिस में से नवम्बर, 1986 तक 1.08 करोड़ रु० खर्च किया जा चुका है।

4. क्षेत्र विकास के लिये सामाजिक विकास :— इस कार्यक्रम का उद्धेश्य आई०आर०डी०पी परिवारों के सामाजिक स्तरों को ऊपर उठाना है तथा निवेष पूंजी देना है और मण्डी जिले में यू०एस०आई०सी०एफ० के अन्तर्गत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्धेश्य माताओं तथा बच्चों का पोष्टिक विकास करना, स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाना तथा बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाना है।

5. बेघर लोगों के लिये दो कमरों के मकान बनाने की योजना :—इस योजना के तहत इस वर्ष ऐसे 100 मकान बनाने का लक्ष्य है। राजस्व विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 1,224 बेघर परिवार हैं जिनके लिये मकानों की आवश्यकता है।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास की योजना (उवाकरा):—यह योजना 1983–84 से कांगड़ा जिला में चल रही है। वर्ष 1986–87 से शिमला जिला भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शाल बनाना, बांस का काम, बुनाई, कताई, बने बनाये कपड़े बनाना, मधुमक्खी पालना आदि कार्य किये जाते हैं।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :—ऊपरलिखित सभी योजनायें वर्ष 1987–88 में भी चालू रहेंगी और इन पर अधिक संकल्प से कार्य किया जायेगा ताकि लोगों को वास्तविक लाभ हो।

3.3 पंचायत

भारत जैसे लोक-तान्त्रिक देश में पंचायतें जो गांव की मूल संस्थाएं हैं, ग्रामीण लोगों की आर्थिक दशा सुधारने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अतः इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है। योजनाओं को बनाने तथा इसकी कार्यन्वयन की प्रक्रिया में इन लोक-तान्त्रिक संस्थाओं को सक्रीय रूप से सम्बन्ध किये बिना हम ग्रामीण क्षेत्रों में शारिरिक तथा भौतिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग के बारे में सोच नहीं सकते।

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई। इसके अन्तर्गत गांव स्तर में ग्राम पंचायतें, खण्ड स्तर पर पंचायत समितियां तथा जिला स्तर पर जिला परिषदें स्थापित की गई हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश में 2,597 ग्राम पंचायतें, 69 पंचायत समितियां तथा 12 जिला परिषद् काम कर रही हैं।

वर्ष 1986–87 के दौरान निम्नलिखित कार्य हुए:—

(1) पंचायत घरों का निर्माण तथा मुरम्मत।
(2) पंचायत पुस्तकालयों को सहायता।
(3) गृहकर की वसूली के बराबर पंचायतों को अनुदान।
(4) लाभप्रद सम्पत्ति का सृजन।
(5) जन जातीय क्षेत्रों में पंचायतों को नगरपालिका सम्बन्धी कार्य करने के लिये अनुदान।
(6) पंचायतों को अच्छे कार्य करने हेतू पुरस्कार।
(7) पंचायती राज, प्रशिक्षण संस्थान भवन निर्माण।
(8) पंचायतों के कार्य-कलाप की समीक्षा व प्रगति को आंकने हेतू कक्ष की स्थापना।
(9) पंचायत सम्मेलन का आयोजन, तथा
(10) पंचायत समिति/जिला परिषद् भवन का निर्माण।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :—वर्ष 1986-87 में कार्यान्वित योजनाएं वर्ष 1987–88 के दौरान भी कार्य करती रहेंगी।

4 बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत

4.1 बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ऐसी अनेक परियोजनाओं की खोज व कार्यान्वियन का प्रयास कर रहा है जो कि आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत मितव्ययी सिद्ध हो सकें। इसके साथ-साथ शीघ्र ग्रामीण विद्युतीकरण तथा औद्योगिकरण के लिये विद्युत संचारण का अति तीव्रता से प्रदेश भर में विस्तार किया जा रहा है।

प्रारम्भिक जल विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों से जल विद्युत उत्पादन की सम्भावित क्षमता 12,700 मैगावाट आंकी गई है। इसमें से 3,293.57 मैगावाट क्षमता का उत्पादन पहले ही किया जा चुका है जिसमें से केवल 134.82 मैगावाट उत्पादित क्षमता परिषद् के अधीन है।

रोंगटौंग परियोजना (उत्पादन क्षमता 2.00 मैगावाट) का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अभी-अभी 2 दिसम्बर, 1986 को किया गया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दो परियोजनाएं भी इस समय निर्माणाधीन हैं :--

परियोजना का नाम	उत्पादन क्षमता (मैगावाट)	पूर्ण होने का सम्भावित वर्ष
1. संजय विद्युत परियोजना	120	1987-88
2. आन्ध्रा जल विद्युत परियोजना ..	16.95	1986-87

इसके अतिरिक्त तीन नई परियोजनाओं का प्रारम्भिक कार्य जैसे कि गज (10.5 मैगवाट), बनेर (6 मैगावाट) और थिरोट (3 मैगावाट) भी प्रारम्भ किया गया।

वर्ष 1986-87 की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां (नवम्बर, 1986 तक)	अनुमानित (दिसम्बर, 1986 से मार्च, 1987 तक)
1. विद्युत उत्पादन	मिलियन यूनिट	635	485	150
2. विद्युतीकरण ग्राम	संख्या	500	460	40
3. पम्पों का ऊर्जायन	,,	60	152	लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है
4. हरिजन घरों का विद्युतीकरण	,,	2,500	2,137	363

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रेषण तथा वितरण प्रणाली योजनाओं में वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त करने की योजना है :—

1. 220/33 के०वी०, 25 एम० बी० ए० सबस्टेशन जैसूर चालू हो चुका है और 220/132 के० वी० 50 एम० बी०ए० स्टेशन का निर्माण भी शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाएगा।
2. 66 के०वी० चिढ़गांव से नोगली लाईन और सब-स्टेशन नोगली का निर्माण।
3. 132 के०वी० जैसूर से बाथरी लाईन और सब-स्टेशन का निर्माण।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 220/132 के०वी० प्रेषण लाईनों में भी कार्य प्रगति पर है :—

1. भावा से पंचकूला (आई०एस०टी०एल०)
2. खोदरी से माजरी
3. सोलन से शिमला

ग्रामीण विद्युतीकरण :—वर्ष 1986-87 में नवम्बर, 1986 तक 460 गांवों का विद्युतीकरण किया गया जिस से कुल विद्युत्तित गांवों की संख्या 15,776 (93.26 प्रतिशत) हो गई।

1987-88 के लिये योजना :—वर्ष 1987-88 में 470 गांवों को बिजली पहुंचाने तथा 70 पम्पों का ऊर्जायन करने की योजना है। इसके साथ ही प्रेषण तथा वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित नई योजनाएं रखी गई हैं :—

1. 132 के०वी० लाईन देहरा से हमीरपुर तक
2. 132 के०वी० लाईन हमीरपुर से कांगड़ा तक सब-स्टेशन देहरा सहित
3. 132 के०वी० लाईन गिरी से पांवटा तक और 132/33/11 के०वी० सब-स्टेशन पांवटा सहित
4. 40/36/4 एम०वी०ए० 220/132/11 के०वी० ट्रांसफारमर, देहरा व देहरा शिमला लाईन के लिये एस० यार्ड
5. 66/11 के०वी० सब-स्टेशन-शोघी और गडखल (कसौली)
6. बरोटीवाला सब-स्टेशन का विकास

5 उद्योग एवं खनिज विकास

5.1 उद्योग एवं खनिज विकास

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास का प्रारम्भ कुछ ही समय पूर्व हुआ है । प्रदेश के शान्त वातावरण तथा राजनैतिक स्थिरता के फलस्वरूप प्रदेश के भीतर तथा बाहर से उद्यमी इस प्रदेश में अपनी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिये आकर्षित हो रहे हैं । इस समय प्रदेश में मध्यम एवं बड़े पैमाने की 70 ईकाइयां कार्यरत हैं जिनसे लगभग 10,639 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं तथा इनमें 200 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश किया गया है । लघु पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में 15,000 से अधिक लघु इकाईयां कार्यरत हैं जिन से लगभग 64,596 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हैं । लघु पैमाने के उद्योगों में लगभग 170 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश किया गया है ।

वर्ष 1986–87 के दौरान उद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :—

1. औद्योगिक परियोजना अनुमोदन एवं समीक्षा प्राधिकरण :— इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य उद्यमियों को उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वियन करने के लिये विभिन्न संस्थानों/एजेंसियों जो इनसे सम्बन्धित हों उनसे सविनमय स्थापित करना है । मध्यम एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये आईपारा की स्वीकृति अनिवार्य है । वर्ष 1986-87 के दौरान, दिसम्बर, 1986 तक आईपारा ने 48 परियोजनाओं का अनुमोदन किया ।

2. जिला उद्योग केन्द्र :—प्रदेश के सभी जिलों में कुटीर तथा लघु उद्योगों को उन्नत करने के लिये जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है । वर्ष 1986–87 के दौरान, इन केन्द्रों की, अक्तूबर, 1986 तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. पहचान किये गये कारीगरों की संख्या ..	2,626
2. पहचान किये गये उद्यमियों की संख्या ..	1,908
3. अस्थायी रूप से पंजीकृत लघु इकाइयों की संख्या	1,102
4. स्थायी रूप से पंजीकृत लघु इकाइयों की संख्या	635
5. स्थापित की गई इकाईयां :—	
(1) सिडो ..	383
(2) नोन–सिडो ..	216
(3) कारीगर ..	425
6. रोजगार अवसर का सृजन :—	
(1) सिडो ..	1,771
(2. नोन–सिडो ..	469
(3) कारीगर ..	1,957

3. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास :—उद्यमियों को साधन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिये परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, पांवटा साहिब, मेहतपुर, शमशी, नगरोटा बंगवा, बिलासपुर, रिकांग–पिओ, संसारपुर–टैरस तथा इलैक्ट्रोनिक कम्पलेक्स सोलन, मण्डी, हमीरपुर तथा शोधी में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है । इसके अतिरिक्त राजा-का-बाग, चम्बा, अम्ब, टालीवाल तथा किलांग क्षेत्रों में भी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ।

4. कला एवं प्रदर्शनी :—राज्य में विभिन्न इकाइयों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मेलों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेता है । वर्ष 1986–87 के दौरान उद्योग विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई-दिल्ली, अखिल भारतीय पर्यटक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मद्रास तथा गोआ की आजादी की रजत जयन्ती प्रदर्शनी में भाग लिया । उद्योग विभाग ने राज्य स्तर पर आयोजित मिंजर मेला चम्बा, कुल्लू का दशहरा तथा रामपुर बुशहर के लवी मेलों में भी भाग लिया ।

5. **उद्यमी विकास कार्यक्रम :**—उद्योग विभाग संस्थान प्रशिक्षण संयंत्र प्रशिक्षण और बाहरी सर्वेक्षण के एक मास 15 दिन की अवधि के उद्यमी विकास पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त अल्पावधि के पाठ्यक्रम जिनकी अवधि एक पखवाड़ा होती है, योग्य उद्यमियों को सम्वेष्ट सूचना देने तथा औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिये अपेक्षित आवश्यकताओं तथा कार्य पद्धतियों से अवगत कराने के लिये आमंत्रित किये जाते हैं। वर्ष 1986–87 के दौरान, दिसम्बर, 1986 तक 4 ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनके अन्तर्गत 69 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

6. **रेशम उद्योग का विकास :**—रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिसके द्वारा किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है और वह रेशम के कीड़ों को पालने और कोकून को बेचने से अपनी आय में वृद्धि करते हैं। वर्ष 1986-87 के दौरान, दिसम्बर, 1986 तक 1,48,125 मलबरी पौधों तथा 2,025 औंस रेशम के बीजों का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त 68,411 किलोग्राम कोकून का उत्पादन किया गया जिसका मूल्य 17.27 लाख रुपये है।

7. **औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन/छूट :**—वर्ष 1986-87 के दौरान, दिसम्बर, 1986 तक 8.00 करोड़ रुपये की धन राशि का केन्द्रीय अनुदान के रूप में तथा 5.88 लाख रुपये की धनराशि का राज्य अनुदान के रूप में वितरण किया।

8. **सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश :**—उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले विभिन्न निगमों तथा बोर्डों में निवेश के लिये वर्ष 1986–87 में निम्नलिखित प्रावधान था :—

(लाख रुपए)

निगम का नाम	1986–87 में बजट प्रावधान	31 दिसम्बर, 1986 तक भुगतान
1. हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ..	70.31	70.31
2. हिमाचल प्रदेश वित्त निगम ..	40.00	40.00
3. नाहन फाउंड्री ..	20.00	20.00
4. हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग एवं निर्यात निगम ..	4.00	..
5. हिमाचल प्रदेश हस्त–शिल्प एवं हथकरघा निगम ..	10.00	10.00

9. **चाय उद्योग का विकास :**— चाय का उत्पादन मण्डी और कांगड़ा जिलों में समुद्र तल से 1,000 से 1,500 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। इस समय 1,385 चाय सम्पदाएं प्रदेश में कार्यरत हैं जिन के अन्तर्गत 3,212 हैक्टेयर क्षेत्र है। दिसम्बर, 1986 तक चाय के विकास हेतु निम्नलिखित छूटें प्रदान की गई :—

(लाख रुपए)

(1) विशेष घटक अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत धन राशि का आवंटन .. 6.75

(2) ब्याज/इनपुटस अनुदान के लिये धन राशि का आवंटन .. 9.00

10. **खनिज विकास :**—वर्ष 1986–87 के दौरान भू-विज्ञान शाखा ने निम्नलिखित कार्य किये :—

(1) **चम्बा जिला में बरोह शिन्द क्षेत्र :**—इस क्षेत्र में चूने के भण्डारों को जानने हेतु खानों में डी.टी.एच. ड्रिलिंग जारी रखी गई।

(2) **सोलन जिला में अर्की क्षेत्र:**— इस क्षेत्र में चूने के भण्डारों का गहराई तक पता लगाने के लिये 2 ड्रिलिंग मशीनें लगाई गईं। चूने के भण्डारों के विस्तृत चित्र तैयार किये गये तथा अन्वेषण हेतु नमूने प्राप्त किये।

(3) **मण्डी जिला में अलसिंडी क्षेत्र :**—इस क्षेत्र में सीमेंट बनाने के लिये आवश्यक चूने के भण्डारों का पता लगा लिया गया है तथा लगभग 150 मिलियन टन चूने के भण्डारों का अनुमान है।

(4) **मण्डी जिला में सील मूलक मैदान क्षेत्र :**—मूलक मैदान क्षेत्र में चूने के भण्डारों का पता लगाने का अन्वेषण कार्य प्रगति पर रहा जिससे सीमेंट उद्योग में इसकी विशेषता तथा मात्रा की उपयोगिता स्थापित की जा सके।

(5) **सिरमौर जिला में नौराधार क्षेत्र :**— इस क्षेत्र में अच्छी किस्म के चूने के भण्डारों की प्राप्ति के लिये अन्वेषण कार्य प्रगति पर रहा ताकि इसको सफेद सीमेंट बनाने के काम में लाया जा सके।

(6) **सोलन जिला में बाधा क्षेत्र :**—इस क्षेत्र में चूने के भण्डारों के विस्तृत चित्रण तथा नमूने आवश्यक जांच करने का कार्य प्रगति पर रहा जिसके साथ-साथ गहराई तक चूने के भण्डारों का पता लगाने के लिये 2 ड्रिलिंग मशीनें लगाई गईं।

(7) **शिमला जिला में बाग क्षेत्र :**—बाग गांव के निकट चूने के भण्डारों का पता लगाने के लिये प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य किया गया ।

(8) **गर्मपानी के स्रोत :**— तत्तापानी में गर्म पानी के स्रोतों का तीन सफलतापूर्वक होल करने से अन्वेषण कार्य पूर्ण किया । खुदाई की मशीन को इस क्षेत्र से जिला मण्डी के गुम्मा क्षेत्र में ले जाया गया है ताकि गहराई में नमक के भण्डारों का पता लगाया जा सके ।

(9) **जिला सिरमौर में कामरू संग्रह :**— इस क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से खनिज पदार्थों को निकालने के लिए विकास योजना तैयार की जा रही है ।

(10) **बिलासपुर जिला बरमाणा :**—सीमेंट प्लांट बगल के लिए, भूमि से जल की खोज हेतु ड्रिलिंग का कार्य प्रगति पर रहा ।

(11) **जिला ऊना में टालीवाल क्षेत्र :**—इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये भूमि जांच का कार्य किया गया ।

(12) **जिला कांगड़ा में नूरपुर क्षेत्र :**— इस क्षेत्र में जिस स्थान पर केफिटेरिया की इमारत बन रही थी उस स्थान का विस्तृत सर्वेक्षण किया जिससे इस क्षेत्र से भूमि को धसने से बचाने के लिये उपाय बताए गए ।

(13) **जिला कांगड़ा में चम्बापटन :**—चम्बा पटन के निकट व्यास नदी पर पुल की नींव रखने के लिये नदी के दोनों किनारों पर खुदाई की गई ।

6 परिवहन एवं संचार

6.1 सड़कें तथा भवन निर्माण

हिमाचल प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास मुख्यत: कुशल संचार प्रणाली पर निर्भर करता है। सड़कें इस प्रदेश वासियों के लिए जीवन रेखायें हैं, क्योंकि यातायात के अन्य साधन नाम मात्र हैं। इसलिए प्रदेश की विकास योजनाओं में सड़क निर्माण को काफी अधिक महत्व दिया गया है। मार्च, 1986 के अन्त तक प्रदेश में 15,003 कि.मी. वाहन चलने योग्य सड़कें थीं जिन का घनत्व 26.95 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था, जोकि मार्च, 1987 तक 27.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर हो जायेगा और वाहन चलने योग्य सड़कों की लम्बाई 15,303 किलोमीटर हो जायेगी ।

I. सड़कें

वर्ष 1986–87 में सड़कों एवं पुलों के निर्माण शीर्षक के अन्तर्गत 26.55 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत है। वर्ष 1986–87 के लक्ष्यों की प्राप्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी। वर्ष 1986–87 के लक्ष्य तथा नवम्बर, 1986 तक उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	मद	इकाई	लक्ष्य 1986–87	उपलब्धियां नवम्बर 1986, तक
1	2	3	4	5
1.	वाहन चलने योग्य (एक लेन) ..	किलोमीटर	300	220
2.	जीप चलने योग्य ..	यथोपरि	25	11
3.	जल निकास ..	यथोपरि	250	90
4.	पक्की तथा विरालित	यथोपरि	200	135
5.	पुल ..	संख्या	30	9

(क) राष्ट्रीय उच्च मार्ग :—वर्ष 1986–87 के दौरान हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण तथा सुधार के लिये 550.00 लाख रुपये की धनराशि भारत सरकार परिवहन मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित की गई है तथा 195.51 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि सड़कों की मुरम्मत एवं अनुरक्षण के लिये दी गई है। नवम्बर, 1986 तक क्रमश: 228.93 लाख रुपये और 190.44 लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे। यद्यपि वर्ष 1986–87 के अन्त तक सारी धन राशि का उपयोग कर लिया जायेगा।

(ख) अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कें :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लालघाट–पौंटा-राजवन-रोहड़ू–सुंगरी–नारकण्डा सड़क का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार के परिवहन मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1986–87 के लिये 50.00 लाख रुपये अनुमोदित किये हैं। नवम्बर, 1986 तक इसमें से 16.31 लाख रुपये खर्च किये गये हैं परन्तु वर्ष 1986–87 के अन्त तक सारी धन राशि के खर्च किये जाने की सम्भावना है।

(ग) सामाजिक महत्व की सड़कें :— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुकेरियां–तलवाड़ा-नुरपुर सड़क के निर्माण हेतु वर्ष 1986–87 में भारत सरकार के परिवहन मन्त्रालय द्वारा 82.50 लाख रुपये अनुमोदित किये हैं। नवम्बर, 1986 तक 42.70 लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे परन्तु वर्ष के अन्त तक सारी धन राशि खर्च किये जाने की आशा है।

(घ) सड़कों के किनारे पौध रोपण :— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण को आकर्षक बनाने हेतु सड़कों के किनारे पौध रोपण किया जा रहा है। वर्ष 1986–87 में पौध रोपण का लक्ष्य 35,000 पौधे था, जो कि वर्ष के समाप्त होने से पहले प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(ङ) खच्चर मार्ग का निर्माण :—प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में यातायात की सुविधा पहुंचाने हेतु वाहन योग्य संरक्षण पर खच्चर मार्गों के निर्माण को शुरू किया गया, ताकि धन की प्राप्ति पर इन्हें वाहन चलने योग्य बनाया जा सके। वर्ष 1986–87 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 25.00 लाख रुपये का प्रावधान है जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण खर्च कर दिया जायेगा ।

(च) नंगल तलवाड़ा रेल लाईन का निर्माण :—इस योजना के अन्तर्गत मैहतपुर तक भूमि अधिगृहित की जा चुकी है तथा मैहतपुर से आगे भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है ।

(छ) ग्रामीण भूमिहीन प्रत्याभूति कार्यक्रम :— इस कार्यक्रम में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार 460.36 लाख रुपये के प्रावधान से एक परियोजना कम

से कम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिये अनुमोदित की है। नवम्बर, 1986 तक इस में से 112.36 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी थी और 3.71 लाख मैनडेज उत्पादित किये गये व 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया ।

II. भवन निर्माण

हमाचल प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण के लिये वर्ष 1986-87 में 3.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वर्ष 1986–87 के अन्त तक 150 इकाइयों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा ।

III. आवासीय (लोक निर्माण)

वर्ष 1986–87 में 183.17 लाख रुपये आवासीय भवनों के निर्माण के लिये प्रदान किये हैं। वर्ष 1986–87 के अन्त तक 110 इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :—"सड़कें तथा पुल" शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया गया है :—

सड़कें तथा पुल		किलोमीटर
1. वाहन चलने योग्य (एक लेन)	..	300
2. जीप चलने योग्य	..	20
3. जल निकास	..	200
4. पक्की तथा विरालित	..	200
5. पुल	..	30 (संख्या)
6. ग्राम जो सड़कों से जुड़ने हैं	..	100 (संख्या)
7. केबलवेज	..	18

"आवास (पी०डब्ल्यु०) 259–459, गैर–आवासीय भवन" शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1987–88 में 41 गैर–आवासीय भवनों (इस में आठवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अन्तर्गत भवन भी सम्मिलित हैं) का निर्माण किया जायेगा।

"आवास (पी० डब्ल्यु.) 283–483 आवासीय भवन" शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1987–88 में 96 आवासीय भवनों (इस में आठवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अन्तर्गत भवन भी सम्मिलित हैं) का निर्माण किया जायेगा ।

6.2 पथ परिवहन

हिमाचल पथ परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परिवहन के अन्य स्रोत जैसे नभ, स्थल तथा जल परिवहन नहीं के बराबर होने के कारण पथ परिवहन का महत्व और बढ़ जाता है और इस की स्थापना परिवहन सेवा को समन्वित, आयोजित, पर्याप्त तथा कार्यसाधक बनाने के लिये की गई थी। निगम प्रदेश के सभी भागों में बस–सेवायें चला रहा है तथा पड़ौसी राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों के साथ मिल कर परिवहन सुविधायें उपलब्ध करवा रहा है।

इस समय लगभग 82 प्रतिशत यात्री परिवहन को राष्ट्रीयकृत किया गया है जिस में 1,237 बसें 1,093 मार्गों पर जिन में 239 अन्तर्राज्यीय मार्ग भी हैं, चला रहा है। ये बसें प्रतिदिन 2.19 लाख किलो मीटर की दूरी तय करती हैं तथा लगभग 1.75 लाख यात्रियों को बसों में यात्रा करवाती हैं। इन बसों में 44 रात्रि तथा 19 डीलक्स व सेमीडीलक्स बसें, जिन में वीडियो लगे हैं, सम्मिलित हैं।

इस समय प्रदेश में 20 क्षेत्र तथा उप–क्षेत्र कार्यरत हैं। तारादेवी तथा मण्डी में मुरम्मत तथा रखरखाव के लिये 2 मण्डलीय कर्मशालाएं हैं। तारादेवी में एक टिकट–डिनोमिनेशनल प्रोकोष्ठ भी है। इन क्षेत्रों की गतिविधीयों को नियन्त्रण में रखने के लिये शिमला, मण्डी और धर्मशाला में मण्डलीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। 22 विधान सभा क्षेत्रों में मुद्रिका बस सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। लोगों की सुविधा के लिये 30 स्थानों में पार्सल बुकिंग करने तथा माल सौंपने की सेवा भी आरम्भ की गई है। वर्ष 1986 से सरकारी/निगम के कर्मचारियों को सुखद तथा आनन्दमय एल०टी०सी० के लिये निगम ने विशेष बसें उपलब्ध करवानी आरम्भ कर दी हैं। केन्द्र तथा प्रदेश के कर्मचारियों, छात्रों व प्रशिक्षणार्थियों को निगम की बसों में प्रदेश के भीतर रियायती/मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। इस सुविधा को स्वतन्त्रता सैनानियों, अपंग तथा अन्धे व्यक्तियों, सांसदों, विधायकों और उन के सहायकों व सम्वाद्दाताओं को भी दिया गया है।

वर्ष 1986–87 में की गई उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है :—

1. **परिवहन क्षेत्र/उप-क्षेत्र :**—उपरोक्त आधारभूत सुविधाओं जिस का वर्णन किया गया है, जसूर में एक आधुनिक कर्मशाला निर्माणाधीन है, जहां पर बसों की मुरम्मत आधुनिक तकनीक से की जायेगी। टायरों की रिट्रिडिंग, टिकट छापने की प्रैस तथा बसों की बौडियां बनाई जायेंगी। इसके अतिरिक्त निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ।

2. **परिवहन बेड़ा :**—वर्ष 1985–86 के अन्त तक 1,259 बसें थीं। प्रचलित वर्ष में धन के प्रावधान होने पर 250 नई बसें खरीदने की सम्भावना है।

3. बसों द्वारा तय किये गये मार्ग :—वर्ष 1986–87 के दौरान 77 अतिरिक्त मार्गों पर 67 नई बस सेवायें आरम्भ करने का प्रस्ताव है : वर्ष 1985–86 के अन्त तक 1,016 मार्गों पर 1,270 बस सेवायें चलाई जा रही थीं।

4. बसों द्वारा तय की गई दूरी :—वर्ष 1986–87 में बसों द्वारा तय की जाने वाली दूरी का लक्ष्य 860 लाख किलोमीटर रखा गया है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 63 लाख किलोमीटर अधिक होगा। वर्ष 1986–87 में 675 लाख यात्रियों द्वारा बसों में यात्रा करने की सम्भावना है जबकि 1985–86 में 630 लाख यात्रियों ने बसों में यात्रा की। बसों की अच्छी मुरम्मत तथा रख-रखाव के कारण बसों की ब्रेक डाऊन प्रति 10,000 किलोमीटर औसतन 0.64 से घट कर 0.51 हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 1.10 है। इसी प्रकार दुर्घटनाओं में प्रति 1 लाख किलोमीटर पर 0.20 की दर वर्ष 1936–87 में स्थिर रहने की सम्भावना है। राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 0.82 है।

5. आय व्यय के परिणाम:—वर्ष 1985-86 में निगम को 3,352 लाख रुपये की आय हुई और 3,860 लाख रुपये व्यय होने के परिणामस्वरूप 508 लाख रुपये का घाटा हुआ। वर्ष 1986-87 के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम को 4,133 लाख रुपये की आय तथा 4,743 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। अनुमानित हानि 610 लाख रुपये होगी। हानि के मुख्य कारण मोटरवाहन के प्रयोग में लाये जाने वाले सामान के मूल्यों में जिन में डीजल, तरल द्रव्य, टायर व टयूबें, फुटकर वस्तुएं, कर्मचारियों के वेतनों में बढ़ोतरी, कम यात्रियों वाले मार्गों पर अनिवार्य बस सेवायें चलाने और अन्य रियायती दरों पर समाज के विभिन्न वर्गों को यात्रा सुविधा देना है।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :—वर्ष 1987–88 में निगम द्वारा नई बसों तथा बसों की मुरम्मत के लिये आधुनिक यन्त्रों को खरीदने का प्रस्ताव है। निगम द्वारा आधुनिक बस-अड्डों, ईंधन/आरक्षण कार्यालयों तथा गाड़ियों को खड़े करने के लिये शैड का, जिन स्थानों पर यह उपलब्ध नहीं हैं, के निर्माण का प्रस्ताव है। इस के अतिरिक्त प्रशासकीय तथा आवास भवनों का निर्माण भी किया जायेगा। साथ-साथ जन-जातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में अच्छी तथा संगठित बस सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये पुरानी बसों को धीरे-धीरे योजना बद्ध कार्यक्रम से बदलना है, ताकि लोगों को आरामदेय बस सेवायें दी जा सकें।

6.3 पर्यटन

पर्यटन का हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जल विद्युत, बागवानी व खनिकी के साथ-साथ पर्यटन उद्योग भी लोगों की आय बढ़ाने में व रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमाचल प्रदेश का मनमोहक जलवायु, सुन्दर प्राकृतिक दृष्य, पुरातत्व अवशेष, मन्दिर, स्थानीय शिल्प, साहसिक खेल तथा लोक संस्कृती पर्यटकों को निरन्तर आकर्षित करते रहते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1986–87 में निम्नलिखित कार्य किये गये :—

इस वर्ष मनीकरण में एक पर्यटक बंगला तथा धर्मशाला व सुकेती में अल्प आहार (कैफिटेरिया) कक्ष खोले गये। नूरपुर व बैजनाथ में कैफिटेरिया बनाने का कार्य प्रगति में रहा। कांगड़ा नैनादेवी में शौचालय, डलहौज़ी में सुभाष बावली, पंजपुलाह में अजीत सिंह स्मारक तथा शिमला के निकट ग्लैन के विकास का कार्य वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। बनीखेत व हमीरपुर में पोर्टा केबिनज को आने वाली गर्मियों में कैफिटेरिया में बदल दिये जाने की सम्भावना है। रेणुकाझील व धर्मशाला की डल झील के विकास का कार्य भी वर्ष 1986–87 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस वर्ष रिवालसर के पुराने भवनों की मुरम्मत का कार्य भी शुरु किया जाएगा।

वर्ष 1986–87 में पर्यटन विभाग, केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम योजनाओं के अन्तर्गत निम्न योजनाओं को स्वीकृत कराने में सफल रहा तथा निम्नलिखित कार्य प्रारम्भ किये गये :—

(1) सराहन में ट्रैकरज होस्टल का निर्माण ;

(2) रिवालसर में पर्यटक सराय का निर्माण ;

(3) चांमुडा में सराय का निर्माण तथा ;

(4) ट्रेकिंग उपकरण की खरीद।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर व ललानटी में भी इस वर्ष पर्यटक सरायों के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की पूरी आशा है।

पर्यटकों को दी जाने वाली सेवाओं व सुविधाओं को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये मुख्य समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में समय-समय पर विज्ञापन दे कर एक प्रचार अभियान भी प्रारम्भ किया गया तथा दो कैलेण्डर भी इस वर्ष निकाले गये।

पर्यटन विभाग ने वर्ष 1986 में बीलिंग में "हैंग गलाईडिंग रैली" व मनाली में पर्वतारोहण सम्बन्धी खेलें आयोजित करने में भी सहयोग दिया। इस विभाग ने मद्रास उत्सव में भी भाग लिया तथा केन्द्रीय व प्रादेशिक पर्यटक निगमों के संयोजन से बंगलोर में "हिमाचल भोज मेला" भी लगाया। चम्बा में मिंजर, कुल्लू में दशहरा व वसन्त मेलों के आयोजन के लिये आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की।

वर्ष के दौरान कुफरी में फूड क्राफ्ट इन्सटीचियूट भवन बनाने का काम शुरु किया गया। 60 विद्यार्थियों के लिये 3 पाठ्यक्रमों का नया सत्र शुरु किया गया।

जुब्बड़हट्टी में हवाई अड्डे बनाने का काम प्रगति में रहा । ग्रीष्म ऋतु तक इस अड्डे से हवाई सेवा शुरु करने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं । राष्ट्रीय हवाई प्राधिकरण को कांगड़ा जिले में गग्गल के स्थान पर हवाई अड्डे की स्थापना के सर्वेक्षण के लिये एक लाख रुपया दिया गया । डोडरा क्वार, रोहड़ू, बनकुफर भरमौर तथा काजा में हैलीपेड बनाने का कार्य प्रगति पर रहा ।

हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में रोपवेज लगाने के लिये निजी उद्यमियों से टेंडर लेने के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये । जिन उद्यमियों ने इस कार्य करने में रुची दिखाई है उन की आर्थिक व काम करने की क्षमता का जायजा लिया जा रहा है ।

भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने मैसर्ज जे०के० एसोसियेटस (निजी परामर्शदाता एजैन्सी) से हिमाचल प्रदेश के लिये "10 वर्षीय सन्दर्श पर्यटन विकास योजना" बनाने के लिये आग्रह किया है । जर्मनी के पर्यटन विशेषज्ञों के एक दल ने "अल्पकालीन आर्थिक कार्यक्रम" के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण किया । कुल्लू–मनाली व कांगड़ा जिले के होटलों का सर्वेक्षण हिमाचल कन्सलटैन्सी संगठन द्वारा किया गया ।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :––बैजनाथ व नूरपुर में केफेटेरिया तथा रिवालसर में पर्यटक सराय निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । फूड क्राफ्ट इन्सटीचियूट कुफरी के भवन निर्माण, हडसर, केलंग तथा काल्पा में पर्यटकों के लिये आवास निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जायेगी । इसके अतिरिक्त पिकनिक स्थानों, झीलों व धार्मिक स्थानों का विकास किया जायेगा । प्रचार माध्यम को सुदृढ़ किया जायेगा । पर्यटक स्थलों में अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी। निजि उद्यमियों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिये अनुदान दिया जायेगा । हवाई सेवा के अन्तर्गत बन रहे हेलीपेड का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा गग्गल में हवाई अड्डा स्थापित करने का कार्य व अन्य नये क्षेत्रों में हेलीपेड बनवाने की कोशिश की जायेगी । "एविऐशन क्लबों" में हिमाचल प्रदेश के प्रशिक्षणार्थियों को सटाईफंड दिये जायेंगे तथा नये प्रशिक्षणार्थियों को भर्ती किया जायेगा ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत जुब्बड़हट्टी में हवाई अड्डा बनाने का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा तथा सराहन, चामुंडा व रिवालसर में भवन निर्माण कार्य में तीव्रता लाई जायेगी ।

7 सामाजिक सेवाएं

7.1 शिक्षा

वर्ष 1986-87 में शिक्षा के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. प्रारम्भिक शिक्षा

(क) प्राथमिक स्कूल :—वर्ष 1986-87 में 150 प्राथमिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव था। इनमें से दिसम्बर, 1986 तक 18 प्राथमिक स्कूल खोले जा चुके हैं। प्रस्तावित स्कूलों के खुलने से प्राथमिक इकाइयों की संख्या 7,024 हो जायेगी। आठवें वित्त आयोग के अधि निर्णय के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 71 जुनियर बेसिक अध्यापकों तथा 1,032 स्वयं सेवक के पद सर्जन किये गये। वर्ष 1986-87 के दौरान 18,000 अतिरिक्त नामांकन निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सितम्बर, 1986 तक 16,020 विद्यार्थियों को नामांकित किया।

(ख) माध्यमिक स्कूल :—वर्ष 1986-87 में 64 माध्यमिक स्कूल खोलने की सम्भावना थी, जिनमें से दिसम्बर, 1986 तक 11 स्कूल खोले जा चुके हैं। इन सभी माध्यमिक स्कूलों के खुलने से 1986-87 के अन्त तक माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या 1,820 हो जायेगी।

(ग) विकलांग बच्चों की सामूहिक शिक्षा:—इस योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चों (बहरे, दिमागी तौर पर कमजोर तथा शारीरिक रूप से विकलांग) को सामूहिक रूप से शिक्षा देने के लिये 3 केन्द्र कार्यरत हैं।

2. उच्चस्तरीय शिक्षा :—वर्ष 1986-87 में, दिसम्बर, 86 तक 11 उच्च स्कूल खोले गये। इन 11 स्कूलों के खोलने से राज्य में उच्च स्तरीय स्कूलों की संख्या 800 हो जायेगी। इस वर्ष के दौरान 101 स्कूलों को नई शिक्षा प्रणाली (10+2) में बदला गया

3. विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा :—हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय के विकास के लिये दिसम्बर, 1986 तक 8.50 लाख रुपये अनुदान राशि दी गई तथा वर्तमान वित्त वर्ष के अन्त तक 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि और दिये जाने की सम्भावना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में शिमला जिला में सरस्वति नगर (सावडा) में महा-विद्यालय तथा सोलन में सांध्य महाविद्यालय खोला गया।

4. प्रौढ़ शिक्षा :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,800 वयस्क शिक्षा केन्द्र स्वीकृत हैं, तथा लगभग 40,000 वयस्क इन केन्द्रों में नामांकित हैं।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम :—प्रदेश में 6 जे०बी०टी० विद्यालयों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला तथा महाविद्यालय, धर्मशाला में बी०एड० में प्रशिक्षण दिया गया।

6. छात्रवृतियां :—योजना तथा गैर-योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 141.62 लाख रुपये की राशि छात्रवृत्तियों के लिये रखी गई है।

7. नामांकन का स्तर :— वर्ष 1986-87 में निम्न-लिखित नामांकन स्तर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति की सम्भावना है :—

विद्यार्थी	नामांकन प्रतिशत		
	प्राथमिक (आयु वर्ग 6-11 वर्ष)	माध्यमिक (आयु वर्ग 11-14 वर्ष	उच्चस्तरीय (आयु वर्ग 14-17 वर्ष)
1	2	3	4
छात्र	101	91	60
छात्राएं	70	62	31
योग	86	76	46

वर्ष 1987-88 के लिये योजना :—वर्ष 1987-88 में 120 प्राथमिक स्कूल, 40 माध्यमिक स्कूल, 15 उच्चस्तरीय स्कूल, 2 महाविद्यालय, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये 2 निःशुल्क छात्रावास तथा 200 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। जन जातीय क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें देने का भी प्रस्ताव है।

7.2 तकनीकी शिक्षा

हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित 4 बहुतकनीकी संस्थान, एक लघु तकनीकी स्कूल, 17 औद्योगिक संस्थान (जिन में से एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विकलांगार्थ भी सम्मिलित हैं), 14 कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा एक गैर कन्या औद्योगिक स्कूल कार्यरत है। बहुतकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग के सिविल, मकैनिकल, इलैक्ट्रीकल, आटोमोबाइल, वास्तुकला इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रानिकस एवं संचार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

लघु तकनीकी स्कूल कांगड़ा में छात्रों को उनकी साधारण पढ़ाई के अतिरिक्त बढईगिरी, यन्त्र सम्बन्धी टरनिंग फिटिंग, बैलडिंग, लोहे के औजार, ढलाई तथा रंगाई इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाता है। लघु तकनीकी स्कूल कांगड़ा में दो वर्षीय कोर्स को सफलता पूर्वक पूरा कर लेने पर हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक के समकक्ष डिप्लोमा/प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में इंजीनियरिंग तथा नान–इंजीनियरिंग ट्रेडों में (एक/दो वर्षीय कोर्स) प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सफल प्रशिक्षणार्थियों को एन.सी.बी.टी. द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार औद्योगिक स्कूल कुल्लू एवं कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी एक तथा दो वर्षीय कोर्सों के इंजीनियरिंग तथा नान–इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा यह संस्थान भी एन.सी.वी.टी. के साथ (सिवाये नेहरां पुखर) स्थाई तौर पर सम्बन्धित है। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज हमीरपुर ने वर्ष 1986–87 से कार्य करना शुरु कर दिया है तथा इस वर्ष सिविल एवं इलैक्ट्रीकल पाठ्यक्रमों में 30 छात्र दाखिल किये गये हैं।

सत्र 1986–87 के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता निम्न प्रकार से है :—

1. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सुन्दरनगर .. 100 छात्र
2. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, हमीरपुर .. 70 छात्र
3. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, रोहड़ू 15 छात्र
4. राजकीय महिला तकनीकी संस्थान, कण्डाघाट 15 छात्राएं
5. राजकीय लघुतकनीकी स्कूल कांगड़ा .. 60 छात्र

(बहुतकनीकी संस्थाओं एवं लघु तकनीकी स्कूल के प्राचार्य संस्था छोड़कर जाने वाले उपरोक्त छात्रों की क्षति पूर्ति हेतू क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत अतिरिक्त छात्र दाखिल कर सकते हैं) ।

6. सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं (17) (जिस में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (विकलांगार्थ) भी सम्मिलित) हैं। 1990 छात्र
7. औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल (लड़कों के लिए) 36 छात्र (उपरोक्त प्रशिक्षण संस्थाओं को छोड़कर जाने वाले छात्रों की क्षतिपूर्ति हेतु दस प्रतिशत प्रवेश क्षमता के हिसाब से अतिरिक्त प्रावधान जोड़ कर दर्शाया गया है)
8. सभी कन्या औद्योगिक संस्थान 712 छात्राएं (इस में कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला भी सम्मिलित है)। (उपरोक्त में संस्था को छोड़ जाने वाली छात्राओं की क्षति पूर्ति हेतू प्रवेश क्षमता में 20 प्रतिशत अतिरिक्त स्थानों का प्रावधान जोड़ कर दर्शाया गया है)

वर्ष 1987–88 के अन्तरगत वर्ष 1986–87 में चलाई जाने वाली योजनाएं जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज हमीरपुर के लिए अधिक भूमि ग्रहण की जा रही है। लघु तकनीकी स्कूल कांगड़ा में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने की योजना है। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दर-नगर में उन्नत तकनीकी अपनाई जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ को स्थाई रुप से एन०सी०बी०टी० से सम्बन्धित करने का प्रस्ताव है तथा इस में नए ट्रेडस चलाये जाएंगे। चम्बा जिले के पांगी तथा भरमौर जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए अतिरिक्त स्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा में उपलब्ध कराएं जाएंगे।

7.3 युवा सेवाएं एवं क्रीड़ाएं

हिमाचल प्रदेश में युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा विभाग जुलाई, 1982 में स्थापित किया गया। इस विभाग के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं :—

1 अधिक लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करना ताकि वे क्रीड़ा/खेलों में नियमित रुप से भाग लें।

2 गैर छात्र युवाओं को आत्म अभिव्यक्ति, आत्म विकास एवं सांस्कृतिक उत्थान के अवसर प्रदान करना।

3 काम तथा परिवारिक जीवन यापन के लिए युवकों को तैयार करना ताकि वे सामाजिक एवं नागरीय उतरदायित्व को निभा सकें, तथा

4 युवाओं में भ्रातृभाव एवं देश प्रेम की भावना का विकास करना ताकि वे राष्ट्रीय विकास के कार्यों में सक्रिय भाग ले सकें

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा विभाग ने वर्ष 1986–87 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित किया।

1. हिमाचल प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को सहायता अनुदान:—हिमाचल प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है। वर्ष 1986–87 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम जिसमें खेल प्रतियोगि-

ताओं का आयोजन, विभिन्न राज्य खेल संघों तथा जिला खेल परिषदों को सहायता अनुदान, खेलों के सामान की खरीद, क्रीड़ा प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन, ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य तथा नकद पुरस्कार तथा ग्रामीण क्रीड़ा केन्द्रों की देखभाल पर लगभग 20.00 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है। वर्ष 1986–87 के दौरान इस परिषद ने 'हिमाचल प्रदेश स्पोर्टस परसन्ज वैलफेयर फण्ड' की स्थापना की है।

2. **जिला खेल प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रशिक्षण योजनाएं :–** वर्ष 1986–87 के दौरान युवाओं को खेल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जिला खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई। इन केन्द्रों में नियमित प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त 15 प्रशिक्षण शिवरों का वर्ष 1986–87 के दौरान आयोजन किया।

3. **राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को वजीफे:**––पिछले वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए 100 रुपये प्रतिमास की दर से बजीफे देने हेतु 0.10 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।

4. **गैर छात्रों की क्रीड़ा वजीफा :**––इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर छात्रों को 75 रुपये प्रतिमास की दर से वजीफा देने हेतु 0.25 लाख रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है तथा इससे 22 गैर छात्रों को लाया जाएगा।

5. **स्पोर्टस ऐड :**––स्पोर्टस ऐड कार्यक्रम जिसे यूनैस्को तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाया गया था, हिमाचल प्रदेश में भी सफलतापूवर्क आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य भर में लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समापन समारोह शिमला में आयोजित किया गया जिसमें राज्य सरकार की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण को 1.00 लाख रुपए का चैक भेंट किया गया।

6. **दौड़ो और दौड़ाओ, स्वास्थ्य एवं आनन्द बढ़ाओ :––** सभी प्रकार के लोगों में स्वास्थ्य तथा खेलों से सचेत रहने के लिए सड़कों पर दौड़ों का आयोजन किया गया जिसपर 0.20 लाख रुपए खर्च किए गए।

7. **सेवा कार्यरत कर्मचारियों के लिये पुनःश्चर्या पाठयक्रम:–** इस कार्यक्रम के लिए 0.20 लाख रुपए का प्रावधान था ताकि सेवारत कर्मचारियों को खेलों के बारे में नवीनतम विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

8. **ग्रामीण क्रीड़ा केन्द्रों का अनुरक्षण :**––ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा का पता लगाने के उद्देश्य से प्रदेश में 152 ग्रामीण क्रीड़ा केन्द्रों को स्थापित किया गया है। वर्ष 1986–87 में 0.60 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा तथा इतनी ही भारत सरकार द्वारा खर्च करने को सम्भावना है।

9. **खेल के मैदानों का निर्माण :**––वर्ष 1986–87 में 5.00 लाख रुपए की लागत से लगभग 30 खेल के मैदानों के निर्माण करने की सम्भावना है।

10. **स्टेडिया का निर्माण :**––केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत जिला/यूटीलिटी स्टेडिया के निर्माण के लिए 35.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस समय लगभग 22 स्टेडिया का निर्माण किया जा रहा है तथा इनका निर्माण कार्य चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा।

11. **खेलों के उपकरण :**––केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तगर्त 5.00 लाख रुपए (2.50 लाख रुपए राज्य का भाग) से राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला से खेलों का सामान खरीदा जा रहा है।

12. **ऊंची ऊंचाई पर प्रशिक्षण केन्द्र तथा स्पोर्टस होस्टल की स्थापना :**––इस केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तगर्त अधिक ऊंचाई पर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना समरहिल (शिमला) तथा शिलारू में की जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा बिलासपुर में स्पोर्टस होस्टल की स्थापना की जा रही है।

13. **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता :**––भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य भर में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा 0.60 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया।

14. **राष्ट्रीय फिजिकल फिटनैस फैस्टीवलस :**––भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 6 जिलों में राष्ट्रीय फिजिकल फिटनैस फैस्टीवलस का आयोजन किया गया। इन फैस्टीवलस के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता पुरस्कारों को मिलाकर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई।

15. **राज्य युवाबोर्ड की सहायता अनुदान :**––राज्य युवा बोर्ड युवक तथा महिला मण्डलों को सांस्कृतिक, खेल तथा सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। लगभग 150 ऐसे क्लवों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1986–87 में 4.25 लाख रुपए की राशि अनुदान के रुप में राज्य युवा बोर्ड को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य युवा बोर्ड, साहसिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता देता है।

16. गैर छात्र युवा समारोहों का आयोजन:—जिला व राज्य स्तर पर गैर छात्र युवा समारोहों के आयोजन के लिए 1.20 लाख रुपए की राशि रखी गई है। वर्ष 1986–87 में इन समारोहों का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया तथा राज्य स्तर का समारोह दिसम्बर, 1986 में कांगड़ा में आयोजित किया गया। राज्यस्तर के इस समारोह में राज्य के प्रत्येक हिस्सों से आए लगभग 500 युवकों ने भाग लिया।

17. अन्तर्राजीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (भारत परिचय) :—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेषत: ग्रामीण युवाओं को औद्योगिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के लिए तथा अन्य राज्यों के दौरे पर जाने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 1986–87 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.00 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।

18. कार्य शिविरों का आयोजन :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत युवाओं को राष्ट्र के पुन: निर्माण जैसे खेल के मैदानों का निर्माण, पेड़ लगाना तथा सड़कों की मुरम्मत आदि में लगाया जाता हैं। इन शिविरों का आयोजन जिला स्तर पर किया गया। चालू वर्ष में इन पर 0.95 लाख रुपए खर्च होने की सम्भावना है।

19. युवा नेतृत्व शिविरों का आयोजन:—इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व के गुणों का समावेश तथा उन्हें कृषि तथा उद्यान सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के अवसर प्रदान करना है। ये शिविर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं तथा इनके लिए 0.95 लाख रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है।

20. फोरेस्ट ऐड :—इस नए कार्यक्रम के अन्तर्गत हजारों युवकों ने पेड़ लगाने के कार्यक्रम में भाग लिया। शिमला में एक सप्ताह तक चलाए गए इस कार्य से 5,000 युवकों ने भाग लिया।

21. स्वयं रोजगार के लिये शहरी युवकों को प्रशिक्षण (ट्रूसम) :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन युवाओं, जिनकी पारिवारिक आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है को आजीविका कमाने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 1986–87 के दौरान लगभग 50 युवाओं को इस कार्यक्रम के अधीन लाया गया जिसमें 0.84 लाख रुपए खर्च हुए।

22. कैम्पों के लिये उपकरणों का क्रय :—कैम्पों के लिए उपकरणों को खरीदने हेतु 0.80 लाख रुपए खर्च होने की सम्भावना है।

23. शिमला में युवा केन्द्र व क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक कम्पलैक्स का निर्माण :— इस कम्पलैक्स पर 20.50 लाख रुपये खर्च किए जाने की सम्भावना है।

24. जिला युवा केन्द्रों का निर्माण:—यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में चरण बद्ध ढंग से जिला युवा केन्द्रों का निर्माण किया जाये। वर्ष 1986–87 में इसके लिए 3.00 लाख रुपए की राशि रखी गई है।

1987–88 के लिये योजना :— वर्ष 1987–88 में पिछले वर्ष चल रही सभी योजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है। विभाग को सुचारू रुप से चलाने के लिए निदेशालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुछ अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा।

7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

इस विभाग द्वारा पर्यावरण की सफाई में सुधार, छूत की बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं 40 असैनिक चिकित्सालयों, 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 17 ग्रामीण चिकित्सालय (उत्थानित प्रा०स्वा०के०), 115 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 30 सहाय स्वास्थ्य केन्द्रों, 205 औषधालयों तथा 1,302 उप-केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 1986–87 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

1. ग्रामीण स्वास्थ्य योजना :—इस योजना के अन्तगर्त प्रदेश में 4,235 स्वास्थ्य गाईडस लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वे मलेरिया निरीक्षण, परिवार कल्याण, प्रतिरक्षण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम :—यह कार्यक्रम प्रदेश में किन्नौर व लाहौल-स्पिति जिलों को छोड़ शेष सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इस समय प्रदेश में 2,636 बुखार इलाज डिपो, 5,671 औषधि वितरण केन्द्र तथा 95 मलेरिया उपचारालय कार्य कर रहे हैं। नवम्बर, 1986 तक 6.67 लाख रक्त स्लाईडज़ एकत्रित की गईं जिनमें से 6.27 लाख स्लाईडों की जांच की गई, इनमें से 40,873 अनुकूल पाई गई। इस कार्यक्रम को देखने के लिए 12,905 एजैन्सियां हैं। प्रति एजैन्सी क्षेत्र विस्तार 283 व्यक्ति है। अनुकूल रक्त स्लाईडों के एकत्रित, परीक्षण तथा उपचार करने में कम समय लगाने के लिए वी०डी० तथा बी०सी०जी० तकनीकियों व स्वास्थ्य सुपरवाईजरों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के उपरान्त सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

3. राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम :—यह कार्यक्रम प्रदेश में 6 कुष्ठ चिकित्सालयों, 76 परिणाह क्लीनिक, 15 सर्वेक्षण तथा शिक्षा उपचार केन्द्रों द्वारा जिनमें 212 रोगियों को अन्तरंग चिकित्सा प्रदान की क्षमता है, कार्यान्वित किया जा रहा है। इन संस्थाओं के अतिरिक्त इन्दिरा गांधी मैडिकल

कालेज, शिमला से सम्बन्ध एक 20 बिस्तरों वाला अस्थायी वार्ड तथा एक पूर्ण निर्माण योग्य शल्य इकाई कार्यारत है । दो स्वयं सेवी संस्थाएं जो स्पाँटू तथा पालमपुर में स्थित है, इस बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं । वर्ष 1986–87 में (दिसम्बर, 1986 तक) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 226 रोगियों का पता लगाया गया जबकि निर्धारित लक्ष्य 300 का था और 300 लक्ष्य के अन्तर्गत 297 मामले समाप्त किए गए।

4. **एस. टी. डी. नियन्त्रण कार्यक्रम :**–राज्य में एस.टी. डी. के उपचार के लिये 71 एस. टी. डी. संस्थाएं हैं। इनमें से अधिकतर ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। मुख्य क्लिनिकों तथा क्षेत्रों में लगातार कार्य करने के फलस्वरूप एस. टी. डी. के मामलों में गिरावट आई है। सिरोपोजिटिविटी दर जो वर्ष 1949 में 45 प्रतिशत थी, अक्तूबर, 1986 में घट कर 0.98 प्रतिशत रह गई । अक्तूबर, 1986 तक 62,689 रक्त एस. टी. एस. मामलों की जांच की गई जिन में से 617 अनुकूल पाये गये ।

5. **राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम :**—राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 2 क्षय रोग चिकित्सालय, 11 जिला क्षय रोग क्लिनिक, 6 क्षय रोग उप क्लिनिक तथा एक सर्वेक्षण एवं अधिवास उपचार केन्द्र जिनमें 713 बिस्तरों का प्रावधान है, के माध्यम से चलाया जा रहा है । वर्ष 1986–87 में दिसम्बर, 86 तक 10,598 रोगियों का पता लगाया गया तथा 33,792 मामलों में थूक की जांच का निरीक्षण किया गया ।

6. **बी. सी. जी. कार्यक्रम :**—बी. सी. जी के टीके लगाने का कार्य क्षय रोग से बचाव की एक प्रभावशाली विधि है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 में 1,06,000 टीके लगाने का लक्ष्य है और माह दिसम्बर, 1986 तक 80,294 टीके लगाये गये ।

7. **अन्धापन से बचाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम :**— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो चल इकाइयां धर्मशाला तथा बिलासपुर में रखी गई हैं तथा इन की सेवाऐं अन्धापन को रोकने के लिये प्राप्त की जाती हैं। वर्ष 1986–87 के 7,000 के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1986 तक 3,774 मोतिया बिन्द के आप्रेशन किये गये ।

8. **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम:**—परिवार कल्याण कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वेच्छा से छोटे इस कार्यक्रम के परिवार को अपनाने के लिये प्रेरित करना है के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सभी विभागों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। इस कार्यक्रम को लोगों में लोक प्रिय बनाने तथा इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न कदम जैसे कि लेपरोस्कोपिक शिविर तथा अभिविन्यास शिविर लगाए जाते हैं । राज्य एवं जिलास्तर पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के द्वारा इस कार्य को अच्छी प्रकार से करने के लिये समुदाय पुरस्कार देने का कार्य शुरू किया गया है । इस के अतिरिक्त सरकार ने इसको अपनाने वालों तथा संगठनों को विभिन्न प्रोत्साहन देने की घोषणा की है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 के लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 86 तक की उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :—

मद	1986-87 के निर्धारित लक्ष्य	दिसम्बर, 86 तक की उपलब्धियां
1	2	3
1. बन्धयकरण ..	35,000	16,356
2. लूप निवेश ..	30,000	20,130
3. ओरल गोलियां प्रयोग कर्ता ..	5,400	6,476
4. गर्भ अवरोध प्रयोगकर्ता ..	35,000	28,540

9. **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा विस्तरित प्रतिरक्षण कार्यक्रम** :—यह कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य संभावित माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माताओं तथा बच्चों को डी. पी. टी., डी. टी., बी. सी. जी., पोलियो, टी. टी. तथा टाईफाइड के टीके लगाने से देख भाल की गई। इस कार्यक्रम द्वारा शिशु मृत्यु दर तथा पोलियो की घटनाओं की दर को कम करना जारी रहा और यह कार्यक्रम प्रदेश में सभी एलोपैथिक संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। वर्ष 1986–87 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य तथा दिसम्बर, 86 तक उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :—

मद	वर्ष 1986-87 के लिये निर्धारित लक्ष्य	दिसम्बर, 86 तक की उपलब्धियां
1	2	3
1. टी. टी. (संभावित माताएं)	1,24,900	46,978
2. डी. पी. टी. ..	1,06,000	73,988
3. डी. टी. ..	1,00,000	1,03,191
4. पोलियो ..	1,06,000	60,352
5. मीज़लस ..	1,06,000	27,690
6. बी. सी. जी. ..	1,06,000	80,294

मद		वर्ष 1986-87 के लिये निर्धारित लक्ष्य	दिसम्बर, 86 तक की उपलब्धियां
1		2	3
7. टाईफाईड	..	1,00,000	60,767
8. टी. टी. 10 वर्ष	..	1,00,000	58,710
9. टी. टी. 16 वर्ष	..	50,000	28,036
10. आहार सम्बंधी कमजोरी से छुटकारा पाने के लिये :—			
माताएं	..	2,00,000	1,68,320
बच्चे	..	2,00,000	1,40,008
11. विटामिन ए की कमी से बच्चों के अन्धेपन की मुक्ति	..	3,00,000	1,92,319

10. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम :—यह कार्यक्रम सभी एलोपैथिक संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस के अन्तर्गत स्कूल के बच्चों का चिकित्सा निरीक्षण किया जाता है तथा रोगग्रस्त बच्चों को उपचार के लिये निकटवर्ती चिकित्सा संस्थाओं में भेज दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत टी. टी. तथा टाईफाइड के टीके बच्चों को लगाये जाते हैं। सितम्बर, 1986 तक 71,447 बच्चों का निरीक्षण किया गया तथा इनमें से 24,482 रोगग्रस्त पाए गए।

11. दवाईयां :—वर्ष 1986-87 में दवाईयां खरीदने के लिये आयुर्विज्ञान तथा आयुर्वेदिक विभाग को छोड़ कर 3.02 करोड़ रुपये का प्रावधान था।

वर्ष 1987-88 के लिये योजना :—वर्ष 1987-88 में विभिन्न राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य तथा अन्य कार्यक्रमों को जारी रखने के साथ-साथ चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों में सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। वर्ष 1987-88 में 400 उप केन्द्रों, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

7.5 आयुर्वेद

भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत रोग-निवारक व स्वास्थ्य प्रद दवाईयों द्वारा प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा है।

वर्ष, 1986 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 5 आयुर्वेदिक अस्पताल, 430 आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरियां तथा दस बिस्तरों वाले 6 कक्ष, जिला सिविल चिकित्सालयों के साथ कार्यरत रहे। इन 430 डिस्पैन्सरियों में से 420 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 10 शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं। लगभग 100 डिस्पैन्सरियां प्रदेश के दुर्गम व जन जातीय क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

जिला सिरमौर के माजरा व जिला मंडी के जोगिन्दरनगर नामक स्थान पर दो आयुर्वेदिक फार्मेसियां आयुर्वेदिक औषधालयों और अस्पतालों के लिये दवाईयों का उत्पादन कर रही हैं। ये फार्मेसियां अभी तक दवाईयों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रही अतः इन फार्मेसियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ प्रदेश से बाहर भी दवाईयां भेजी जा सकें।

भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान हेतु जोगिन्द्रनगर में एक अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहा है। फार्मेसी व अनुसंधान शाखा की कार्य क्षमता व कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु जोगिन्द्रनगर में तकनीकी निदेशक का कार्यालय स्थापित किया गया है। आयुर्वेद में शिक्षा प्रदान करने हेतु जिला कांगड़ा में पपरोला के स्थान पर एक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चल रहा है जिसमें प्रतिवर्ष 20 छात्रों को बी. ए. एम. एस. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। इस महाविद्यालय के साथ एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी विद्यार्थियों के प्रशिक्षणार्थ स्थापित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक व यूनानी प्रैक्टीशनरज एक्ट, 1968 के अधीन एक बोर्ड का गठन किया गया है जो आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धति के अन्तर्गत काम कर रहे व्यक्तियों का पंजीकरण करता है।

यह विभाग मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पाठशाला स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी कुशलता से संचालन कर रहा है। विभाग राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रत्येक सक्रिय कार्यक्रमों में भाग लेता है तथा पात्र दम्पतियों को नियोजित परिवार के लिये प्रेरणा देने व परिवार कल्याण शिविरों का आयोजन करने का कार्य भी कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के सही व नियमित कार्यान्वयन हेतु होम्योपैथिक प्रैक्टिशनरज एक्ट, 1979 (1980 के एक्ट नं० 3) के अधीन सन् 1981 में एक होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् स्थापित की। इस एक्ट की धाराओं को आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 1987-88 के लिये योजना :— इस वर्ष विभाग द्वारा प्रदेश में दवाईयों में प्रयोग होने वाली जड़ी-बूटियों का

सर्वेक्षण तथा जडी-बूटियों की नरसरी लगवाने का प्रस्ताव है । जिला सिविल चिकित्सालयों में स्थापित 10 बिस्तर वाले आयुर्वैदिक कक्षों के साथ पंचकर्मा इकाईयां भी स्थापित की जाएंगी । जड़ी-बूटियों के विकास हेतु "औषधी जड़ी-बूटी विकास निगम" स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । ऊना में "प्राकृतिक चिकित्सा" इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । विभाग 2 होम्योपैथिक ईकाइयां जन जातीय क्षेत्र में तथा 2 इकाईयां अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में भी स्थापित करेगा ।

7.6 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

वर्ष 1986–87 के दौरान हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 65 विद्यार्थियों की क्षमता रही । यह विद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। अध्ययन तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राजकीय इन्दिरा गांधी अस्पताल तथा कमला नेहरू अस्पताल इससे सम्बद्ध हैं । राज्य में इस महाविद्यालय के खुलने से औषधी, शल्य क्रिया, स्त्री रोग व प्रसूती तन्त्र विज्ञान, रति रोग विज्ञान, दन्त चिकित्सा, आंख-नाक व गला चिकित्सा, विकृशा विज्ञान तथा जीव भौतिक इत्यादि में आम जनता को विशिष्ट सेवाएं सुलभ हैं । दिसम्बर, 1986 तक की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. **विद्यार्थी** :—इस वर्ष के दौरान 59 विद्यार्थियों ने एम. बी. बी. एस. की परीक्षा पास की तथा 374 विद्यार्थी महाविद्यालय में नामांकित हैं । इसके अतिरिक्त 65 विद्यार्थी इन्टरशिप तथा 53 विद्यार्थी हाऊस जौब में प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

2. **स्नातकोत्तर उपाधि तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रम** :— 15 विभागों में स्नातकोत्तर उपाधि तथा 8 में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं । इनमें 22 उपाधि तथा 18 पत्रोपाधि विद्यार्थियों की क्षमता है। वर्ष 1986-87 में 22 विद्यार्थी ये पाठ्यक्रम उतीर्ण कर रहे हैं इनमें से 10 उपाधि तथा 12 पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में होंगे ।

3. **अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम** :—इस महाविद्यालय में प्रदेश में अस्पतालों तथा औषधालयों की जरूरतें पूरी करने के लिये नर्सों, क्ष-रश्मि चित्रकों, प्रयोगशाला तकनीकियों तथा दन्त हाईजीनिस्टों को प्रशिक्षण दिया जाता है । इस समय 21 रश्मिचित्रकों, 4 दन्त हाईजीनिस्टों तथा 38 चक्षु सहायकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

4. **विशेष सेवाएं** :—:—इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय उन महाविद्यालयों में से एक है जिस के पास फाईबर औपटिक ऐंडोसकोपी उपकरण है । संवृत हृदय शल्य चिकित्सा भी की जा रही है तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये लैपरोसकोपिक उपकरण अपनाया गया है ।

5. **आपात कालीन सेवाएं** :—रोगियों की भलाई के लिये हर समय अपघात तथा "कार्डियक केयर यूनिट" सेवाएं प्रदान की जाती हैं । प्रयोगशाला तथा रक्तकोष सेवाएं भी हर समय उपलब्ध करवाई जाती हैं ।

6. **विश्व स्वास्थ्य संगठन/राष्ट्रमंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम** :— इस संस्थान के अधिकारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन/राष्ट्र मंडल कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है । ऐसे प्रशिक्षण अध्ययन एवं रोगियों की देखरेख को सुधारने में लाभदायक सिद्ध हुए हैं ।

7. **नेत्र राहत शिविर** :—महा विद्यालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम, अन्धेपन पर नियन्त्रण पाने के लिये राष्ट्रीय कार्य-क्रम के अन्तर्गत लोहारा, गौंदपुर तथा चौकीमनियार (जिला ऊना), सुन्दरनगर (जिला मंडी), काजा तथा किलोंग (जिला लाहौल-स्पिति), सुनी (जिला शिमला) तथा धर्मपुर (जिला सोलन) में आंखों के उपचार के शिवरों का आयोजन किया जिन में 15,653 रोगियों का परीक्षण किया गया, 631 आंखों के तथा 208 अन्य आप्रेशन किये गये । इसके अतिरिक्त 5,064 रिफ्रेक्शनस किये गये तथा तीन बार रेडियो पर वार्तालाप किया गया। इसके साथ-साथ विभाग द्वारा अन्धेपन को दूर करने के लिये जिला सोलन में एक सर्वेक्षण किया ।

8. **चल चिकित्सालय शिवर** :—ग्रामीण तथा कठिन क्षेत्रों में आज जनता को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने तथा इन्टरन्स, स्नातक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों, अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों और ट्रेनिंग प्राप्त कर रही नर्सों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये महाविद्यालय द्वारा 50 बिस्तरों वाला चल चिकित्सालय चलाया जा रहा है। वर्ष 1986–87 में काजा और किलोंग में चल शिविर लगाये गये, इन में 2,100 रोगियों का परीक्षण तथा उपचार किया गया तथा 95 विभिन्न बिमारियों के रोगियों को दाखिल किया तथा इनका उपचार किया और 82 आप्रेशन किये गये ।

9. **पोस्टपार्टम कार्यक्रम** :— :—महाविद्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पोस्टमार्टम कार्यक्रम में भी भाग ले रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की उपलब्धियों

का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1.	ओ. बी. जी. आप्रेशन किये :	
	(क) बड़े ..	990
	(ख) छोटे ..	2,663
2.	अवस्टेट्रिक्स	
	(क) बड़े ..	198
	(ख) छोटे ..	1,052
3.	अन्य आप्रेशन ..	
	(क) टयूबैकटोमी ..	649
	(ख) चिकित्सा द्वारा गर्भ दूर करना	975
	(ग) आई. यू. सी. डी. ..	877
	(घ) कनडौमस बांटी गये (पीसस्)	55,920
	(ङ) ओरल गोलियां बांटी गई (संख्या)	729
	(च) पैप समीयरस (संख्या)	188

उपर्युक्त के अतिरिक्त निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान विभाग ने दूर दराज क्षेत्रों में विभिन्न छोटे शिविर आयोजित किये इनमें लोगों को विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाई गई ।

10. **निर्माण कार्यक्रम** :—वर्ष 1986–87 में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा इससे सम्बन्धित अस्पताल के विभिन्न भवनों का निर्माण जारी रहा तथा कोबालट यूनिट ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है । इसके अतिरिक्त रोगियों के उपचार/जांच पड़ताल के लिये एक उच्च अन्तः शक्ति वाला वाह्य ध्वनि यन्त्र लगाया गया ।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :—वर्ष 1987–88 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम के कार्यान्वियन का प्रस्ताव है :—

(1) एम. बी. बी. एस. के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में 65 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा । स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रम विभिन्न विशेष विषयों में चालू रहेंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित "अन्धेपन पर नियन्त्रण पाने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम" भी चाल रहेंगे ।

(3) मुख्य भवन के निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य आवश्यक निर्माण कार्य भी किये जायेंगे ताकि महाविद्यालय के कुछ विभागों के आवास के लिये जो कमियां महसूस की जा रही हैं, वे पूरी की जा सकें ।

7.7 आवास

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का गठन सन् 1972 में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मकान बनाने, रिहायशी प्लाट विकसित करने तथा विभिन्न आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लक्ष्य से किया गया था । वर्ष 1986–87 के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के कार्यान्वयन की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

1. सामाजिक आवास योजना :— इस योजना के अन्तर्गत शिमला, सोलन, परवाणु, नाहन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, पालमपुर और धर्मशाला में सामाजिक आवास कलोनियां स्थापित की हैं । इन में वर्ष 1985–86 के अन्त तक 1,627 मकानों तथा 931 प्लाटों का निर्माण हो चुका था । वर्ष 1986–87 में 134 इकाईयों के पूर्ण किये जाने की आशा है ।

2. स्वतः वित्तदायी योजनाएं :—इस योजना के अन्तर्गत आवास बोर्ड शिमला तथा परवाणु में मकान/फलैट बना रहा है। वर्ष 1985–86 के अन्त तक 450 इकाईयां पूर्ण हो चुकी थीं तथा वर्ष 1986–87 के दौरान 158 इकाईयां पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

3. किराया आवास योजना:—हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड इस योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए मकान निर्माण हेतु दो योजनाएं चला रहा है। वर्ष 1985–86 तक पुलिस किराया आवास योजना के अन्तर्गत शिमला, सोलन, परवाणु, नाहन, ऊना, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू, हमीरपुर, पालमपुर, धर्मशाला, स्कोह तथा चम्बा में 273 इकाईयों का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1986–87 में 44 को पूर्ण करने की आशा है। सरकारी किराया आवास योजना के अन्तर्गत 1985–86 तक शिमला, रामपुर, सोलन, नाहन, ऊना मण्डी, हमीरपुर, धर्मशाला तथा संगडाह में 324 इकाइयों का कार्य पूर्ण हो चुका था और वर्ष 1986–87 में 90 इकाइयां पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

4. डिपोजिट कार्य :— आवास बोर्ड विभिन्न संस्थाओं के लिए निर्माण कार्य कर रहा है । ऊना में बचत भवन का निर्माण कार्य तथा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के अनेक कार्य तथा शिमला मार्किट

कमेटी के लिए नियमित मण्डी के निर्माण का कार्य वर्ष 1986–87 में प्रगति पर रहा ।

5. परवाणु में औद्योगिक प्लाटों का निर्माण :— आवास बोर्ड परवाणु में 234 औद्योगिक प्लाटों का निर्माण कर चुका है तथा ये प्लाट राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु आंबटित किये गये हैं।

5. वाणिज्यिक योजनाएं :—हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड ने वाणिज्यिक योजना के निर्माण कार्य जैसे कि शिमला जिले के भटटाकुफर में कार्यशाला व शौपिंग कम्पलैक्स का निर्माण शुरु किया था परन्तु हाई कोर्ट से स्थगन आदेश के कारण यह कार्य रूक गया है ।

आवास बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान जन साधारण की मांग को देखते हुए (संजोली) शिमला, सोलन, नाहन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी तथा धर्मशाला में वर्तमान क्लोनियों का विस्तार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त सुन्दरनगर, कांगड़ा, पौंटा साहिब तथा नालागढ़ में नई क्लोनियों के निर्माण का भी प्रस्ताव है ।

7.8 पेय जल

प्रदेश के 16,916 गांव में से मार्च, 1986 तक 13,348 गांवों को सुरक्षित पेय जल की सुविधाएं दी गई थीं। इन में से 8,821 दुर्गम गांव थे और 4,527 सुलभ गांव थे । वर्ष 1986–87 के दौरान, युरोपियन आर्थिक सामुदायिक कार्यक्रम व राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 905.44 लाख रुपये की धन राशि का प्रावधान था ।

भारत सरकार द्वारा ए०आर०पी० के अन्तर्गत 630 लाख रुपये के अनुदान के अतिरिक्त 242.20 लाख रुपये स्पिल ओवर राशि दी गई । दयोठ सिद्ध ग्राम समूह की पेयजल योजना जिस में रोयल डच सरकार की वित्तीय सहायता है, के लिए 78.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था । वर्ष 1986–87 में राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों के 500 गांव अर्थात 450 दुर्गम गांव तथा 50 सुलभ गांव को पेयजल दिया जायेगा । दिसम्बर, 1986 तक 300 दुर्गम गांव और 57 सुलभ गांव को सुरक्षित पेयजल पहुंचा दिया गया है ।

शहरी पेयजल योजनाएं :—वर्ष 1986–87 के दौरान विभिन्न शहरी पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 110.00 लाख रुपये की धन राशि प्रदान की गई है ।

मल प्रवाह पद्धति :— वर्ष 1986–87 में मल प्रवाह योजनाओं के लिए 10.00 लाख रुपये प्रदान किये गये थे। वर्ष 1986–87 के दौरान बजट में 19 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

7.9 पिछड़े वर्गों का कल्याण

हिमाचल प्रदेश कल्याण विभाग समाज के कमजोर वर्गों एवं पिछड़ी जातियों जिनमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां तथा पिछड़े वर्ग और शिशु सम्मिलिति हैं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारने के कार्य करता है । इन लोगों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं ।

(1) पिछड़े वर्गों का कल्याण

(2) समाज कल्याण

(3) विशेष पौषाहार कार्यक्रम

(4) आई०सी०डी०एस०

पिछड़े वर्गों का कल्याण :—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को उनके सामान्य शिक्षा स्तर की ऊंचा उठाने के लिए पूर्व छात्रवृतियां, रुपये प्रति मास प्राथमिक, 12 रुपये प्रतिमास माध्यमिक तथा 15 रुपये प्रतिमास उच्च तथा उच्चतर कक्षाओं के लिए छात्र-वृत्ति दी जाती है। इस के साथ ही प्राथमिक कक्षा के छात्रों को 30 रुपए, माध्यमिक कक्षा के छात्रों को 50 रुपये और उच्च एवं उच्चतर कक्षा के छात्रों को 80 रुपए प्रतिछात्र प्रतिवर्ष पुस्तकें व कापियां आदि खरीदने के लिए सहायता के रुप में दिए जाते हैं । विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाने वाले छात्र को 100 रुपये प्रति मास छात्रवृत्ति तथा प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात 300 रुपए तक की सहायता अन्य प्रकार के उपकरण तथा औजार आदि खरीदने के लिए दिए जाते हैं ।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार अधिक बर्फीले क्षेत्रों में 5,000 रुपए प्रति परिवार गृह अनुदान के रुप में तथा अन्य क्षेत्रों में 4000 रुपए प्रति परिवार नए घर बनाने के लिए देती है। इस राशि का आधा भाग वर्तमान घरों की मुरम्मत आदि पर खर्च किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाहों के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों व जन जातियों के कल्याण के लिए प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की गई है। यह निगम अन्य बैंकों के सहयोग से लोगों को विभिन्न प्रकार के ऋण देने में सहायता करता है ।

टंकन व आशुलिपि में प्रवीणता :— इस योजना के अनुसार अनुसूचित/जन जाति के 25 भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे

17-B,Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. ...
Date. ...

ताकि वे टंकण व आशुलिपि का अभ्यास रख सकें । उन्हें 6 महीने तक अथवा इससे पूर्व जब तक वे कहीं पक्की नौकरी न पाएं 200 रुपये प्रतिमास वजीफा दिया जाता रहेगा ।

शोषण व अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों की क्षतिपूर्ति :—गैर अनुसूचित जातियों द्वारा यदि जाति के आधार पर अनुसूचित जातियों पर कोई अत्याचार किया जाता है तो धन के रुप में उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी

1987–88 के लिये योजना :—1986–87 में प्रारम्भ हर कार्यक्रम को 1987–88 में भी जारी रखा जाएगा ।

7.10 समाज तथा स्त्री कल्याण

समाज कल्याण से अभिप्राय समाज के कमजोर वर्गों जैसे निराश्रित, निर्बल, शारीरिक एवं मानसिक रुप से अपंग लोगों का उद्धार करना है । सामाजिक अन्याय व हर प्रकार के शोषण से उन्हें बचाने के लिए सरकार ने कई बाल/बालिका आश्रम, निराश्रित गृह तथा सामुदायिक केन्द्र खोल रखे हैं। 1986–87 में की गई प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है :

1. **वृद्धावस्था पैंशन :**—यह पैंशन 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों को जिनका कोई सहारा नहीं हैं दी जाती है । इस समय सरकार 50,749 व्यक्तियों को 60 रुपये प्रतिमास की दर से यह पैंशन दे रही है । गत वर्ष तक यह दर 50 रुपये प्रतिमास थी । यह पैंशन सरकारी खर्च पर मनीआर्डर द्वारा त्रैमासिक भेजी जाती है तथा अपंग व्यक्तियों के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है ।

2. **विधवाओं के लिये पैंशन :**—वृद्धावस्था पैंशन की भान्ति सरकार विधवाओं की भी पेंशन देती है जिसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इस समय इस योजना के अन्तर्गत 15,765 विधवाएं पैंशन प्राप्त कर रही हैं ।

3. **कार्यरत महिलाओं के लिये आवास :**—नगरों में कामकाजी महिलाओं को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश में 11 कार्यरत महिलाओं के आवास गृहों के निर्माण की स्वीकृति दी है । यह आवास गृह स्थानीय निकाय अथवा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा निर्मित किए जाएंगे । निर्माण व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्र अनुदान के रुप में देगा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार स्थानीय निकाय तथा स्वयं सेवी संगठनों के स्थान पर उपलब्ध करवायेगी क्योंकि इन संस्थाओं का अपना कोई आय साधन नहीं है ।

4. **स्टेट होम :**—निराश्रित स्त्रियों और लावारिस लड़कियों के लिए सरकार 6 स्टेट होम चम्बा, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, कल्पा और नाहन में चला रही है । इन स्टेट होम में रहने वालों को निःशुल्क आवास तथा प्रवास की व्यवस्था है । इसके साथ ही इन्हें यहां पर सिलाई तथा कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आवास छोड़ने के पश्चात् वे अपनी आजीविका कमा सकें । ऐसी स्त्रियों के पुनर्वास के लिए 1,000 रुपये प्रति स्त्री तक आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे सदनों में रहने वाली स्त्रियों के पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए अब तरह तरह के प्रशिक्षण प्रारम्भ किए जा रहे हैं। उचित मामलों में ऐसी महिलाओं को 2,500 रुपए तक वैवाहिक अनुदान भी दिया जाता है ।

5. **बाल बालिका आश्रम :**—निराश्रित तथा अनाथ बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने कल्पा, सराहन, सुन्नी, मशोबरा टूटी कण्डी (शिमला) सुन्दरनगर, कुल्लू, सुजानपुर, भरमौर और परागपुर में बाल बालिका आश्रम खोल रखे हैं। इन आश्रमों में रहने वाले बच्चों को मुफ्त आवास तथा प्रवास की सुविधा उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त उन्हें स्कूलों में मैट्रिक तक की भी शिक्षा दिलवाई जाती है ।

6. **बाल गृह/विशेष स्कूल :**—हिमाचल प्रदेश चिलड्रन एक्ट 1979 के अन्तर्गत निराश्रित व उपेक्षित बच्चों के लिए सुन्दरनगर (जिला मण्डी) में एक बाल आश्रम खोला गया हैं । इन बच्चों को यहां पर निःशुल्क आवास-प्रवास तथा शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हैं । इसके अतिरिक्त ऊना जिले में हरोली में एक स्पैशल स्कूल-कम-ऑबजरवेशन होम खोला गया है जहां कि 16 वर्ष तक के अपराधी लड़कों और 18 वर्ष तक की अपराधी लड़कियों को रखा जाता है। यह स्कूल इस लिए खोला गया हैं ताकि ये अपराधी बच्चे जेल में सख्त व कठोर अपराधियों से मेल जोल न कर पाएं। इस समय बच्चों के लिए चिलड्रन ऐक्ट के अन्तर्गत केवल एक ही न्यायालय ऊना में कार्य कर रहा है ।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसके अलावा 23 सामुदायिक केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 1978-88 के लिए योजना :— 1986–87 में प्रारम्भ सभी कार्यक्रम 1987–88 में भी जारी रखें जाएंगे । इसके साथ ही 1987–88 में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण-वा-पुनर्वास केन्द्र भी खोला जाएगा । जहां 16 से 21 वर्ष तक की आयु के लोगों को व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि वे अपनी आजीविका अर्जित करने योग्य बन सकें ।

7.11 पौवाहार कार्यक्रम

सामज तथा स्त्री कल्याण विभाग द्वारा चलाए गए विशेष पौषाहार कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पौष्टिक आहार प्रदान करना हैं । वर्ष 1986–87 के लिए इस योजना के अन्तर्गत, इस समय प्रदेश में 2,236 केन्द्र इस कार्य में व्यस्त हैं जोकि इस वर्ष 61,231 बच्चों तथा 15,766 गर्भवती स्त्रियों व दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ पहुंचाएंगे । इस पौष्टिक आहार की प्रति इकाई लागत 50 पैसें प्रति दिन प्रति बच्चा तथा 80 पैसे प्रतिदिन प्रति स्त्री है ।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग भी व्यावहारिक पौष्टिक कार्यक्रम चला रहा है । यह कार्यक्रम मूलत: शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों को उनके खानपान की आदत को बदलने के लिए शिक्षित किया जा रहा है । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुकुट इकाईयों की स्थापना, घर आंगन में सब्जी उगाना और कमजोर वर्ग के बच्चों को तथा गर्भवती स्त्रियों को पौष्टिक आहार देना है ।

आई. सी. डी. एस. परियोजना :—

वर्ष 1985-86 तक प्रदेश में 15 आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं लागू की गई थी और 1986–87 में 6 और परियोजनाएं लागू की गई । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत पात्र लोगों को निम्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं :—

(1) अनुपूरक पौष्टिक आहार
(2) सुरक्षा
(3) स्वास्थ्य की देखभाल
(4) चिकित्सा सेवाएं ।
(5) पौष्टिकता व स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा
(6) अनौपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य है :

(i) 0—6 वर्ष की आयु के बच्चों के भोजन तथा स्वास्थ्य स्तर को सुधारना,
(ii) बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक व मानसिक विकास की नींव सुदृढ़ करना,
(iii) बच्चों की जन्म व मृत्यु दर को कम करना तथा उनमें अपौष्टिकता तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृति को घटाना,
(iv) बच्चों के विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न नियमों की नीतियों में पारस्परिक समन्वय, और
(v) बच्चों की पौष्टिकता व चिकित्सा के क्षेत्र में उचित देखभाल हेतु माताओं की योग्यताओं को अधिक बटाना,

7.12 श्रमिक कल्याण तथा रोजगार

श्रम तथा रोजगार विभाग श्रम–शक्ति तथा इस में होने वाली बढ़ोतरी का लेखा–जोखा रखने के साथ–साथ श्रमिकों के कल्याणार्थ बनाये गये कानूनों व योजनाओं का परिपालन करवाता है । श्रमिकों की मांग व पूर्ति रोजगार एजेंसियों के माध्यम से, व्यवसायिक जानकारी प्रदान कर के तथा श्रमिकों की मांग के स्थान को जान कर व्यवस्थित की जाती है । श्रम कल्याण विभिन्न श्रमिक कल्याण कानूनों को कार्यान्वित कर के सुनिश्चित किया जाता है । विभाग के कार्यकलाप का सूक्ष्म लेखा–जोखा इस प्रकार है :—

क. श्रमिक कल्याण योजनाएं :—श्रम विभाग अपने मण्डलीय कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से श्रमिक कल्याण कानूनों का पालन करवाता है । इसके साथ ही श्रमिकों को व्यवसाय प्रबन्ध में सम्मिलित करवा करके श्रमिकों को व्यवसाय में भागीदारी तथा अपनत्व का आभास करवाता है । इसके फलस्वरूप उत्पादन तथा उत्पादकता में बढ़ौतरी होती है । वर्ष के दौरान श्रम तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं की स्थिति इस प्रकार रही :—

1. औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रमिक स्थिति :— 20 सूत्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के कारण औद्योगिक शान्ति व स्वच्छ वातावरण बनाये रखने के लिये औद्योगिक सम्बन्धों का बहुत महत्व है । श्रमिकों तथा व्यवसायकों के मध्य सुलहा करने के लिये तथा औद्योगिक शांति कायम करने के लिये प्रदेश में एक सुलहा समिति कार्य कर रही है । सुलहा करने का कार्य जिला रोजगार अधिकारी/श्रम अधिकारियों को सौंपा गया है । इन अधिकारियों के अतिरिक्त श्रमिकों के कल्याण की देखभाल को कार्य श्रम निरीक्षक भी उन उद्योगों में करते हैं जहां पर 30 या 30 से कम श्रमिक कार्य करते हों । जिन विवादों का उपरलिखित कर्मी निवार्ण नहीं कर सकते उन विवादों के निपटाने का कार्य उच्च अधिकारी करते हैं ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम 1948 :— यह अधिनियम कर्मचारियों को बिमारी, प्रसूती, अपंगता तथा व्यवसाय के कारण मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है । यही नियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या 20 से अधिक श्रमिक कार्य करते हों तथा बिजली का प्रयोग होता हो लागू हैं । यह नियम खानों तथा रेलवे शेडों में लागू नहीं होता । जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 1,600 से अधिक हो, उन के लिये भी यह योजना लागू नहीं है । बाकी सारे कर्मचारी इस नियम के तहत आ जाते हैं । यह योजना कर्मचारियों तथा मालिकों के योगदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग सरकार देती है । यह योजना सोलन, मैहतपुर तथा परवाणु में लागू है । इस समय तक 7,100 कर्मचारी इस योजना के अधीन है तथा इस योजना को अन्य क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है ।

3. कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, 1952 :— इस योजना के अन्तर्गत फैक्टरी तथा अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान रखा गया है । यह एक्ट इन कारखानों व प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों को स्थापित हुये 3 वर्ष हो चुके हैं तथा 50 या 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हों अथवा 5 वर्ष स्थापित हुये हो चुके हों और 20 से 49 कर्मचारी काम पर हों । इस समय तक इस योजना के अन्तर्गत 40,334 कर्मचारियों को लाया जा चुका है ।

4. कामगारों के लिये शिक्षा योजना :— कामगारों को उन के कर्त्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिये इस केन्द्रीय

संचालित योजना के तहत शिक्षित किया जाता है। कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जाती है, एक तो इस से कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे कामगर संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप से किस तरह से काम करें ताकि उनको अधिकतम लाभ हो। इस योजना के अन्तर्गत परवाणु, मैहतपुर, सोलन, हमीरपुर तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में शिविर लगाये गय।

5. फैक्टरी रोजगार :—फैक्टरी अधिनियम, 1948 उन प्रतिष्ठानों मे लागू है जहां पर 20 या 20 से अधिक कामगर काम करते हों तथा बिजली का प्रयोग न होता हो अथवा 10 या 10 से अधिक कामगर काम करते हों तथा बिजली का प्रयोग करते हों। इस योजना का उद्देश्य कामगरों के हितों की रक्षा करना है। उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं, व्यसकों के कार्य करने का समय निर्धारण, वेतन सहित अवकाश देना इत्यादि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रित किया जाता है। इस अधिनियम के परिपालन हेतु हिमाचल प्रदेश को दो जोनों में बांटा गया है जिन का मुख्यालय शिमला तथा ऊना में है। फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिसम्बर, 1986 तक लगभग 1,210 प्रतिष्ठानों को, जिन में लगभग 30,133 कामगर कार्य करते हैं, लाया गया है।

6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को लागू करना :— हिमाचल प्रदेश में इस अधिनियम के अन्तर्गत 13 निर्धारित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। चाय-बागान के मजदूरों को छोड़ कर, सामान्य मजदूर की मजदूरी 12 रु० प्रतिदिन की गई। चाय बागान के मजदूरों की 10.10 रु० प्रतिदिन मजदूरी निश्चित की गई है। कृषि, भवन-सड़क निर्माण, व मुरम्मत, पत्थर तोड़ने तथा बजरी बनाने व बानिकी कार्य में लगे मजदूरों को मजदूरी में, जन जातीय व दुर्गम क्षेत्रों में, क्रमशः 25 प्रतिशत व 12½ प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया गया है। सुरगों के भीतर काम करने वाले मजदूरों के न्यूनतम वेतन में भी 20 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। उपर लिखित न्यूनतम वेतन 14-8-1986 से लागू है। इस अधिनियम के कारगर ढंग से लागू करने के लिये श्रम विभाग के कर्मियों के अतिरिक्त सब तहसीलदार व जिला रोजगार अधिकारियों को निरीक्षक नियुक्त किया गया है। विभाग का कार्य मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलाना तथा इन के वेतनों से फजूल कटौती न हो, को सुनिश्चित करना है। मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं दिलाना, दुर्घटना पर उचित मुआवजा दिलाना, राष्ट्रीय तथा अन्य त्योहारों को छुट्टी दिलाना, हि०प्र० औद्योगिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आकस्मिक तथा बीमारी के लिये अवकाश प्रदान करना आदि कार्य भी श्रम विभाग सुनिश्चित करवाता है। बंधवा मजदूर की पहचान तथा पूर्नवास के लिये, जिला स्तर पर 12 सतर्कता समितियां स्थापित की जा चुकी हैं। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिये हिमाचल सरकार ने शिमला में श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय अधिकरण स्थापित किये हैं।

ख. जन शक्ति तथा रोजगार योजनाएं:—रोजगार प्राप्त करने वालों को रोजगार सेवा परियोजना के माध्यम से निम्न प्रकार से सहायता की जाती है :—(1) उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर उपयुक्त रोजगार प्राप्त करवाना (2) छटनी व फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाना (3) रोजगार देने वालों को उपयुक्त उम्मीदवार भेजना (4) रोजगार अवसरोंतथा प्रशिक्षण अवसरों का पता लगाना, तथा (5) रोजगार की मांग के अनुसार रोजगार चाहने वालों को रोजगार चयन करने का परामर्श आदि देना सम्मिलित है।

उपरोक्त कार्यों के कार्यन्वयन के लिये प्रदेश में रोजगार कार्यालयों/केन्द्रों का विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों तथा संस्थाओं में रोजगार विभाग का एक सुदृढ़ ढांचा कार्यरत है। इसके अतिरिक्त निदेशालय में हिमाचल वासियों को निजी क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों व संस्थाओं में रोजगार दिलाने हेतू केन्द्रीय रोजगार सैल स्थापित किया गया है।

हिमाचल में सामान्य रोजगार स्थिति :—इस वर्ष (अक्तूबर 1986 तक) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रोजगार चाहने वालों की संख्या में 13.9 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि विभिन्न संस्थानों व कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करने वालों को भेजने की संख्या में 17.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। रोजगार चाहने वाले की संख्या में वृद्धि का कारण इनडैक्स कार्ड की नवीकरण की नीति में परिवर्तन है। नई नीति के अनुसार इनडैक्स कार्डों को 3 साल के बाद नवीकरण करना पड़ता है जिसके कारण ये कार्ड लैप्स नहीं होते। नौकरी पर भेजे गयों की संख्या में वृद्धि का कारण खाली स्थानों की संख्या में वृद्धि है। वास्तविक रोजगार पाने वालों की संख्या में 2 प्रतिशत की कमी आई है। क्योंकि अभी तक विभागों ने परीक्षाओं के परिणाम नहीं निकाले है।

रोजगारों के अवसरों की सूचना :—यह सूचना सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों तथा निजी क्षेत्र के उन नियोजकों से जिन के पास 10 या इस से अधिक कर्मचारी हों और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित न हो से एकत्रित की जाती है। इसके अनुसार जून, 1986 के अन्त तक प्रदेश में 2,70,237 (सार्वजनिक क्षेत्र. 2,48,150, निजी क्षेत्र. 22,087) कर्मी काम कर रहे थे। इसी अवधि में पिछले वर्ष 2,63,234 (सार्वजनिक क्षेत्र: 2,44,443, निजी क्षेत्र: 18,791) कर्मी काम पर थे। सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य की सेवाओं में 71.19 प्रतिशत, केन्द्रीय सेवाओं में 6.61 प्रतिशत, केन्द्रीय अर्ध सरकारी क्षेत्र में 5.83 प्रतिशत, राज्य अर्ध सरकारी क्षेत्र में 15.14 प्रतिशत तथा स्थानीय निकायों में 1.23 प्रतिशत कर्मी काम करें रहे हैं।

पहली जनवरी से अक्तूबर, 1986 तक 70,557 प्रार्थियों के नाम दर्ज किए गए, 5,693 प्रार्थियों को रोजगार दिये गये तथा 9,862 स्थानों को अधिसूचित किया गया। 31 अक्तूबर, 1986 तक सभी रोजगार कार्यालयों में 3,51,468 नाम दर्ज थे।

पहली जनवरी से 30 नवम्बर, 1986 तक भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 840 पद भूतपूर्व सैनिक के कक्ष को अधिसूचित किए गए तथा 411 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाये गए। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के 5 आश्रितों को भी रोजगार दिलाये गये। 30 नवम्बर 1986 तक 17,686 भूतपूर्व सैनिकों के नाम रोजगार रजिस्टर पर थे। इसी अवधि में रोजगार चाहने वाले अपंग लोगों की संख्या 2,582 थी जिन में से 37 को एक जनवरी से 30 नवम्बर, 1986 तक रोजगार दिया गया। इस के अतिरिक्त अतिरिक्त रोजगार चाहने वालों को रोजगारों की जानकारी भी दी गई और इस उद्देश्य से प्रदेश भर में रोजगार जानकारी पखवाड़ा भी मनाया गया।

वर्ष 1987–88 की योजना :—प्रदेश में श्रम कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत श्रम कल्याण निधि स्थापित करने की योजना है और यह निधि विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं को धन उपलब्ध करायेंगी। वर्ष 1987–88 में कारगर रूप से रोजगार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उप-रोजगार केन्द्रों को सुदृढ़ करना तथा व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

7.13 नगर विकास एवं ग्राम नियोजन

नगर विकास एवं ग्राम योजना विभाग प्रदेश के विभिन्न नगरों का योजनाबद्ध एवं नियमित रूप से विकास करने हेतु योजनायें बनाता है। जो क्षेत्र योजनाबद्ध तरीके से विकास हेतु छांटे गए हैं उन क्षेत्रों में भवन निर्माण तथा भूमि उप विभाजन की अनुमति भी यही विभाग देता है।

वर्ष 1986–87 में नगर तथा ग्राम विकास अधिनियम के अन्तर्गत 9 नगरों व कुछ अन्य क्षेत्रों को लाया गया। क्रमशः ये नगर व क्षेत्र इस प्रकार हैं :—पालमपुर, पांवटा साहिब, नाहन, रामपुर, ठियोग, सराहन, रोहड़ू, चम्बा, डलहौजी, कुल्लू घाटी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ सुईसा-बजौरा, एलियो बाम्बी नाला एवं सोलंग–कोठी क्षेत्र। भविष्य में इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य नगरों व क्षेत्रों को लाने की योजना है जिन के नाम क्रमशः इस प्रकार है :—अर्की, बिलासपुर, कांगड़ा, नैनादेवी जी, नारकण्डा, राजगढ़, सन्तोखगढ़, काला अम्ब, घुमारवीं, चोआड़ी, जोगिन्द्रनगर, सोलन एवं सुन्दरनगर।

चालू वर्ष में मण्डी व हमीरपुर नगरों के लिए विकास योजनाएं बनाई गई तथा उन पर जनता के सुझाव व आपत्तियां आमन्त्रित की गई हैं। मनाली, परवाणु व रामपुर की विकास योजनाओं पर प्रारूप अन्तिम चरण में है। कुल्लू, बरोटीवाला, रिकागपिओ व नालागढ़ की प्रारूप योजनायें बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। शिमला नगर के लिये एक अन्तरिम विकास योजना चल रही है और परवाणु, मनाली व कुल्लू नगरों में भूमि के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

वर्ष 1986–87 में गन्दी बस्तियों के 5,000 निवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से दिसम्बर 1986 तक 3,753 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। हिमाचल में 37 नगरों की गन्दी बस्तियों में कुल 76,813 व्यक्तियों की पहचान की गई है तथा वर्ष के अन्त तक इन में से 41,710 व्यक्तियों को लाभान्वित कर लिया जाएगा। वर्ष 1987–88 में गन्दी बस्तियों में रह रहे 6,000 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा। विकसित भूमि प्रदान करने, मार्गों से पानी के निकास, जलपूर्ति मार्गों पर रोशनी एवं मलिन बस्तियों का सुधार करने हेतु विश्व बैंक की सहायता से नगरीय विकास परियोजना (चरण–I) बना ली गई है और वर्ष 1987-88 में इसे कार्यान्वित करने की सम्भावना है।

7.14. भाषा एवं संस्कृति

वर्ष 1986-87 के दौरान भाषा एवं संस्कृति विभाग का मुख्य ध्यान निम्नलिखित मदों पर केन्द्रित रहा :—

(क) सांस्कृतिक सम्पदा का परिक्षण, प्रलेखन, संरक्षण तथा

(ख) समकालीन सर्जनात्मकता।

सियोल में, 1986 के ऐशियाड में मणिपुर के साथ हिमाचल प्रदेश ने भारत का प्रतिनिधित्व करके सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत लोक प्रियता प्राप्त की। चम्बा से एक सांस्कृतिक दल अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने कोरिया और चीन गया जहां पर उन के प्रदर्शन की बहुत सराहना की गई। "अपना उत्सव" और "लोक उत्सव" जैसे राष्ट्रीय उत्सवों में भाग लेकर हिमाचल की लोक संस्कृति ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। "फूल वालों की सैर" कार्यक्रम में इस वर्ष भी हिमाचल ने शील्ड जीती। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने निष्पादिक कला के क्षेत्र में देश के कुल 20 प्रशिक्षणार्थियों में हिमाचल प्रदेश के भी 2 प्रशिक्षणार्थी चुने जो अत्यन्त गौरव की बात है। वर्ष के दौरान थियेटर तथा लोक नृत्य में 2 कार्यशालायें आयोजित की गई।

फाईन आर्टस के क्षेत्र में हिमाचली कलाकारों की कृतियों की वार्षिक प्रदर्शनियों तथा एकल प्रदर्शनियों में प्रदेश के विभिन्न भागों में नियमित रूप से लगाई गई। हिमाचली कलाकारों को पहचान बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में

हिमाचल भवन की गैलरियों में उन की कलाकृतियों की प्रदर्शनियां आयोजित की गई। इस वर्ष पहाड़ी, हिन्दी, उर्दू तथा संस्कृत दिवसों का आयोजन प्रदेश के दूरस्थ स्थानों में भी किया गया। मनाली में "उर्दू कार्यशाला" तथा निचार में "हिन्दी कमिपा शिविर", का आयोजन किया गया। अन्तर्राज्य साहित्यिक आदान-प्रदान के अन्तर्गत इस वर्ष प्रदेश के कवि चण्डीगढ़ गये तथा वर्ष के अन्त तक इन की भोपाल जाने की भी सम्भावना है। साहित्य व पहाड़ी संस्कृति के उत्थान के अन्तर्गत इस वर्ष राज्य पुरस्कार भी दिए गए। इस वर्ष अंग्रेजी में "नैसेन्ट" तथा उर्दू में "धूप छांव" नामक पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं। बच्चों के लिये "अंकुर" नाम का एक संग्रहालय एवं मनोरंजन केन्द्र भी शिमला में इस वर्ष खोला गया। धर्मशाला में "कलाविथी एवं संग्रहालय" के भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया जो कि वर्ष 1987–88 के अन्त तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा। "पुरातात्विक सर्वेक्षण" कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला सिरमौर की शिलाई तहसील का सर्वेक्षण पूरा किया गया।

प्रदेश में पहली बार मन्दिरों का संरक्षण कार्य विभाग द्वारा आरम्भ किया गया तथा चम्बा के खरोड़ा मुहल्ला में 2 मन्दिरों का मौलिक रुप में जीर्णोद्वार किया गया।

राज्य अभिलेखागार में 10,000 फाईलों, सनदों तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उचित ढंग से सुरक्षित किया गया है। इसमें माईक्रों फिल्म की सुविधा भी उपलब्ध है। यह भारत का "नवीन किन्तु समृद्ध" अभिलेखागार है यहीं पर विदेशी छात्रों को भी अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध है।

शिमला के संग्रहालय में "ब्रांज गैलरी" भी प्रारम्भ की गई तथा इसके साथ ही ताम्बे के पुराने शिला लेखों की एक "ऐतिहासिक गैलरी" भी खोली गई।

राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वियन में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है तथा राजभाषा के कार्यान्वियन में मार्गदर्शन तथा निरीक्षण हेतु एक विधान सभा समिति का गठन किया गया जो सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग का निरीक्षण व मार्गदर्शन करती है।

केलांग के पारम्परिक मेले को राज्य स्तरीय उत्सवों में जोड़ने से इन मेलों की संख्या 11 हो गई है तथा जिला स्तरीय मेलों की संख्या 10 है। राज्य स्तरीय मेलों के आयोजन के लिये 25,000 रुपये तथा जिला स्तरीय मेलों के लिये 7,500 रुपये की सहायता अनुदान विभाग द्वारा दी जाती है।

कला संस्कृति और भाषा अकादमी को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष के दौरान 12.50 लाख रुपये का सहायतानुदान अकादमी को दिया गया। अकादमी ने राजस्थान के कलाकारों के साथ मिलकर पहाड़ी चित्रकला तथा "जनजातीय मुखोटा उत्सव" का आयोजन करके सराहनीय कार्य किया। "पहाड़ी शब्दावली का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। कला के अन्तगर्त "शिष्य प्रणाली" आरम्भ की गई है ताकि पहाड़ी कला के उत्कृष्ट कलाकार पनप सकें।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना:—वर्ष 1987–88 में साहित्य, कला और संस्कृति के कार्यक्षेत्र की और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा इस हेतु इस वर्ष उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र को 29.00 लाख रुपये दिए जाने का का अनुमान है। वर्ष 1987–88 में "हिमाचल उत्सव" आयोजन करने का भी प्रस्ताव है। विभाग ने इस वर्ष निदेशालय अभिलेखागार व संस्कृति भवन बनाने का भी निश्चय किया है।

7.15 पर्वतारोहण

पर्वतारोहण तथा सम्बद्ध क्रीड़ा विभाग पर्वतारोहण, स्कींग, उच्तुंगीय पदयात्रा तथा जल क्रीड़ा के कोर्सों में प्रशिक्षण देता है। वर्ष 1986–87 में 253 लड़कें व लड़कियों को प्राथमिक, अग्रिम तथा निर्देश प्रणाली के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया तथा 489 पदयात्रियों ने विभिन्न पदयात्राओं में और 37 विद्यार्थियों ने चट्टानों पर चढ़ने के पाठ्यक्रमों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त 88 उम्मीदवारों ने जल क्रीड़ा के पाठ्यक्रमों में भाग लिया तथा 47 उम्मीदवार साहसिक कार्य के पाठ्यक्रमों और 22 विद्यार्थी स्कींग के पाठयक्रमों में प्रशिक्षित किये गये।

फरवरी, 1986 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शीतकालीन उत्सव मनाया गया जिसमें देश के 250 युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सोलांग नाला में हुई स्कींग प्रतियोगिता में 6 टीमों ने भाग लिया। विभाग ने पर्वतारोहियों तथा पदयात्रियों के दलों को किराये पर पर्वतारोहणी उपकरण देना जारी रखा तथा नाममात्र किराये पर आवास होस्टल उपलब्ध करवाये।

जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत विभाग ने कोखसर तथा मढ़ी में दो बचाव केन्द्र खोले। इन केन्द्रों के द्वारा सर्दियों में जनजातीय लोगों को रोहतांग दर्रा पार कराने में सहायता दी जाती है। वर्ष 1986–87 में 3,000 जन जातीय लोगों को रोहतांग दर्रा पार करवाने में सहायता प्रदान की जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जन जातीय क्षेत्रों के 100 व्यक्तियों को पर्वतारोहण तथा बचाव पाठयक्रमों में प्रशिक्षण देने की सम्भावना है। इस वर्ष बाचनालय भवन तथा होस्टल के दूसरे ब्लाक के निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना है। वर्ष 1986–87 में नारकण्डा तथा डलहौजी में हेट-व-स्कींग केन्द्र खोले जायेंगे।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :— वर्ष 1986–87 में चलाये गये कार्यक्रमों को वर्ष 1987–88 में पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग

स्कीम का नियामतीकरण करने के साथ साथ बचाव कार्यों के लिए नारकण्डा तथा डलहौजी में ट्रैकिंग होस्टल का निर्माण कार्य किया जाएगा। 100 व्यक्तियों को जल क्रीडा, 350 को विभिन्न ट्रैकिंगस, 100 व्यक्तियों को स्कीइंग तथा 50 व्यक्तियों को पर्वतारोहण बचाव पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। पौंग डैम में जल क्रीड़ा कम्पलैक्स का निर्माण कार्य भी शुरु किया जायेगा।

7.16 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण

हिमाचल प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण विभाग वर्ष 1983 में स्थापित किया गया। विभाग की प्रमुख गतिविधियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। (क) वैज्ञानिक अनुसन्धान (ख) परिस्थितिकी व पर्यावरण (ग) नोडल विभाग और (घ) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम और नवीन ऊर्जा स्रोतों का विकास।

1. **विज्ञान तथा प्रौद्योगिक अनुसन्धान परियोजना :—** विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति का मुख्य उद्देश्य ऐसी तकनीक के विकास से हैं जो लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान कर सकें और लोगों के जीवन का स्तर बढ़ा सकें। राज्य स्तर पर एक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् राज्य सरकार को विज्ञान तथा प्रौद्योगिक सम्बन्धी परामर्श देने के लिये बनाई गई है। इस के अतिरिक्त पांच कार्य दल उद्यान के क्षेत्र में विकास की समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये स्थापित किये गये हैं। विद्युत से सम्बन्धित कार्य दलों की रिपोर्ट जिसमें विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र कार्यन्वयन करना तथा वर्तमान विद्यत प्रणाली को प्रभावशाली बनाना है, विद्युत विभाग को अग्रिम कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग ने बहुत से ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जिसमें राज्य सरकार को सहायता मिल सकती है। इसमें खनिज विकास, चिकित्सा क्षेत्र व अन्य अनुसन्धानों में रेडियो आईसोटोपस का प्रयोग, समुद्रतल से काफी ऊंचे स्थानों पर भौतिकी तथा ऐस्ट्रोनोमी (अन्तरिक्ष सम्बन्धी) अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण सम्मिलित है। परमाणु उर्जा विभाग विभिन्न अनुसन्धान परियोजनाओं हेतु तथा न्यूक्लियर भौतिकी, पलाजमा और फ्यूजन भौतिकी, भौतिक विज्ञान, उपकरण, इलेन्ट्रोनिक्स और अन्य सम्बन्धित क्षेत्र जैसे कि कृषि, पशुपालन, औषधि विज्ञान और औजार इत्यादि में प्रशिक्षण देने के लिये सहमत हो गया है।

2. **परिस्थितिकीय पर्यावरण :—** इस योजना के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां के अध्ययन किये गये हैं व किये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) पर्यावरण में लोगों को शिक्षित व जागृत करना।

(2) समाज में पारिस्थितिकी सम्पदा के रखरखाव के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी व चेतना का प्रसार करना।

(3) परिस्थितिकीय व पर्यावरण से सम्बन्धित समस्याओं के निवारण के लिये आवश्यक अनुसंधान।

(4) खनिज उद्योग, जल व सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरण की समस्याओं का अनुमान।

(5) वनस्पति पार्कों की स्थापना।

स्कूल अध्यापकों में पर्यावरण जागृति उत्पन्न करने के लिए पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद ने दिसम्बर, 1986 में एक कार्यशाला का आयोजन किया था जिस में लगभग 70 स्कूल अध्यापकों ने भाग लिया। अध्यापकों को पर्यावरण सम्बन्धी बहुत पर्यावरण का साहित्य स्टीकर, पोस्टर, छोटी छोटी खेलों के रूप में बांटा गया।

3. **नोडल विभाग :—** विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग बायो गैस और धुंआ रहित चुल्हों को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त गन्दगी की रोकथाम व परमाणु ऊर्जा इत्यादि की उन्नति के लिये नोडल विभाग का कार्य करता है। बायो-गैस के कार्यन्वयन के लिये कृषि विभाग और धुंआ रहित चूल्हों के लिये एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग जिम्मेवार हैं। वर्ष 1986–87 में 2,500 के लक्ष्य की तुलना में 2,370 बायो गैस यन्त्र अक्तूबर, 1986 तक लगाए गए। इसी प्रकार सितम्बर, 1986 तक लगभग 9,000 अच्छे धुंआ रहित चूल्हों का निर्माण वर्ष 1986–87 में 40,000 के लक्ष्य की तुलना में किया गया। इसी अवधी के दौरान 103 धुआं-रहित गांवों की स्थापना की गई। इस के अतिरिक्त हि. प्र. कृषि विश्व विद्यालय के लिये 85 क्यूबिक मीटर संस्थानिक बायो गैस प्लांट की स्वीकृति का प्रबन्ध किया गया। यह प्लांट छात्रावास की ईंधन सम्बन्धी आवश्यता को पूर्ण करने के अतिरिक्त विश्व विद्यालय को अनुसंधान व विकास का भी एक अच्छा साधन बनेगा।

हि० प्र० कृषि विश्व विद्यालय में क्षेत्रीय बायो-गैस केन्द्र के विकास के लिये 12.00 लाख रु० की योजना बनाई गई हैं जो कि भारत सरकार के विचाराधीन है। यह केन्द्र अपने अन्तर्गत ऊंचे पहाड़ी स्थानों में बायो गैस उत्पादन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु लोगों को प्रशिक्षण देगा और विभिन्न क्षेत्रों में प्लांट की किस्म की स्थापना के बारे में सुझाव देगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग ने विभिन्न अनुसंधानों तथा सौर उष्मा द्वारा बायो-गैस की वृद्धि के लिये हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय को 50,000 रु० की अनुदान राशि दी है।

4. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना और ऊर्जा के नवीन स्त्रोतों का विकास--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जा के नवीन व पुराने व्यापारिक व अन्य स्त्रोतों का समन्वय कर लोगों को सस्ती व बढ़ती हुई आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाएगी। खण्ड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये खण्ड स्तरीय कार्यन्वित समितियों का संगठन किया गया है। इस कार्यक्रम द्वारा नवीन ऊर्जा स्त्रोतों का जैसे कि सौर ऊर्जा प्रणाली, विंड मिल्स, हाईड्रेम्स और अन्य साधन जिस से ईंधन की बचत हो सके जैसे कि धुआं रहित चूल्हे, प्रेशर कुक्कर, नूतन स्टोव इत्यादि का प्रदर्शन किया जायेगा। विभिन्न प्रकार के कम ईंधन खपत वाले साधन भी लोगों को अनुदान पर दिये गये हैं।

5. नवीन ऊर्जा स्त्रोतों के प्रयोग का विकास :— इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 7.00 लाख रुपये का प्रावधान है। इस के अतिरिक्त, भारत सरकार के आधुनिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग ने 9.60 लाख रुपये की राशि प्रदेश में आधुनिक ऊर्जा के स्त्रोतों के विकास के लिये प्रदान की है। सौर ऊर्जा के साधनों को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने प्रदेश भर में निम्न उपदान स्वीकृत किये हैं :—

(क) सौर कुक्कर	..	200 रुपये
(ख) घरेलू सौर पानी गर्म करने की प्रणाली	..	1000 रुपये

पानी को गर्म करने की सौर प्रणाली 7 संस्थाओं/चिकित्सालयों में चलाई जा रही है और 13 अन्य संस्थाओं/चिकित्सालयों में इसी प्रकार की प्रणाली स्थापित की जा रही है। सौर ऊर्जा प्रणाली परियोजनायें फसलों/फलों को सुखाने के लिये भी बनाई जा रही हैं। सेबों के गुद्दे को सुखाने के लिये एच.पी.एम.सी. द्वारा सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाने की योजना है।

6. सौर ऊर्जा द्वारा भवन गर्म रखने की प्रणाली :— स्पिति में घरों को सौर ऊर्जा द्वारा गर्म रखने की उचित प्रणाली को विकसित करने के लिये केन्द्रीय भवन अनुसंधान केन्द्र और भारतीय तकनीकी सस्थान नई दिल्ली से आग्रह किया गया है इसके लिये आवश्यक उपकरण एग्रोइन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा दिये जायेंगे।

7. वायु ऊर्जा कार्यक्रम :—प्रदेश में वायु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिये सरकार ने प्रदेश विद्युत बोर्ड में एक कक्ष स्थापित किया है। प्रदेश के 20 चुने हुये स्थानों पर वायु ऊर्जा सर्वेक्षण करने की एक परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है जिस के लिये वित्तीय व तकनीकी जानकारी के लिये भारत सरकार से आग्रह किया गया है। प्रदेश में पानी को ऊपर खींचने व प्रदर्शन के लिये 6 वायु-मिलों को स्थापित किया गया है। अन्य 2 वायु मिलें वन विभाग के पास निर्माणाधीन है।

भारत सरकार ने 1000 बी० डब्ल्यु० सी० (यूनाईटिड स्टेटस मेक) वायु बैटरी संचालित प्रणाली की दो इकाईयां प्रदेश सरकार की दी हैं। ये 1 के.वी., 12 वोल्ट डी. सी. बैटरी संचालित प्रणाली की हैं और हि० प्र० राज्य बिजली बोर्ड द्वारा स्थापित की जायेंगी।

वर्ष 1987-88 के लिये योजना :— वर्ष 1986-87 के दौरान कार्यान्वित स्कीमों के अतिरिक्त वर्ष 1987-88 में नये और नवीकरण योग्य ऊर्जा के साधनों को लोकप्रिय बनाने के लिये 10.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

7.17. अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास

जन जातीय विकास :—पांचवीं योजना की पूर्व संध्या पर जन-जातीय स्थिति के गहन विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि यह वर्ग प्रायः सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा ही चला आ रहा है। अतः वर्ष, 1974 75 से जन-जातीय क्षेत्रों के तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये सुनियोजित उप-योजना पद्धति अपनाई गई। उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या के विकास खण्डों का चिन्हांकित करना, राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं एवं संस्थानों से साधनों का आरक्षित करना और इस आरक्षित राशि का विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा सम्पूर्ण करना और उचित प्रशासनिक एवं वार्मिक नीतियों का अपनाना शामिल है।

उप-योजना पद्धति के फलस्वरूप प्रदेश में किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति जिलों को समस्त रूप में एवं चम्बा जिला की पांगी और भरमौर तहसीलों को जन-जातीय क्षेत्र घोषित किया गया।

छठी योजनावधि में संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति का सूत्रपात किया गया जिसके फलस्वरूप चम्बा तथा भटियात तहसीलों के कुछ क्षेत्र जन-जातीय उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत चिन्हांकित किये गये। छठी योजनावधि में जनजातीय क्षेत्र के सामान्य विकास के बजाय जन-जातीय परिवारों की प्रगति पर बल दिया गया। इस समय प्रदेश की 63 प्रतिशत अनुसूचित जन-जातीय जनसंख्या उप-योजना प्रणाली के अन्तर्गत लाई जा चुकी है। 7वीं योजना के लिये भी, अब तक अपनाए गये मापदण्ड ही मार्गदर्शन के आधार रखे गये हैं।

1985-86 सातवीं योजना का प्रथम वर्ष था। जन-जातीय उप-योजना के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य योजना का 8.62 प्रतिशत भाग रखा गया था। इसे बढ़ा कर 7वीं योजना में 9 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रारम्भ से ही यह आबंटन सामान्य से ऊपर रहा है। वर्ष 1986-87 में प्रदेश की 205 करोड़ रुपये की योजना में से जन-जातीय उप-योजना के लिये

18.60 करोड़ रुपये आरक्षित किये गये और 2.07 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई। जन–जातीय कोष्ठों के लिये 0.12 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई। आर्थिक विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी गई।

समन्वित जन–जातीय विकास परियोजना कार्यालय समस्त परियोजना क्षेत्र किन्नौर, लाहौल–स्पिति, पांगी तथा भरमौर में स्थापित किये गये हैं। हर परियोजना क्षेत्र के लिये परियोजना सलाहकार समिति भी गठित की गई है जिसका काम परियोजना का नियोजन, कार्यान्वियन एवं संचालन करना है। राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समन्वय एवं पुर्नावलोकन समिति एवं इसकी स्थायी उप–समिति तथा जनजातीय सलाहकार परिषद् भी उप–योजना के कार्यान्वियन का अवलोकन करती है। तीन परियोजना क्षेत्रों का निष्पक्ष मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय/ हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से करवाया गया है तथा किन्नौर व लाहौल का मूल्यांकन कृषि विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। वर्ष के दौरान लाहौल की मूल्यांकन प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त हुई।

वर्ष 1986–87 की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(1) 2 मैगावाट क्षमता का रोंगटोंग पनविद्युत परियोजना का 2 दिसम्बर 1986 को चालू करना, (2) पांगी क्षेत्र में रोली के स्थान पर 25 जुलाई, 1986 को बस का पहुंचाना, (3) चिनाब घाटी सड़क पर दोनों ओर से काम शुरु करवाना, तथा (4) भारत सरकार द्वारा रोहतांग दर्रा के नीचे सुरंग निकालने की परियोजना की स्वीकृति मिलना।

अनुसूचित जाति विकास :—1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 10.54 लाख है। अनुसूचित जाति जनसंख्या बिखरी हुई होने के कारण अनु–सूचित जाति के लिये व्यक्ति/परिवार/बस्ती आधारित स्कीमें/ कार्यक्रम अपनाये गये हैं ताकि इन जातियों की आय तथा उत्पाद–कता में वृद्धि हो सके। इन लोगों के लिये ऐसे उद्योग–धन्धे लगाये जायें जिन को वे आसानी से स्वीकार करें व काम करने के तरीकों को सरल बनाया जाये ताकि उन का बहुमुखी विकास हो सके। इन की शिक्षा का विकास किया जाये ताकि रोजी रोटी कमाने के लिये वे दूर स्थानों में भी जा सकें। साथ ही उनके रहन–सहन और वातावरण में भी सुधार लाया जाये।

छठी योजना में प्रथम बार विशेष घटक योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर पूंजी लगाने का लक्ष्य 9.53 प्रतिशत रखा गया था परन्तु राज्य योजना के तहत वास्तविक उपलब्धी 9.94 प्रतिशत रही। यह उपलब्धी भारत सरकार गृह मन्त्रालय (अब कल्याण) द्वारा दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण प्राप्त हो सकी। छठी योजनावधि में केन्द्र से अनुमोदित 5.55 करोड़ रुपये की अपेक्षा 6.34 करोड़ रुपये प्राप्त हुये। सातवीं योजनावधि के लिये विशेष घटक योजना के लिये योजना खर्च 11 प्रतिशत रखा गया है। विशेष केन्द्रीय सहायता की मात्रा सातवीं योजना के लिये 8.76 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई है। वर्ष 1986–87 के लिये विशेष घटक योजना के तहत 24.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था (राज्य योजना से 22.55 करोड़ रुपये और विशेष केन्द्रीय सहायता से 1.70 करोड़ रुपये) विशेष घटक योजना के लिये जिला स्तर (किन्नौर और लाहौल–स्पिति को छोड़कर) पर योजना को सामायिक संचालन हेतु जिला स्तरीय संचालन एवं पुर्नावलोकन समितियां गठित की गई हैं जिसका अध्यक्ष उपायुक्त है। राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समन्वय एवं पुर्नावलोकन समिति का गठन भी किया गया है जो विशेष घटक योजना एवं जन–जातीय उप योजना के कार्यान्वियन की समीक्षा करती है। इस समिति की एक स्थायी उप–समिति एक संसद सदस्य की अध्यक्षता में गठित है जो मौके पर जा कर योजनाओं का और कार्यक्रमों का निरीक्षण करते हैं और मुख्य समिति को अपने अनुभवों से अवगत कराती है। वर्ष के दौरान इस उप-समिति ने सिरमौर, सोलन, मण्डी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों–में काम की समीक्षा की। योजना का निष्पक्ष मूल्यांकन हिमाचल विश्वविद्यालय, शिमला एवं हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर द्वारा करवाया गया है। इन अध्ययनों से निष्कर्ष उप–लब्ध हैं और इन से मार्गदर्शन लेते हुये त्रुटियों को दूर किया जाएगा।

नए 20–सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 7 का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति का तीव्र विकास तथा उनको गरीबी की रेखा पार करने में सहायता प्रदान करना है। इस दिशा में भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं और वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

काल	परिवारों की लाभान्वित करने का लक्ष्य		प्राप्ति	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1985–90 (7वीं योजना)	1,09,833	11,815	..	..
1984–85 (आधार वर्ष)	33,780	3,720	34,606	5,218
1985–86	24,000	2,631	27,042	3,705
1986–87	24,000	2,650	22,961 (12/86 तक)	3,581 (12/86 तक)

8 विविध

8.1 आबकारी एवं कराधान

सरकार की आबकारी एवं कराधान नीति आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह सरकारी कोष में राजस्व का एकमुख्य स्रोत है। वर्ष 1986–87 में इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित रहीं :—

(i) बार और क्लब (एल–3, एल–4, एल–4ए व एल–5) लाईसेंसों की वर्ष 1986–87 में बीयर के अनुमान शुल्क की दरें पिछले वर्ष जैसी रहीं। वर्ष 1986–87 में एल–3, एल- 4 तथा एल–5 लाईसेंसों की निर्धारित दरें निम्न प्रकार से हैं :—

(क) 10,000 तक की जनसंख्या के स्थानों में	15,600 रु० प्रति वर्ष
(ख) 10,000 से अधिक तथा 15,000 तक की जनसंख्या के स्थानों में	19,500 रु० प्रति वर्ष
(ग) 15,000 से अधिक जनसंख्या के स्थानों में	29,250 रु० प्रति वर्ष

बार व क्लब एल–3, एल–4, एल–4 ए तथा एल–5 लाइसेंस सरकार द्वारा प्रमाणित अपने अपने क्षेत्र के एल–2 लाईसेंस होल्डरर्स से स्थानीय सप्लाई लेंगे जिस पर अनुमान शल्क देय नहीं होगा।

(ii) भारत में बनी शराब व बीयर पर बिक्री कर गत वर्ष की भान्ति इनके उत्पादन स्थान पर ही प्राप्त किया गया ;

(iii) इस वर्ष देशी शराब की 50 व 60 डिग्री प्रूफ रखने की आज्ञा दी गई ;

(iv) कुछ क्षेत्रों में कर की खपत तथा विशेष अवसरों पर उपयोग के लिये देसी शराब के लाइसेंस को रियायती दरों पर देना जारी रहा ;

(v) वर्ष 1986–87 में भारत में बनी शराब, विदेशी शराब व बीयर पर निम्न आबकारी शुल्क रखे गये :—

1. देसी शराब

(क) 50 डिग्री प्रूफ मात्रा तक	10 रुपये प्रति प्रूफ लिटर
(ख) 60 डिग्री प्रूफ मात्रा तक	12 रुपये प्रति प्रूफ लिटर

2. भारत में बनी विदेशी शराब

75 डिग्री प्रूफ मात्रा तक	22 रुपये प्रति प्रूफ लिटर

3. बीयर 5 प्रतिशत तक अलकोहल मात्रा	1 रुपये प्रति 650 मि. लि. वोतल
4. सीडार	75 पैसे प्रति 650 मि.लि. वोतल

5. (क) स्वीट व वाईन

(i) 20 प्रतिशत तक शराब मात्रा	3 रुपये प्रति बल्क लिटर
(ii) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत से कम प्रूफ स्पिरिट	4 रुपये प्रति बल्क लिटर

(ख) भारत में बनी रम जो सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व आई.टी. बी.पी. को सी.एस.डी. या अन्य स्रोतों द्वारा जो सरकार द्वारा मान्य हो :

(i) गैर-अग्रिम क्षेत्रों में	16 रुपये प्रति प्रूफ लिटर
(ii) अग्रिम क्षेत्रों में	9 रुपये प्रति प्रूफ लिटर

(ग) रैक्टीफाईड स्पिरिट (जो दवाईयां बनाने के आलावा प्रयोग हो)	10 रुपये प्रति प्रूफ लिटर

6. एल–1 फार्म में (विदेशी शराब के थोक व्यापार) लाईसेंस देने का निर्धारित शुल्क 35,000 रुपये रहा।

7. वर्ष 1986–87 में भारत में बनी विदेशी शराब व बीयर पर निर्धारित शुल्क निम्न दरों से लगाया गया :—

(क) भारत में बनी विदेशी शराब	2 रुपये प्रति बल्क लिटर

(ख) **बीयर :**

(i) 5 प्रतिशत अलकोहल की मात्रा तक	30 पैसे प्रति बल्क लिटर	
(ii) 5 प्रतिशत से अधिक तथा 8 प्रतिशत तक अलकोहल मात्रा	50 पैसे प्रति बल्क लिटर	
(ग) रेक्टीफाइड स्पिरिट	3 पैसे प्रति प्रूफ लिटर	
(घ) देसी शराब	3 पैसे प्रति प्रूफ लिटर	

8. पिछले वर्ष की भान्ति शुष्क दिनों की संख्या 16 रही।

9. वर्ष 1986–87 में निम्नलिखित दुकानें निलाम की गईं :—

(i) देसी शराब की परचून दुकानें	..	422
(ii) विदेशी शराब की परचून दुकानें	..	224
(iii) देसी तरीके से बनाई गई देसी शराब की दुकानें	..	12
(iv) बीयर बार (एल–10)	..	19
योग		677

10. वर्ष 1986–87 में 20 लाख प्रूफ लिटर देसी शराब का कोटा नीलाम किया गया ।

11. जन-जातीय क्षेत्रों में फलों से बनाई जाने वाली देसी शराब रखने की सीमा पिछले वर्ष की तरह ही रखी गई है।

वर्ष 1986–87 में कराधान नीति के अन्तर्गत विभाग में निम्नलिखित उपलब्धियां की गई हैं :–

1. **हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम,** 1968:—इस अधिनियम के अधीन वर्ष 1985–86 में सामान्य बिक्री कर के रूप में 2,632.76 लाख रुपये कर के रूप में आय हुई है। सामान्य बिक्री कर के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 में 3,166.00 लाख रुपये आय होने की सम्भावना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित इलैक्ट्रोनिक्स औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्मित सामान पर जिस दिन से तैयार किया जायेगा, उस दिन से 10 वर्ष तक सामान्य बिक्री एक्ट, 1968 की छूट रहेगी। अरूढ़ ऊर्जा उपकरणों को भी बिक्री कर की महसूल से मुक्त रखा गया है।

2. **केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम :**—राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 222.87 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 1986–87 में 184.00 लाख रुपये आय होने की सम्भावना है।

3. **हिमाचल प्रदेश मोटर स्पिरिट बिक्री कर कराधान अधिनियम,** 1968 :—इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में 175.12 लाख रुपये की आय की तुलना में वर्ष 1986–87 में 155.00 लाख रुपये की आय होने की सम्भावना है।

4. **हि. प्र. यात्री एवं सामान कराधान अधिनियम,** 1955:–इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में 858.87 लाख रुपये की आय की तुलना में वर्ष 1986–87 में 1,051.90 लाख रुपये आय होने की सम्भावना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 15 नवम्बर, 1986 से किराये तथा भाड़े की वृद्धि दर किराये के 1/6 भाग का 35 प्रतिशत बढ़ाई गई हैं। 5 दिसम्बर, 1986 से मिनी बसों का यात्री कर 10,000 रुपये से बढ़ा कर 21,000 रुपये कर दिया है तथा यात्री कर पर सरचार्ज 5 दिसम्बर, 1986 से 2,000 रुपये से बढ़ा कर 4,200 रुपये कर दिया गया है।

5. **हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम,** 1968:—यह अधिनियम सारे प्रदेश में लागू है तथा कर की दर प्रवेश फीस की 100 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त सरकार ने वीडियो पर एक मुश्त देय कर जनसंख्या के आधार पर देय निश्चित की है। इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में 69.65 लाख रुपये आय की तुलना में वर्ष 1986–87 में 75.00 लाख रुपये की आय होने की सम्भावना है।

6. **हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर (चलचित्र प्रदर्शन) अधिनियम,** 1868 :—यह अधिनियम सारे प्रदेश में लागू है तथा प्रदेश के सभी चलचित्र गृहों का वर्गीकरण शहरों की जनसंख्या और आकार के आधार पर ए, बी, सी, तथा डी, वर्गों में किया जाता है।

7. **हिमाचल प्रदेश कराधान (मार्ग पर ढोए गए विशेष सामान पर) अधिनियम,** 1976 :—इस के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 के 265.89 लाख रु० की आय की तुलना में वर्ष 1986–87 में 370.00 लाख रुपये की आय होने की सम्भावना है।

8. **हिमाचल प्रदेश कर (होटल तथा आवास स्थानों पर) :**—इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 के 17.93 लाख रुपये की आय की तुलना में वर्ष 1986–87 में 19.00 लाख रुपये की आय होने की सम्भावना है।

8.2 खाद्य एवं आपूर्ति

खाद्यान्नों के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण के माध्यम से नियन्त्रित वस्तुएं जैसे चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, खाद्य तेल, दालें, नमक, चाय, अभ्यास पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, सीमेंट, कोयला, मिट्टी तेल आदि

भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 1986–87 के दौरान हुई उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है :—

1. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना :—** एक सुदृढ़ एवं कारगर सार्वजनिक व्यवस्था को करने के लिये प्रदेश में "हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम" कार्यरत है। निगम थोक स्रोतों से आवश्यक वस्तुओं को खरीदकर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित थोक विक्रय केन्द्रों पर गेहूं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवा रहा है। दिसम्बर, 1986 के अन्त में प्रदेश भर में 2,894 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत थीं, जिन में से 2,365 सहकारी, 418 व्यक्तिगत, 41 पंचायत चालित तथा 70 खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा चलाई जा रही थीं।

2. **भण्डारण तथा परीक्षण :—** गेहूं का वितरण खाद्य आपूर्ति निगम के भण्डारों से किया जाता है। गेहूं के भण्डार एवं परिरक्षण हेतु प्रदेश में 38 भण्डार निर्मित किये जा चुके हैं जिन की भण्डारण क्षमता 12,250 टन है। इसके अतिरिक्त 22 गोदाम, 4,500 टन क्षमता के निर्माणाधीन है। विभाग ने 4,700 टन की क्षमता के गोदाम भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम को किराये पर दिये हैं।

3. **खाद्यान्नों पर पिछड़े व दूर दराज क्षेत्रों में सहाय अनुदान :—** वर्ष 1986-87 में, सरकार ने गेहूं जन-जाती क्षेत्रों में 150 रु० प्रति क्विंटल की दर से तथा जन-जातीय व दूर-दराज क्षत्रों में 190 रु० प्रति क्विंटल की दर से वितरित किया है। इस के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों में गेहूं घटी हुई कीमत पर 205 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार, गेहूं का आटा भी जन-जातीय व दूर दराज क्षेत्रों में क्रमशः 220 रुपये प्रति क्विंटल व 230 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

जन-जातीय क्षेत्रों जैसे किन्नौर, लाहौल–स्पिति, पांगी व भरमौर में चावल एक किलो प्रति व्यक्ति की मात्रा से निम्न दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार सहाय अनुदान के रूप में दस रुपये प्रति क्विंटल से अधिक परिवहन व्यय शिमला जिला के डोडरा–कवार व पन्द्राबीस क्षेत्र, कुल्लू जिला के सरगाह व कुशवा क्षेत्र, सोलन जिला की बेरल व मांगल पंचायतें और कांगड़ा जिला का बड़ा भगांल क्षेत्र में स्वयं ही दे रही है। अन्य क्षेत्रों में चावल लदान लागत पर दिया जा रहा है।

4. **लैवी चीनी पर सहाय अनुदान :—** भारत सरकार सामान्यतः प्रति मास 1,918 टन लैवी चीनी आबंटित करती है परन्तु महत्वपूर्ण उत्सवों इत्यादि पर राज्य के कोटा में वृद्धि कर दी जाती है। लैवी चीनी जनवरी से मई, 1986 तक प्रति मास 425 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से और जून से सितम्बर, 1986 तथा दिसम्बर, 1986 में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति मास की दर से अक्तूबर–नवम्बर में 450 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास की दर से उपलब्ध कराई गई। लैवी चीनी का विक्रय मूल्य 14–12–86 तक 4.80 रुपये प्रति किलो रहा, परन्तु भारत सरकार द्वारा बाद में यह 4.85 रुपये प्रति किलो कर दिया गया। विक्रय मूल्य एवं सरकार को पड़ने वाले मूल्य का अन्तर भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनुदान के रूप में वहन किया जाता है।

5. **रेपसीड तथा पाम तेल :—** रेपसीड तथा पाम तेल उपभोक्ताओं को 25 मई 1986 तक 13.65 रुपये प्रति किलो की दर से और उस के पश्चात् 13.80 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1986 के दौरान भारत सरकार ने 9,200 टन रेपसीड तथा पाम तेल का आबंटन किया।

6. **नियंत्रित कपड़ा :—** वर्ष 1986–87 में भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश को 350 गांठें भूरे लांग–क्लाथ की तथा 28 गांठें पोलियस्टर की आबंटित की गईं। 1986 वर्ष के पहले 9 मास में 9,64,535 मीटर नियन्त्रित कपड़ा जनता में वितरित किया गया।

7. **आयोडीनयुक्त नमक :—** प्रदेश के लिये आयोडीन युक्त नमक का वार्षिक कोटा जुलाई, 1986 से भारत सरकार द्वारा 26,400 टन से बढ़ा कर 29,200 टन कर दिया गया है। दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में नमक की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने वर्ष भर के लिये 2 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है।

8. **सीमेंट :—** वर्ष 1986 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये आवंटित 88,800 टन सीमेन्ट में से 41,630 टन सीमेन्ट आर.सी./ओ.आर.सी. (विभागों एवं स्वायत निकायों) को तथा 47,170 टन सार्वजनिक विक्रय के लिये आवंटित किया गया।

9. **कोयला/कोक कोयला :—** प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कोयला एक अनियन्त्रित वस्तु है। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने प्रदेश के लिये 8 रेक सोफ्ट कोक, 8 रेक स्टीम कोल तथा 12 रेक स्लेक कोल आवंटित किया। इस के विपरीत दिसम्बर, 1986 तक 308 वैगन सौफ्ट कोक तथा 299 वैगन स्टीम कोल की प्राप्ति हो चुकी है।

10. **छात्रों को विशेष सुविधायें :—** बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत जनता को दिये जाने वाले मूल्य से 35 रुपये प्रति क्विंटल कम दर पर खाद्यान्न जैसे गेहूं का आटा तथा चावल दिये जा रहे हैं। इस के अतिरिक्त छात्रावासों में रह रहे छात्रों को लैवी चीनी भी दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम पुस्तकें तथा लेखन सामग्री भी छात्रों को सस्ते मूल्य पर दे रही है।

आवश्यक वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण में जमाखोरी व काला बाजारी रोकने के लिये सरकार निम्न कानूनों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों का कठोरता से प्रवर्तन किया जाता है।

1. हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तु आदेश—1981 (अनुज्ञाप्ति एवं नियन्त्रण)।

2. हिमाचल प्रदेश जमाखोरी, एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश–1977।

(3) हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्य अंकण एवं प्रदर्शन आदेश –1977।

(4) हिमाचल प्रदेश निर्दिष्ट आवश्यक वस्तु (नियमन एवं वितरण) आदेश–1979।

(5) हिमाचल प्रदेश माप–तोल अधिनियम–1979।

(6) स्टेन्डरज आफ वेट्स एण्ड मैयरज (पैकेजड कोमोडटि) अधिनियम–1977।

वर्ष 1986 के दौरान 30,979 छापे मारे गये तथा 8 मामलों को रजिस्टर किया गया और 5 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। इस के अतिरिक्त वेट्स व मेयरज कक्ष द्वारा 5,032 छापे मारे गये, जिस के परिणाम स्वरूप 676 व्यक्तियों को सजा दी गई और 47,790 रुपये का जुर्माना एकत्रित किया गया।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :—वर्ष 1987–88 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है:–

1. मूल्य स्थायीकरण योजना ;
2. प्राप्ति तथा आपूर्ति (गोदाम) ;
3. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में निवेश ;
4. परिवहन पर अनुदान।

8.3 लोक सम्पर्क

लोक सम्पर्क विभाग के प्रमुख कार्यों में से एक ओर जहां लोगों को सूचना प्रदान करने तथा शिक्षित करने का कार्य है वहीं दूसरी ओर सरकार को इसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों पर जनता की प्रतिक्रिया से अवगत कराना है। वर्ष 1986–87 में नवम्बर, 1986 तक विभाग की 32 सिनेमा इकाइयों ने प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,957 सिनेमा प्रदर्शन दिये। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण मेलों, उत्सवों, आयोजनों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रदेश के आगमन पर 723 जनसम्बोधन सेवाएं तथा 60 टेप रिकार्डिंगज सेवाएं प्रदान की गई। माह दिसम्बर, 1986 से मार्च, 1987 तक 600 सिनेमा प्रदर्शन करने, 200 जन-सम्बोधन सेवाएं प्रदान करने तथा 60 टेप रिकार्डिंगज करने की सम्भावना है।

विभाग की 4 नाट्य इकाइयों ने 239 कार्यक्रम दिये। नवम्बर, 1986 तक इन इकाईयों ने 215 प्रकाश व ध्वनि सेवाएं इसके अतिरिक्त प्रदान कीं। वर्ष 1986–87 की शेष अवधि में 110 नाट्य कार्यक्रम आयोजित करने की सम्भावना है। नवम्बर, 1986 तक 4 संगीत दलों ने प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में 496 प्रदर्शन दिये तथा वर्ष 1986–87 के अन्त तक 275 और प्रदर्शन दिये जाने की सम्भावना है। चम्बा के मिन्जर, कुल्लू के दशहरे तथा रामपुर के लवी मेलों के अवसर पर 3 प्रदर्शनियां लगाई गईं। विभाग द्वारा 8 फोल्डर/पोस्टर/पैम्फलेट तथा विशेष प्रचार साहित्य प्रकाशित किये गये।

"हिमप्रस्थ" का मासिक प्रकाशन नियमित रूप से होता रहा जिसका परिचालन 1,160 प्रतियां प्रति मास है। समाचार साप्ताहिक "गिरिराज" का प्रकाशन जिसमें प्रदेश की महत्वपूर्ण विकास गतिविधियों तथा अन्य विषय के समाचार होते हैं, नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा तथा इसका साप्ताहिक परिचालन 13,600 प्रतियां हैं। इसके अतिरिक्त यह विभाग राज्य द्वारा प्राप्त विकास उपलब्धियों के उचित प्रचार हेतु सभी विभागों के विज्ञापन प्रसारित करता रहा। माह नवम्बर, 1986 तक 1,411 अंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रैस नोट्स प्रत्येक में निकाले गये। इसके साथ–साथ माह नवम्बर, 1986 तक 250 गैर–सरकारी ज्ञाप्तियों, 550 सन्देशों तथा 70 विविध अनुच्छेदों को निकाला। प्रैस कान्फ्रेंस तथा प्रैस ब्रीफिंग के अतिरिक्त जालन्धर के भाषाई प्रैस व दूरदर्शन के अधिकारियों तथा चंडीगढ़ स्थित समाचार पत्रों के साथ निकट सम्पर्क रखा। दिल्ली तथा चंडीगढ़ स्थित प्रैस सम्पर्क कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर छपवाने में सुनिश्चित किया गया। वर्ष 1986–87 में 149 टेलीविजन सैट तथा 3 डाइरेक्ट रिसेप्शन सैट लगवाने के अतिरिक्त 110 टेलीविजन सैट तथा 2 डाइरेक्ट रिसैप्शन सैट खरीदें गये।

वर्ष 1987–88 के लिये योजना :—विभाग द्वारा और समाचार रीलें तथा विकासात्मक फिल्में तैयार करने का प्रस्ताव है। प्रदेश में कार्यरत वीडियो पारलूरस में विकसित कार्यक्रमों पर वीडियो कैसेटस तैयार करने का प्रस्ताव है। इसके साथ–साथ महत्वपूर्ण समारोहों तथा उत्सवों का क्षेत्र विस्तार सुनिश्चित बनाने के लिये निदेशालय में एक इलैक्ट्रोनिक समाचार एकत्रित करने की इकाई स्थापित करना विचाराधीन है। वर्ष 1987–88 में 150 टेलीविजन सेट तथा 10 डाईरेक्ट रिसेपशन सैट खरीदने का भी प्रस्ताव है।

8.4 नगरीय स्थानीय निकाय

इस समय प्रदेश में नगर निगम, शिमला सहित 48 शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत हैं। ये शहरी स्थानीय निकाय लोगों को नागरिक सुख और आवश्यक शहरी सुविधायें उपलब्ध कर रही हैं। ये शहरी स्थानीय निकाय सार्वजनिक लाभ के अनेक कार्य जैसे सड़कों और गलियों का निर्माण/मुरम्मत, प्रकाश का प्रबन्ध, दुकानों/स्टालों का निर्माण, वर्षाशरणालय, सब्जी/मांस मण्डी, मूत्रालय, शौचालय, शमशान घाट, टाउन हाल, विश्राम गृह/सराय का निर्माण, जंज घर, आमोद-प्रमोद के केन्द्र, वृक्षारोपण, स्वच्छता और नगरों का प्रबन्ध करना, इत्यादि कर रहे हैं। इन शहरी स्थानीय निकायों के आय के सीमित साधन होने के कारण सरकार हर वर्ष उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिये अनुदान देती है। वर्ष 1986-87 के दौरान, स्थानीय निकायों को 145.52 लाख रुपये (40 लाख रुपये योजना के अन्तर्गत तथा 105.52 लाख रुपये गैर-योजना के अन्तर्गत) के अनुदान दिये जाने का बजट में प्रावधान है, जोकि शहरी क्षेत्र के रख-रखाव और स्वच्छ बनाने के लिये अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाती है।

अप्रैल, 1982 में चुंगी कर समाप्त कर देने के कारण शहरी स्थानीय निकायों की आय समाप्त हो जाने से सरकार अनुदान सहायता प्रदान कर रही है, जिस से इन शहरी निकायों का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिये वर्ष 1986-87 के बजट में स्थानीय निकायों को 198.34 लाख रुपये गैर-योजना के अन्तर्गत अनुदान के रूप में दिये गये हैं। इन निकायों की कार्य कुशलता को सुधारने तथा अच्छी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से स्थानीय निकाय निदेशालय खोला गया है।

वर्ष 1986-87 में केन्द्र द्वारा आयोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय भाग से 40 लाख रुपये के अनुदान से शिमला, नाहन, चम्बा, मण्डी और सुन्दरनगर में शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव (हैण्ड फलश) में परिवर्तित करने हेतु प्रावधान है। इस में 50 प्रतिशत भाग अर्थात् 40 लाख रुपये राज्य सरकार लाभ-भोगियों को सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा के ऋण देती है जोकि उन से किश्तों में वसूल किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति जिलों में भी शहरी स्थानीय निकायों को स्थापित करने हेतु मामला केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

वर्ष 1987-88 के लिये योजना :— वर्ष 1987-88 में राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को शहरी सुविधायें देने हेतु धनराशि देती रहेगी। स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने की दृष्टि से दुकानें/व्यापारिक संस्थान भी बनाये जायेंगे। शिमला, नाहन, चम्बा व अन्य नगरों में शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव, (हैण्ड फलश) में परिवर्तित करने की योजना है। वर्ष 1987-88 के दौरान शहरी क्षेत्रों में पौध रोपण के कार्य को भी शुरु किया जायेगा।

8.5 विवरणिका

किसी भी जिले की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं विकास सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये जिला विवरणिका एक प्रामाणिक व विस्तृत अभिलेख है। इसके लेखन का कार्य बहुद्देशीय होता है जिसमें पुरातन एवं नवीन विकास अन्वेषणों का सामंजस्य पक्षपात रहित किया जाता है। ये विवरणिकाएं प्रदेश के अनूठे व पुरातन साहित्य तथा संस्कृति को लिखित रूप में सुरक्षित रखती है और विद्यार्थियों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, अनुसंधान-कर्त्ताओं व पर्यटकों को विश्वस्त व प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करवाती है। जिला विवरणिकाएं भारत सरकार द्वारा विकसित पद्धति के अनुसार 19 अध्यायों में तैयार की जाती है।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत विवरणिका इकाई ने प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिलों चम्बा, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पिति, बिलासपुर व शिमला की विवरणिकाएं तैयार कर ली हैं।

वर्ष 1987-88 के लिये योजना :— वर्ष 1987-88 में जिला कुल्लू की विवरणिका की तैयार कर मुद्रित करवाया जाएगा।

8.6 सांख्यिकी

योजनाबद्ध विकास के इस युग में विस्तृत तथा विश्वसनीय आंकड़ों का विशेष महत्व है। सांख्यिकी पद्धति जो विश्लेषण और नीति निर्धारण के लिये प्रयोग सिद्ध आंकड़े प्रस्तुत करती है, को आवश्यकता अब बहुमुखी आकार प्राप्त कर चुकी है। आंकड़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अर्थ एवं संख्या विभाग अपने जिला संख्या कार्यालयों की सहायता से (i) सभी आर्थिक वर्गों के आंकड़ों का संग्रहण, संकलन संवीक्षा और प्रकाशन, (ii) अनेक प्रकार के मूल्यांकन अध्ययन और अन्य सर्वेक्षण जिनमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम भी सम्मिलित है, (iii) विभिन्न प्रगति प्रतिवेदनाएं तैयार करना, (iv) एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सामायिक विवरणिकाओं को संकलित करना, (v) भाव एकत्र करना (vi) हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की वार्षिक गणना इत्यादि करना है। इसके अतिरिक्त राज्य आय और प्रतिव्यक्ति आय का अनुमान लगाने के साथ-साथ सरकार को नीति निर्धारण के लिये आंकड़े देने तथा विभिन्न आयोगों तथा समितियों के आंकड़े इत्यादि देने के कार्यों में लगा रहा।

वर्ष 1986-87 में दिसम्बर, 1986 तक निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये :—

1. सांख्यिकीय पुस्तिका-हिमाचल प्रदेश-1985 ;
2. हिमाचल प्रदेश के बारे में संक्षिप्त तथ्य-1985 ;
3. हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा-1986 ;
4. संक्षिप्त बजट-1986-87 ;
5. लाहौल-स्पिति के महत्वपूर्ण आंकड़े-1985 ;
6. हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की गणना—31 मार्च, 1983 ;
7. खण्ड स्तरीय संकेतांक-1983-84 चम्बा जिला ;
8. जिला सांख्यिकीय सारांश—1983 सिरमौर व किन्नौर ;
9. 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सातवें सूत्र के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जन जातीय परिवारों की इवैल्यूएशन स्टडी—कुल्लू जिला ;
10. स्थानीय निकायों का आर्थिक वर्गीकरण आय तथा खर्च—1983-84 ;
11. ए सैम्पल सर्वे आन स्प्रेड आफ यूनिवर्सल एंड एलीमैंट्री एजुकेशन फार दि ऐज ग्रुप 6-14 वर्ष विद स्पैशल एम्फैसिज आन गर्लज-रिमुवल आफ अडल्ट इलीट्रेसी इन लाहौल-स्पिति डिस्ट्रीकट ;
12. त्रैमासिक भाव पत्रिका मार्च, 1985 ;
13. ए ब्रोशर आफ एकनोमिक सीन-आल इण्डिया और हिमाचल प्रदेश मार्च, 1986 ;
14. ए सोशियो एकनोमिक सर्वे आफ भरमौर।

वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशन के लिये मुद्रणालय में हैं या प्रकाशित होने की सम्भावना है :—

1. हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा-1987 ;
2. बजट संक्षिप्त में—1987-88 ;
3. हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की गणना-31 मार्च, 1984 ;
4. त्रैमासिक भाव पत्रिकाएं-जून, 1985, सितम्बर, 1985, दिसम्बर, 1985, मार्च, 1986, जून 1986
5. ए सैम्पल सर्वे आन प्रोवलम्स आफ वर्किंग बौमैन इन शिमला टाऊन ;
6. सांख्यिकीय सारांश-कुल्लू जिला—1985 ;
7. जिला स्तर के आर्थिक सूचकांक 1985 ;
8. ए सोशियो एकनोमिक प्रोफाइल आफ गदीज इन कांगड़ा ;
9. ए ट्रेड यूटिलीटि सर्वे आफ आर. आई. टी. आई./आई. टी. आई. ट्रेडस इन हमीरपुर डिस्ट्रीक्ट ;
10. ए सर्वे आफ वायो गैस-प्लांटस इन सोलन डिस्ट्रीक्ट ;
11. ए कोस्ट बेनिफिट स्टडी आफ ऐन इरीगेशन स्कीम इन ऊना डिस्ट्रीकट ;
12. ऐपल मार्किटिंग सर्वे इन शिमला डिस्ट्रीकट ;
13. सांख्यिकीय सारांश-हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्र ;
14. हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों की पहचान सम्बन्धी एक रिपोर्ट ;
15. स्थानीय निकायों के बजट का आर्थिक वर्गीकरण 1984-85 ;
16. हिमाचल प्रदेश के बजट का आर्थिक वर्गीकरण ; 1983-84 (वास्तविक) तथा 1984-85 (वास्तविक) ;

राज्य आय के वर्ष 1984-85 के अनुमानित अनुमान तथा वर्ष 1985-86 के लिय तुरन्त अनुमान बनाये जा रहे हैं तथा इन्हें शीघ्र ही घोषित करने की सम्भावना है। इन अनुमानों से राज्य आय, वार्षिक वृद्धि दर तथा प्रचलित एवं स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय पर आंकड़े उपलब्ध होतेहैं।

यह निदेशालय हिमाचल प्रदेश के बजट, नगरीय स्थानीय निकायों के बजट तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखों को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्गों में वर्गीकृत करके पूंजी निर्माण, उपयोग व्यय एवं इनके द्वारा राज्य में अंशदान को निकालता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत 41वें दौर का सर्वे जो सभी छोटी व्यापारिक संस्थाओं तथा प्रोन काऊंट व्यापारिक उद्यमियों की अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित है का क्षेत्रीय कार्य किया गया। 42वां दौर जो कि सामाजिक उपभोग जैसे शिक्षा, मैडिकल तथा स्वास्थ्य देख भाल और परिवार कल्याण और 60 वर्ष व इससे अधिक वर्ष के वृद्धव्यक्तियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण तथा भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित है, का कार्य प्रारम्भ किया गया। 35वें दौर के परिणामों के आधार पर बच्चों (0-4 वर्ष) तथा अन्य व्यक्तियों के लिये एक सर्वे रिपोर्ट अलग से तैयार करने के उपरान्त एन.एस.एस.ओ., भारत सरकार को अनुमोदन के लिये भेजी गई।

भावों को संकलित करने तथा प्रसार का कार्य जारी रहा तथा मार्च, 1986 और जून, 1986 तिमाहियों की त्रैमासिक भाव पत्रिकाएं बनाई गई तथा मुद्रणालय को मुद्रण के लिये भेजी गई। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की गणना 31 मार्च, 1986 की सूचना संकलित की जा रही है तथा 31 मार्च, 1986 की रिपोर्ट

पूर्ण होने का कार्य अन्तिम चरण पर है। 20वीं इनसर्विस बेसिक स्टेटिसटिकल ट्रेनिंग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया गया। जनजाति अनुसंधान संस्थान योजना के अन्तर्गत पुराने छात्रों को जनजातीय क्षेत्रों में शोध करने हेतु छात्रवृत्तियां दी गईं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय तथा अन्य स्वतन्त्र एजैंसियों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन लगभग पूर्ण हो चुके हैं :—

1 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं–लाहौल तथा किन्नौर का मूल्यांकन ;

2 ए स्ट्डी आन दी एग्रोनोमिक कन्स्ट्रेंटस आफ कैश क्रोप प्रोडक्शन (फलों के अतिरिक्त) इन लाहौल वैली ;

3 ए स्ट्डी आन दी वुड कार्विंग इन भरमौर ;

4 ए स्ट्डी आन सुपीरियर स्ट्रेन्स आफ प्रोडक्शन प्रौबलम्ज आफ ड्राई फ्रूटस तथा नटस इन किन्नौर।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सर्वे रिपोंटस साइकलो स्टाईल/प्रीटिंग स्तर पर है :—

1 ए स्टडी आन सोशियो इकोनोमिक सर्वे आफ किन्नौर ;

2 किन्नौर जिले की जनजातीय आबादी में ऋण ग्रस्तता।

1987–88 के लिये योजना :—योजना निर्माताओं तथा प्रशासकों के लिये अच्छे स्तर के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय को खोलना तथा सांख्यिकीय संगठन के धीरे–धीरे खण्ड स्तर तक विस्तार का प्रस्ताव है।

8.7 हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा यह संस्थान 1974 में स्थापित राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों प्रकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। उस समय से संस्थान ने पाठ्यक्रमों की संख्या व स्तर तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों में अत्याधिक सुधार हुआ है। वर्ष 1986–87 के अन्तर्गत, नवम्बर, 1986 के अन्त तक संस्थान ने ऐसे 45 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 1,107 राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों ने भाग लिया। वर्ष के बकाया भाग में ऐसे 21 और पाठ्यक्रम आयोजित किये जाने हैं जिसमें लगभग 565 कर्मचारियों के भाग लेने की सम्भावना है। वर्ष 1987–88 के लिये 50 पाठ्यक्रम को आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें लगभग 2,000 कर्मचारियों के भाग लेने की सम्भावना है।

वर्ष 1986–87 में नवम्बर 1986 तक 24 पाठ्यक्रम जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में भी आयोजित किये गये जिसमें, 1,011 अराजपत्रित कर्मचारियों ने भाग लिया। वर्ष के बकाया भाग में ऐसे 50 और पाठ्यक्रमों के किये जाने की सम्भावना है जिसमें लगभग 1,000 अराजपत्रित कर्मचारियों के भाग लेने की सम्भावना है।

यह संस्थान अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिये इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के साथ–साथ अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रत्याशियों को निम्नलिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बैठने से पूर्व तैयारी में भी सहायता करता है :—

1. केन्द्रीय सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा
2. केन्द्रीय सिविल–सेवा (मुख्य) परीक्षा
3. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक एवं सेवाएं परीक्षा
4. बैंक परिवीक्षा–अधिकारी परीक्षा
5. सहायक स्तरीय परीक्षा
6. रेलवे और राष्ट्रीय–कृत बैंक सेवाएं (लिपिक कैडर) परीक्षा
7. प्री०–मैडिकल टेस्ट।

वर्ष 1986–87 में माह नवम्बर 86 के अन्त तक ऐसे 5 पाठ्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 108 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2 ऐसे और पाठ्यक्रम आयोजित किये जाने हैं जिसमें लगभग 50 उम्मीदवार भाग लेंगे। वर्ष 1987–88 के लिये 7 पाठ्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें लगभग 280 उम्मीदवार भाग लेंगे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1972 से विभागीय परीक्षा प्रणाली को लागू किया है। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियमों (1976) जिनमें समय–समय पर संशोधन किये गये हैं के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवाएं/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/भारतीय वन सेवाएं/हिमाचल प्रदेश वन सेवायें तथा सभी अन्य राजपत्रित सरकारी अधिकारियों को अपनी राजपत्रित सेवा अवधि में एक बार विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होती है। इसके अतिरिक्त इसी संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान निरीक्षक एवं हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की पर्यवेक्षी लेखा–सेवा (भाग एक और दो परीक्षा) भी आयोजित की जाती है। वर्ष 1986–87 में बोर्ड ने माह अप्रैल तथा सितम्बर में परीक्षाओं का आयोजन किया जिसमें 50 भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, 315 तहसीलदार/नायब तहसीलदार, 265 भारतीय वन सेवा/हिमाचल प्रदेश वन सेवा

तथा सभी अन्य राजपत्रित अधिकारी, 35 आबकारी तथा कराधान निरीक्षकों ने भाग लिया। माह जून 86 में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के 225 कर्मियों ने भाग लिया।

8.8 सार्वजनिक उपक्रम तथा बैंक

राज्य संस्थागत वित एवं लोक उद्यम विभाग विभिन्न वित्तीय संस्थाओं व सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के साथ सरकार की केन्द्रीय (नोडल) एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। यह विभाग सार्वजनिक क्षेत्रीय उप-क्रमों के कार्यों का समय-समय पर अनुश्रवण भी करता है। इन उपक्रमों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करने से उपक्रमों के कार्यों में काफी सुधार हुआ है। इस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भान्ति "हिमाचल प्रदेश राज्य सार्वजनिक उपक्रम 1987-88" नामक पुस्तिका इस वर्ष भी निकाली जा रही है जिसमें इन उपक्रमोंके कार्य कलापों तथा अन्य मुख्य विवरणों को संक्षेप में दिया जायेगा।

राज्य में 'हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड' तथा 'शिमला विकास प्राधिकरण' को मिला कर सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 21 उपक्रम हैं। इनमें "हिमाचल वूल प्रौसैसरज" पीछे बन्द हो गया है। इन उपक्रमों में हिमाचल सरकार द्वारा निवेशित पूंजी शेयर कैपिटल व ऋणों के रूप में है।

राज्य में बैंक अपना विस्तार उत्तरोत्तर करते जा रहे हैं। वाणिज्य बैंकों के अतिरिक्त "हिमाचल ग्रामीण बैंक मण्डी की शाखाएं मण्डी, कांगड़ा तथा कुल्लू में भी कार्य कर रही हैं। पर्वतीय ग्रामीण बैंक चम्बा का कार्यक्षेत्र केवल चम्बा जिले तक ही सीमित है। राज्य में 30 जून, 1986 तक 462 वाणिज्य बैंक, 92 हिमाचल ग्रामीण बैंक व पर्वतीय ग्रामीण बैंक तथा 151 सहकारी एवं भूमि विकास बैंकों की शाखाएं कार्यरत थी। "शाखा विस्तार नीति 1985-90" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1986 में अभी 51 स्थानों पर बैंकों की शाखाएं खोलने का प्राधिकार दिया है। जून 1986 को राज्य में समस्त बैंकों की कुल जमा पूंजी 668.09 करोड़ रुपये तथा ऋण राशि 287.08 करोड़ रुपये थी और इस प्रकार ऋण जमा राशि का अनुपात (क्रैडिट-डिपोजिट रेशो) 42.97 प्रतिशत था।

ECONOMIC REVIEW

OF

HIMACHAL PRADESH

1987

(Economic Conditions and Development Activities)

(51-52)

CONTENTS

		PAGES
PREFACE	..	47
PART I—REVIEW OF PROGRESS DURING 1986-87		
1. GENERAL ECONOMIC SITUATION	..	59
2. AGRICULTURE PROGRAMMES		
2.1 AGRICULTURE	..	62
2.2 HORTICULTURE	..	64
2.3 MINOR AND MEDIUM IRRIGATION AND FLOOD CONTROL	..	66
2.4 SOIL CONSERVATION	..	67
2.5 ANIMAL HUSBANDRY	..	68
2.6 FORESTS	..	70
2.7 FISHERIES	..	72
2.8 CONSOLIDATION OF HOLDINGS	..	72
2.9 LAND REFORMS	..	73
3. CO-OPERATION AND RURAL DEVELOPMENT		
3.1 CO-OPERATION	..	74
3.2 RURAL DEVELOPMENT	..	74
3.3 PANCHAYATS	..	76
4. MULTIPURPOSE PROJECTS AND POWER		
4.1 MULTIPURPOSE PROJECTS AND POWER	..	77
5. INDUSTRIES AND MINERAL DEVELOPMENT		
5.1 INDUSTRIES AND MINERAL DEVELOPMENT	..	78
6. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS		
6.1 ROADS AND BUILDINGS	..	80
6.2 ROAD TRANSPORT	..	81
6.3 TOURISM	..	82
7. SOCIAL SERVICES		
7.1 EDUCATION	..	84
7.2 TECHNICAL EDUCATION	..	84
7.3 YOUTH SERVICES AND SPORTS	..	85
7.4 HEALTH AND FAMILY WELFARE	..	87
7.5 AYURVEDA	..	89
7.6 MEDICAL COLLEGE	..	90
7.7 HOUSING	..	91
7.8 DRINKING WATER SUPPLY	..	92
7.9 WELFARE OF BACKWARD CLASSES	..	92
7.10 SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE	..	93

7.11 NUTRITION PROGRAMME .. 94
7.12 EMPLOYMENT AND LABOUR WELFARE .. 94
7.13 TOWN AND COUNTRY PLANNING .. 96
7.14 LANGUAGES AND CULTURE .. 97
7.15 MOUNTAINEERING .. 98
7.16 SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT .. 98
7.17 TRIBAL AND SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT .. 100
8. MISCELLANEOUS
8.1 EXCISE AND TAXATION .. 102
8.2 FOOD AND SUPPLIES .. 103
8.3 PLAN PUBLICITY .. 105
8.4 URBAN LOCAL BODIES .. 106
8.5 GAZETTEERS .. 106
8.6 STATISTICS .. 106
8.7 INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION .. 108
8.8 PUBLIC ENERPRISES AND BANKS .. 109
PART II—STATISTICAL TABLES .. 111

PREFACE

The Economic Review is one of the budget documents which covers almost the entire gamut of economic activities of the Government through its departments. An attempt has been made to present all aspects of economic situation as it evolved during the year 1986-87. The review of activities during 1986-87 is given in Part-I, both in Hindi and English. The Part-II relates to statistical tables on salient features of the economy of the Pradesh.

I am thankful to all the departments and public undertakings for their cooperation in making available the material included in the review. The burden of collection and updating of huge and voluminous data and its presentation in concise and inter-related form was borne by the Directorate of Economics and Statistics, Himachal Pradesh. I highly appreciate and commend the hard work done by the officers of this Department.

S. M. KANWAR
I.A.S.

Financial Commissioner-cum-Secretary
(Finance and Planning),
Government of Himachal Pradesh

PART I

REVIEW OF PROGRESS DURING 1986-87

1. GENERAL ECONOMIC SITUATION

1.1 Net National Product

The net national income in real terms increased from Rs. 57,243 crore in 1984-85 to Rs. 60,143 crore in 1985-86 registering a rise of 5.1 per cent as against an increase of 3.5 per cent during the previous year. The production of foodgrains during the year rose by 3.4 per cent and was of the order of 150.5 million tonnes. The production of other crops, however, showed some decline resulting in a growth of only 1.1 per cent in the agriculture sector. The mining sector depicted an increase of 5.2 per cent in 1985-86 due to higher production of coal, crude petroleum and natural gas and limestone. Other sectors which registered impressive growth were manufacturing (6.9 per cent), electricity, gas and water supply (8.6 per cent) and services sector (7.8 per cent).

At current prices the national income in 1985-86 worked out to Rs. 1,95,707 crore as compared with Rs. 1,74,018 crore in 1984-85 thus recording a rise of 12.5 per cent.

The per capita income in real terms is estimated at Rs. 798 for 1985-86 as against Rs. 775 for 1984-85. At current prices the per capita income works out to Rs. 2,596 in 1985-86 as compared with Rs. 2,355 during the previous year.

1.2 Net State Domestic Product

The total State Domestic Product (at 1970-71 prices) of the Pradesh which had declined in 1984-85 due to drought conditions, increased from Rs. 328.11 crore in 1984-85 to Rs. 367.70 crore in 1985-86 registering an impressive growth of 12.1 per cent during the year as compared to a negative growth of 4.7 per cent during 1984-85. The average growth during the two years 1984-85 and 1985-86 put together works out to 3.4 per cent as compared to 4.5 per cent at the national level. The per capita income rose from Rs. 716 in 1984-85 to Rs. 788 in 1985-86.

At current price, the State Domestic Product rose to Rs. 1,184.99 crore in 1985-86 from Rs. 1,014.84 crore in 1984-85. The per capita income which works out to Rs. 2,213 in 1984-85 went upto Rs. 2,538 in 1985-86.

The comparative picture of per capita income at current prices at the national and the state level is given below:—

	1984-85	1985-86
	(Rs.)	(Rs.)
All India ..	2,355	2,596
H.P. ..	2,213	2,538

1.3 Price Situation

The all India index number of wholesale prices moved from 356.4 in December, 1985 to 378.0 in December, 1986 depicting the rate of inflation at 6.1 per cent. This rate during the corresponding period of last year was 5.4 per cent. The steps taken by the government to arrest the price rise include the following:—

(i) Strengthening of public distribution system including procurement of buffer stock of cereals;
(ii) Augmentation of domestic supplies of items such as edible oils and sugar etc;
(iii) Remunerative prices to farmers to encourage higher production;
(iv) Enforcement of fiscal discipline; and
(v) Economy in government expenditure and mopping up to excess liquidity in the system.

The behaviour of index number of wholesale prices during the years 1984 to 1986 has been tabulated below:—

Index Number of Wholesale Price—All India.

Base : 1970-71 = 100

Month	1984	1985	1986
1	2	3	4
January ..	322·3	340·1	356·6
February ..	323·2	339·2	357·5
March ..	322·9	342·5	359·4
April ..	323·6	350·5	361·0
May ..	327·4	353·7	367·3

1		2	3	4
June	..	334·5	357·5	371·1
July	..	342·3	362·3	377·1
August	..	345·9	363·1	380·6
September	..	342·2	357·6	381·0
October	..	342·6	360·0	383·6
November	..	340·6	357·9	381·0
December	..	338·0	356·4	378·0
Average	..	334·0	353·3	371·2

Note:—The indices from January, 1986 onwards are provisional.

Source : Ministry of Industry, Government of India.

According to the consumer price index number for industrial workers in Himachal Pradesh (Base : 1965=100) the index rose from 455 in November, 1985 to 493 in November, 1986 recording an increase of 8.4 per cent.

In Himachal Pradesh as well a very close watch is being kept on the movement of prices of essential commodoties. The Directorate of Economics and Statistics collects retail prices on fortnightly basis in respect of 13 essential commodities for district headquarters. For tehsil/sub-tehsil headquarters these prices are collected by the Directorate of Food and Supplies. Each District Statistical Officer prepares a monthly review of prices for his respective district. On the basis of these reviews, a monthly review for the state as a whole is prepared by the Directorate of Economics and Statistics and is submitted to the government for follow up action.

1.4 Employment Situation

At the end of June, 1986, total employment in the Pradesh was 2,70,237 (Public sector: 2,48,150, Private sector: 22,087) as against 2,63,234 (Public sector: 2,44,443, Private sector: 18,791) at the corresponding period of the last year. Of the total employment in the public sector, the State Government establishments accounted for 71.19 per cent, Central Government establishments 6.61 per cent, Quasi Government (Central) 5.83 per cent, Quasi Government (State) 15.14 per cent and Local Bodies 1.23 per cent.

During the period from 1st January to 31st October 1986, in all 70,557 applicants were registered and 5,693 placements were done. The number of vacancies notified by the various employers was 9,862. The consolidated live register of all employment exchanges stood at 3,51,468 as on 31st October, 1986.

The State Government has fixed the minimum rates of wages in respect of 13 scheduled employment. The minimum wage rates of unskilled workers in all the scheduled employment except tea plantation employment schedule have been revised to Rs. 12 per day from Rs. 10 per day. Moreover, various labour welfare measures like Employees State Insurance Scheme, Employees Provident Fund Act, 1952, Workers Education Scheme etc. are also implemented.

1.5 Development Outlays

The size of the Seventh Five Year Plan 1985—90 of Himachal Pradesh has been fixed at Rs. 1,050 crore by the Planning Commission. It has been agreed to be financed by the state by way of contribution of Rs. 186.98 crore from its own resources and Rs. 863.02 crore from central assistance. In the 7th Plan highest priority has been accorded to the economic services sector which account for 77.68 per cent of the total outlay of the Seventh Plan. Social services sector has a share of 20.19 per cent and general services has a share of only 2.13 per cent. Among the heads of development, power generation has been accorded the highest priority in the developmental programmes followed by roads and bridges, forestry, water supply, medium and minor irrigation, education, etc.

The outlay for the year 1986-87 as approved by the Planning Commission was Rs. 205 crore. For the year 1987-88, an outlay of Rs. 235 crore including Rs. 39.74 crore earmarked for Minimum Needs Programme and Rs. 10.29 crore for backward areas has been approved by the Planning Commission. The share of Special Component Plan and Tribal Sub-Plan is of the order of Rs. 24.81 crore and Rs. 20.25 crore respectively. The outlay of Rs. 235 crore for the year 1987-88 is 22.38 per cent of the total outlay of the Seventh Five Year Plan.

1.6 New 20-Point Programme

Under the New 20-Point Programme, Himachal Pradesh made remarkable achievement during 1986-87 and has topped all the States in the first quarter of the year according to the assessment made by the Planning Commission. During the second quarter, the achievement percentage was 94 per cent and was ranked as second in the inter-state ranking. During April—November, 1986, the percentage achievement was 89 per cent and was placed at position number 4 in the inter-state ranking position. The brief details of physical targets and achievements under selected items for 1986-87 are as under:—

Point No.	Item	Unit	Target 1986-87	Achievement (upto Dec., 1986)
1	2	3	4	5
1.	Irrigation potential			
	(i) C.C.A. ..	Hects.	2,604	1,037
	(ii) Command area development/ field channel ..	,,	3,195	801
3	(a) Family assisted under IRDP			
	(i) Old cases ..	Nos.	20,000	17,363
	(ii) New cases ..	,,	10,000	10,404
	(b) Employment generated under I.R.D.P. ..	'00,000 mandays	13·50	12·41
	(c) Employment generated under R.L.E.G.P. ..	,00,000 mandays	15·00	10·51
7.	(a) S.C. families assisted ..	Nos.	24,000	22,961
	(b) S.T. families assisted ..	,,	2,650	3,581
8.	Drinking water villages covered (Problem/easy villages) ..	,,	500	357
10.	Slum population covered ..	,,	5,000	3,753
11.	(a) Villages electrified ..	,,	500	539
	(b) Pump sets energised ..	,,	60	165
12.	(a) Trees planted ..	Lakh no.	625·00	473·81
	(b) Bio-gas plants set up ..	Nos.	2,500	2,605
13.	(a) Sterilisation done ..	,,	35,000	16,928
	(b) I.U.D. insertions ..	,,	30,000	20,130
	(c) C.C. users ..	,,	35,000	28,540
	(d) O.P. Users ..	,,	5,400	6,476
14.	(a) P.H.Cs. opened ..	Nos.	16	15
	(b) Sub-centres opened ..	,,	15	3
15.	I.C.D.S. blocks opened ..	,,	6	6
18.	S.S.I. units permanently registered ..	,,	450	747

By the close of the financial year viz. 1986-87, the annual targets are expected to be achieved/exceeded in most of the items. The action programme for 1987-88 is under finalisation.

2. AGRICULTURAL PROGRAMME

2.1 AGRICULTURE

Being the largest single industry and main occupation of the people of Himachal Pradesh, the importance of agriculture in the economy of the State can hardly be over-emphasised. It provides direct employment to about 70.8 per cent of the working population and contributes about 45 per cent of the net State Domestic Product. Out of the total geographical area of 55.7 lakh hectares, an area of 6.21 lakh hectares is under cultivation which is cultivated mostly by the small and marginal farmers. The department of Agriculture is providing improved technology to the farmers of the State besides arranging adequate and timely supply of agricultural inputs like improved seeds, fertilizers, plant protection material and improved agricultural implements etc. The new 20-Point Economic Programme has given a new turn to the strategy of agricultural production. Under this programme, greater emphasis is being laid on the technology of dry land farming, development of oil seeds and pulses, installation of bio-gas plants as an alternative source of energy in the State.

Under the New 20-Point Programme the following achievements have been made:—

Point 1: Increasing Irrigation Potential Development and Dissemination of Technology and Inputs for Dry Land Farming

In Himachal Pradesh, 82 per cent of the area is rainfed. The spread of raifall is not uniform. In order to stabilize the production of crops under such conditions, the department of agriculture is disseminating suitable dry land farming technology to the farmers. These technlogies include conserving moisture in the field by proper preparation and mulching after harvest of kharif crops and introduction of crop varieties suited to dryland farming by optimum use of seed and fertilizer, line sowing, weed control, use of improved agricultural implements, contingency crop planning, water harvesting and its re-cycling etc. Training camps are organised at grass root level to educate the farmers about these practices.

In order to disseminate the dry land farming technology, 70 micro water sheds were selected for intensive development during 1986-87. Through these micro water sheds an area of 8,191 hectares is expected to be covered during the year besides covering an area of 60,059 hectares outside these micro water sheds, distribution of 15,371 improved agricultural implements including seed-cum-fertilizer drills. Another lot of 379 improved agricultural implements would be distributed during the last quarter of the year. Besides, 400 water harvesting and storage structures have been completed.

Point 2: Making Special Effort to Increase the Productivity of Pulses and Oil Seeds.

During 1986-87, it has been envisaged to cover an area of 85,250 hectares under pulses and 33,000 hectares under oil seed crops in the state so as to produce 27,000 tonnes of pulses and 16,000 tonnes of oil seeds. In order to achieve these production targets during the year, about 621.00 tonnes seeds of pulses and 202.00 tonnes of oil seeds were distributed to the farmers upto 31st December, 1986. Further, 27,600 minikits of seeds of pulses and oil seeds were distributed to the farmers in order to popularise improved varieties of pulses and oil seeds.

Point 7: Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

For the economic development of scheduled castes and scheduled tribes farmers, agriculture inputs and implements at subsidised rates were distributed under special component plan schemes besides rendering effective technical know-how to this category of farmers.

Point 12: Bio-gas Development

Upto December, 1986, 2,605 bio-gas plants were installed against the target of installing 2,500 plants during 1986-87. It is further proposed to instal 3,000 bio-gas plants during 1987-88.

The programme-wise achievements made during 1986-87 and targets proposed for 1987-88 are enumerated below:—

A. Food Grains

In order to make the State self sufficient in foodgrains, it is proposed to produce 13.65 lakh tonnes of foodgrains during 1987-88 against an estimated production target of 13.20 lakh tonnes during 1986-87. Details of the steps taken to achieve this production level are given below:—

(i) *High Yielding Varieties Programme.*—The department of Agriculture continued its endeavour to bring more areas under high yielding varieties of major cereals. Achievements made in this regard are tabulated below:—

Crop	Unit	Achievements		Targets for 1987-88
		1985-86	1986-87 (Likely)	
Maize	.. '000 Hect.	521·07	629·00	630·00
Paddy	.. ,,	125·40	120·00	125·00
Wheat	.. ,,	491·89	454·00	503·00

(ii) *Fertilizers.*—The Chemical fertilizers play an important role in increasing agricultural production particularly when used with high yielding varieties which are responsive to the recommended doses of fertilizers. There has been a significant increase in the consumption of fertilizers as would be clear from the table given below:—

Consumption of fertilizers in terms of nutrients

Item	Unit	Consumption			Targets for 1987-88
		1985-86	1986-87 (target)	Upto Nov., 1986 (Ach.)	
N	'000 M.T.	17·80	17·50	13·15	18·00
P	,,	3·43	3·00	2·50	3·30
K	,,	2·43	2·50	1·61	2·70
Total	N+P+K	23·66	23·00	17·26	24·00

Alongwith the use of fertilizers, emphasis is being laid on the preparation of local manurial resources. It is proposed to produce about 38 lakh tonnes of rural compost and 46,000 tonnes of urban compost during the year 1987-88.

(iii) *Plant Protection.*—It is proposed to cover about 4.15 lakh hectares of cropped area under various plant protection measures during 1987-88 against an estimated achievement of about 4.05 lakh hectares during 1986-87.

(iv) *Soil Testing.*—It is proposed to collect and analyse 68,000 soil samples during 1987-88 against the likely achievement of 66,100 in 1986-87.

(v) *Multiple Cropping.*—It is proposed to cover an area of about 44,500 hectares under multiple cropping during 1987-88 against an estimated achievement of about 44,000 hectares during 1986-87.

B. Commercial Crops

(i) *Potato.*—Potato is one of the most important cash crops in the Pradesh on which the economy of the farmers especially in the districts of Shimla, Lahaul-Spiti and Pooh Subdivision of Kinnaur is particularly dependent. In order to arrange remunerative prices to the growers and quality seed to the buyers, the Himachal Pradesh Seed Potato Control Order was enforced in the State. It will further ensure quality, grading, purity of seed and accurate weight, etc. The farmers were rendered timely technical know-how besides supply of foundation and certified seed. The Seed Certification Agency certified 1.40 lakh M.T. of seed potato out of the produce of Kharif 1986. During potato marketing season 1986-87, 82,000 M.T. seed and table potato was exported to the potato growing states in the country.

(ii) *Vegetables.*—Agro-climatic conditions in the Pradesh are very much conducive for the production of off-season vegetables. Technical guidance and necessary inputs are being supplied to the farmers for growing these vegetables. It is proposed to produce 3.5 lakh tonnes of vegetables during the year 1987-88 against the likely achievement of about 3.00 lakh tonnes during 1986-87.

(iii) *Ginger.*—It is proposed to produce 21,000 tonnes of green ginger during the year

1987-88 against the likely achievement of about 20,500 tonnes during 1986-87. Ginger is predominantly grown in Sirmaur, Solan and Shimla districts.

C. Agricultural Marketing

With a view to ensuring remunerative prices to the growers for their products, regulation of markets under the Himachal Pradesh Agricultural Produce Market Act. 1969 (Act 9 of 1970) remained in operation. Efforts are being made to cover the entire Pradesh under the perview of the Act.

D. Other Programme

During the year 1986-87, the service schemes like Agriculture Information, Agriculture Statistics, Seed Testing and Certification, Farmers Training Centre and Agriculture Engineering section continued to render useful services to the farmers of the Pradesh.

E. Centrally Sponsored Schemes

(i) *Control of Weed like Phalaris Minor and Wild Oat in Wheat.*—The object of the scheme is to control weeds like phalaris minor and wild oats in wheat crops. Under this scheme, 25 per cent subsidy is given to all categories of farmers except sheduled castes and scheduled tribes farmers for whom the subsidy is 50 per cent.

(ii) *Timely Reporting Scheme (TRS) for Estimation of Area and Production.*—Under this scheme, advance enumeration and crop cutting experiments are done in 20 per cent of the selected villages.

(iii) *Improvement of Crop Statistics.*—The scheme aims at improving the crop statistics so as to ensure quality of data. Under this scheme, physical verification of the crop area enumerated in the sample villages is done and it is compared with the figures recorded by the Patwaries in the basic village records. The supervision is done by the staff of National Sample Survey Organisation (NSSO) and the office of the State Agricultural Statistical Officer in sub-samples of TRS sample villages.

(iv) *National Oil Seeds Development Project.*—The scheme aims at educating the farmers through demonstration for adopting improved package of practices for cultivations of oil seeds and plant protection measures to save the crops from pests and diseases. Under this scheme, 13,800 minikits each for kharif oilseeds and rabi oilseed crops were distributed to the farmers.

(v) *Development of Pulses.*—Under this scheme, during Kharif 13,800 minikits of pulses seed and 13,800 minikits of rabi pulses were distributed to the farmers.

(vi) *Project of Massive Assistance to Small and Marginal Farmers for Increasing Agricultural Production.*—The object of this scheme is to accelerate the agricultural production of the small and marginal farmers through effective dissemination of technical know-how to them. Under this scheme 27,600 minikits of oil seeds and pulses were distributed.

F. Soil Conservation

To check the soil erosion which is due to the slopy fields and excessive rains, various soil conservation measures are being adopted on agricultural lands by the Department of Agriculture. For such measures on agricultural land, 50 per cent subsidy and 50 per cent loan is provided to the farmers. It is proposed to treat an area of 1,159 hectares under soil and water conservation under State sector during 1987-88 against the likely achievement of 809 hectares during 1986-87. In addition to the State sector, it is proposed to treat an area of 1,250 hectares under soil conservation measures during 1987-88 under central sector.

Plan for 1987-88.—Almost all the plan programmes taken up for implementation during 1986-87 would be continued during the year 1987-88. Besides, the target proposed for the year 1987-88 has been discussed under the respective schemes.

2.2 HORTICULTURE

Horticulture is an important sector of rural economy in Himachal Pradesh. It contributes towards the achievement of major national objectives of increasing food productivity and employment opportunities by helping in the utilisation of available land stock, agro-climatic and vegetative resources and also in maintaining the ecological balance. With the concerted efforts made by the State Government and the people

Himachal Pradesh has earned an eminent place on the horticultural map of the country.

A brief description of the salient achievements made during 1986-87 in the field of horticulture is as under :—

1. *Area Under Fruits.*—During 1986-87, it was envisaged to bring 6,500 hectares of area under fruit plantations. Out of this, an area of 4,335 hectares was brought under fruit plantations by the end of December, 1986 and the remaining target is expected to be achieved during the winter season of 1986-87. As against the target of 17.00 lakh fruit plants, it is expected that about 25.00 lakh fruit plants would be distributed during 1986-87.

2. *Fruit Production.*—During the year 1986-87, the weather conditions in the State remained normal and a record fruit production of 3.97 lakh tonnes is expected by the end of the year which is the highest level of production ever achieved in the State.

3. *Improvement of wild Fruit Trees into Superior Varieties.*—Under this scheme, against the target of top working of 10.00 lakh wild fruit trees during 1986-87, about 1.14 lakh fruit plants were top worked upto the end of December, 1986. The target is likely to be achieved in full as the major top working operations are carried out during the winter months.

4. *Plant Protection.*—Upto the end of December, 1986, an area of 54,000 hectares was covered under plant protection measures and it is expected that in all 1.20 lakh hectares of area would be brought under plant protection measures during 1986-87. Due to concerted efforts made in the field of plant protection, the apple scab disease remained under check during 1986-87. An area of 28,000 hectares under apple plantations was sprayed for the control of apple scab disease by the end of December, 1986 against the target of 80,000 hectares for the year 1986-87.

5. *Diversification of Horticulture Industry.*—To bring about diversification in the horticultural industry, special efforts are being made in the State to promote other horticultural crops like olive, figs, pistachionuts, sarda melon, saffron, hops, mushrooms and flowers etc. A project with the technical and financial assistance of Italian Government is under implementation in Kullu, Mandi, and Chamba districts for the development of olive in particular and other temperate fruit crops like apple, cherry, pear, almond, apricot and pistachionuts etc. in general. The cultivation of hops is limited to the cold and dry regions of the State and especially the Lahaul area which is producing best quality of hops. Under mushroom cultivation programme, 128 tonnes of pasturised compost and 27,974 bottles of spawn were produced for distribution to the mushroom growers at the Mushroom project at Solan and 192 tonnes of mushroom were produced by the end of December, 1986. An another project with the technical and financial assistance of Dutch Government is being implemented from the year 1986-87 in Palampur for the introduction of advanced technology in mushroom cultivation. Efforts are also being made to popularise the cultivation of saffron and sarda melon in the cold and dry regions of the State.

6. *Marketing and Processing of Fruits.*—A multi-crore World Bank project for the development of facilities for marketing and processing of fruits has been implemented in the State under a special marketing organisation known as H.P.M.C. This agency is responsible for the post-harvest handling and marketing of fruit produce of the State.

H.P.M.C. has been the first and foremost organisation in the country for having introduced standardisation in the fresh fruit marketing through the setting up of 12 packing houses in fruit producing areas. These are equipped with latest mechanism of size-grading, scientific packing, facilities for washing and brushing. Five cold storages are attached to these packing houses in the fruit producing areas to remove the field heat and maintain the freshness and crispness of the fruit for a longer period. Cold storages have also been set up in the terminal markets of Delhi, Bombay and Madras. The total storage capacity developed by the Corporation is 13,250 metric tonnes. For the haulage of fruit, a system of scientifically constructed warehouses has been developed at the transit centres of Kundli (Haryana-Delhi border), Kiratpur Sahib and Parwanoo. The fruit processing plants established at Parwanoo with an investment of Rs. 4 crore is a semi-automatic plant equipped with the latest technology for the apple juice recovery and concentration, aroma recovery and other modern processing and canning lines that

can handle a variety of fruits and vegetables. The total processing capacity of these plants is 25,000 tonnes a year.

The H.P.M.C. has installed about 300 juice dispensing machines at important airports, railway stations, bus terminals, hospitals and markets. These machines have been instrumental in making the nutritive and health giving apple juice a common man's drink besides providing employment to hundreds of people.

To acquaint the orchardists with the techniques of scientific grading and packing of fruits, 1.84 lakh fruit cases were graded and packed by way of demonstration and 1,770 farmers were imparted training upto December, 1986 by the Horticulture department. In the fruit canning units being run by the Horticulture department, 200.62 tonnes of finished fruit products have been processed for sale and 41.18 tonnes have been processed under community canning service.

7. *Horticulture Development for the Weaker Sections of the Society.*—Under 20-Point programme, the government has adopted a policy to develop horticulture as a programme of masses with a view to help the weaker sections of the society such as small and marginal scheduled caste and scheduled tribe farmers and farmers of backward areas. For the purpose, special subsidy schemes were started for which an amount of Rs. 29.63 lakh was earmarked for the year 1986-87.

8. *Relief Due to Natural Calamities.*—For providing relief to the orchardists affected by the hailstorms and other unusual weather conditions, a provision of Rs. 24.75 lakh has been made for the year 1986-87 for providing fruit plants on 50 per cent subsidy and pesticides on 25 per cent subsidy.

9. *Excellence in Quality.*—Not only the production of fruits in the State has increased sizeably, but also the performance of the State in the production of high quality fruits is remarkable. The apple fruits and products from the State occupied top places in the 'All India Apple Show' organised by the Government of India in Trivandrum. Besides bagging 70 prizes out of 119 prizes, the state had the pride of bagging two running shields for getting highest aggregate score in class 'A and B' and class 'C and D'. The State was also awarded special trophy (Bowl) for best apple of the show.

Plan for 1987-88.—In addition to existing schemes, the programme of work envisaged for the year 1987-88 aims at (i) bringing an additional area of 6,500 hectares under fruit plantation, (ii) increasing fruit production in terms of increased productivity per unit of area, (iii) reorganisation of agriculture/horticulture extension services on training and visit system, (iv) strengthening of research programme in the field of horticulture and (v) to implement a project for the manufacture of craft paper and corrugated cartons. Further, the, centrally sponsored schemes (i) control of apple scab, (ii) improved technology for quality apple production and (iii) crop estimation survey are also proposed to be implemented during the year 1987-88. The fruit production target during 1987-88 is slated at 5.10 lakh tonnes.

During 1986-87, the main feature of achievement is the substantial increase in the capacity utilisation of various units, which has been increased from 30—40 per cent to over 70 per cent of their capacity. The number of boxes graded and packed in the packing houses stood at 3.30 lakh boxes. Besides, sale of fruit on consignment basis, forwarding etc. also increased considerably over the previous year. Further, 2,300 sophisticated and light weight Japanese power sprayers were imported for controlling the insects, pests and other fungal diseases in the orchards. The equipment has found wider acceptability among the farmers due to its better performance and adaptability in hilly terrains. Efforts are being made to import 1,000 brush cutters for the maintenance of orchard sanitation and modernisation of farm practices. During the current fruit marketing season 20 lakh corrugated fibre board cartons were made available to the farmers. It is however, envisaged to achieve a complete switch over to the new package system to make the state policy of preservation of forests a success.

2.3 MINOR AND MEDIUM IRRIGATION AND FLOOD CONTROL

In Himachal Pradesh a sizeable part of the cultivated land is unirrigated. In order to increase the production potential of crops, creation of adequate irrigation facilities is essential. Out of the total geographical area of 55.7 lakh hectares in the State, the net area sown is only 5.50 lakh

hectares. It is estimated that 60 per cent of the sown area can be brought under irrigation economically by implementing various major, medium and minor irrigation schemes. By the end of 6th Five Year Plan, an area of about 1.46 lakh hectares was irrigated by the government, private and other community irrigation schemes.

Minor Irrigation.—For the year 1986-87, an amount of Rs. 405.0 lakh was provided in state sector for minor irrigation works for bringing an additional area of 300 hectares under assured irrigation. Against it, an area of 338.8 hectares was brought under irrigation upto December, 1986. Similarly, under USAID programme, a sum of Rs. 445.0 lakh was provided for bringing an additional area of 1,150 hectares under irrigation. Upto December, 1986, an area of 63 hectares had already been benefited.

Medium Irrigation.—During the year 1986-87, an amount of Rs. 165.0 lakh was provided for medium irrigation schemes for bringing an area of 400 hectares under irrigation. Against this target an area of 298 hectares was brought under irrigation upto December, 1986 under the Balh valley project scheme only.

Major Irrigation Schemes.—Shahnehar irrigation project which is expected to extend irrigation facilities to an area of 15,287 hectares of land in Kangra district is the first major irrigation project in the Pradesh. During 1986-87, an amount of Rs. 40.74 lakh has been provided under this scheme. The preparation work of a detailed project report is yet under progress.

Command Area Development.—It is essential to carry out command area development in order to exploit the irrigation potential already created. This programme is limited to schemes executed under major and medium irrigation schemes as well as minor irrigation schemes being executed under USAID. During 1986-87, an amount of Rs. 36.0 lakh was provided under state sector for covering an area of 600 hectares. Against it an area of 424 hectares was covered upto December, 1986. Similarly, against the target of 2,000 hectares CCA during 1986-87, 424 hectares CCA has been covered upto December, 1986, under USAID.

Flood Control.—During 1986-87, a sum of Rs. 70 lakh was provided for the construction of flood control works in the State. Upto November, 1986, an area of 25 acres CCA was benefited under flood control measures.

2.4 SOIL CONSERVATION

Soil Conservation measures are necessary in the context of river valley projects with a view to (i) prolonging the life of storage reservoirs of irrigation/electricity generating projects, (ii) effective functioning of minor irrigation tanks and (iii) moderating floods. The following important conservation schemes are being implemented in the State both under State and Central sectors.

State Sector

1. *Protective Afforestation, Soil Conservation and Demonstration.*—During the year an area of 550 hectares of new land was treated under this scheme besides maintenance and construction of buildings and various other works in non-tribal areas. In addition, during the year an area of 200 hectares of new land in tribal areas was treated.

2. *Soil Conservation Training.*—This scheme aims at imparting training to the personnel engaged in soil conservation. During the year 1985-86, 18 Deputy Rangers and 72 Forest Guards were imparted training.

Central Sector.

Under Central Sector, three schemes are being implemented for soil conservation purposes viz., (i) soil and water conservation in the catchment of river valley projects of rivers Sutlej and Beas, (ii) integrated soil water and tree conservation in Himalayan Region (operation soil watch) and (iii) integrated watershed management in the catchment of flood prone rivers of Indo-Gangetic Basin (Pabbar and Tons) including Giri Bata. Under these schemes, 6,247 hectares of land were afforested, 6 water harvesting structures were constructed, 60 spurs/retaining walls were erected and 3,89,000 seedlings were raised upto December, 1986. Besides, soil conservation measures for treating and protecting agricultural land are being undertaken by the Agriculture Department which have found a place in the relevant chapter.

2.5 ANIMAL HUSBANDRY

In Himachal Pradesh where agriculture is the mainstay of the people, development of animal husbandry is an essential feature as livestock plays an important role in the rural economy. The development programme includes (i) Animal health and disease control, (ii) Cattle development, (iii) Sheep breeding and development of wool, (iv) Poultry development, (v) Feed and fodder development, (vi) Dairy development and milk supply schemes and (vii) Veterinary education. The achievements likely to be made in these spheres during 1986-87 are given in the following paragraphs:—

1. *Animal Health and Disease control.*—There are at present 209 veterinary hospitals, 411 dispensaries and 85 outlying dispensaries functioning in the State. Through these institutions veterinary aid is being provided and prophylactic against various contagious diseases are undertaken. In addition, 14 mobile dispensaries are also operating in the Pradesh which provide immediate veterinary aid besides control of outbreak of epidemics. As many as 4 clinical laboratories are in operation for providing quicker diagnosis of various animal diseases. One surveillance unit is also functioning at the State headquarters for detection and control of diseases of the animals.

For the effective control of rinderpest which is a highly contagious animal disease, 4 check posts at Pandoga and Mandli in Una district, Swarghat in Bilaspur district and Milwan in Kangra district continued functioning in the State during 1986-87. Through these check posts about 35,000 incoming and outgoing animals are proposed to be vaccinated during 1986-87. Achievements likely to be made during 1986-87 under veterinary aid programme in various institutions are as given below:—

Serial No.	Item	Likely achievement during 1986-87 ('000)
1	2	3
1	Cases treated for contagious diseases (Indoor and outdoor) ..	28·50
2	Cases treated for non-contagious diseases (Indoor and outdoor)	1,111·01
3	Cases treated with medicine but not brought to hospitals/dispensaries ..	18·00
4	Vaccination performed ..	24·00
5	Castration performed ..	75·00
6	Cases treated on tour—	
	(i) Contagious ..	26·10
	(ii) Non-contagious ..	410·00
7	Castration prerformed on tour ..	91·00
8	Vaccination performed on tour ..	570·00

2. *Cattle Development.*—Jersey having been found the most suitable of all the breeds for crossbreeding purposes, great emphasis is, therefore, being laid on cross breeding of hill cows with Jersey. At some places, however, Holstein Friesien breed has also been introduced. With a view to improving the existing breed of buffaloes and further augmenting breeding facilities, artificial insemination in buffaloes is being done at Majra, Kotgarh and Una Key village blocks and some hospitals in Sirmaur, Kangra, Una, Bilaspur, Chamba, Solan and Hamirpur districts. Besides, natural services for cows and buffaloes were also available in 78 bull centres/hospitals and under key village scheme and Intensive Cattle Development Project. For the effective implementation of the Cattle Development Programme, the following schemes are in operation in the Pradesh:—

(i) *Key Village Scheme.*—Under this scheme artificial insemination facilities are provided through 7 Key Village Blocks and 59 Key Village Units attached with them. The scheme is in operation in Shimla, Solan, Sirmaur, Hamirpur and Una districts.

(ii) *Hill Cattle Development Programme.*—The programme is in operation in Shimla, Solan, Una, Hamirpur, Kangra, Kullu and Chamba districts and 35 centres/sub-centres are functioning under the scheme. At these centres/sub-centres Jersey/Holstein and Red Sindhi Jersey semen is being utilised for artificial insemination purposes.

(iii) *Intensive Cattle Development Project*—This scheme is in operation in Shimla

and Solan districts with 22 intensive cattle development units (16 units in Shimla and 6 units in Solan districts) with semen bank at Ghanahatti.

(iv) *Breeding Facilities Through Hospitals/ Dispensaries and Bull Centres.*—With a view to further boosting the work of cross-breeding in the State, artificial insemination facilities are being provided through 373 hospitals and dispensaries. Besides, natural service is being done through 20 cow-bulls and 46 buffalo-bull centres in the far flung areas where semen supply is not otherwise possible.

(v) *Artificial Insemination Centres.*—In areas where hospital and dispensary facilities are not easily available, breeding facilities are being provided through 50 artificial insemination centres in the Pradesh.

With a view to subsidise the cost of rearing of cross bred female calves, the government has launched a calf rearing subsidy scheme. Under the scheme, subsidy in the shape of concentrates is being given to the small and marginal farmers.

The achievements likely to be made under this programme during 1986-87 are as given below:—

Serial No.	Item	Likely achievements during 1986-87	
		cows	buffaloes
1	2	3	4
1	Artificial insemination ..	1,50,000	26,000
2	Natural services ..	2,000	6,500
3	Progeny born by artificial insemination ..	58,000	17,500
4	Progeny born by natural services	900	3,100

In order to meet the demand for pure and cross bred bulls in the Pradesh, 5 cattle breeding farms are functioning at Kamand (Mandi), Bhangrotu (Mandi), Kothipura (Bilaspur), Palampur (Kangra) and Bagthan (Sirmaur). The herd strength of animals at these farms and other centres as on 30th September, 1986 was 598. These farms also help in studying the management problems of exotic animals. One semen bank with deep frozen laboratory and two liquid nitrogen plants at Bhangrotu is supplying its frozen pedigree bulls semen to various hospitals, dispensaries and artificial insemination centres in Kullu, Mandi, Bilaspur, Solan and Lahaul-Spiti districts and Government farms. Another semen bank with frozen semen laboratory and two liquid nitrogen plants at Palampur is also supplying frozen semen to various artificial insemination centres in the Pradesh. One liquid nitrogen plant is also functioning each at Jeori (Shimla), Solan and Ghanahatti. As a result of the implementation of these programmes, the milk production in the Pradesh is likely to be 445 thousand tonnes during the year 1986-87.

3. *Sheep Breeding and Development of Wool.*—Sheep breeding which forms a major source of wool, mutton, hides and manure is an important subsidiary source of income to the people of the Pradesh. With a view to improving sheep and wool, government sheep breeding farms at Jeori (Shimla), Chamba, Nagwain (Mandi), Tal (Hamirpur), Karchham (Kinnaur) and sheep and wool centre at Choori (Chamba) are supplying improved sheep to the farmers of the State. The flock strength in these farms as on 30th September, 1986 was 2,254. During 1986-87, about 500 improved sheep are likely to be distributed to the farmers. In view of increasing demand for pure hoggets and the established popularity of the Soviet Merino and American Rambouillets in the Pradesh, the State has switched over to the pure breeding at the existing government farms. Four sheep extension centres are in operation in Kangra, Mandi, Kullu and Shimla districts.

Under the special livestock production programme for sheep development, sheep at subsidised rates are being supplied and loans for this purpose are also provided to the small and marginal farmers and agricultural labourers in Sirmaur district. Besides, under intensive sheep development project which is in operation in Bharmaur, Chamba and Bhattiyat tehsils of Chamba district, improved sheep are being distributed and dipping and drenching facilities to the breeders are provided and pastures improved. The programme of mass drenching of sheep

and training programme for progressive sheep breeders were also organised. During 1986-87, the production of wool is likely to be of the order of 13.10 lakh kilograms.

4. *Poultry Development.*—With a view to provide improved type of poultry birds and hatching eggs, the department has set up 14 poultry farms/centres in the Pradesh. Achievements likely to be made during 1986-87 are as under:—

Serial No.	Item	Likely achievements during 1986-87
1	2	3
1	Average number of layers maintained at government farms ..	3,900
2	Eggs production ..	7,75,000
3	Chicks production ..	1,80,000
4	Eggs used for hatching ..	2,40,000
5	Sale of eggs for table ..	5,00,000
6	Sale of eggs for hatching ..	2,000
7	Sale of birds for breeding ..	98,000
8	Sale of birds for table ..	60,000

Under special livestock (poultry) production, 100 poultry units are proposed to be established during 1986-87 with the financial assistance of the Government of India for the benefit of the small and marginal farmers in Shimla, Bilaspur and Una districts. Besides, the intensive poultry development project is also in operation in Una district.

5. *Feed and Fodder Development.*—The maintenance and production of highly pedigreed animals depend on the availability of nutritious fodder and improved pastures. In view of the vast potential which exists for the development/improvement of grass lands and pastures in the Pradesh, the government is vigorously concentrating on activities directed towards improving feeding resources of the State. The seeds of Phalarus, Tuberosa and Rye grasses which have been found most suitable to conditions prevalent in Himachal Pradesh are being tried for further propagation. These are now being multiplied for further distribution to government farms and breeders in the Pradesh.

6. *Dairy Development and Milk Supply Scheme.*—With a view to provide remunerative rates to the milk producers and wholesome milk at reasonable rates to the consumers, 4 milk supply schemes continued functioning at Kangra, Chamba, Kullu and Nathpa-Jhakhri as departmental schemes during 1986-87. The milk production in the Pradesh during the year 1985-86 was 431.14 thousand tonnes.

7. *Veterinary Education.*—Under this programme the department has sponsored 51 candidates for pharmacist course at Chamba and Sundernagar. Besides, the breeders are also trained in dairying, poultry, sheep and other animal husbandry practices regularly.

8. *Special Component Plan For Scheduled Castes.*—Under this scheme the members of the scheduled castes community are supplied improved livestock and other facilities such as animal feed for 6 months, improvement of cattle sheds and poultry pans and insurance etc. are also provided on 50 per cent subsidy. In all, 2,480 beneficiaries are likely to be covered during 1986-87.

9. *Tribal Sub-Plan.*—Keeping in view the geographical conditions of tribal areas of Kinnaur, Lahaul and Spiti, Pangi and Bharmaur of Chamba district, special programmes of assistance have been in operation. Against a target of 280 families, 507 families have already been provided benefits under various kinds of livestock distribution.

Plan for 1987-88.—The schemes which are already under implementation are proposed to be continued during 1987-88. The net-work of veterinary institutions will be increased by opening of 24 veterinary dispensaries and upgrading of 14 veterinary dispensaries into hospitals.

2.6 FORESTS

Forests in Himachal Pradesh cover an area of 21,325 square kilometres and form about 38.3 per cent of the total geographical area of the State. The well wooded area is even much less. These forest resources bear a rich potential for

industries like news-print, rayon grade pulp, art paper, hard board and textiles accessories, etc. In addition, large number of aromatic and medicinal plants can be utilised for the pharmaceutical and ayurvedic medicines. Besides, forests are also essential to conserve soil and to regulate the flow of water in the rivers so as to ensure the longevity of multipurpose hydro-electric projects.

1. *Forest Plantations*

(i) *Productive Forestry.*—It is proposed to raise plantations of fast growing species over an area of 3,825 hectares and the raising of extensive plantation of industrially important timber species in compact blocks over an area of 4,209 hectares. Upto 31st December, 1986, 7,435 hectares of area has been covered under plantation.

(ii) *Pasture Improvement.*—This scheme aims at improving the quality and quantity of fodder by the introduction of better fodder species both exotic indigenous and popularising the rotational grazing practices. During the year, it is expected to treat an area of 1,458 hectares, of which an area of 1,220 hectares have been covered upto December, 1986.

(iii) *Social Forestry Schemes*:

(a) *National Social Forestry (Umbrella) Project.*—The World Bank assisted Social Forestry Project with an outlay of Rs. 57 crore was launched during the year 1985-86. This is a five year project coinciding with the Seventh Five Year Plan. During the current year, an outlay of Rs. 10 crore has been provided. The Scheme aims at raising fuel, fodder and small timber species to meet the basic requirement of people. The afforestation will be done both in the private wastelands and in the government degraded forests/wastelands over 20,166 hactares during the year 1986-87. Under this project, which includes raising of 1.45 crore plants through public distribution, an area of 11,390 hectares has been covered.

(b) *Centrally Sponsored Rural Fuelwood Social Forestry Schemes.*—This Scheme aims at raising of fuelwood, plantation on government wastelands, village common lands and along the road side, etc. on 50:50 sharing basis subject to maximum of Rs. 1,000 as central share. This scheme has been taken up in 5 districts viz., Kangra, Hamirpur, Mandi, Solan and Shimla. An area of 3,960 hactares will be planted under this scheme. Against this 3,744 hectares have been covered during the calendar year.

(c) *Regeneration of Chilgoza Pines.—Centrally Sponsored Scheme.*—Chilgoza forests which are valued for edible seeds are found in dry zones of Kinnaur district and to a limited extent in Pangi, in an area of about 2,060 hectares. The local inhabitants of these areas have the right of collection of these seeds which is a source of substantial income to them. During the calendar year 6 hectares of areas has been planted.

2. *Dhauladhar Farm Forestry Project.*—This is a continuing project from the Sixth Five Year Plan which is being executed in Binwa Catchment of Dhauladhar Range with the collaboration of the Federal Republic of Germany. This is an integrated project of afforestation, animal husbandry, wood saving devices, etc. It is proposed to increase forest area by 10 per cent under this project. The project is in the third phase. The first phase was orientation stage and the second implementation stage. Upto December, 1986 an amount of Rs. 23.66 lakh was spent for these objectives.

3. *Wild Life and Nature Conservation.*—Himachal Pradesh is known for a variety of games, both animals and birds. The scheme aims at improving the game sanctuaries and shooting blocks so as to afford protection to the species facing extinction. An amount of Rs. 32.52 lakh has been utilised for this purpose during the calendar year.

4. *Forest Statistical and Evaluation Cell.*—Statistical and evaluation cell which was established to compile reliable data continued to function during the year.

5. *Forest Protection.*—Forests are exposed to danger of fires, illicit felling and encroachments. It is, therefore, necessary that check posts at suitable places are established, fire fighting equipments are introduced and telephones are installed. During the year the scheme continued to function.

Among other programmes, the department took up the construction of roads, buildings including labour huts, education to the public

about the direct and indirect benefits of forests and necessity of their proper management and conservation. During the year an amount of Rs. 18.09 lakh was utilised for this purpose.

2.7 FISHERIES

The development of fisheries in Himachal Pradesh has been taken up by strengthening management, conservation of natural fisheries through legislation, creation of fish sanctuaries besides culture and propagation of indian major carps in addition to the culture of exotic species of fish such as common carp and trouts. Fisheries resources of the Pradesh comprise 40,000 hectares reservoir area viz., Gobindsagar and Pong Dam, 3,000 kilometers of rivers and streams, 150 hectares of rural impoundment available for pisciculture besides a number of perennial streams flowing in the valley areas where the water can be tapped from these streams to establish running water culture in the farmer's ponds.

In order to ensure a co-ordinated development of various aspects of fisheries in the Pradesh, seven plan schemes have been included in the Seventh Five Year Plan 1985—90. The physical achievements under the important items are as under:—

Sl. No.	Item	Unit	Target fixed for 1986-87	Achievements	
				Upto Nov., 1986	Expected upto March, 1987
1	2	3	4	5	6
1	Production of Mirror Carp Fry ..	Million	8.00	7.55	8.00
2	Production of trout seed ..	Lakh	9.00	4.15	9.00
3	Fishermen registered	No	9,000	7,300	9,000
4	Fish production ..	Tonnes	3,600	1,525	3,000

The exploitation and marketing of fish from the reservoirs has been completely put under the co-operatives. Nine primary fishermen co-operative societies for Gobindsagar reservoir and 9 such co-operative societies for Pong reservoir have been organised which are also undertaking the marketing of fish caught from these reservoirs. The fishermen members of these societies pay a licence fee of Rs. 50 per annum per gillnet for fishing. These societies, in addition, pay a royalty at the rate of 15 per cent of their gross sale proceeds to the government annually.

Plan for 1987-88.—In order to meet the fish seed requirement of reservoirs and other impoundments, 10 million seeds is proposed to be produced besides the production of 9 lakh ova of trout from existing farms. Besides, expanding the existing nursery area of the farms to 15 hectares and strengthening of management of the carps and trout farms is proposed to be continued. A 5 hectares fish seed farm is proposed to be established under Fish Farmers Development Agency, a centrally sponsored scheme. To encourage fish culture in the farmer's fields based on running water culture, an agency on the pattern of existing Fish Farmers Development Agency is proposed to be established at Mandi. Under this scheme subsidy to the fishermen for the construction of ponds and purchase of inputs like fish seed and feed would be provided. Work on the construction of Mahaseer farm at Mandi is proposed to be continued. A project is proposed to be undertaken to study the economics of cage culture in the prevailing conditions of the Pradesh. In addition to imparting training to 50 fishermen, two officials and two stipendary candidates are proposed to be sponsored for training. Under Scheduled Caste Component Plan, 290 fishermen and fish farmers are proposed to be benefited. Under the Tribal Sub-Plan, survey of fisheries potential in tribal areas would be continued. It is also proposed to produce 1.2 lakh trout ova from trout farm at Sangla in Kinnaur district.

2.8 CONSOLIDATION OF HOLDINGS

The programme of consolidation of holdings has been included under the New 20-point programme to step up the consolidation operations.

As per an old survey report, total feasible area for consolidation in the State was 49 lakh acres. Out of it, an area measuring 14.72 lakh acres stood consolidated upto 31st March, 1986. The work of consolidation remained in progress in the districts of Kangra, Una, Hamirpur, Bilaspur, Solan and Mandi and a target of 84,500 acres was fixed for consolidation during the year 1986-87. Against this target, 42,466 acres had been

consolidated upto 30th November, 1986. The proposed target for the year 1987-88 is 84,500 acres.

2.9. LAND REFORMS

In Himachal Pradesh 20,455 landless and 70,029 other eligible persons were identified upto 30th April, 1981. Out of these, 20,363 landless and 67,392 other eligible persons have been allotted land so far. A new cut off date for the identification of landless persons and houseless persons was fixed by the government as 31st March, 1983. Upto this date 1,310 landless persons and 660 houseless persons were identified. Of this 463 landless persons and 334 houseless persons have so far been allotted land. For this purpose, no targets could be fixed since suitable allotable land is not available in some of the districts. The problem is that where suitable land is available, the eligible persons are not available and where eligible persons are available, the land for allotment is not available.

All the 86,952 occupancy tenants have already become owners of the land held by them. There were 4,22,145 non-occupancy tenants out of which 3,82,003 such tenants had been conferred proprietory rights upto September, 1986. The remaining 40,142 tenants are mostly those who hold the tenancy land under the protected categories of land owners such as minors, widows, army personnel, and disabled persons, etc. However, the process of conferment of proprietory rights is continuing.

All the kissans in the Pradesh are proposed to be provided Kissan Pass Books in a phased manner. Against the target of 2,28,120 Kissan Pass Books, as many as 39,174 Kissan Pass Books were completed and distributed to the farmers upto December, 1986, during the year 1986-87. These pass books have a legal sanction since these have been framed under the law and contain up-to-date information in respect of rights and liabilities of the farmers in so far as their holdings are concerned.

3. CO-OPERATION AND RURAL DEVELOPMENT

3.1 CO-OPERATION

The Co-operatives have an important role to play in the rural uplift by providing credit facilities to the weaker section. Keeping this aim in view during the year 1985-86, the number of all types of co-operative societies had increased from 3,453 to 3,516 with the registration of industrial weavers and other non-agricultural societies. The number of primary agricultural credit societies which stood at 2,113 as on 30th June, 1985 has gone down to 2,110 at the end of 30th June, 1986. The level of Co-operative development in the State in terms of some major indicators of development is reflected in the following table:—

Sl. No.	Item	Unit	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5
1	Societies of all types ..	No.	3,453	3,516
2	Membership ..	Lakh	8·32	8·63
3	Share capital ..	Rs. lakh	2,169·76	2,520·23
4	Deposit ..	"	9,325·59	11,109·11
5	Total short term and medium term loans advanced (Agri. and non-agri. credits) ..	"	1,740·35	2,622·62
6	Long term loans advanced	"	109·95	154·09
7	Value of agricultural produce marketed ..	"	795·71	707·08
8	Retail distribution of consumer articles ..	"	3,939·27	4,326·74
9	Retail distribution of agricultural inputs ..	"	696·09	785·99
10	Coverage of rural population ..	Percent	87·00	90·00

A brief account of the important programmes of the co-operatives is given below:—

1. *Co-operative Credit.*—Long term finances are being provided by the Himachal Pradesh Central Land Development Bank Ltd. and the Primary Land Development Bank Ltd., Dharamshala. These banks advance long term loans to the farmers for various agricultural purposes.

2. *Marketing.*—There is a 4 tier system of co-operative for marketing surplus of cash crops like seed potato, tea, ginger, apple, etc.

3. *Distribution of Consumer Goods.*—Primary co-operative societies are the appropriate agencies for the distribution of essential commodities of mass consumption particularly in the remote areas of the Pradesh.

4. *Supply of Inputs.*—The co-operative societies are also engaged in the important task of supplying agricultural inputs, viz., fertilizers, improved seeds, etc., to the farmers.

Plan for 1987-88.—The schemes which were in operation during 1986-87 are proposed to be continued during the year 1987-88. These schemes would be implemented more vigorously to fulfil the objectives set for the co-operatives.

3.2 RURAL DEVELOPMENT

The main objectives of the rural development programme are (i) more production, (ii) more employment, (iii) more equitable distribution of income, (iv) more investment on rural poor and (v) more awakening of rural masses towards health and hygiene, nutrition and social, economic and cultural activities. To achieve these objectives the Rural Development Department has been implementing the following schemes:—

1. *Community Development.*—The integrated development of the rural people with the initiative and participation of the village community is the underlying object of this programme. The following programmes of works were undertaken during the year 1986-87 :—

Education.—Construction/repair of primary school buildings etc.

Social Education.—Organisation of cultural programme, rural sports and meets etc.

Communication.—Construction of kacha road, bridle paths etc.

Composite Programmes.—Promotion and strengthening of Mahila Mandals and Yuvak Mandals, training of associate women workers, incentive award to Mahila Mandals, organisation of sammelans for non-officials etc.

Housing.—The housing needs of staff in the field and office buildings etc.

In addition to the above, schemes of smokeless chullahs and construction of rural latrines are being implemented. Upto November, 1986, 17,879 chullahs have been constructed and 1,445 persons were trained and 124 smokeless villages created in the Pradesh. In addition, about 1,500 rural latrines were constructed upto November, 1986.

2. *Applied Nutrition Programme.*—This programme is basically an educational programme aiming at a change in the food habits of the rural folks. The programme mainly comprises of the setting up of poultry units, raising of kitchen gardens, providing nutritious food to the children of weaker sections and expectant mothers. During 1986-87, an amount of Rs. 9.00 lakh has been provided under this scheme.

3. *Centrally Sponsored Programme*

(a) *Integrated Rural Development Programme.*—This programme is being implemented in Himachal Pradesh as a centrally sponsored programme on 50:50 sharing basis. The main objectives of this programme are to assist families living below the poverty line and to create substantial additional opportunities of employment for them. Upto December, 1986, 17,363 old families and 10,404 new families have been covered and given benefits under this programme against a target of 31,000 old and new families for the year 1986-87.

The training of rural youth for self employment (TRYSEM) is also a part of this programme. Upto November, 1986, 1,129 youths were trained and 471 youths were settled under TRYSEM.

(b) *National Rural Employment Programme.*—The main objectives of the National Rural Employment programme are (i) generation of additional gainful employment in rural areas, (ii) creation of productive community assets for the benefit of the poor and for strengthening rural economic and social infrastructure for the rapid growth of rural economy and raising the income level of the rural poor and (iii) improvement in the overall quality of life in the rural areas. During the year 1986-87, as against the target of creation of additional employment to the extent of 13.50 lakh mandays, 12.41 lakh mandays of employment was generated including 4.21 lakh and 0.76 lakh mandays for scheduled castes and scheduled tribes respectively. In addition, 2,145.98 M.T. of foodgrains was utilised upto December, 1986 and 359 durable assets were created upto September, 1986 under this scheme.

(c) *Rural Landless Employment Guarantee Programme.*—The main objectives of this programme are (i) to improve and expand employment opportunities particularly for the rural landless labour households upto 100 days in a year, (ii) to create productive and durable assets for direct benefit to the poor and for strengthening rural economic and social infrastructure for the rapid growth of rural economy and steady rise in the employment opportunities and income level of the rural poor and (iii) to improve the quality of life in the rural areas. Upto November, 1986 during the year 1986-87, against the target of generation of 15.00 lakh mandays, 8.79 lakh mandays of employment were generated including 3.04 lakh mandays and 0.50 lakh mandays for scheduled castes and scheduled tribes respectively. Upto September, 1986, 1,470.37 MT of foodgrains were utilised and 5.5 kms. of road was constructed, cross drainage was carried out in 4.60 kms. and soling was done in 13.17 kms. In addition, raising of nurseries in 4.00 hectares and plantation in 628 hectares were done upto August, 1986. Works under water harvesting schemes remained in progress. Besides, construction of houses for scheduled castes and schedules tribes under Indira Awaas Yojna also remained under progress with a provision of Rs. 39.00 lakh for the year 1986-87. Under this scheme 1,462 houses are proposed to be constructed during 1986-87. However, 86 houses were constructed upto November, 1986.

(d) *Rural Latrines.*—This programme envisages the construction of rural latrines for scheduled castes and scheduled tribes. During 1986-

87, 200 latrines per block (100 for S.Cs and 100 for STs) were proposed to be constructed under NREP and RLEGP. Under NREP, 105 latrines were constructed upto September, 1986. Similarly, 80 latrines were constructed upto November, 1986, under RLEGP.

(e) *Desert Development Project in Spiti and Pooh Blocks*—This programme is being implemented in the Spiti sub-division of Lahaul and Spiti district since 1979-80 and in the Pooh sub-division of Kinnaur district since 1982 as a centrally sponsored programme on 50:50 sharing basis. From 1985-86 this programme has become a 100 per cent centrally sponsored scheme. This programme is primarily meant for the integrated development of the desert areas with special emphasis on increasing the productivity, income level and employment opportunities for the people of these areas. Under this programme steps for the prevention and further deterioration of desert area and spread of desertic conditions are undertaken. Against a provision of Rs. 1.50 crore for the year 1986-87 an amount of Rs. 1.08 crore was utilised by the end of November, 1986.

4. *Social Inputs in Area Development.*—This programme aims at providing social inputs to the IRDP families besides the economic inputs which are being provided in Mandi district with the help of UNICEF. The objectives of this programme are to improve nutritional status of mothers and children, literacy among women and immunisation of children.

5. *Two Room Tenements for Houseless Persons.*—In the first instance one hundred two-roomed tenements for the rural houseless persons in the Pradesh are being constructed. However, according to initial survey, the Revenue department identified 1,224 houseless persons to whom houses are to be provided under this programme.

6. *Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA).*—This scheme is being implemented in Kangra district with the assistance of UNICEF since 1983-84. During 1986-87, Shimla district was also covered under this programme. Activities such as shawl making, bamboo work, weaving, spinning, ban making, ready made garments and bee keeping etc. are undertaken under this programme.

Plan for 1987-88.—All the development programmes as discussed above would be intensified during 1987-88.

3.3 PANCHAYATS

In a country like India which is wedded to the concept of democratic way of life, the panchayats at the grass root level have to play a vital role in shaping the rural economy. Strengthening of these grass-root level democratic institutions is, therefore, very essential. Maximum utilisation of human and material resources in rural areas is possible only if there is fuller and active envolvement of Panchayati Raj Institutions in the process of both formulation and implementation of plans.

In Himachal Pradesh three tier system of Panchayati Raj has been established under Himachal Pradesh Panchayati Raj Act. Under this system, Gram Panchayats at the village level, Panchayat Samities at the block level and Zila Parishads at the district level have been established. At present, there are 2,597 Gram Panchayats, 69 Panchayat Samities and 12 Zila Parishads in the Pradesh.

During 1986-87, the following schemes have been implemented:—

1. Construction/repair of Panchayat Ghars.
2. Assistance to Panchayat libraries.
3. Matching incentive grant equal to the collection of house tax.
4. Creation of remunerative assets.
5. Grant for municipal functions to Panchayats in tribal areas.
6. Panchayat prize competition scheme.
7. Construction of Panchayat training institute buildings.
8. Creation of Planning and Monitoring Cell.
9. Organisation of Panchayat Sammelans.
10. Construction of Panchayat Samiti/Zila Parishad buildings.

Plan for 1987-88.—The schemes implemented during 1986-87 are envisaged to be implemented during 1987-88.

4. MULTIPURPOSE PROJECTS AND POWER

4.1 MULTIPURPOSE PROJECTS AND POWER

The State Electricity Board is engaged in the execution and investigation of various hydro-electric projects found to be economically exploitable. Simultaneously, the work on expansion of transmission net work throughout the Pradesh has been taken up to achieve accelerated growth of rural electrification and industrialisation.

In Himachal Pradesh the hydro-electric potential from its five river basins is estimated to be 12,700 MW according to the preliminary hydrological, topographical and geological investigations. Out of this, 3,293.57 MW potential has already been harnessed in the Pradesh but an installed capacity of only 134.82 MW was under the control of the Board upto December, 1986.

The Rongtong Hydel Project of 2 MW Capacity was inaugurated on 2nd December, 1986 and the work on the following two projects continued to progress satisfactorily during 1986-87:—

Name of project	Installed capacity (MW)	Likely year of completion
1	2	3
1. Sanjay Vidyut Pariyojna ..	120	1987-88
2. Andhra Hydel Project ..	16·95	1986-87

In addition, preliminary work on three new projects viz., Baner (6MW), Gaj (10.5 MW) and Thirot (3MW) was also taken up. Some of the important achievements made during 1986-87 are as under:—

Item	Unit	Target for 1986-87	Achievement upto 11/86	Anticipated achievement during 12/86 to 3/87
1	2	3	4	5
1. Generation ..	MU	635	485	150
2. Villages electrified	No.	500	460	40
3. Pump sets energised	No.	60	152	Target already exceeded
4. Harijan houses electrified ..	No.	2,500	2,137	363

In addition to the above, the following achievements were scheduled to be achieved in respect of transmission and distribution schemes during the year 1986-87:—

1. The construction of 220/33 K.V., 25 MVA sub-station at Jassore has been commissioned and 220/132 KV, 50 MVA is scheduled to be commissioned shortly.
2. The construction of 66 KV transmission line from Chirgaon to Nogli and interlinking controlling sub-station at Nogli.
3. The construction of 132 KV transmission line from Jassore to Bathri and sub-station at Bathri.

The work on the following 220/132 KV transmission lines remained under progress:—

1. 220 KV Bhaba to Panchkula (ISTL)
2. 220 KV Khodri to Majri.
3. 132 KV Solan to Shimla.

Rural Electrification.—During 1986-87, 460 villages were electrified upto November, 1986 bringing the total to 15,776 electrified villages in the Pradesh.

Plan for 1987-88.—It is proposed to electrify 470 villages besides energising 70 pump sets during 1987-88. In addition, the following new schemes are proposed for implementation in respect of transmission and distribution during 1987-88:—

(1) 132 KV line from Dehra to Hamirpur
(2) 132 KV line from Hamirpur to Kangra with sub-station at Dehra.
(3) 132 KV line from Giri to Paonta Sahib with 132/33/11 KV sub-station at Paonta Sahib.
(4) 40/36/4/MVA-220/132/11 KV transformer at Dehra sub-yard for Dehra-Shimla line.
(5) 66/11 sub-station at Shogi and Garkhal
(6) Augmentation of Parwanoo and Barotiwala sub-stations.

5. INDUSTRIES AND MINERAL DEVELOPMENT

5.1 INDUSTRIES AND MINERAL DEVELOPMENT

Industrial activity in Himachal Pradesh is of recent origin. The peaceful climate and political harmony and stability in the State have gone a long way to attract entrepreneurs both from outside and within the state to set up their industrial projects in the Pradesh. At present, there are about 70 medium and large scale units functioning in the Pradesh which provide employment to about 10,639 persons and have an investment of Rs. 200 crore. In the small scale sector, the number of units functioning is over 15,000 and provide employment to about 64,596 persons. These small scale units have capital investment of about Rs. 170 crore.

During the year 1986-87, the following activities were carried out by the Industries department:—

1. *Industrial Project Approval and Review Authority.*—The main function of this Authority is to help the entrepreneurs in implementing their projects by co-ordinating the activities of different institutions/agencies involved. The approval of the IPARA is obligatory in case of medium and large scale industries. Upto December, 1986, 48 projects have been approved by the IPARA during 1986-87.

2. *District Industries Centres.*—For the promotion of cottage and small scale industries, District Industries Centres have been established in all the districts of the Pradesh. During 1986-87 some of the important achievements of these centres made upto October, 1986 are summarised as under:—

1. No. of artisans identified	..	2,626
2. No. of entrepreneurs identified	..	1,908
3. No. of S.S.I. units provisionally registered	..	1,102
4. No. of S.S.I. units registered on permanent basis		635
5. No. of units came into existence :		
(a) S.I.D.O.	..	383
(b) Non-S.I.D.O.	..	216
(c) Artisans	..	425
6. Employment Opportunities generated :		
(a) S.I.D.O.	..	1,771
(b) Non-S.I.D.O.	..	469
(c) Artisans	..	1,957

3. *Development of Industrial Areas.*—In order to provide the infrastructural facilities to the entrepreneurs, the industrial areas have been established at Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Paonta Sahib, Mehatpur, Shamshi, Nagrota-Bagwan, Bilaspur, Reckong Peo, Sansarpur Terance, Electronic complex at Solan, Mandi, Hamirpur and Shogi. More industrial areas are being developed at Raja-ka-Bagh, Chamba, Amb, Taliwala and Keylong.

4. *Arts and Exhibitions.*—With a view to exposing and promoting the sale of products being manufactured by various industrial units in the State, the Pradesh has been participating in various fairs, festivals and exhibitions organised at national and inter-national levels. During the year 1986-87, the Industries department participated in the India International Trade Fair at New Delhi, All India Tourist and International Fair, Madras and Silver Jubilee of Liberation of Goa Exhibition. The Industries department also participated in the State level fairs viz., Minjar fair at Chamba, Dussehra fair at Kullu and Lavi fair at Rampur etc.

5. *Entrepreneurial Development Programme.*—The department of Industries has been holding entrepreneurial development courses including institutional, inplant training and out surveys of one and half month's duration. In addition, short term quick exposure courses of a fortnight duration have also been designed to provide package information to the capable entrepreneurs and to acquaint them with the necessary requirements and procedures required for setting up of industrial units. During 1986-87, 4 such courses were conducted in which 69 persons were imparted training upto December, 1986.

6. *Development of Sericulture Industry.*—Stericulture is one of the important cottage industries of the Pradesh which provides subsidiary employment to farmers to supplement their income by rearing silk worms and selling the cocoons produced by these farmers. During 1986-87, 1,48,125 mulberry plants and 2,025 ozs of silk seeds were distributed upto December, 1986.

Besides, 68,411 kgs. of cocoons were produced valued at Rs. 17.27 lakh.

7. *Grant of Incentives/Concessions to Industrial Units.*—During the year 1986-87, an amount of Rs. 8.00 crore was disbursed as central subsidy and Rs. 5.88 lakh as state subsidy upto December, 1986.

8. *Investment in Government Undertakings.*—During the year 1986-87, the investment proposed for different Corporations and Boards under the administrative control of the Industries Department was as below:—

(Rs. in lakh)

Name of corporation	Budget provision for 1986-87	Disbursed upto 31st December, 1986
1. H.P. State Industrial Development Corporation Ltd. ..	70·31	70·31
2. H.P. Financial Corporation Ltd. ..	40·00	40·00
3. Nahan Foundry Ltd. ..	20·00	20·00
4. H.P. State Small Industries and Export Corporation Ltd. ..	4·00	—
5. H.P. Handicraft and Handloom Corporation ..	10·00	10·00

9. *Development of Tea Industry.*—Tea is grown in Kangra and Mandi districts of Himachal Pradesh at an altitude of 1,000 to 1,500 metres above sea level. At present there are 1,385 tea estates covering an area of 3,212 hectares in the Pradesh. Upto December, 1986, the subsidy granted for the development of tea industry was as follows:—

(i) Allocation of funds under special component plan for scheduled castes — Rs. 6.75 lakh.

(ii) Allocation of funds for inputs/interest subsidy — Rs. 9.00 lakh.

10. *Mineral Development.*—During the year 1986-87, the following activities were carried out by the Geological wing:—

(a) *Baroh-Shind Area in Chamba District.*—The D.T.H. drilling is being continued to establish the grade of run of mine along the limestone deposits of this area.

(b) *Arki Area in Solan District.*—Details mapping and sampling of the limestone deposits near Arki have been supplemented by 2 drilling machines to establish the continuation of deposit along depth.

(c) *Alsindi Area in Mandi District.*—The availability of cement grade limestone near Alsindi was established and about 150 million tons of deposits are estimated.

(d) *Seel Mulak Madan Area in Mandi District.*—The investigation of limestone deposits found in Mulak area is still in progress so as to assess the quality and quantity of the deposits for its utilisation in cement industry.

(e) *Naura Dhar area in Sirmaur District.*—Investigations about the availability of high grade limestone in this area remained under progress so that it could be used for the manufacture of white cement.

(f) *Bagha Area in Solan District.*—Detailed mapping and sampling along limestone deposits of Bagha area remained in progress. The efforts have been supplemented by deploying two drilling machines so as to find the deposits at depth.

(g) *Baag Area in Shimla District.*—Preliminary surveys were conducted in respect of the limestone deposits found near Baag village.

(h) *Hot Water Springs.*—Geothermal investigations of hot springs at Tatapani were completed after drilling three successful holes. Thereafter, the rig was shifted to Gumma in Mandi district to establish the continuation of rock salt at depth and to study the basal horizon.

(i) *Kamroo-Sangrah in Sirmaur District.*—The developmental plans of the area already leased out for extraction for scientific and systematic mining remained under preparation.

(j) *Barmana in Bilaspur District.*—Drilling operations were in progress to locate ground water sources for the cement plant at Gaggal.

(k) *Thaliwala Area in Una District.*—Soil testing survey has been conducted in Thaliwala area so as to judge its suitability for converting the same into an industrial area.

(l) *Nurpur in Kangra District.*—After conducting detailed survey of the area where a cafeteria building under construction is sinking, remedial measures were suggested.

(m) *Chamba Pattan in Kangra District.*—For the foundation testing of the proposed bridge near Chamba Pattan, drilling operations were carried out on both banks of river Beas.

6. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

6.1 ROADS AND BUILDINGS

Economic and social development of Himachal Pradesh depends mostly on efficient system of communications. Roads are the only lifeline of the people of this State as there are practically no other means of transport and communications. Therefore, in the scheme of development for the Pradesh, a very high priority has been accorded to the programme of road construction. At the end of March, 1986, the motorable road length in the Pradesh stood at 15,003 kms. giving the road density of 26.95 kms. per 100 sq. kms. of area which is likely to be 27.47 kms. per 100 sq. kms. of area by the end of March, 1987 with a road length of 15,303 kms.

I Roads

For the year 1986-87, an outlay of Rs. 26.55 crore under head "Roads and Bridges" was approved. The targets fixed for 1986-87 are likely to be achieved in full by the end of the current financial year. The targets fixed for 1986-87 and achievements made upto November, 1986 are shown as under:—

Item	Unit	Target for 1986-87	Achievement upto November, 1986
1	2	3	4
1. Motorable (single lane)	Kms.	300	220
2. Cross drainage	Kms.	250	90
3. Metalling and tarring	Kms.	200	135
4. Bridges	Nos.	30	9
5. Jeepable	Kms.	25	11

(a) *National Highways.*—A sum of Rs. 550.00 lakh has been allocated by the Ministry of Transport, Government of India for the construction and improvement of National Highways falling in Himachal Pradesh and an additional amount of Rs. 195.51 lakh was released for repair and maintenance during 1986-87. An expenditure of Rs. 228.93 lakh and 190.44 lakh was incurred upto November, 1986. However, the entire amount is likely to be utilised upto the end of 1986-87.

(b) *Roads of Inter-State and Economic Importance.*—Under this scheme, the work on Lalghat - Paonta - Rajban - Rohru - Sungri - Narkanda road remained in progress. The Ministry of Transport, Government of India allocated a sum of Rs. 50.00 lakh during 1986-87. Of this, an amount of Rs. 16.31 lakh was spent upto November, 1986 but the entire amount is likely to be utilised upto the end of 1986-87.

(c) *Strategic Roads.*—The Ministry of Transport, Government of India allocated a sum of Rs. 82.50 lakh for the construction of Mukerian-Talwara-Nurpur road under the strategic roads programme during 1986-87. Upto November, 1986, a sum of Rs. 42.70 lakh was utilised but the entire amount is likely to be spent by the end of the year.

(d) *Road Side Plantation.*—Under this scheme, road side plantation is undertaken for giving an attractive environmental view. During 1986-87, there was a target of plantation of 35,000 trees which is likely to be achieved before the year is out.

(e) *Construction of Mule Roads.*—To extend transportation facility to the interior area of the Pradesh, construction of mule roads on motorable alignment was undertaken so that in the event of availability of funds these could be developed to motorable standard. A sum of Rs. 25.00 lakh has been allocated under this scheme during 1986-87 which is likely to be fully utilised by the end of the current financial year.

(f) *Construction of Nangal-Talwara Rail Line.*—Under this scheme the land upto Mehatpur has been acquired and acquisition proceedings of land beyond Mehatpur are under process.

(g) *Rural Landless Employment Guarantee Programme.*—Under this scheme the Government of India have approved a revised project costing Rs. 460.36 lakh under 20-Point Programme for the construction of link roads under Minimum Needs Programme. Of this, an amount

of Rs. 112.36 lakh was released upto November, 1986 and 3.71 lakh mandays of employment were generated on constructing 16 kms of roads upto November, 1986.

II Buildings

The Himachal Pradesh Government approved an outlay of Rs. 3.79 crore under the head "259—459—Building construction Programme (PW)" during 1986-87. The target of constructing 150 units is likely to be fully achieved by the end of 1986-87.

III Housing (PWD)

An outlay of Rs. 183.17 lakh for constructing residential buildings has been earmarked under head "283—483—Housing (PWD)" for the year 1986-87. The target of construction of 110 units is likely to be achieved by the end of 1986-87.

Plan for 1987-88.—The following construction programmes have been proposed for the year 1987-88 under head "Roads and Bridges".

1.	Motorable (Single lane)	300 kms.
2.	Jeepable	20 kms.
3.	Cross drainage	200 kms.
4.	Metalling and tarring	200 kms.
5.	Bridges	30 Nos.
6.	Villages to be connected by roads	100 Nos.
7.	Cableways	18 kms.

Under the head "259—459 Buildings PW", 41 non-residential buildings (including those under the award of 8th Finance Commission) are proposed to be constructed during 1987-88.

Under the head "283—483 Housing (PW)" 96 residential buildings (including those under the award of 8th Finance Commission) are proposed to be constructed during 1987-88.

6.2 ROAD TRANSPORT

The Himachal Road Transport Corporation is playing an active role in the economic and social development of Himachal Pradesh. In the absence of any other mechanised transport such as railways, air and water ways which are quite meagre in the Pradesh, the Himachal Road Transport Corporation was established with a view to providing co-ordinated, organised, efficient and effective road transport services. The Corporation has been operating its bus services throughout the Pradesh and also on joint routes with neighbouring States/Union Teritories to provide passenger transport facilities.

At present, about 82 per cent of the passenger transport is nationalised on which 1,237 buses on 1,093 routes including 239 inter-state routes are being operated. These buses cover a distance of 2.19 lakh kms. and carry about 1.75 lakh passengers every day. These bus services include 44 night services and 19 video fitted deluxe and semi-deluxe buses.

There are 20 operating units/sub-units functioning in the Pradesh. For the repair and maintenance of buses there are two workshops at Taradevi and Mandi. A denominational ticket cell at Taradevi has also been established. To control the activities of the units/sub-units, three Divisional offices at Shimla, Mandi and Dharamshala are also functioning. Mudrika bus services are being provided in 22 Assembly constituencies. The facility of booking and delivery of parcels at 30 important stations has been started for the benefit of the public. From 1986 onwards buses are also deployed as 'Contract Carriages' to the government/corporation employees of the State to provide to them convenient and comfortable journey while availing leave travel concession. The facility of concessional or free travel in the HRTC buses has also been extended to the Central/State Government employees, students, trainees etc. Free travel facility within the Pradesh has been extended to freedom fighters and their spouses, handicapped and blind persons, MPs and MLAs and their attendants and press correspondents.

The achievements recorded during 1986-87 are summarised as under:—

1. *Units/sub-units.*—In addition to the infrastructure discussed earlier, a modern workshop is under construction at Jassore where buses would be repaired with modern techniques. Retreading of tyres, printing of tickets and fabrication/refabrication of bus bodies would be done and officers and other personnel of the Corporation would be imparted training.

2. *Fleet Strength.*—In all, there were 1,259 buses at the end of the year 1985-86. During the current year, 250 new buses are likely to be purchased subject to the availability of funds.

3. *Route Coverage.*—During 1986-87, 67 new bus services are likely to be introduced on 77 additional routes. At the end of 1985-86, 1,270 bus services were operating on 1,016 routes.

4. *Kilometrage Covered.*—For 1986-87 a target of 860 lakh kilometres was fixed to be covered by the Corporation buses which was about 63 lakh kilometres more than that in the previous year. It is, however, expected that about 675 lakh passengers would be carried during 1986-87 as compared to 630 lakh passengers carried during 1985-86. Due to proper repair and maintenance of buses, the incidence of break-down per 10,000 kilometres has come down from 0.64 to 0.51 as against All-India average of 1.10. Similarly, the incidence of accidents per one lakh kilometres is expected to stabilise at 0.20 during 1986-87. The All India figure for the incidence of accident per one lakh kilometers is 0.82 of State Transport Undertakings.

5. *Financial Results.*—During 1985-86, the Corporation had earned a revenue of Rs. 3.352 lakh and incurred an expenditure of Rs. 3,860 lakh resulting in a loss of Rs. 508 lakh. During 1986-87, the Corporation is expected to earn a revenue of Rs. 4,133 lakh against an expenditure of Rs. 4,743 lakh. The anticipated loss of Rs. 610 lakh is mainly attributable to a constant hike in the prices of automobile inputs including high speed diesel, lubricants, tyres, tubes, sundry stores and wages of employees, running of bus services on unremunerative routes as a social obligation and grant of travel concessions to various sections of society etc.

Plan for 1987-88.—During 1987-88, the Corporation proposes to purchase new buses and modern equipment for the repair and maintenance of buses. The corporation also envisages to construct modern bus stands/booking offices and parking sheds at places where these are not available. Besides, administrative and residential buildings are proposed to be constructed. In addition, to provide better/organised bus services in the tribal and backward areas, old buses are proposed to be replaced gradually in a phased manner from tribal areas/routes in order to ensure trouble free service to these areas.

6.3 TOURISM

Tourism occupies an important place in the economy of Himachal Pradesh. Together with hydel power, horticulture and forestry, tourism is a major economic activity in the Pradesh for creating income and employment opportunities. Many regions in Himachal Pradesh abound in tourism and recreational resources such as salubrious climate, scenic landscapes, archaeological remains, temples, indigeneous crafts, folk culture and potential for adventure sports. Tourism in such backward regions can play a positive role in breaking through inertia and economic morbidity. A brief description of achievements made during 1986-87 for the promotion of tourism in the Pradesh is given in the following paragraphs:—

Works.—A cafetaria each at Upper Dharamshala and Suketi and tourist Bungalow at Manikaran were commissioned into service. The work in respect of construction of cafetarias at Nurpur and Baijnath remained in progress. The construction work in respect of toilets at Kangra and Nainadevi, development of Subhas Bowly at Dalhousie, Ajit Singh Smarak, Panjpullah and Glen in Shimla are expected to be completed during the current financial year. Porta cabins set up at Banikhet and Hamirpur are likely to be started as cafetarias for the tourists by the coming summer season. The work in respect of development of Renuka Lake and Dal Lake at Dharamshala would be completed during 1986-87. The work of renovating old building at Rewalsar would also be taken up during the year under report.

The Department after a great deal of effort succeeded in getting the following projects sanctioned under the Centrally Sponsored Programme. During 1986-87, the following centrally sponsored schemes were started:—

1. Construction of trekkers hostel at Sarahan.
2. Construction of tourist inn at Rewalsar.
3. Construction of sarai at Chamunda.
4. Purchase of trekking equipment.

The work of Trekkers' Hostel at Sarahan has been entrusted to H.P. Tourism Development Corporation for early construction and the remaining two projects are being assigned to State Housing Board for execution. In addition, a number of other schemes have also been taken up with the Government of India to include the same under the Centrally Sponsored Schemes.

Tribal Area.—Tourist inns at Bharmour and Lalanti are likely to be completed during 1986-87.

Publicity.—With a view to popularise and publicise the facilities and services available for the tourists in the public and private sectors, a publicity campaign was carried out by way of advertisements in the leading news papers and magazines and two calendars brought out during 1986-87.

The department was also associated in organising Hang Gliding Rally at Billing and Mountaineering Meet at Manali during 1986. This organisation also participated in Madras Festival and organised Himachal Food festival at Banglore in collaboration with ITDC and HPTDC. Financial assistance was given for the celebration of Minjor fair at Chamba and Spring and Dussehra Festivals at Kullu.

Food Craft Institute Kufri.—The construction work of Foodcraft Institute building at Kufri was started. A new session for the three courses consisting of 60 students was started.

Civil Aviation.—The work in respect of construction of aerodrome at Jubbarhatti remained in progress. All-out efforts are being made to make it operational for air service by the approaching summer season. A sum of Rs. 1 lakh has been paid to the National Airport Authority to carry-out survey for the viability of constructing an aerodrome at Gaggal in Kangra District. The work of helipads at DodraKwar, Rohru, Bankuffar, Bharmaur and Kaza remained in progress.

Rope Ways.—Offers for installation of ropeways in H.P. were invited from the private entrepreneures by issuing advertisement in the leading newspapers. Detailed discussions to examine the scope of the work, capability and resources of the enterpreneures who evinced interest in the scheme were held.

Survey.—The department of Tourism, Government of India commissioned M/s J. K. Associates (a consultancy services agency) to prepare a 10 year perspective plan of tourism development in H.P. A team of tourism experts from Germany under short terms Economic programme completed a survey of tourism potential in the State. A Survey of hotels of Kullu-Manali and Kangra District was got conducted through the Himachal Consultancy Organisation.

Plan for 1987-88.—During 1987-88 the construction work of cafetarias at Baijnath and Nurpur and renovation of tourist inn at Rewalsar is proposed to be completed besides stepping up of the construction work of Foodcraft Institute building Kufri, Tourist accommodation at Hadsar, Keylong and Kalpa. In addition, schemes relating to development of trekking, picnic spots, lakes and religious places, publicity, strengthening of tourist organisation, stipend for training in hotel management and catering, subsidy to private entrepreneures for putting up Kiosks and participation in centrally sponsored schemes are proposed to be taken up.

Under the sector of Civil Aviation the construction/completion of helipads already in progress, construction of aerodrome at Gaggal and construction of new helipads in other places in Himachal Pradesh are envisaged. Necessary provision has also been earmarked for stipend to private candidates from Himachal Pradesh already undergoing training in various Aviation Clubs and new ones to be selected and sponsored during the year under review.

Under the Centrally Sponsored Scheme necessary provision has been made to accelerate the construction work at Sarahan, Chamunda and Rewalsar. Similarly, necessary provision has been made for completion of aerodrome at Jubbarhatti.

7. SOCIAL SERVICES

7.1 EDUCATION

A brief description of the achievements made in the field of education during the year 1986-87 is given below:—

1 *Elementary Education*

(i) *Primary Schools.*—During the year 1986-87,150 primary schools are proposed to be opened out of which 18 primary schools had been opened upto December, 1986. With the opening of all the proposed schools, the number of primary units under the government control would be raised to 7,024 . Under the award of the 8th Finance Commission, 71 posts of J.B. teachers and 1,032 posts of volunteer teachers under plan have been created during 1986-87.

(ii) *Middle Schools.*—During the year 1986-87, 64 middle schools are proposed to be opened out of which 11 schools were opened upto the end of December, 1986. With the realisation of this target, the number of middle units in the Pradesh would go upto 1,820 by the end of 1986-87.

(iii) *Integrated Education of Handicapped Children.*—Under this scheme, three centres of integrated education of handicapped children (deaf, mentally retarded and orthopaedically handicapped) continued functioning.

2. *Secondary Education.*—During the year 1986-87, 11 high schools were opened upto December, 1986. With the opening of these 11 schools, the number of secondary units in the State has risen to 800. During the year, 101 schools have been switched over to New Pattern of Education (10 + 2).

3. *University and Other Higher Education.*—For the development of H.P. University, grant-in-aid amounting to Rs. 8.50 lakh was released upto December, 1986 and another instalment of Rs. 2.50 lakh is likely to be released by the end of the current financial year. Under this programme, one college at Saraswatinagar (Sawra) in Shimla district and one evening college at Solan were opened during 1986-87.

4. *Adult Education.*—Under this programme, 1,800 adult education centres have been sanctioned in which about 40,000 adults are on the rolls.

5. *Training Programme.*—In addition to 6 JBT schools functioning in the Pradesh, B.Ed. training is imparted in H.P. University and College of Education at Dharamshala.

6. *Scholarships.*—An amount of Rs. 141.62 lakh has been provided for the grant of scholarships and stipends at different levels during 1986-87 under plan and non-plan schemes.

7. *Level of Enrolment.*—During the year 1986-87, following level of enrolment is expected to be achieved in primary, middle and secondary stages of education:—

Students	Percentage of enrolment		
	Primary classes (Age group 6—11 years)	Middle classes (Age group 11—14 years)	Secondary classes (Age group 14—17 years)
1	2	3	4
Boys ..	101	91	60
Girls ..	70	62	31
Total ..	86	76	46

Plan for 1987-88.—The main programmes proposed to be implemented during 1987-88 include opening of 120 primary schools, 40 middle schools, 15 high schools, 2 colleges, 2 free hostels for scheduled caste students and 200 adult education centres. It is also proposed to provide free text books to all school children in tribal areas.

7.2 TECHNICAL EDUCATION

There are 4 Polytechnics, one Junior Technical School, 17 Industrial Training Institutes, including one Industrial Training Institute for

physically hondicapped, 14 Industrial Training Institutes for Women, one Industrial School for Boys functioning in Himachal Pradesh. The Polytechnics conduct 3 years courses in Civil, Mechanical, Electrical, Automobile, Architecture Engg., Electronics and Communications. The Junior Technical School, Kangra imparts training to students in various trades viz. carpentary, Machining, Turning, Fitting, Welding, Smithy, Foundry & Pattern making etc. in addition to their normal studies. A certificate/diploma equivalent to matric is awarded by the State Board of Technical Education Himachal Pradesh to those candidates of Junior Technical School Kangra who successfully complete 2 year's courses. In I.T.Is. training in engineering and non-engineering trades (One/two year courses) is carried out and certificates are awarded by the N.C.V.T. Similarly Industrial School for Boys Kullu and Industrial Training Institute for Women are also imparting training in engineering and non-engineering trades (One/two year courses) and are permanently affiliated with the National Council of Vocational Training DGET except I.T.I. Neharan Pukhar. The Regional Engineering College has started functioning from the academic year 1986-87 where 30 students each in Civil Engineering and Electrical Engineering have been admitted during the year, 1986-87. The sanctioned intake capacity of the different Institutes for the academic year 1986-87 was as under:

1. Govt. Polytechnic, Sundernagar 100 Students
2. Govt. Polytechnic, Hamirpur 70 Students
3. Govt. Polytechnic, Rohroo 15 Students
4. Govt. Polytechnic for women, Kandaghat. 15 Students
5. Govt. Junior Technical School, Kangra. 60 Students

(N.B.—10 per cent and 20 per cent admission over and above the sanctioned strength, can be done by the Principals of Polytechnics and Junior Technical School respectively to compensate for the drop-outs)

6. In all I.T.Is. (17) including one I.T.I. for physically handicapped 1,990 Students
7. Industrial Training School for (Boys) 36 Students

(The figure shown above includes 10 per cent addition over and above the sanctioned intake to compensate the drop-outs)

8. In all I.T.Is. for Women including I.T.I. for Women, Dharamshala 712 Students

(20 per cent students have been admitted to compensate for the drop-outs).

Plan for 1987-88.—The schemes implemented during 1986-87 will be continued during 1987-88. In addition, more land is being acquired for the Regional Engineering College at Hamirpur. Schemes for increase in the intake capacity of J.T.S. Kangra are proposed to be taken up. Improved technology will be introduced at Government Polytechnic, Sundernagar. Besides, I.T.I. Nalagarh is proposed to be permanently affiliated with N.C.V.T. where new trades would be introduced. Additional seats for tribal students of Pangi and Bharmour are proposed to be provided at I.T.I. Chamba.

7.3 YOUTH SERVICES AND SPORTS

The department of Youth Services and Sports was created in July, 1982 in Himachal Pradesh with the twin objectives of inculcating sports consciousness amongst the masses for regular participation in sports and games and to afford opportunities to the non-student youths for self expression, self development and cultural attainment, preparation and training for work ethics which would further enable them to shoulder social and civil responsibilities. It would also initiate in the youth a spirit of comradeship and patriotism to ensure their active participation in national re-construction programmes. To achieve the aforesaid objectives, the Youth Services and Sports Department implemented the following schemes/programmes during 1986-87:—

1. *Grant-in-aid to H.P. Sports Council.*— The H.P. Sports Council is making every effort to give fillip to sports activities in the Pradesh. During the year 1986-87, the Council is likely to spend about Rs. 20.00 lakh on its various programmes which include organisation of tournaments, grant-in-aid to State Sports Associations and District Sports Councils, purchase of sports equipments, organisation of coaching camps, state and cash awards to outstanding sports persons and maintenance of Rural Sports Centres. Besides, during 1986-87

the Council also instituted H.P. sports persons welfare fund.

2. *District Sports Coaching Centres and Coaching Schemes.*—During the year 1986-87, 12 District Sports Coaching Centres, one at each district headquarters, were set up to cater to the needs of youth for coaching. In addition to imparting regular coaching in these centres, more than 15 coaching camps were organised during 1986-87.

3. *Stipend for Trainees at National Institute of Sports Patiala.*—Like previous year, a sum of Rs. 0.10 lakh has been provided during 1986-87 to give stipend to the trainees from Himachal Pradesh admitted to the National Institute of Sports at Patiala at the rate of Rs. 100 per month.

4. *Sports Scholarships to Non-student Youths.*—A provision of Rs. 0.20 lakh has been made for this purpose and it is expected to cover 22 non-student youths under this scheme. The rate of scholarship would be Rs. 75 per month.

5. *Sports Aid.*—Sports-Aid programme which was launched by UNESCO and Sports Authority of India, was successfully organised in Himachal Pradesh. About 20,000 people took part in the Sports Aid programme all over the State. Sports Aid concluding programme was organised at Shimla wherein a cheque for Rs. 1.00 lakh was presented to the Sports Authority of India on behalf of the State Government.

6. *Run Run Run for Health and Fun.*—With a view to arouse health consciousness and sports awareness amongst the masses, road races in the country-side were organised in the Pradesh for which an expenditure of Rs. 0.20 lakh was incurred.

7. *Refresher Courses for In-service Personnel.*—A sum of Rs. 0.20 lakh was provided so that inservice personnel could be afforded opportunities to keep them abreast of latest developments in the field of sports.

8. *Maintenance of Rural Sports Centres.*—152 Rural Sports Centres have been established in the Pradesh to nurture sports talent in the rural areas. During 1986-87, a sum of Rs. 0.60 lakh, in addition to matching grant from the Government of India, is likely to be spent on these centres.

9. *Construction of Play Fields.*—About 30 play fields are likely to be constructed during 1986-87 at a cost of Rs. 5.00 lakh.

10. *Construction of Stadia.*—A sum of Rs. 35.00 lakh has been provided for the construction of District/Utility Stadia in the Pradesh under centrally sponsored scheme. At present about 22 stadia are under construction which are likely to be completed by the end of current five year plan.

11. *Sports Equipment*—Under centrally sponsored scheme, sports equipments worth Rs. 5.00 lakh (Rs. 2.50 lakh State share) is being procured from National Institute of Sports, Patiala.

12. *Establishment of High Altitude Training Centre and Sports Hostel.*—Under this centrally sponsored scheme, High Altitude Training Centres are being established at Summer-Hill (Shimla) and Shillaroo. Besides, a sports hostel is being established by National Institute of Sports, Patiala at Bilaspur.

13. *National Sports Talent Contest.*—National sports talent contests were conducted throughout the State under this scheme sponsored by Sports Authority of India. A sum of Rs. 0.60 lakh was provided by the department.

14. *National Physical Fitness Festival.*—National Physical Fitness Festivals were organised in 6 districts under this scheme sponsored by Sports Authority of India. Finances for the conduct of these festivals including prizes were provided by the Sports Authority of India.

15. *Grant-in-aid to H.P. State Youth Board.*—The State Youth Board provides financial assistance to Yuvak/Mahila Mandals for the organisation of cultural, sports and social service activities. About 150 such clubs are covered every year. A sum of Rs. 4.25 lakh would be given as grant-in-aid to the State Youth Board during 1986-87. In addition, the Board also offers financial assistance to the individuals for undertaking adventurous activities.

16. *Organisation of Non-student Youth Festivals.*—A sum of Rs. 1.20 lakh has been earmarked for the conduct of non-student youth

festivals at District and State levels. These festivals were successfully organised during 1986-87 and the State level function was held at Kangra during December, 1986. About 500 youth from various parts of the State took part in the festivals.

17. *Inter-state Youth Exchange Programme (Bharat Parichay).*—Under this scheme, youth especially from the rural areas will be afforded opportunity to go to other States and visit the places of industrial and historical importance. During the year 1986-87, a sum of Rs. 1.00 lakh is being spent for this purpose.

18. *Organisation of Work Camps.*—Under these camps, youths are involved in national reconstruction programmes such as construction of playgrounds, afforestation and repair of roads, etc. These camps are being organised at district level and an amount of Rs. 0.95 lakh is likely to be spent during the current year.

19. *Organisation of Youth Leadership Camps.*—The main objective of these camps is to inculcate in the youth the quality of leadership and afford them opportunities to undergo training in agriculture and horticulture, etc. These camps are being held on zonal basis for which a sum of Rs. 0.95 lakh has been ear-marked.

20. *Forest Aid.*—Under this new programme, thousands of youth were involved in afforestation programme. At Shimla, about 5,000 students took part in a week long programme of afforestation and environment and conservation.

21. *Training of Urban Youth Towards Self-employment (TRUSEM).*—Under this scheme, those urban youths whose family income from all sources does not exceed Rs. 10,000 are being imparted vocational training so as to enable them to earn their livelihood. During the year 1986-87, about 56 youths have been covered under this scheme entailing a total expenditure of Rs. 0.84 lakh.

22. *Camping Equipment.*—A sum of Rs. 0.80 lakh is being spent for the purchase of camping equipments.

23. *Construction of Youth Centre-cum-Sports and Cultural Complex at Shimla.*—A sum of Rs. 20.50 lakh is expected to be spent on this complex during current financial year.

24.—*Construction of District Youth Centres.*—It has been decided to construct district youth centres in the State in a phased manner. During 1986-87, a sum of Rs. 3.00 lakh has been ear-marked for the purpose.

Plan for 1987-88.—All the schemes implemented during 1986-87 are also proposed to be continued next year. In order to ensure smooth functioning of the department, some additional posts in the Directorate as well as field levels are proposed to be created.

7.4 HEALTH AND FAMILY WELFARE

Health and family welfare services such as improvement of environmental sanitation, control of communicable diseases, health education, family welfare, maternal and child health services are being provided through a net work of 40 civil hospitals, 14 community health centres, 17 rural hospitals (upgraded PHCs), 115 primary health centres, 30 subsidiary health centres, 205 dispensaries and 1,302 sub-centres. A brief description of various health and family welfare activities in the State during 1986-87 has been summarised in the following paragraphs :—

1. *Rural Health Scheme.*—Under this scheme, 4,235 Health Guides are providing primary health care to the people in the state. They are also significantly contributing to the malaria surveillance, family welfare, immunisation, births and deaths registration activities.

2. *National Malaria Eradication Programme.*—This programme is being implemented in all the districts of the Pradesh except Kinnaur and Lahaul & Spiti districts. At present, 2,636 fever treatment depots, 5,671 drug distribution centres and 95 malaria clinics are functioning in the state. Up to November, 1986, 6.67 lakh blood slides were collected of which 6.27 lakh were examined, of this 40,873 were found positive. There are 12,905 agencies looking after the programme and per agency the coverage is 283 persons. With a view to minimise the time lag between collection, examination and treatment of the positive cases the services of V.D. technicians BCG technicians and health supervisors, etc., are also being utilised after imparting the necessary training.

3. *Leprosy Control Programme.*—The leprosy control programme is being implemented

in the State through a net work of 6 leprosy hospitals, 76 periphery clinics and 15 survey-cum-education treatment centres having indoor facilities for 212 patients. In addition to these institutions, one urban clinic attached to Indira Gandhi Medical College having 20 bedded temporary hospitalisation ward and one re-constructive unit are also functioning. Two voluntary organisations/institutions located at Sabathu and Palampur are also significantly contributing in controlling the disease. During 1986-87, upto December, 1986, 226 cases were detected against a target of 300 cases and 297 cases were deleted against the target of 300.

4. *S.T.D. Control Programme.*—There are 71 S.T.D. institutions for the diagnosis and treatment of S.T.D. cases in the State. Most of these institutions are located in tribal and rural areas. As a result of continuous work at the main clinics and in the field the incidence of S.T.D. has come down considerably. The sero-positivity rate which was 45 per cent in 1949 has come down to 0.98 per cent up to October, 1986. Up to October, 1986, 62,689 S.T.S. were done and out of these 617 were found positive.

5. *National T.B. Control Programme.*—This programme is being carried out in the State through 2 T.B. hospitals, 11 district T.B. clinics, 6 T.B. sub-clinics and one T.B. survey-cum-domiciliary treatment centre having a provision of 713 beds. During 1986-87, 10,598 cases were detected and 33,792 sputums were examined up to December, 1986.

6. *B.C.G. Programme.*—B.C.G. vaccination is quite an effective method of immunisation against T.B. Under this programme against the target of 1,06,000 during 1986-87 the achievement upto December, 1986 was 80,294.

7. *National Programme for Control of Blindness.*—Under this programme, two mobile units stationed at Dharamsala and Bilaspur are being utilised for providing the services for the control of blindness. Upto December, 1986, 3,774 cataract operations were performed against the target of 7,000 for the year 1986-87.

8. *National Family Welfare Programme.*—The family welfare programme which is aimed at motivating the people to accept the small family norm is being implemented on a voluntary basis. To achieve the objectives of this national programme, the co-operation of all the departments, voluntary organisations and public representatives is enlisted. To popularise the programme among the people and to realise the targets, various steps such as holding of laproscopic camps and orientation camps are held and community awards for the panchayats and municipal committees for the best performance at district and State levels have been instituted. Apart from this, the Government has announced various incentives to the acceptors and institutions. The target under the programme for the year 1986-87 and achievements upto December, 1986 are given below :—

Item	Target for 1986-87	Achievement upto December, 1986
1	2	3
1. Sterilisation ..	35,000	16,356
2. I.U.D. insertions ..	30,000	20,130
3. O.P. users ..	5,400	6,476
4. C.C. users ..	35,000	28,540

9. *Maternal Child Health-cum-Expanded Programme on Immunisation.*—This programme which is aimed at improving the health of expectant mothers and children is an important component of family welfare programme. Under the progrmme, the care of mothers and immunisation of children with D.P.T., D.T., B.C.G., Polio, T.T. and Typhoid is undertaken. This programme is continued to reducing the infant mortality and poliomyelitis incidence rate which is being implemented in the State through the net-work of all the allopathic institutions. The target under the programme for 1986-87 and achievement up to December, 1986 are as given below :—

(Numbers)

Item	Target for 1986-87	Achievement upto Dec., 1986
1	2	3
1. T.T. (Pregnant Women) ..	1,24,900	46,978
2. D.P.T. ..	1,06,000	73,988

(Numbers)

1		2	3
3. D.T.	..	1,00,000	1,03,191
4. Polio	..	1,06,000	60,352
5. Measels	..	1,06,000	27,690
6. B.C.G.	..	1,06,000	80,294
7. Typhoid	..	1,00,000	60,767
8. T.T.10 years	..	1,00,000	58,710
9. T.T. 16 years	..	50,000	28,036
10. Prophylaxis against nutritional anaemia			
(a) Mothers	..	2,00,000	1,68,320
(b) Children		2,00,000	1,40,008
11. Prophylaxis against blindness due to vitamin 'A' deficiency among children.	..	3,00,00	1,92,319

10. *School Health Programme.*—This programme is being implemented in the Pradesh through all the allopathic institutions. Under the programme, the school children are medically examined and those found deficient are referred to the nearby medical institutions for medical treatment. Immunisation with T.T. and typhoid is also done under this programme. Upto September, 1986, 71,447 students were examined and 24,482 students were found defective.

11. *Medicines.*—There was a budget provision of Rs. 3.02 crore for the purchase of medicines excluding Medical College and department of Ayurveda during 1986-87.

Further, the construction work of various medical institutions remained under progress during 1986-87.

Plan for 1987-88.—The various national and other health programmes, strengthening of the services in the hospitals, primary health centres and dispensaries, functioning in 1986-87 would be continued. In addition, 400 sub-centres, 15 primary health centres and one community health centre are proposed to be established during 1987-88.

7.5 AYURVEDA

The department of Indian system of Medicine (Ayurveda) and Homoeopathy has been extending its services in the Pradesh through the Ayurvedic and Unani institutions in the nature of preventive and curative medicines.

During 1986, 5 Ayurvedic Hospitals, 430 dispensaries and 6 ten bedded Ayurvedic wards attached to the District Civil Hospitals were functioning in Himachal Pradesh. Out of these dispensaries, 420 dispensaries are located in rural areas and only 10 are located in urban areas. About 100 dispensaries are functioning in remote, difficult and tribal areas of the Pradesh.

Two government ayurvedic pharmacies at Majra in Sirmaur District and Jogindernagar in Mandi District are manufacturing classical medicines to meet the requirements of medicines of government ayurvedic hospitals and dispensaries in the Pradesh. Efforts are being made to strengthen the manufacturing capacity of these pharmacies so that these pharmacies, besides meeting the entire requirement of classical medicines of the Pradesh, can market its medicines outside the Pradesh. For the purpose of research in indigenous system of medicine, a Research Institute is functioning at Jogindernagar. To streamline the functioning of research and pharmacy unit of the department, the Director (Technical) has been stationed at Jogindernagar. For providing ayurvedic education in the Pradesh, a Government Ayurvedic College is functioning at Paprola in Kangra District with an intake capacity of 20 students per year for B.A.M.S. course with an Ayurvedic Hospital attached to it for training purposes.

A Board of Ayurvedic and Unani System of Medicine is functioning in the Pradesh for the registration of practitioners of Ayurvedic and Unani system of medicines under the provisions of the H.P. Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1968.

The department is actively associated with the national health programmes like national malaria eradication programme, national family welfare programme, national school health programme. The department has been actively participating in achieving the targets under the family welfare programme and engaged in the motivation of eligible couples, organising family welfare camps and after care of the operated cases.

The Government of Himachal Pradesh had set up a council of Homoeopathy system of Medicine in the year 1981 to regulate the

practice of system of Homoeopathy in the State according to the provision of H.P. Homoeopathy Practitioners Act, 1979 (Act No. 3 of 1980). The provisions of this Act in the State are enforced by the Ayurvedic Department.

Plan for 1987-88.—During the year 1987-88, the department proposes to conduct a survey of herbal plants besides development of herbal nursery, setting up of Panchkarma units in existing ayurvedic ten bedded wards, setting up of an organisation for the development of herbs. It is also proposed to set up a natural care unit at Una. During the year 1987-88, it is proposed to open 4 homoeopathic units—two in the tribal area and other two in the scheduled caste concentration areas.

7.6 MEDICAL COLLEGE

During the year 1986-87, The Indira Gandhi Medical College functioned with an intake capacity of 65 students. The college is affiliated to the Himachal Pradesh University. For teaching and training purposes two major medical institutions at the State headquarters, viz., Indira Gandhi Hospital and Kamla Nehru Hospital are associated with it. In consequence of the establishment of this College, specialised services in Medicine, Surgery, O.B.G., Skin and V.D., Dentistry, E.N.T., Radiology, Orthopaedic and Ophthalmology, etc., are available to the general public in the Pradesh. A brief description of the achievements made up to December, 1986 during the year 1986-87 are as under:—

1. *Students.*—During the year under report, 59 students qualified the M.B.B.S. examination and 374 students are on the rolls of the college. In addition to above, 65 students are undergoing internship training while another batch of 53 students are doing house job training.

2. *Post-Graduate Degree and Diploma Courses.*—The Post-graduate degree courses have been approved in 15 faculties and diploma courses in 8 faculties with intake capacity of 22 degree students and 18 diploma candidates. The number of students qualifying during 1986-87 are 22 (10 in Degree Course and 12 in Diploma Course). However, 39 candidates are admitted to the post-graduate degree course and 9 candidates in diploma course.

3. *Other Training Programme.*—The college is imparting training to Nurses, Radiographers, Laboratory Technicians, Dental Hygienists and Ophthalmic Assistants as to cater to the needs of hospitals and dispensaries in the Pradesh. At present 21 Radiographers, 4 Dental Hygienists and 38 Ophthalmic Assistants are under training.

4. *Specialised Services.*—Indira Gandhi Medical College is one of the few medical colleges in India to have Fibre Optic Endorse copy equipment. The close heart surgery is being carried out and leproscopic media has also been adopted to popularise family planning programme.

5. *Emergency Services.*—Round the clock service is provided to the patients in the casuality and cardiac care unit. The laboratory and blood bank services are also available round the clock.

6. *W.H.O./Commonwealth Training Programme.*—The officers from this Institution are deputed for training under W.H.O./Commonwealth training programme in different specialities. Such trainings go a long way in the improvement of teaching and patient care.

7. *Eye Relief Camp.*—Under the national programme for the control of blindness which is a centrally sponsored scheme, the medical college organised eye relief camps at Lohara, Gondpur and Chukimanyar (Una District), Sundernagar (Mandi District), Kaza and Keylong (Lahaul and Spiti), Suni (Shimla District), and Dharampur (Solan District) in which 15,653 patients were examined, 631 Intra-ocular operations and 208 other operations were performed. Apart from this, 5,064 refractions were done and 3 radio talks were given. In addition, the department has also conducted a survey in Solan district with the ultimate object of preventing blindness.

8. *Mobile Hospital Camps.*—With a view to providing medical aid to the public in rural and difficult areas and field training to the interns, undergraduate students, final year students and trainee nurses, the college is running a 50 bedded mobile hospital. During 1986-87, the mobile camps were held at Kaza and Keylong in which 2,100 patients were examined and treated, 95 patients admitted and treated for different diseases and 82 operations were performed.

9. *Post Partum Programme.*—The Medical College is also participating in the centrally sponsored post partum programme. The details

of achievements made under the programme are as under :—

1. No. of OBG operation performed:		
(a) Major	...	990
(b) Minor	...	2,663
2. Obstetrics:		
(a) Major	...	198
(b) Minor	...	1,052
3. Other operations:		
(a) Tubectomy	...	649
(b) Medical termination of pregnancy	...	975
(c) I.U.C.D.	...	877
(d) Condoms distributed (pieces)	...	55,920
(e) Oral pills distributed (No.)	...	729
(f) Pap smears (No.)	...	188

Apart from above, the preventive and social medicine department organised various mini camps in the far flung areas of the Pradesh in which specialised services were provided to the people.

10. *Construction Programme.*—The construction work of various buildings of the medical college and its associated hospitals remained under progress during 1986-87. The Cobalt unit also started functioning during 1986-87. In addition, a high potentiality ultra sound machine was installed for the treatment/investigation of the patients.

Plan for 1987-88.—The following work programme is envisaged for implementation during the year 1987-88:—

(1) Sixty-five students are proposed to be admitted to the 1st year of M.B.B.S. course. The Post-graduate training and diploma courses in various specialities will also continue.

(2) The centrally sponsored scheme 'National Programme for the Control of Blindness' is proposed to be continued.

(3) In addition to the construction work of major building already taken up, the construction programme of other immediate and residential buildings is proposed to be taken up to fulfil the shortage of accommodation in respect of certain departments of the college.

7.7 HOUSING

Himachal Pradesh Housing Board was constituted in 1972 with a view to construct houses, to develop residential plots and to execute various housing schemes in the Pradesh. The performance of the Board during 1986-87 in the implementation of various housing schemes is discussed in the following paragraphs :—

1. *Social Housing Scheme.*—Under this scheme social housing colonies have been set up at Shimla, Solan, Parwanoo, Nahan, Una, Hamirpur, Bilaspur, Mandi, Palampur and Dharamshala where 1,627 houses have been constructed and 931 plots developed upto the end of 1985-86. It is expected to complete 134 more dwelling units during 1986-87.

2. *Self Financing Scheme.*—H.P. Housing Board has been constructing houses/flats under self-financing scheme at Shimla and Parwanoo. Under this scheme, 450 units were completed upto the end of 1985-86 and 158 units are likely to be completed during 1986-87.

3. *Rental Housing Scheme.*—H.P. Housing Board has been executing two schemes of construction of houses for the various categories of government employees under rental housing scheme. Under police rental housing scheme, 273 units were completed upto 1985-86 at Shimla, Solan, Parwanoo, Nahan, Una, Bilaspur, Mandi, Kullu, Hamirpur, Palampur, Dharamshala, Sakoh and Chamba. In addition, 44 units are likely to be completed during 1986-87. Under the government rental housing scheme, the places covered are Shimla, Rampur Bushahr, Solan, Nahan, Una, Mandi, Hamirpur, Dharamshala and Sangrah and 324 units were constructed at these places upto 1985-86 and 90 more units are likely to be completed during 1986-87.

4. *Deposit Works.*—H.P. Housing Board is executing various deposit works of other organisations. Construction work of Bachat Bhawan

at Una and various works of H.P. Institute of Public Administration, Central Potato Research Institute and construction of regulated market for Shimla District Market Committee remained in progress during 1986-87.

5. *Development of Industrial Plots at Parwanoo.*—The Housing Board has developed 234 industrial plots at Parwanoo and these have been allotted to various industrialists by the Industries Department for setting up industries.

6. *Commercial Schemes.*—The Housing Board had taken up the construction work of commercial scheme like workshop-cum-shopping complex at Bhatta-Kuffar in Shimla District. However, the work has been held up due to a stay from the High Court.

Keeping in view the demand of the public during the survey conducted by the Board, action is being taken to extend the existing colonies at Shimla (Sanjauli), Solan, Nahan, Una, Hamirpur, Bilaspur, Mandi and Dharamshala. In addition, new colonies are proposed to be set up at Sundernagar, Kangra, Paonta Sahib and Nalagarh.

7.8 DRINKING WATER SUPPLY

Out of 16,916 villages of the Pradesh, 13,348 villages were provided with safe drinking water supply facilities up to March, 1986. Out of these, 8,821 were problem villages and 4,527 easy villages. During the year 1986-87, an amount of Rs. 905.44 lakh was provided under State sector and European Economic Community Programme. A grant of Rs. 630 lakh was also provided under A.R.P. by the Government of India in addition to spillover amount of Rs. 242.20 lakh. A provision of Rs. 78.00 lakh was made for water supply scheme 'Deothsidh group of villages' which is being financed by the Royal Dutch Government. It is proposed to cover 500 villages i.e., 450 problem and 50 easy villages during the year 1986-87 under both State sector and central sector. Upto December, 1986, 300 problem villages and 57 easy villages have been provided with safe drinking water.

Urban Water Supply Schemes.—During the year 1986-87, a sum of Rs. 110.00 lakh is expected to be incurred on various urban water supply schemes.

Sewerage.—During the year 1986-87, a sum of Rs. 10.00 lakh was provided for sewerage. There are 19 schemes which are approved in the budget during the year 1986-87.

7.9 WELFARE OF BACKWARD CLASSES

The Welfare Department is looking after the welfare of weaker sections and backward classes of the society which include scheduled castes, scheduled tribes other backward classes and women and children. For the amelioration of economic conditions and social uplift of these categories of people, the developmental works are being implemented under the following heads :—

(1) Welfare of backward classes.

(2) Social welfare.

(3) Special nutrition programme.

(4) I.C.D.S. project.

Welfare of Backward Classes.—The students belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes are awarded pre-matric scholarships for promoting their education. Under pre-matric scholarship scheme, the students are given scholarships at the rate of Rs. 8, Rs. 12 and Rs. 15 per student per month for primary, middle and high/higher secondary classes, respectively. Besides, students of scheduled castes and scheduled tribes are also given aid for the purchase of books and slates, etc., at the rate of Rs. 30, Rs. 50 and Rs. 80 per annum per student in primary, middle and high/higher secondary classes, respectively. Now these schemes have been transferred to the Education Department. The trainees in I.T.Is. and other Cluster Centres are provided with technical stipends at the rate of Rs. 100 per month per trainee. The trainees who have qualified in various trades from I.T.Is. and other such Cluster Centres are provided assistance upto Rs. 300 for the purchase of improved types of tools and equipment.

With a view to improving the living conditions of scheduled castes and scheduled tribes, the government provides housing subsidy upto Rs. 5,000 per family in areas subject to heavy snow fall and upto Rs. 4,000 per family in other areas for construction of houses. Half of these amounts are allowed for repairing of houses. In

addition, the government is also encouraging intercaste marriages to remove the evil of untouchability by giving awards.

For the welfare of scheduled castes and scheduled tribes in the Pradesh, a Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation has been set up. The Corporation undertakes various loaning programmes in collaboration with banks.

Proficiency in Typing and Shorthand.—Under this scheme, it is proposed to post 25 ex-trainees belonging to scheduled caste/scheduled tribe in various offices to maintain their proficiency in typing and shorthand. They will be paid stipend at the rate of Rs. 200 per month for a period of 6 months or till they get suitable job whichever is earlier.

Compensation to Scheduled Caste Families who are Victims of Atrocities.—Under this scheme, monetary relief is granted to those scheduled caste families who are the victims of atrocities committed by members of other communities due to caste considerations.

Plan for 1987-88.—All the programmes implemented during 1986-87 are proposed to be continued during 1987-88.

7.10 SOCIAL AND WOMENS WELFARE

Social Welfare programmes aim at the welfare of weaker sections of the society like destitute, infirms, physically and mentally handicapped persons, etc. To protect them from social injustice and all forms of exploitations, the government is running various institutions such as Bal and Balika Ashrams, Destitute Homes, State Homes, etc. During 1986-87 the progress made is, discussed below :—

1. *Old Age Pension.*—The government has been providing old age pension to 50,749 persons in the Pradesh at the rate of Rs. 60 per month which was Rs. 50 during 1985-86. The pension is paid to the destitute above 60 years of age and having none to support them. There is no such age limit in the case of handicapped persons. The pension is remitted quarterly through money orders at the government expenses.

2. *Widow Pension.*—On the pattern of old age pension the government has also been giving pension to the widows. Under this scheme 15,765 widows have been covered. There is no age limit in the case of widows.

3. *Working Women Hostels.*—With a view to providing residential accommodation to the working women in the towns, the Government of India have sanctioned 11 working women hostels. These hostels will be constructed by the voluntary organisations and local bodies with the help of grant-in-aid at the rate of 75 per cent. The remaining 25 per cent of cost of construction will be provided by the State Government on behalf of the voluntary organisations and local bodies as these agencies have no resources of their own.

4. *State Home.*—For destitute women and way-ward girls, 6 State Homes at Chamba, Mandi, Shimla, Kangra, Kalpa and Nahan are being run by the government. The inmates of these homes are provided free boarding and lodging facilities and training in craft, tailoring and embroidery to enable them to earn their livelihood when they leave these homes. For rehabilitation of such women, financial assistance upto Rs. 1,000 per women is also provided. Diversification of training to these women is being introduced to make their rehabilitation easy. In suitable cases, marriage grant upto Rs. 2,500 is also provided.

5. *Bal/Balika Ashrams.*—For destitute children and orphans, etc., the government has started Bal/Balika Ashrams at Kalpa, Sarahan, Suni, Mashobra, Tutikandi (Shimla), Sundernagar, Kullu, Sujanpur, Bharmaur and Pragpur. In these ashrams, the inmates are provided free boarding and lodging and education upto matric standard.

6. *Children Home/Special School.*—One children home has been established at Sundernagar under the provision of H.P. Children Act, 1979 for destitute and neglected children. These children are provided free boarding and lodging and education facilities. Besides, a special school-cum-observation home has been set up at Haroli in Una District wherein delinquent boys upto the age of 16 years and delinquent girls upto the age of 18 years are kept. The school has been set up so that delinquent children may not mix with the hardened criminals in jails. At present, one court for children is functioning at Una under the Children Act.

Besides, 23 community centres are also functioning in the Pradesh in addition to other

schemes being implemented through various voluntary organisations on grant-in-aid basis.

Plan for 1987-88.—All the programmes implemented during 1986-87 are proposed to be continued during 1987-88. In addition, a vocational training-cum-rehabilitation centre for the children between the age of 16—21 years is proposed to be started during 1987-88.

7.11 NUTRITION PROGRAMME

The special nutrition programme being implemented by the Social and Women's Welfare Department aims at providing supplementary nutritive diet to the children below 6 years and expectant and nursing mothers belonging to the poor sections of the society. This will benefit 61,231 children and 15,766 expectant and nursing mothers. The per unit cost of nutritious diet is 50 paise per child per day and 80 paise per mother per day. During 1986-87, 2,236 feeding centres/anganwadi centres continued functioning throughout the Pradesh.

In addition, the Rural Development Department is also implementing the scheme of applied nutrition programme. This programme is basically an educational programme aiming at a change in the food habits of the rural folk. The programme mainly comprises the setting up of poultry units, raising of kitchen gardens, providing nutritious food to the children of weaker sections and expectant mothers.

I.C.D.S. Projects.—Upto the year 1985-86, 15 I.C.D.S. projects were set up in the Pradesh. During 1986-87, 6 more such projects have been established and a few more projects are proposed to be set up during 1987-88. These projects provide package of services such as (i) supplementary nutrition, (ii) immunisation, (iii) health check up, (iv) nutrition and health education and (v) non-formal pre-school education, etc., to the children and expectant and nursing mothers.

7.12 LABOUR WELFARE AND EMPLOYMENT

The department of Labour and Employment keeps account of the existing working force on the one hand and likely additions in it on the other. The demand and supply of available manpower is regulated through employment agencies vocational guidance and a system of employment market information. The other important function of the department is to promote labour welfare and to boost up employment generation programmes which is ensured through the implementation of various labour welfare laws. A brief resume of the working of the department is as under :—

I. Labour Welfare Schemes

This organisation ensures proper implementation of various Labour Acts and Rules for the Welfare of labour in the Pradesh through its zonal offices and labour circles. Besides, the Labour Department inculcates a sense of involvement, belongingness and partnership through a workers participation scheme in management with a view to achieving the goal of optimum production and productivity. A number of labour welfare schemes remained in operation in the Pradesh during the year under report and some of them are mentioned below.

1. *Industrial Relations and General Labour Situation.*—The problem of industrial relations has assumed considerable importance in view of the implementation of 20-Point Economic Programme. Conciliation machinery has been functioning in the Pradesh for the settlement of industrial disputes and maintaining of industrial peace. The functions of conciliation officers have been entrusted to the District Employment Officers/Labour Officers in the field within their respective jurisdiction. Besides, the powers of conciliation officers have also been vested with the respective labour inspectors in respect of all those establishments in which the employment of workers does not exceed 30. The higher authorities intervene in cases where their conciliatory methods fail to bring about any amicable settlement.

2. *Employees State Insurance Scheme.*—The Employees State Insurance Act, 1948 protects the employees against the hazards of sickness, maternity, disablement and death due to employment injury. The Act is applicable to all non- seasonal factories run with power and employing 20 or more persons excluding mines and railway running sheds. It covers all employees whose remuneration does not exceed Rs. 1,600 a month. The scheme is mainly financed by contribution from employees and employers and 1/8 of expenditure is borne by the State Government.

The scheme is in operation in Solan, Parwanoo, and Mehatpur. At present about

7,100 employees stand covered under this scheme and steps are being taken to extend the scheme to more industries and places.

3. *Employees Provident Fund Act,* 1952.—This scheme provides for compulsory provident fund contribution from the employees in the factories and other establishments. At present, specific industries which have completed 3 years of their existence and employ 50 or more persons or 5 years of their existence if they employ persons between 20 and 49. At present, about 40,334 employees have been covered under this Act in the Pradesh.

4. *Workers Education Scheme.*—This centrally sponsored scheme aims at developing in the workers a rational understanding of the circumstances in which they are placed and train them to bear strains of pressure and policy to which they are subjected. They are also trained as to how they should conduct themselves through their unions for the maximum good of the working class community as a whole. For this purpose camps were held at Parwanoo, Mehatpur, Solan, Hamirpur and also in the remote areas of the Pradesh like Kinnaur and Chirgaon in Rohroo tehsil.

5. *Factory Employment.*—The Factory Act, 1948 applies to the establishments employing 20 or more workers and not using power and those employing 10 or more persons and using power. The object of the scheme is to protect the interest of the workers in respect of their health, safety, welfare, working hours and leave with wages, etc. For ensuring proper implementation of this Act, the Pradesh has been divided into two zones with their headquarters at Shimla and Una. About 1,210 factories employing 30,133 workers stand registered under Factories Act, 1948 as on 31st December, 1986.

6. *Implementation of Minimum Wages Act,* 1948.—The Himachal Pradesh Government has fixed the minimum rates of wages in respect of 13 scheduled employment. The minimum rates of unskilled workers in all the 13 scheduled employments have been fixed at Rs. 12.00 per day except in tea plantation in which the rates are Rs. 10.10 per day. An increase of 25 per cent and 12½ per cent over and above the minimum rates of wages is allowed to the persons in the scheduled tribal areas and backward areas as notified by the government respectively working in (i) agriculture, (ii) construction or maintenance of roads or buildings, (iii) stone breaking or stone crushing and (iv) forestry and timber operations scheduled employments. Besides, 20 per cent increase over minimum rates of wages is also allowed to the workers working inside tunnels. These revised rates are applicable with effect from 14th August, 1986 though the notification was issued in December, 1986. For ensuring prompt payment of minimum wages, all the Tehsildars and District Employment Officers in Himachal Pradesh have been declared as 'Inspectors' under the Minimum Wages Act, 1948 besides functionaries of the labour organisation. The department also ensures that factory workers are paid wages fixed by the government regularly and no unauthorised deductions are made by the employers. The department also ensures that proper medical aid is provided to the workers and in case of an accident, reasonable compensation is paid to the worker, etc. Further, it is also ensured that workers are given national and festival holidays, casual and sick leave as prescribed under the Himachal Pradesh Industrial Establishment Act, 1969. As many as 12 Vigilance Committees at district level stand constituted for identification and recommending rehabilitation of bonded labour in Himachal Pradesh. The Himachal Government has constituted a Labour Court and an Industrial Tribunal with headquarters at Shimla for adjudication of industrial disputes.

II. The Manpower and Employment Schemes

The employment service schemes (i) assist employment seekers in finding suitable jobs according to qualification and experience, (ii) assist surplus/retrenched employees in finding alternative jobs, (iii) assist employers by referring to them suitable workers, (iv) collect information regarding employment opportunities, training facilities, etc., (v) guide young persons and employment seekers in reorienting their programme, etc., according to the market needs.

In the Pradesh, employment assistance/information continued to be rendered through the infrastructure of employment exchanges/centres established at various administrative units and places and important institutions. Besides, a Central Employment Cell for the

placement of Himachallies in the various industrial units, institutions and establishments in the private sector has been set up.

1. *General Employment Situation.*—The employment situation in general at the end of October, 1986 as compared to the corresponding period of the last year reveals that the number of applicants on the live register increased by 13.9 per cent while the submission from various employment exchanges against various posts also increased by 17.8 per cent. The increase in the live register is mainly due to the starting of new procedure of renewal according to which renewal of index cards has been extended from one year to three years and as a result of it lapsing of cards has not been effected. The increase in the submission has mainly been due to increase in the number of vacancies notified to employment exchanges. The placements have decreased by 2 per cent due to the reason that the employers have not furnished the results of selections.

2. *Employment Market Information.*—Under employment market information programme, information on employment pattern is collected from all the establishments in the public sector which employ 10 or more persons and engaged in non-agricultural activities. At the end of June, 1986, total employment in the Pradesh was 2,70,237 (Public sector : 2,48,150, Private sector : 22,087) as against 2,63,234 (Public sector : 2,44,443, Private sector : 18,791) at the corresponding period of the last year. Of the total employment in the public sector, the State Government establishments account for 71.19 per cent, Central Government establishments 6.61 per cent, Quasi Government (Central) 5.83 per cent, Quasi Government (State) 15.14 per cent and the rest i.e., local bodies 1.23 per cent.

During the period from 1st January to 31st October, 1986, in all 70,557 applicants were registered and 5,693 placements were done. The number of vacancies notified by the various employers was 9,862. The consolidated live register of all employment exchanges stood at 3,51,468 as on 31st October, 1986.

During the period from 1st January to 30th November, 1986, 840 vacancies reserved for ex-servicemen were notified to the special cell for the placement of ex-servicemen and 411 persons were provided employment. In addition to it 5 dependents were also placed in employment. In all 17,686 ex-servicemen were on the live register of ex-servicemen cell on 30th November, 1986. There were 2,582 physically handicapped persons registered in the cell for the physically handicapped persons as on 30th November, 1986, out of which 37 placements were done during the period from 1st January to 30th November, 1986. Similarly vocational employment guidance was provided to the applicants through the Vocational Guidance and Employment Counselling Services. In addition, vocational guidance fortnight was celebrated throughout the Pradesh with a view to provide vocational guidance and employment counselling on intensive scale.

Plan for 1987-88.—On the Labour side, labour welfare fund under the Labour Welfare Act is proposed to be constituted in order to finance various activities connected with the welfare of labour in the Pradesh. Similarly, on the employment side, strengthening of machinery at sub-office employment exchanges, setting up of a vocation guidance unit with a view to extend/improve the facilities of employment assistance are proposed for the year 1987-88.

7.13 TOWN AND COUNTRY PLANNING

The functions of the Town and Country Planning Department are the preparation of development plans for planned and regulated growth of various towns under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act. It also deals with the cases of permission for sub-division of land and construction of buildings in planning areas of towns in accordance with development plans.

For ensuring regulated and planned growth, Himachal Pradesh Town and Country Planning Act was extended to 9 towns and some other areas during 1986-87. These towns and areas are Palampur, Paonta Sahib, Nahan, Rampur Bushahr, Theog, Sarahan, Rohroo, Chamba, Dalhousie, Sunisa-Bajaura along National Highway-21, Aleo-Bambi Nallah along left bank road and Solang-Kothi planning areas in Kullu Valley. The Act is proposed to be further extended to Arki, Bilaspur, Chowari, Ghumarwin, Jogindernagar, Kala Amb, Kangra, Nainadeviji, Narkanda, Rajgarh, Santokhgarh, Solan and Sundernagar.

Draft development plans for Mandi and Hamirpur have been prepared and notified for

public objections and suggestions. Similar plans for Manali, Parwanoo and Rampur are under finalisation and plans for Kullu, Barotiwala, Reckong-Peo and Nalagarh remained under progress. An interim development plan for Shimla Planning area is in operation and land use has been frozen in Parwanoo, Manali and Kullu towns.

During 1986-87, 3,753 slum dwellers have been benefited upto December, 1986 against the target of 5,000 persons. Out of 76,813 identified slum dwellers, 41,710 persons are expected to be covered by the end of 1986-87 in 37 towns. Another lot of 6,000 slum dwellers are proposed to be covered during 1987-88.

For providing serviced land and augmentation of services like roads, sewerage, drainage, water supply, street lighting and improvement of slum areas, an urban development project (Phase-I) has been prepared under World Bank Assistance scheme and is likely to be implemented during 1987-88.

7.14 LANGUAGE AND CULTURE

During the year 1986-87, the main activities of the department of Language and Culture have been (i) the preservation, documentation, conservation of cultural heritage and (ii) the contemporary creativity. During the year, Himachal Pradesh achieved a distinction along with Manipur State in representing India in the cultural events of ASIAD held at Seoul. Also, the cultural troupe from Chamba district visited several places in Korea and China to give its performances. The entry of Himachal folk cultural forms into the national events like 'APNA UTSAV' and 'LOK UTSAV' at Delhi was acclaimed and appreciated. Winning the shield at 'PHOOL WALON KI SAIR' in original folk dance form during the year completed the hat-trick. Of the 20 trainees selected from whole of India, two trainees from Himachal Pradesh were selected by the National school of Drama. Two Workshops on 'Drama' and 'Theatre' were organised during the year.

On the fine art side, the regular feature of holding annual art exhibition was supplemented by holding solo exhibition of Himachal artists in Shimla and other places in the State. In order to expose the artists, their exhibitions were organised in the Art Gallories at New Delhi.

The celebration of various days like 'Pahari' 'Hindi' 'Urdu' and 'Sanskrit' Divas was extended to the interior areas of the Pradesh. Urdu workshop was organised at Manali and that of Hindi poetry was held at Nichar in Kinnaur district. Inter-state exchange of literature which was started last year was also continued during 1986-87 and poets of Himachal Pradesh visited Chandigarh and are likely to visit Bhopal by the end of 1986-87. State awards for Hindi literature and Pahari culture were given.

A book in English 'Nascent Warmth' and 'Dhoop Chhanv' a book in Urdu were published and released during the year. 'Ankur' a museum and recreation centre for children was started at Shimla. Art gallery-cum-museum at Dharamshala was completed and is likely to start functioning in 1987-88.

Archaeological survey was carried out in Shillai tehsil of Sirmaur district. During 1986-87, the conservation work of temples in Chamba town was undertaken and two temples were restored to their original shape.

The State Archives continued functioning where ten thousand files, sanadas and other important documents are properly stocked. The facility of micro film and research facilities to the foreign students were also made available there.

A bronze gallery has been added to the State gallery at Shimla. Besides, a historical gallery displaying several old inscriptions in copper was inaugurated during the year.

Significant progress was made in the implementation of Official Language Act. A Vidhan Sabha Samiti has been constituted to guide and supervise the progress of use of Hindi as official language. With the addition of traditional Mela of Keylong, the number of State level festivals went upto 11 and the district level festivals to 10. Each State level and district level festival was provided a grant of Rs. 25,000 and Rs. 7,500 respectively.

The Academy of Arts, Culture and Language was further strengthened by providing a grant of Rs. 12.50 lakh during 1986-87. A tribal mask festival and workshop on Pahari paintings were organised in collaboration with the artists from Rajasthan. First draft on Pahari dictionary has been prepared. The Master Artist Pupil

system has been introduced in order to produce excellent artists in Pahari Qualama.

Plan for 1987-88.—The department envisages the consolidation of activities in respect of all fields of literature, art and culture. It is further proposed to hold Himachal festival and to construct buildings for the office and Archives in addition to Sanskrit Bhawan. A sum of Rs. 29.00 lakh is proposed to be released to North Zone Culture Centre during 1987-88.

7.15 MOUNTAINEERING

The Department of Mountaineering and Allied Sports imparts training in Mountaineering, Skiing, High altitude Trekking and Water Sports Courses. During the year 1986-87, 253 boys and girls were trained in Basic, Advance and Method of Instruction Courses, 489 trekkers participated in various trekkings and 37 students in Rock Climbing Courses. Besides, 88 candidates participated in Water Sports Courses, 47 in Adventure Courses and 22 students were trained in Skiing Courses.

A Winter Carnival was organised on international level during February, 1986 in which 250 youths from all over the country participated in cultural programmes. Six teams participated in the skiing competition held at Solang Nallah. The Department continued providing certain equipment on hire to mountaineering and trekking parties besides hostel accommodation at nominal charges.

Under Tribal Sub-Plan, the department has opened two mountain rescue posts at Khoksar and Marhi. These posts are helping the tribal people while crossing the Rohtang Pass during winter. During 1986-87, 3,000 tribal people are expected to be helped in crossing the Rohtang Pass. Besides, 100 tribal persons are expected to be trained in mountaineering and rescue courses. During the year under review, the construction work of auditorium and the second block of hostel is expected to be completed. Hat-cum-skiing centres will be opened at Narkanda and Dalhousie during 1986-87.

Plan for 1987-88.—During 1987-88, work relating to the completion of the spill over works of 1986-87, construction of new trekking hostels at Narkanda and Dalhousie and implemention of scheme relating to regularisation of trekking in H.P. for rescue purposes would be taken up. It is proposed to train 100 persons in water sports, 350 trekkers in various trekkings, 100 in skiing and 50 persons in Mountain Rescue Courses. The construction of Water Sports complex at Pong Dam will also be started.

7.16 SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

The department of Science, Technology and Environment was set up in Himachal Pradesh during the year 1983. The activities of the department can be grouped into (i) Scientific Research, (ii) Ecology and Environment, (iii) Nodal department and (iv) Integrated rural energy programme and promotion of Non-Conventional energy sources. The details of activities of the department have been given in the following paragraphs.

1. *Scientific Research including Science and Technology.*—The basic objectives of Science and Technology policy are to evolve appropriate technologies relevant to the area to provide maximum gainful employment to all strata of society and to improve quality of life. A State Council for Science, Technology and Environment has been constituted with the objectives of advising the State Government in the field of science, technology and environment. Besides, five task forces have been set up to take up the scientific study on the problems of development and stabilisation of horticulture industry in the State. The report of the task force on power which contained several useful recommendations regarding speedy execution of power projects and efficient and effective maintenance of existing power systems has been sent to the State Electricity Board for follow up action. Several areas of interest were identified where department of Atomic Energy could render assistance to the State Government. These include mineral exploitations, application of radio isotopes in treatment and research and establishment of high altitude research, physics and astronomy research station in the State. The department of Atomic Energy has also agreed to sponsor research projects and provide training in the field of nuclear physics, plasma and fusion physics, material science, instrumentation, electronics and other allied fields in agriculture, veterinary, medicine and instruments etc.

2. *Ecology and Environment.*—Following studies/activities have been taken up/proposed to be taken up under this scheme:—

1. Creation of awareness and extending education on environment.

2. Creation and dissemination of needed material and technological know how to the community for maintaining and improving ecological assets.

3. Creation of needed research for tackling problems of ecology and environment.

4. Assessment of environmental problems connected with mining industry, hydro electrical and irrigation projects.

5. Setting up of Botanical parks.

A workshop was organised to create environmental awareness amongst school teachers by the Centre of Environmental Education, Ahmedabad during December, 1986 in which about 70 school teachers from different parts of the state participated. Useful literature on environmental education and awareness like stickers, posters, games with water as a theme was provided to the teachers.

3. *Nodal Department.*—The department of Science and Technology is a nodal department for programmes on biogas and smokeless chullahs besides pollution control and atomic energy etc. The implementing department for the purpose of biogas is the Agriculture department and for smokeless chullahs the Rural Development Department. Against the target of 2,500 for 1986-87, 2,370 biogas plants were installed upto October, 1986. Similarly about 9.000 improved smokeless chullahs have been constructed upto September, 1986 against the target of 40,000 for 1986-87. During the same period 103 smokeless villages have been created. Besides, a 85 cubic metre institutional biogas plant for H.P.K.V.V. has been sanctioned. This plant besides meeting the fuel needs of the hostels is expected to serve as a useful research and development tool to the University.

A scheme for the development of Regional Biogas Centre in HPKVV costing about Rs. 12.00 lakh has been drawn up. This will take up the problem of biogas production in high altitude and provide training to persons and suggest the type of plants required to be taken up in different areas. A grant of Rs. 50,000 has been sanctioned to H.P.K.V.V. for research on increase in biogas production by adopting solar heating system.

4. *Integrated Rural Energy Planning and Development of Non-Conventional Energy Sources.*—This programme has been taken up to meet diverse energy needs of rural areas in a cost effective manner through a mix of various energy programmes involving conventional and non-conventional, commercial and non-commercial sources of energy. For implementing the IREP programme at block level, block level implementing agencies have been constituted. The programme involves demonstration of non-conventional energy devices like solar thermal system, wind mills, hydrams and other fuel efficient devices to conserve fuel like smokeless chullahs, pressure cookers, Nutan stoves etc. Different types of energy saving devices were also provided to the people on subsidised rates.

5. *Promotion of use of Non-Conventional Energy Sources.*—A provision of Rs. 7.00 lakh has been provided for 1986-87 under this scheme. Besides, the Department of Non-conventional Energy Sources, Government of India have provided a sum of Rs. 9.60 lakh for the development of non-conventional energy sources in the Pradesh.

In order to popularise the solar thermal devices, the government has allowed following subsidies throughout the State :—

(a) Solar cookers	Rs. 200/-
(b) Domestic solar Water heating system	Rs. 1,000/-

Solar water heating system has been commissioned in 7 institutions/hospitals and similar system is being installed in 13 more institutions/hospitals. Project proposals to use solar thermal system for crop/fruit drying are being framed. It is also proposed to use solar for drying of apple pomace at H.P.M.C. factory, Parwanoo.

6. *Solar Passive Heating System.*—Central Building Research Institute and Indian Institute of Technology have been approached to evolve a

suitable design of solar passive systems of buildings for Spiti areas in the state. The equipment is being arranged by the H.P. Agro-Industries Corporation which is the implementing agency.

7. *Wind Energy Programme.*—For exploitation of wind energy for electricity generation in the Pradesh, the government has established a cell in the State Electricity Board. A project report is under preparation to carry out the wind energy survey in 20 selected sites of the Pradesh for which Government of India has been requested for financial and technical assistance. Six wind mills have been installed for demonstration and lifting of water in the Pradesh. The other two wind mills are under installation with the Forest department.

Two units of Burgy BWC 1,000 wind battery charging system (U.S. make) have been allotted to the State by the Government of India. These are 1 KW, 12 volts DC battery charging system and will be installed by the HPSEB.

Plan for 1987-88.—Besides the schemes which remained under implementation during 1986-87, a provision of Rs. 10.00 lakh has been made for the programme of popularisation of new and renewable sources of energy for the year 1987-88.

7.17 TRIBAL AND SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT

Tribal Development

An indepth review of the tribal situtation on the eve of the Fifth Plan revealed that the scheduled tribes, by and large, continued to remain socially and economically backward. Hence, the concept of Tribal Sub-Plan was evolved for accelerated socio-economic development of tribal areas, beginning 1974-75. The Tribal Sub-Plan strategy comprised identification of development blocks with 50 per cent or more scheduled tribe population, earmarking funds for the Tribal Sub-Plan from the Central and State plan sectoral outlays and financial institutions and supplementation thereof from the Central pool of Special Central Assistance and creation of appropriate administrative structures in tribal areas and adoption of appropriate personnel policies.

The tribal areas in the state are the districts of Kinnaur and Lahaul-Spiti in their entirety and Pangi and Bharmour tehsils of the Chamba district.

In the 6th Plan, Modified Area Development Approach (MADA) was devised to cover the dispersed scheduled tribe population under Sub-Plan treatment and 2 pockets of tribal concentration, viz., Chamba and Bhatiyat, were identified. In the 6th Plan, emphasis also shifted from welfare to family and beneficiary-oriented development schemes within the general programmes. Together with tribal areas 63 per cent of the S.T. population is now covered under sub-plan treatment. For the 7th Plan the basic premises continue to hold good.

The year 1985-86 marked the beginning of the 7th plan. The State plan flow to the Tribal Sub-Plan had been 8.62 per cent for the 6th plan and that targeted for the 7th plan is 9.0 per cent; ever since it has been above the par. In the overall 1986-87 Annual State Plan size of Rs. 205 crores, the State plan flow to the Tribal Sub-Plan was Rs. 18.60 crore and Special Central Assistance supplementation was Rs. 2.07 crore. The Special Central Assistance received for the tribal pockets was Rs. 0.12 crore. The highest priority was accorded to the Economic Services sector.

I.T.D.P. offices are established in each of the five ITDPs., viz., Kinnaur, Lahaul, Spiti, Pangi and Bharmaur. Project Advisory committees are constituted for each ITDP for formulation, monitoring and implementation of the Sub-Plan. At the State level, High-Powered co-ordination and Review Committee for SCs/STs alongwith its standing sub-committee and the Tribal Advisory Council also takes note of it. Evaluation studies of 3 ITDPs have been got done from the Himachal Pradesh University/Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya; and that of the two remaining, i.e., Kinnaur and Lahaul, are entrusted to the H.P.K.V.V. Draft report for the latter was received during the year.

Important achievements during the year include commissioning of the 2-M.W. Rongtong Project on 2nd December, 1986; bus reached Pangi at Rauli for the first time on 25th July, 1986; work on the Chenab Valley road was started from both the ends and the Government of India cleared the project of tunnel below the Rohtang Pass.

Scheduled Castes Development

According to the 1981 census there are 10.54 lakh scheduled castes in the Pradesh. Unlike the Tribal Sub-Plan which is area based, scheduled caste population being highly scattered, individual/family/habitat-oriented schemes/programmes have been devised for the scheduled castes to improve resource availability with them in order to improve productivity and return from existing professions and to make these professions less disagreeable and to ensure the spread of education so that they could attain both vertical and horizontal mobility in employment and general improvement in their living environment and other socio-economic development.

During the 6th Plan, against the all India target of 9.53 per cent State Plan investment under the Special Component Plan for scheduled castes, the actual achievement has been of the order of 9.94 per cent. These efforts have been supplemented by the Ministry of Home Affairs (now Welfare) by way of Special Central Assistance and against the approved Special Central Assistance of Rs. 5.55 crore, the actual release was Rs. 6.34 crore during the Sixth Plan period. For the Seventh Plan period, State Plan earmarking has been reckoned at 11 per cent of the over all State plan size irrespective of its 'divisible' and 'indivisible' components; Special Central Assistance supplementation for the Seventh Plan period has been approved at Rs. 8.76 crore. For 1986-87, the Special Component Plan size was Rs. 24.25 crore (State Plan Rs. 22.55 crore and Special Central Assistance Rs. 1.70 crore).

District-Level Implementation and Review Committees are constituted in each districts (except Kinnaur and Lahaul-Spiti) with the Deputy Commissioner as its chairman to periodically review and monitor the implementation of the Special Component Plan at the district level. At the State level, a High-Powered Co-ordination and Review Committee is constituted to oversee the implementation of the Special Component Plan as also the Tribal Sub-Plan. A Sub-Committee to the main committee already stands constituted under the chairmanship of a Member of Parliament. This sub-committee undertakes field visits and spot-inspections to verify the work being done and provides useful feedback to the main committee. During the year, the sub-committee did such work in the districts of Sirmaur, Solan, Mandi, Kullu, Shimla and Bilaspur.

In order to have an objective assessment, evaluation studies have been got conducted from the Himachal Pradesh University, Shimla and the Himachal Pradesh Krishi Vishav Vidyalaya, Palampur for taking corrective measures, wherever required.

Point 7 of the New 20-Point Programme relates to accelerated development of scheduled castes and scheduled tribes and to assist them to cross the poverty line. In this context vigorous efforts are being made and the position is as below:—

Period	Families targeted to be assisted		Achievements	
	S.C.	S.T.	S.C.	S.T.
1	2	3	4	5
1985—90 (7th Plan)	1,09,833	11,815	..	..
1984-85 (Base-year)	33,780	3,720	34,606	5,218
1985-86	24,000	2,631	27,042	3,705
1986-87	24,000	2,650	22,961 (upto 12/86)	3,581 (upto 12/86)

8. MISCELLANEOUS

8.1 EXCISE AND TAXATION

The excise and taxation policy of the government plays an important role towards the attainment of economic viability as it contributes a major share of revenue to the State exchequer. During the year 1986-87, the following were the salient features of the excise policy in the State:—

(i) The rates of assessed fee on beer in respect of bars and clubs (L-3, L-4, L-4 A and L-5) licences during 1986-87 remained the same as in the previous year. The rates of fixed fee of L-3, L-4 and L-5 licences for 1986-87 was as under :—

	Rupees. per annum
(a) Places having population upto 10,000	15,600
(b) Places having population above 10,000 and upto 15,000	19,500
(c) Places having population above 15,000	29,250

L-3, L-4, L-4A and L-5 licencees were required to take their supplies from L-2 Licencees of respective locality duly approved by the government for which they were not required to pay any assessed fee.

(ii) The sales tax on Indian made foreign spirit and beer remained chargeable at the source like the previous year.

(iii) The strength of country liquor during the year 1986-87 was allowed at 50 and 60 degrees proof.

(iv) The licences for country fermented liquor for home consumption and for use on special occasions was allowed to be issued on concessional rates in certain areas.

(v) The rates of duty on Indian made foreign spirit, country liquor and beer for the year 1986-87 were as under:—

(1) *Country Liquor*	
(i) With 50 degree proof strength	Rs. 10.00 per Pl.
(ii) With 60 degree proof strength	Rs. 12.00 per Pl.
(2) *Indian Made Foreign Spirit* With 75 degree proof strength	Rs. 22.00 per Pl.
(3) Beer upto 5 per cent alcoholic contents.	Rs. 1.00 per bottle of 650 Ml.
(4) Cidar	Rs. 0.75 per bottle of 650 Ml.
(5) (a) *Sweets and Wine*	
(i) Containing proof spirit upto 20 per cent.	Rs. 3.00 per Bl.
(ii) Containing proof spirit above 20 per cent but not exceeding 30 per cent.	Rs. 4.00 per Bl.
(b) Indian made rum when issued to troops, ex-servicemen and I.T.B.P. through CDS and other sources approved by the government.	
(i) For non-forward areas	Rs. 16.00 per Pl.
(ii) For forward areas	Rs. 9.00 per Pl.
(c) Rectified spirit (when issued for the purposes other than for use in the manufacture of medicinal and toilet preparations).	Rs. 10.00 per Pl.
(6) The fixed fee for the issue of licences in Form L-1 (wholesale of foreign liquor) remained fixed at Rs. 35,000.	
(7) Export fee on Indian made foreign spirit and beer was as under during 1986-87 :	
(a) Indian made foreign spirit	Rs. 2.00 per Bl.
(b) Beer :	
(i) With alcoholic contents upto 5 per cent.	Rs. 0.30 per Bl.
(ii) With alcoholic contents above 5 per cent and upto 8 per cent.	Rs. 0.50 per Bl.
(c) Rectified spirit	Rs. 0.03 per Pl.
(d) Country liquor	Rs. 0.03 per Pl.
(8) The number of dry days remained 16 like the previous year.	
(9) The number of liquor shops auctioned for the year 1986-87 was as under :	
(i) Retail shops of country liquor	422
(ii) Retail shops of foreign liquor	224
(iii) Country fermented liquor shops	12
(iv) Beer bars (L-10)	19
Total :	677

(10) The quota of country liquor auctioned during the year 1986-87 was 20 lakh proof litres.

(11) The possession limit for country liquor being manufactured from fruits in tribal areas remained the same.

The department made the following achievements under the taxation policy during the year 1986-87:—

1. *The H.P. General Sales Tax Act*, 1968—Under this Act, an amount of Rs. 2,632.76 lakh was realised on account of General Sales Tax during the year 1985-86. It is expected that an amount of Rs. 3,166.00 lakh may be realised under General Sales Tax during 1986-87. Sales of electronic goods manufactured by the electronics industrial units situated in H.P. have been exempted from the G.S.T. Act, 1968 for a period of 10 years from the date the units come into production. Non-conventional energy devices have also been exempted from the levy of Sales Tax.

2. *Central Sales Tax Act.*—The Central Sales Tax Act is a Central Act and which is also administered by the State government. Against an income of Rs. 222.87 lakh during 1985-86, Rs. 184.00 lakh are expected to be collected during 1986-87 under this Act.

3. *H.P. Motor Spirit* (Taxation of Sales) Act, 1968.—An income of Rs. 175.12 lakh was realised during 1985-86 and an amount of Rs. 155.00 lakh is expected during the year 1986-87 under this Act.

4. *H.P. Passengers and Goods Tax Act*, 1955.—An income of Rs. 1,051.90 lakh is anticipated during the year 1986-87 as against Rs. 858.87 lakh in 1985-86. Under this Act, the rate of tax on all fares and freights has been enhanced to 35 per cent from 1/6th of the fare from 15th November, 1986. The passengers tax in case of mini buses has been increased from Rs. 10,000 to Rs. 21,000 per annum and the surcharge has been increased from Rs. 2,000 to Rs. 4,200 on passengers tax with effect from 5th December, 1986.

5. *H.P. Entertainment Duty Act*, 1968.—This Act is in force throughout the Pradesh and the rate is 100 per cent of the admission fee. Besides, the government has levied a lump-sum tax on video exhibitions on population basis. The income during the year 1985-86 was Rs. 69.65 lakh which is expected to rise to Rs. 75.00 lakh during 1986-87 under this Act.

6. *H.P. Entertainment Tax (Cinematograph Shows) Act*, 1968.—This Act is in force throughout the Pradesh and categorises the cinema houses according to population and importance of the places of location into A, B, C, and D categories.

7. *H.P. Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act*, 1976.—Under this Act an income of Rs. 370.00 lakh is expected during 1986-87 as against Rs. 265.89 lakh during 1985-86.

8. *H.P. Tax (On Luxuries in Hotels and Lodging Houses)*.—Under this Act, an income of Rs. 19.00 lakh is expected during 1986-87 as against Rs. 17.93 lakh during 1985-86.

8.2 FOOD AND SUPPLIES

Besides foodgrains, controlled commodities such as levy sugar, controlled cloth, edible oils, pulses, salt, tea, exercise books, stationery, cement, coal/coke and kerosene oil, etc., are also supplied to the people through the public distribution system. A brief description of achievements made during 1986-87 has been given as under:—

1. *Strengthening of Public Distribution System.*—To strengthen the existing public distribution system in the Pradesh, the State government has established the H.P. State Civil Supplies Corporation in the Pradesh. The Corporation makes wholesale procurement of essential commodities from the source and distribute them among the masses through a net-work of fair price shops besides wheat which is distributed through wholesale centres established at different places in the Pradesh. Upto December, 1986, 2,894 fair price shops were functioning in the Pradesh out of which 2,365 were run by the co-operatives, 418 by individuals, 41 by panchayats and 70 by Civil Supplies Corporation.

2. *Storage and Preservation.*—The distribution of wheat is done from the godowns of the Civil Supplies department. For the storage and preservation of wheat the department has so far constructed 38 godowns with a storage capacity of 12,250 tonnes. In addition, 22 godowns with a storage capacity of 4,500 tonnes are under construction. The department has also rented out

4,700 tonnes capacity godowns to the Food Corporation of India and H.P. State Civil Supplies Corporation.

3. *Subsidy being given to Remote/Inaccessible Areas.*—During the financial year 1986-87, under public distribution system the State government continued supplying wheat to the public in far flung, inaccessible and backward areas of the Pradesh. The Government is supplying wheat at the rate of Rs. 150 per quintal in backward tribal areas and in far flung inaccessible and backward areas at the rate of Rs. 190 per quintal. Further, in the rest of the Pradesh (non-subsidized areas) the wheat is also sold at reduced rate of Rs. 205 per quintal. Similarly, the government is supplying wheat atta at subsidised rate of Rs. 220 per quintal and Rs. 230 per quintal in tribal and far flung inaccessible and other areas of the Pradesh, respectively.

Rice is being made available one kilogram per person per month in tribal areas of Kinnaur and Lahaul and Spiti districts and Pangi and Bharmaur areas of Chamba district at concessional rates. However, the government is allowing subsidy on the entire transportation cost beyond Rs. 10 per quintal F.O.R. in Dodra-Kwar and Pandra-Bees areas of Shimla district, Sargha and Kushwa areas of Kullu district, Beral and Mangal Panchayat areas of Solan district and Bara Bhangal areas of Kangra district. In other areas, the rice is being made available at landed cost.

4. *Subsidy on Levy Sugar.*—Generally the Government of India allot 1,918 tonnes of levy sugar to this Pradesh every month but sometimes due to important festivals, etc., the State quota is increased. The levy sugar was distributed to the consumers at the scale of 425 grams per head per month for the months from January to May, 1986 400 grams per head per month for the months from June to September, 1986 and December, 1986 and at the scale of 450 gm. per head per month during October-November, 1986. It was issued at the rate of Rs. 4.80 per kg. upto 14th December, 1986 but with effect from 15th December, 1986, the Government of India revised the notified rate of levy sugar from Rs. 4.80 per kg. to Rs. 4.85 per kg. The difference between the actual sale rate and the landed cost is reimbursed by the Government of India through the Food Corporation of India.

In addition to levy sugar, the consumers are also supplied imported sugar at the rate of Rs. 5.75 per kg. at the scale of 5 kg. per ration card.

5. *Rape Seed Oil and Palm Oil.*—Rape seed and palm oil was supplied to the consumers at the rate of Rs. 13.65 per kg. upto 25th May, 1986 and at the rate of Rs. 13.80 per kg. after it. During the year 1986, the Government of India allotted 9,200 tonnes of rape seed and palm oil to the Pradesh.

6. *Controlled Cloth.*—During the year 1986-87, the Government of India allotted 350 bales of grey long cloth and 28 bales of polyster to the Pradesh. During the first nine month of 1986, 9,64,535 metres of controlled cloth was distributed.

7. *Iodized Salt.*—The Government of India have increased the annual quota of iodized salt for the Pradesh from 26,400 tonnes to 29,200 tonnes from July, 1986. In order to ensure regular availability of salt at reasonable rates, the government have sanctioned Rs. 2 lakh as subsidy for the remote and inaccessible areas.

8. *Cement.*—Out of 88,800 tonnes cement allotted to the Pradesh during 1986, 41,630 tonnes was allotted to R.C./O.R.C. (departments and autonomous bodies) and 47,170 tonnes under public sale categories.

9. *Coal/Coke.*—Coal/Coke is a controlled item under sponsorship programme. The Government of India allotted 8 rakes of soft coke, 8 rakes of steam coke and 12 rakes of slack coal to the State during the calendar year 1986. Out of these 308 wagons of soft coke and 299 wagons of steam coal were received upto December, 1986.

10. *Special Facilities to the Students.*—Under the 20-Point economic programme, the State Government has been supplying foodgrains viz., wheat atta and rice to the students residing in the various educational hostels at concessional rates, i.e., less by Rs. 35 per quintal against the issue rates fixed by the Government for general public under the public distribution system. In addition, the students living in the hostels are given levy sugar. The H.P. State Civil Supplies Corporation has also been supplying exercise books and stationery articles to the students at cheaper rates. In order to checking hoarding, profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption the State government is vigorously

enforcing the following orders/Acts besides other orders issued by the Government of India.

1. H. P. Trade Articles (Licensing and control) Order, 1981.
2. H. P. Hoarding and Profiteering Prevention Order 1977
3. H. P. Commodities Price Marking and Display Order, 1977.
4. H. P. Specified Commodities (Procurement and Distribution) Act, 1979.
5. H.P. Weights and Measure Act, 1979.
6. Standard of Weights and Measure (Packaged Commodity) Act, 1977.

During the calendar year 1986 as many as 30,979 raids/checkings were carried out and 8 cases were registered and 5 persons were arrested. In addition to it, 5,032 checkings/raids were made by the Weights and Measure wing. As a result thereof 676 persons were prosecuted and an amount of Rs. 47,790 was realised.

Plan for 1987-88.—The following schemes are proposed to be implemented/continued during the year 1987-88:—

1. Price stabalisation scheme.
2. Procurement and supply (godowns).
3. Investment in H. P. State Civil Supplies Corporation.
4. Transportation subsidy.

8.3 PLAN PUBLICITY

Informing and educating masses on the one hand and keeping the government informed about the public reaction to its policies and programmes on the other is one of the important functions of the Public Relation Department. During 1986-87, 32 cinema units of the Department gave 1,957 cinema shows in rural and urban areas of the Pradesh upto November, 1986. Besides, 723 public addressing services and 60 tape recordings were rendered during the important fairs, festivals, functions and visits of the V.I.Ps. During the remaining period from December, 1986 to March, 1987, 600 cinema shows, 200 public addressing services and 60 tape recordings are likely to be given.

The four Drama units of the department gave 239 performances. The Units also provided light and sound services in 215 additional performances up to November, 1986. Further 110 drama programmes are likely to be arranged during the remaining period of 1986-87. The four sangeet parties gave 496 shows in the interior areas of the Pradesh upto November, 1986 and 275 more performances are likely to be arranged by the end of 1986-87. Three exhibitions were held on the occassions of Minjar fair at Chamba, Dussehra fair at Kullu and Lavi fair at Rampur. The department brought out 8 folders/posters and pamphlets and special publicity material/literature.

The monthly publication of 'Himprastha' continued to appear regularly with a circulation of about 1,160 copies per month. A news weekly 'Giriraj' depicting news on important developmental activities and other events in the Pradesh also continued to be published regularly with a weekly circulation of 13,600 copies. Moreover, the department continued to release advertisements on behalf of all the departments with an object of giving due publicity to the developmental achievements recorded in the State. Upto November, 1986, 1,411 press notes each in English and Hindi were released. In addition, 250 unofficial releases, 550 messages and 70 miscellaneous articles were issued upto November, 1986. Press conferences and press briefings were arranged besides maintaining close liaison with the vernacular press and television authorities at Jallandhar and news papers at Chandigarh. The press Liaison officers at New Delhi and Chandigarh ensured coverage of the news items pertaining to Himachal Pradesh and helping in establishing better relations with the national press. In addition to installation of 149 television sets and 3 direct reception sets, 110 television sets and 2 direct reception sets were purchased during 1986-87.

Plan for 1987-88.- lopmental films are Video cassettes on d are proposed to be p lours functioning in electric news gatheri set up to ensure cove

and festivals. Moreover, 150 television sets and 10 direct reception sets are also proposed to be purchased during 1987-88.

8.4 URBAN LOCAL BODIES

At present there are 48 Urban Local Bodies in the Pradesh including Municipal Corporation, Shimla. These urban local bodies are providing all civic amenities and basic urban facilities to the people. Because of ever increasing multifarious activities of public utility services viz., construction/repair of roads and streets, lighting, construction of shops/stalls, rain shelters, vegetable/meat markets, urinals, latrines, construction of crematoriums, mule sheds, town halls, rest houses/sarais, janjghars, recreation centres, tree plantations, cleanliness improvement and beautification of town etc. are being provided. Due to limited sources of income of these urban local bodies, the government has been sanctioning grant-in-aids to them every year to enable them to carry out these activities. During the year 1986-87 a sum of Rs. 145.52 lakh (Rs. 40 lakh under Plan schemes and Rs. 105.52 lakh under Non-Plan schemes) was provided in the budget which is being sanctioned as grant-in-aid to these urban local bodies for maintenance and up-keep of the urban areas.

Due to abolition of octroi from April, 1982, the government has been giving grant-in-aid to the urban local bodies which have been deprived of their major source of income for sustaining their normal activities and to ensure normal functioning of the local bodies. Therefore, during 1986-87, an additional amount of Rs. 198.34 lakh has been provided under Non-Plan which is being sanctioned to the urban local bodies as grant-in-aid. The Directorate of Urban Local Bodies has been set up for bringing about improvement in the functioning of these urban local bodies so that better civic facilities could be extended.

During 1986-87 there is also a provision of Rs. 40.00 lakh out of central share to be sanctioned to the urban local bodies as grant-in-aid for the conversion of dry latrines into hand flush in Shimla, Nahan, Chamba, Mandi and Sundernagar towns and 50 per cent share i.e. Rs. 40.00 lakh is provided by the State Government as loan to the beneficiaries through the concerned urban local bodies which would be recovered from the beneficiaries in instalments.

The Government of India has been requested to sanction some urban local bodies in the border districts of Kinnaur and Lahaul and Spiti.

Plan for 1987-88.—During 1987-88, the State Government will continue to provide funds to urban local bodies for undertaking schemes of civic amenities. Shopping/Commercial complexes are proposed to be constructed for raising income of urban local bodies. The scheme relating to conversion of dry latrines into hand flush in Shimla, Nahan, Chamba, and other towns is proposed to be continued. It is further proposed to take up plantation work in urban areas during 1987-88.

8.5 GAZETEERS

A district gazetteer is an authentic and comprehensive document containing cultural, economic, social, political and developmental aspects. It provides authoritative and meticulous information to students, historians, scientists anthropologists, research scholars and tourists besides being a guide to the administrators and officers engaged in developmental activities. Besides this, the gazetteers also aim at preserving the unique and ancient culture of Himachal Pradesh. The gazetteers are being prepared under set pattern of nineteen chapters evolved by the Government of India.

The Gazetteer Unit of the Revenue department of the Pradesh has so far published six gazetteers namely, Chamba, Sirmaur, Kinnaur, Lahaul and Spiti, Bilaspur and Shimla.

Plan for 1987-88.—During the year 1987-88, Kullu draft gazetteer is proposed to be made upto date and printed.

8.6 STATISTICS

In an era of planned development, the need for comprehensive and dependable statistics is obvious. The demands on statistical system responsible for providing empirical data for analysis and policy making have, therefore, increased manifold. To cope with the increasing demands for statistics the Directorate of Economics and Statistics with the assistance of District Statistical Offices continued to be engaged in the (i) collection, compilation, scrutiny and publication of statistical data relating to all sectors of economy, (ii) conduct of a number of evaluation

studies and other surveys including the coverage under the National Sample Survey programmes, (iii) preparation of various progress reports, (iv) compilatoin of periodical returns under the Integrated Rural Development Programme; (v) Price collection (vi) Annual Census of H.P. Employees etc. Besides, computation of State and per capita income was also continued in addition to supplying data to the government for policy formulation and to cater to the needs of various Commissions and Committees.

During the year 1986-87, the following publications were broughtout upto December, 1986 :—

1. Statistical Outline of H.P.—1985
2. Brief Facts about H.P.—1985
3. Economic Review of H.P.—1986
4. Budget-in-Brief—1986-87
5. Important Statistics of Lahaul-Spiti—1985
6. Census of H.P. Employees as on 31st March, 1983
7. Block-wise Indicators of Chamba District—1983-84
8. District Statistical Abstract—1983 in respect of Sirmaur and Kinnaur districts.
9. Evaluation Study of Scheduled Caste Families Assisted under Point No. 7 of 20-Point Economic Programme-Kullu district
10. Economic Classification of Urban Local Bodies-Income and Expenditure —1983-84
11. A Sample Survey on Spread of Universal and Elementary Education for the age group 6—14 years with special emphasis on girls-removal of adult illiteracy in Lahaul-Spiti district.
12. Quarterly Bulletin of Prices for the quarter ending March, 1985
13. A Brochure of Economic Scene of All India and H.P.—March, 1986.
14. Socio-economic Surevy of Bharmaur.

The following publications are in the press for printing and are expected to be brought out during 1986-87 :—

1. Economic Review of H.P. 1987
2. Budget-in-Brief—1987-88
3. Census of H.P. Employees as on 31st March, 1984
4. Quarterly Bulletin of Prices for the quarter ending June, 1985, September, 1985, December, 1985, March, 1986 and June, 1986
5. A Sample Survey on Problems of Working Women in Shimla Town
6. Statistical Abstract of Kullu District—1985
7. District level Economic Indicators—1985
8. A Socio-economic Profile of Gaddis Habitat Kangra District
9. A Trade Utility Survey of RITI/ITI Trades in Hamirpur District.
10. A Survey of Bio-gas Plants in Solan District
11. A Cost Benefit Study of an Irrigation Scheme in Una District
12. Apple Marketing Survey in Shimla District
13. Statistical abstract of Tribal Areas of H.P
14. A Report on Identification of Poor Families of Urban areas in H.P.
15. Economic Classification of Budgets of Urban Local bodies 1984-85
16. Economic Classification of H.P. Budget 1983-84 (Actuals) and 1984-85 (Actuals)

The estimates of State domestic product for the year 1984-85 (provisional) and 1985-86 (quick) are under preparation and are likely to be released shortly. These estimates provide information on total state domestic product, annual

growth and per capita income both at current and constant prices etc.

The Directorate also classifies the H.P. Government budget, budget of urban local bodies and accounts of government commercial undertakings into meaningful and significant economic categories so as to give the extent of capital formation, consumption expenditure and contribution to the generation of State income etc. by them.

Under the National Sample Survey programme, the field work of 41st NSS round relating to survey of small establishments and own account enterprises engaged in trade in the unorganised sector of the economy was completed. The work relating to 42nd round which is devoted to social consumption such as education, medical, health care and family planning, and a socio-economic survey of aged persons of 60 years and above and ex-armed forces personnel was initiated. A survey report on medical and health care for toddlers of 0—4 years and all other persons separately, based on the results of 35th NSS round was finalised and sent to the NSSO, Government of India, for requisite approval.

The work relating to collection and dissemination of prices was continued and quarterly bulletin of Prices for March, 1986 and June, 1986 quarters were prepared and sent to the press for printing. Information with regard to census of H.P. Employees as on 31st March, 1986 is under compilation while the report as on 31st March, 1985 is at final stage.

The 20th In-service Basic Statistical Training course of three months duration was organised for statistical personnel of various departments.

Under the scheme of Tribal Research Institute, scholarship was awarded for conducting research in the tribal areas of the Pradesh to the old fellows. The following studies are under finalisation by the H.P.K.V.V. and other independent agencies.

(1) Evaluation studies in respect of I.T.D.Ps. Lahaul and Kinnaur

(2) A study on wood carving in Bharmaur area

(3) A study on agronomic constraints of cash crop production (other than fruits) in Lahaul Valley

(4) A study on superior strains of production problem of dry fruits and nuts in Kinnaur district

In addition to the above, the following survey reports are under cyclostyling/printing :—

1. A study on socio-economic survey of Kinnaur district
2. Indebtedness among tribal population in Kinnaur

Plan for 1987-88.—With a view to make the data available to the planners and administrators without sacrificing the quality, opening of regional office and a gradual expansion in the satistical organisation of the Pradesh upto Block level is envisaged.

8.7 INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

With a view to provide suitable training to develop attitudes in their work and daily functioning in the office, the H.P. Institute of Public Administration was established during the year 1974 to impart training to the gazetted/non gazetted officers of the Pradesh. Since then, the Institute has greately expanded its activities in terms of number and quality of courses run and persons trained.

During the year 1986-87, upto November, 1986 the Institute has organised 45 such courses in which 1,107 officers/officials participated. During the remaining period of 1986-87, 21 such courses are proposed to be conducted in which about 565 participants are likely to participate. During 1987-88, 50 such courses are proposed in which about 2,000 officers/officials will be participating.

During the year 1986-87, upto November, 1986, 24 courses were conducted at the District Training Centres in the Pradesh in which 1,011 non-gazetted officials participated and 50 more courses are proposed to be conducted in the remaining period in which about 1,000 class III officials are expected to participate.

The Institute, in addition to organising training programmes for the civil servants, is also giving pre-examination coaching to scheduled castes/tribes and other backward classes and also to other categories for preparing them to appear in the following competitive examinations:—

1. Central Civil Services (Preliminary) examination
2. Central Civil Services (Main) examination
3. HAS and Allied Services examination
4. Bank Probationery Officers examination
5. Railway and Nationalised Banking service
6. Assistant Grade Examination
7. Pre Medical Test

During the year 1986-87, upto November, 1986, 5 such Courses have been organised in which 108 candidates appeared. Two more courses are being conducted in which about 50 candidates will be appearing. For the year 1987-88, 7 courses have been proposed in which 280 candidates will be participating.

The Government of H.P. has introduced a system of departmental examination since 1972. According to the H.P. Departmental Examination Rules 1976 as amended from time to time, IAS/HPAS/Tehsildar / Naib-Tehsildar / Indian Forest Services/HP Forest Services and all other Gazetted Officers of H.P. Government are required to pass the departmental examination once in their career of gazetted service. Apart from the above, the departmental examinations of the Excise and Taxation Inspectors of the Excise and Taxation department and that of H.P. State Electricity Board Supervisory Accounts Service Part-I and II examinations are also conducted by the Institute. The Institute couducted such examinations in the month of April and September in which 50 IAS/HPAS, 315 Tehsildar/Naib Tehsildar, 265 IFS/HPFS and other Gazetted Officers, 35 Excise and Taxation Inspectors appeared. In the month of June 1986, 225 officials of the H.P. State Electricity Board appeared.

8.8 PUBLIC ENTERPRISES AND BANKS

The State Institutional Finance and Public Enterprises department performs the functions of a nodal agency of the government with financial institutions and public sector undertakings. The Department also monitors the performance of the public sector undertakings periodically. Periodic review of performance of the enterprises has led to a noticeable improvement in their working. This organisation brings out a publication entitled "Himachal Pradesh Government Public Sector Undertakings". The publication for 1987-88 would give an over view of the past performance of the undertakings and necessary basic details at a glance.

There are 21 public sector enterprises in the state including H.P. Khadi and Village Industries Board and Shimla Development Authority. Of these, Himachal Wool Processors stands closed. The capital investment of the State Government in these undertakings is in the form of share capital and loans.

Banks are gradually expanding their network in the State. Apart from Commercial banks, Himachal Gramin Bank Mandi is operating in Mandi, Kangra and Kullu districts. Parvatiya Gramin Bank Chamba has its operational area in Chamba district only. As on 30th June, 1986 there were 462 branches of commercial banks, 92 branches of Himachal Gramin Bank and Parvatiya Gramin Banks and 151 branches of co-operative and land Development Banks in the Pradesh. Under the branch expansion policy 1985-90, the Reserve Bank of India has so far issued authorisation for the opening of bank branches at 51 places during the year 1986. As on June, 1986, the total deposits of all the banks in the state was of the order of Rs. 668.09 crore and the advances were amounting to Rs. 287.08 crore thus giving a credit deposit ratio of 42.97 percent.

—:0:—

PART II
STATISTICAL TABLES

CONTENTS

Table		Page
1.	Salient Features of Population Census in Himachal Pradesh ..	116
2.	District-wise Area, Population, Density and Number of Households ..	116
3.	Distribution of Population by Workers and Non-Workers ..	117
4.	Distribution of Main Workers by Cultivators, Agricultural Labourers, Household Industry and Other Workers ..	117
5.	Handicapped Population of Himachal Pradesh ..	118
6.	Production of Principal Crops ..	118
7.	Index Numbers of Area under Principal Crops ..	119
8.	Index Numbers of Agricultural Production of Principal Crops ..	120
9.	Livestock, Poultry and Agricultural Implements ..	121
10.	Himachal Pradesh Government Employees ..	121
11.	Outturn and Value of Major and Minor Forest Produce ..	122
12.	Area under Forests ..	122
13.	Co-operation ..	123
14.	Generation and Consumption of Electricity ..	124
15.	Area under Fruits ..	124
16.	Production of Fruits ..	125
17.	Employment Exchange Statistics ..	125
18.	Education ..	126
19.	Medical and Public Health ..	126
20.	Roads ..	127
21.	Nationalised Road Transport ..	127
22.	Consumer Price Index Numbers in Himachal Pradesh ..	128
23.	Index Numbers of Wholesale Prices in India ..	128
24.	Plan Outlays ..	129
25.	Incidence of Crimes ..	133

Units of measurements and symbols used in the brochure

Metric Unit	Equivalent to old Unit
One kilometre	.. 0.62137 mile
One hectare	.. 2.47105 acres
One litre	.. 0.22102 gallon
One quintal	.. 2.6792 maunds
One metric ton or tonne	.. 0.98420 ton
One cubic metre	.. 35.37319 cubic ft.

Symbols used—

.. Not available

— Nil or negligible

P Provisional

TABLE—1

Salient Features of Population Census in Himachal Pradesh

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1	2	3	4	5	6	7
1951 ..	23·86	5·42	912	43	..	4·1
1961 ..	28·12	17·87	938	51	21·27	6·3
1971 ..	34·60	23·04	958	62	31·96	7·0
1981 ..	42·81	23·71	973	77	42·48	7·6

Source :—(i) General Population Tables-IIA, Census of India, 1971.

(ii) Census of India, 1981, Series 7, Paper-I of 1982, Primary Census Abstract of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

TABLE—2

District-wise Area, Population, Density and Number of Households—1981 Census

District	Area (Sq. kilometres)	Population	Density per sq. kilometre	Number of households
1	2	3	4	5
Bilaspur ..	1,167 (2.10)	2,47,368 (5.78)	212	42,886
Chamba ..	6,528 (11.72)	3,11,147 (7.27)	48	59,883
Hamirpur ..	1,118 (2.01)	3,17,751 (7.42)	284	58,151
Kangra ..	5,739 (10.31)	9,90,758 (23.14)	173	1,77,622
Kinnaur ..	6,401 (11.50)	59,547 (1.39)	9	12,457
Kullu ..	5,503 (9.88)	2,38,734 (5.58)	43	46,495
Lahaul-Spiti ..	13,835 (24.85)	32,100 (0.75)	2	6,446
Mandi ..	3,950 (7.09)	6,44,827 (15.06)	163	1,16,487
Shimla ..	5,131 (9.22)	5,10,932 (11.94)	100	95,609
Sirmaur ..	2,825 (5.07)	3,06,952 (7.17)	109	53,603
Solan ..	1,936 (3.48)	3,03,280 (7.08)	157	55,761
Una ..	1,540 (2.77)	3,17,422 (7.42)	206	58,394
Himachal Pradesh ..	55,673 (100.00)	42,80,818 (100.00)	77	7,83,794

Note :—Figures in brackets indicate percentage to total.

Source :—(i) Census of India, 1981 Series, 7, H. P. Part-II-B, Primary Census Abstract.

(ii) Census of India, 1981, Final Population Totals, H. P.

TABLE—3

Distribution of Population by Workers and Non-Workers—1981 Census

District	Total population	Total main workers	Marginal workers	Non-workers	Percentage of main workers to total population
1	2	3	4	5	6
Bilaspur ..	2,47,368	78,662	24,374	1,44,332	31·80
Chamba ..	3,11,147	1,09,269	42,319	1,59,559	35·12
Hamirpur ..	3,17,751	78,542	39,409	1,99,800	24·72
Kangra ..	9,90,758	2,64,240	76,024	6,50,494	26·67
Kinnaur ..	58,547	32,552	1,545	25,450	55.60
Kullu ..	2,38,734	1,07,645	17,196	1,13,893	45·09
Lahaul-Spiti ..	32,100	18,967	2,487	10,646	59·09
Mandi ..	6,44,827	2,41,340	56,819	3,46,668	37·43
Shimla ..	5,10,932	2,37,102	26,527	2,47,303	46·41
Sirmaur ..	3,06,952	1,23,454	18,801	1,64,697	40·22
Solan ..	3,03,280	1,04,688	23,092	1,75,500	34·52
Una ..	3,17,422	74,564	14,381	2,28,477	23·49
Himachal Pradesh .	42,80,818	14,71,025	3,42,974	24,66,819	34·36

Source :—Census of India, 1981, Series-I, India, Part-II B (i)—Primary Census Abstract, General Population.

TABLE—4

Distribution of Main Workers by Cultivators, Agricultural Labourers, Household Industry and Other Workers—1981 Census

District	Cultivators	Agricultural labourers	Household industry	Other workers
1	2	3	4	5
Bilaspur ..	58,867	1,106	1,944	16,745
Chamba ..	75,039	691	1,196	32,343
Hamirpur ..	54,246	1,661	2,495	20,140
Kangra ..	1,49,232	13,611	7,243	94,154
Kinnaur ..	20,174	1,727	766	9,885
Kullu ..	86,703	1,869	961	18,112
Lahaul-Spiti ..	9,558	450	44	8,915
Mandi ..	1,85,543	2,107	4,265	49,425
Shimla ..	1,58,120	7,017	1,752	70,213
Sirmaur ..	90,236	2,628	2,177	28,413
Solan ..	68,559	2,486	1,985	31,658
Una ..	45,252	4,719	2,178	22,415
Himachal Pradesh ..	10,01,529	40,072	27,006	4,02,418

Source :—Census of India, 1981 Series-I, India, Part-II B(*i*)—Primary Census Abstract, General Population.

TABLE—5

Handicapped Population of Himachal Pradesh—1981 Census

District	Totally blind	Totally crippled	Dumb	Total
1	2	3	4	5
Bilaspur ..	179	194	202	575
Chamba ..	268	229	354	851
Hamirpur ..	209	203	253	665
Kangra ..	519	510	671	1,700
Kinnaur ..	189	24	277	490
Kullu ..	234	117	412	763
Lahaul-Spiti ..	32	16	26	74
Mandi ..	685	549	665	1,899
Shimla ..	645	300	553	1,498
Sirmaur ..	432	180	288	900
Solan ..	240	206	219	665
Una ..	292	167	175	634
Himachal Pradesh ..	3,924	2,695	4,095	10,714

Source :—Census of India-1981, Series 7, Himachal Pradesh Part VII tables on Houses, and Disabled Population

TABLE—6

Production of Principal Crops

(In' 000 tonnes)

Crops	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 (P)
1	2	3	4	5	6
FOOD GRAINS					
A. Cereals					
1. Rice ..	93·39	75·33	113·83	117·23	125·40
2. Maize ..	447·05	401·60	593·95	571·64	521·06
3. Ragi ..	5·91	5·96	7·13	5·67	4·69
4. Small Millets ..	12·10	7·14	12·33	8·68	7·96
5. Wheat ..	446·88	443·36	303·40	269·45	491·89
6. Barley ..	41·05	45·97	33·20	27·26	37·26
Total Cereals ..	1,046·38	979·96	1,063·84	999·93	1,888·26
B. Pulses					
7. Gram ..	3·08	1·55	0·69	0·43	0·38
8. Other pulses ..	13·75	8·19	12·85	7·68	8·61
Total Pulses ..	16·83	9·74	13·54	8·11	8·99
Total Foodgrains ..	1,063·21	989·70	1,077·38	1,008·04	1,197·25

Source :—Directorate of Land Records. Himachal Pradesh.

TABLE—7

Index Number of Area under Principal Crops

(Base : Triennium ending 1969-70=100)

Commodity	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6
1. FOOD CROPS					
A. Cereals					
(1) Kharif					
Rice ..	94·30	92·24	91·49	95·67	95·77
Maize ..	114·05	110·85	114·99	118·98	122·69
Ragi ..	82·01	67·79	59·24	56·37	53·97
Millets and others ..	69·77	75·49	117·16	68·58	61·91
Total Kharif ..	104·34	101·73	103·76	106·76	108·50
(2) Rabi					
Wheat ..	109·27	113·90	117·09	117·20	120·18
Barley ..	81·97	80·39	84·54	77·61	73·12
Total Rabi ..	105·94	109·81	113·12	112·37	126·73
Total Cereals ..	105·10	105·61	108·25	109·45	111·42
B. Pulses					
Gram ..	88·73	55·86	21·69	22·81	21·52
Mash ..	87·90	84·35	86·17	84·71	87·85
Other Pulses ..	87·12	119·98	87·20	91·11	88·62
Total Pulses ..	87·91	86·45	67·93	68·72	68·96
Total Food Crops ..	103·79	104·14	105·15	106·33	108·17
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds					
Groundnut ..	50·39	60·18	56·79	34·81	33·03
Sesamum ..	101·85	82·78	101·33	105·72	102·51
Rape and mustard ..	118·52	109·45	118·86	115·86	102·56
Linseed ..	78·01	83·26	79·12	72·23	78·08
Total Oil Seeds ..	93·66	87·36	94·60	93·78	90·61
B. Miscellaneous					
Potato ..	97·27	83·94	73·36	76·38	75·66
Sugarcane ..	75·84	70·26	80·76	89·70	81·81
Ginger ..	123·02	111·93	114·27	103·90	123·62
Tea ..	78·81	75·06	58·10	77·25	74·05
Total Miscellaneous ..	89·70	82·29	74·61	80·08	99·17
Total Non-food Crops ..	91·48	84·57	83·59	84·95	83·06
Total Crops ..	103·07	103·00	103·90	105·08	106·71

Source :—Directorate of Economics and Statistics, Himachal Pradesh.

TABLE—8

Index Number of Agricultural Production of Principal Crops

(Base : Triennium ending 1969-70 = 100)

Commodity	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6
1. FOOD CROPS					
A. Cereals					
(*i*) Kharif					
Rice ..	94·77	85·10	68·65	103·73	106·83
Maize ..	124·98	107·87	96·90	143·31	137·93
Ragi ..	87·19	57·02	57·49	68·80	54·69
Millets and others ..	80·94	77·54	50·58	79·00	56·11
Total Kharif ..	114·80	99·91	87·16	129·36	125·62
(ii) Rabi					
Wheat ..	159·76	161·30	160·03	109·51	97·27
Barley ..	96·56	75·68	84·77	61·22	50·27
Total Rabi ..	150·28	148·46	148·74	102·25	90·24
Total Cereals ..	127·83	117·74	109·78	119·40	112·62
B. Pulses					
Gram	58·65	35·55	17·90	7·96	4·94
Mash ..	108·96	69·44	55·10	86·93	40·74
Other Pulses ..	76·64	127·06	58·28	90·81	68·58
Total Pulses ..	85·13	74·89	44·96	64·27	37·46
Total Food Crops ..	126·22	116·12	107·33	117·32	109·79
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil-seeds					
Groundnut ..	52·87	34·09	7·46	36·79	33·05
Sesamum ..	107·82	92·05	60·88	96·28	57·74
Rape and mustard ..	87·36	100·00	73·99	51·54	26·27
Linseed ..	84·04	26·59	56·13	49·66	42·74
Total Oil Seeds ..	87·55	65·46	53·73	63·25	42·77
B. Miscellaneous					
Potato ..	88·68	76·71	40·18	70·83	59·43
Sugarcane ..	92·94	94·34	63·18	100·95	101·75
Ginger ..	176·14	49·89	43·96	58·36	113·10
Tea ..	54·62	58·90	36·35	87·02	41·69
Total Miscellaneous ..	92·29	72·46	42·30	72·95	66·31
Total Non-food Crops ..	92·91	71·03	44·65	70·97	61·50
Total Crops ..	123·51	112·46	102·24	113·55	105·86

Source :—Directorate of Economics and Statistics, Himachal Pradesh .

TABLE—9

Livestock, Poultry and Agricultural Implements

(In thousands)

Category		1972	1977	1982
1		2	3	4
A. Livestock				
1. Cattle	..	2,097	2,106	2,173
2. Buffaloes	..	544	560	616
3. Sheep	..	1,039	1,055	1,090
4. Goats	..	906	1,035	1,060
5. Horses and ponies	..	16	15	17
6. Mules and donkeys	..	12	14	19
7. Pigs	..	3	5	8
8. Other livestock	..	6	5	6
Total Livestock	..	4,623	4,795	4,989
B. Poultry	..	189	330	456
C. Agricultural implements				
1. Ploughs	..	502	518	529
2. Carts	..	3	3	3
3. Cane crushers	..	3	4	3
4. Ghanies	..	1	1	..

Source :—Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.

TABLE—10

Himachal Pradesh Government Employees

Date of Census		Regular	Contingent paid	Work charged	Daily paid workers
1		2	3	4	5
31st March,					
1978	..	76,283	3,485	3,958	77,717
1979	..	77,691	4,041	5,163	1,32,738
1980	..	80,518	3,739	5,604	1,15,638
1981	..	84,733	3,860	5,877	1,33,773
1982	..	87,269	3,664	5,345	93,087
1983	..	89,588	3,768	5,616	70,962
1984	..	91,391	3,865	5,097	82,978
1985	..	94,274	3,507	5,221	80,355

Source :—Directorate of Economics and Statistics, Himachal Pradesh.

TABLE—11

Outturn and Value of Major and Minor Forest Produce

Year	Major produce (Quantity in '000 cu. metres)		Minor produce (Value in '000 Rs.)		
	Timber	Fuel*	Gums and Rosin	Fodder and grazing	Other produce
1	2	3	4	5	6
1977-78 ..	483·6	178·1	14,830	955	4,912
1978-79 ..	564·0	162·0	12,226	1,126	5,371
1979-80 ..	463·7	158·5	22,938	1,326	3,031
1980-81 ..	560·0	133·8	21,636	863	3,946
1981-82 ..	672·0	188·0	16,132	902	2,896
1982-83 ..	487·3	139·4	15,902	1,095	3,103
1983-84 ..	592·0	68·0	18,510	747	3,122
1984-85 ..	460·0	..	20,563 (P)	667	3,034

*Includes firewood and charcoal.

Source :—Forest Department, Himachal Pradesh.

TABLE—12

Area under Forests

(Sq. kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forests not under the control of Forest Department	Total
1	2	3	4	5	6	7
1977-78 ..	1,826	17,701	743	673	904	21,847
1978-79 ..	1,823	17,631	718	640	904	21,716
1979-80 ..	1,825	17,128	731	602	904	21,190
1980-81 ..	1,825	17,129	731	580	904	21,169
1981-82 ..	1,825	17,129	731	553	904	21,142
1982-83 ..	1,825	17,172	910	511	904	21,322
1983-84 ..	1,825	17,175	910	513	901	21,324
1984-85 ..	1,825	17,196	910	493	901	21,325

Source :—Forest Department, Himachal Pradesh.

TABLE 13

Co-operation

Item		1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
1		2	3	4	5	6
I. Societies (No.)						
Agricultural	..	2,152	2,108	2,109	2,113	2,110
Non-agricultural	..	1,151	1,167	1,222	1,267	1,331
Urban banks	..	9	10	10	8	8
State and central banks	..	4	4	4	4	4
Other secondary societies	..	60	64	62	61	63
Total	..	3,376	3,353	3,407	3,453	3,516
II. Membership ('000)						
Agricultural societies	..	625·0	652·0	673·0	692·0	709·0
Non-agricultural societies	..	97·6	110·5	99·0	106·0	118·0
Urban banks	..	4·6	4·0	4·0	3·0	4·0
State and central banks	..	12·5	14·5	16·0	17·0	17·0
Other secondary societies	..	13·5	13·2	14·0	14·0	15·0
Total	..	753·2	794·2	806·0	832·0	863·0
III. Working capital (in lakh Rs.)						
Agricultural societies	..	3,534·28	4,027·92	4,600·96	5,156·49	5,936·25
Non-agricultural societies	..	1,067·16	1,239·54	1,230·82	1,397·69	1,558·13
Urban banks	..	123·86	167·40	211·43	264·50	329·17
State and central banks	..	5,641·80	6,419·77	8,338·23	9,757·90	11,633·86
Other secondary societies	..	1,531·13	1,555·82	1,625·06	1,879·03	2,765·21
Total	..	11,898·23	13,410·45	16,006·50	18,455·61	22,222·62
IV. Loans Advanced (in lakh Rs.)						
Agricultural societies	..	851·10	1,049·78	1,191·51	1,282·39	1,524·08
Non-agricultural societies	..	97·81	98·10	116·01	160·82	169·02
Urban banks	..	93·13	99·04	114·19	296·07	369·97
Primary land mortgage banks and state and central banks	..	2,171·68	2,273·01	2,324·05	9,200·61	13,235·47
V. Loans outstanding (in lakh Rs.)						
Agricultural societies	..	..	1,874·61	2,117·28	2,355·05	2,740·96
Non-agricultural societies	..	..	126·57	146·29	182·03	205·62
Urban banks	..	..	37·30	102·36	126·24	155·09
Primary land mortgage banks and state and central banks	..	..	1,041·51	3,739·90	4,385·90	5,216·98

Source :—Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE 14

Generation and Consumption of Electricity

(In million kwh)

Item	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5	6
1. Electricity generated ..	431·7	540·5	586·7	488·8	596·8
2. Electricity purchased from B.M.B. etc. ..	258·3	300·7	404·8	383·3	392·1
3. Electricity consumed :					
(*a*) Domestic consumption ..	70·5	80·5	92·5	100·9	113·3
(*b*) Commercial light, public water works and sewage pumping ..	35·0	40·5	45·5	43·4	49·0
(*c*) Industrial power ..	130·5	156·5	207·0	265·6	339·0
(*d*) Street lighting ..	2·0	1·9	2·2	2·2	2·7
(*e*) Irrigation and agriculture ..	6·5	9·2	12·0	17·7	21·0
(*f*) Others ..	41·5	35·9	35·8	40·2	38·3
Total consumption ..	286·0	324·5	395·0	470·0	563·3
4. Electricity sold outside the state ..	273·6	363·2	409·0	217·3	223·9
5. Rural electrification :					
(*a*) Electrified villages (numbers) ..	11,217	12,794	13,664	14,614	15,316
(d) Percentage of villages electrified to total no. of villages ..	66·3	75·6	80·8	86·4	90·5

Source :—State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE 15

Area under Fruits

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts and dry fruits	Citrus	Other sub-tropical fruits	Total
1	2	3	4	5	6	7
1978-79 ..	40,655	15,235	5,401	11,062	7,990	80,343
1979-80 ..	41,947	16,373	6,020	12,465	9,127	85,932
1980-81 ..	43,356	17,464	6,892	14,471	10,284	92,467
1981-82 ..	45,360	19,386	7,671	16,822	10,845	1,00,084
1982-83 ..	47,354	21,245	8,487	19,719	11,871	1,08,676
1983-84 ..	48,292	22,184	9,009	21,926	12,640	1,14,051
1984-85 ..	49,840	23,649	9,804	23,802	13,485	1,20,580
1985-86 ..	51,103	24,944	10,455	27,365	14,903	1,28,770

Source :—Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE—16

Production of Fruits

('000 tonnes)

Year	Apples	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other sub-tropical fruits	Total
1	2	3	4	5	6	7
1977-78 ..	131·62	10·30	2·83	4·20	1·60	150·55
1978-79 ..	121·90	6·18	0·70	4·18	4·27	137·23
1979-80 ..	135·47	11·71	0·77	5·13	6·98	160·06
1980-81 ..	118·01	9·27	1·78	4·40	6·37	139·83
1981-82 ..	306·80	17·67	1·58	9·34	6·55	341·94
1982-83 ..	139·09	15·69	1·08	9·61	12·38	177·85
1983-84 ..	257·91	21·86	2·21	12·08	10·22	304·28
1984-85 ..	170·63	26·41	2·22	3·95	12·71	215·92
1985-86 ..	174·62	21·13	1·74	4·72	5·53	207·74

Source :—Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE—17

Employment Exchange Statistics

Year	Number of candidates registered	Number of placements	Number of vacancies notified	Number on live register
1	2	3	4	5
1979 ..	66,565	6,610	9,833	1,19,624
1980 ..	79,811	6,080	11,217	1,41,920
1981 ..	72,536	7,875	12,093	1,59,985
1982 ..	65,208	8,415	11,384	1,68,713
1983 ..	83,063	6,893	11,626	1,86,161
1984 ..	79,724	6,005	10,798	2,58,004
1985 ..	74,263	6,857	10,518	3,16,281
1986 (Upto October, 1986) ..	70,557	5,693	9,862	3,51,468

Source :—Directorate of Employment and Training, Himachal Pradesh.

TABLE—18

Education

Item	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5	6	7
Primary/Junior Basic Schools						
1. Institutions ..	6,230	6,435	6,596	6,636	6,743	6,874
2. Students (Stage I—V) 6—11 years ('000) ..	543	566	596	614	620	610
3. Teachers (No.) ..	14,724	15,060	15,308	15,885	16,024	16,539
Middle/Senior Basic Schools						
1. Institutions ..	1,053	1,042	1,046	1,051	974	982
2. Students (Stage VI—VIII) 11—14 years ('000) ..	200	219	235	246	264	286
3. Teachers (No.) ..	5,315	5,512	5,535	5,685	5,809	5,411
High/Higher Secondary Schools/10+2						
1. Institutions (No.) ..	663	736	765	773	879	884
2. Students (Stage IX—XI) 14—17 years ('000) ..	63	74	88	101	109	109
3. Teachers (No.) ..	8,595	8,996	9,124	9,619	10,077	10,785
Colleges of General Education						
1. Institutions (No.) ..	27	27	27	27	32	34
2. Students ('000) ..	17	19	21	24	28	28
3. Teachers (No.) ..	692	739	755	769	833	850

Source :— Education Department, Himachal Pradesh.

TABLE— 19

Medical and Public Health

Item	Unit	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7
1. Allopathic Institutions						
(a) Hospitals ..	No.	53	55	55	57	58
(b) Primary Health Centres† ..	,,	77	77	101	114	115
(c) Dispensaries ..	,,	199*	236*	235*	235*	227*
TOTAL ..	,,	329	368	391	406	400
Beds available ..	,,	5,210	5,312	5,536	5,695	5,871
2. Ayurvedic Institutions						
(a) Hospitals ..	,,	5	8	10	11	11
(b) Dispensaries** ..	,,	404	427	427	427	430
(c) Ayurvedic Pharmacies ..	,,	2	2	2	2	2
(d) Research Institutions ..	,,	1	1	1	1	1
TOTAL ..	,,	412	438	440	441	444
Beds available ..	,,	412	403	438	438	438

Source :—1. Health and Family Welfare Department, Himachal Pradesh.
2. Directorate of Ayurveda, Himachal Pradesh.

†Includes Upgraded P.H.Cs and Community Health Centres.
*Includes Police, Railway, Cantt. Boards and Other Dispensaries.
**Includes three Unani Dispensaries.

TABLE—20

Roads

(In Kilometre)

Type of road	As on 31st March					
	1981	1982	1983	1984	1985	1986
1	2	3	4	5	6	7
1.. Motorable double lane ..	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994
2.. Motorable single lane ..	10,611	11,129	11,606	12,031	12,669	13,009
3.. Jeepable ..	633	713	696	647	409	363
4.. Less than jeepable ..	4,195	4,499	4,439	4,448	4,641	4,672
TOTAL ..	17,433	18,335	18,735	19,120	19,713	20,038

Note—Figures includes National Highways also.

Source :—Public Works Department, Himachal Pradesh.

TABLE—21

Nationalised Road Transport

Year	Number of motor vehicles				No. of routes under operation	Distance covered ('000 kilometres)
	Buses	Trucks	Others	Total		
1	2	3	4	5	6	7
1979-80 ..	815	36	38	889	627	51,903
1980-81 ..	839	31	42	912	662	56,027
1981-82 ..	940	20	37	997	743	62,281
1982-83 ..	1,020	20	41	1,081	794	64,947
1983-84 ..	1,141	15	41	1,197	890	69,924
1984-85 ..	1,238	11	48	1,297	950	74,432
1985-86 ..	1,259	11	46	1,316	1,016	80,298

Source :—Himachal Road Transport Corporation, Shimla.

TABLE—22

Consumer Price Index Numbers in Himachal Pradesh

Year/Month	For Industrial Workers Base : 1965=100		For Urban non-manual Employees Base 1960=100-Shimla Centre
	General Index	Food Index	
1	2	3	4
1979 ..	254	257	298
1980 ..	287	293	332
1981 ..	324	334	376
1982 ..	348	355	409
1983 ..	382	386	438
1984 ..	414	420	475
1985 ..	440	439	511
1986—			
January ..	457	447	511
February ..	462	452	516
March ..	467	456	524
April ..	470	458	526
May ..	475	466	529
June ..	477	468	537
July ..	480	471	538
August ..	482	471	541
September ..	486	475	544
October ..	490	480	548
November ..	493	484	..
December ..	..	..	..

Sources :—1. Labour Bureau, Govt. of India.
2. Central Statistical Organisation, Govt. of India

TABLE—23

Index Nubmers of Wholesale Prices in India

(Base 1970-71=100)

Group	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7
All Commodities ..	217·6	256·3	281·3	288·7	316·0	338·4
Primary articles ..	206·5	237·5	264·4	273·9	304·1	324·5
Food articles ..	186·6	207·9	235·1	249·1	283·1	294·6
Non-food articles ..	194·6	217·7	240·5	244·6	281·6	319·9
Minerals ..	779·9	1,110·2	1,168·6	1,105·6	994·0	1,015·1
Fuel, power, light and lubricants ..	283·1	354·3	427·5	459·7	494·8	518·8
Manufactured products ..	215·8	257·3	270·6	272·1	295·8	319·5
Food products ..	214·8	308·7	298·9	260·0	298·9	323·8
Beverages, tobacco and tobacco products ..	186·6	210·7	217·4	218·7	246·2	254·0
Textiles ..	203·2	221·7	223·9	232·8	249·6	280·1
Paper and paper products ..	237·0	262·2	282·2	299·7	325·8	363·5
Leather and leather products ..	345·0	380·1	368·1	361·3	385·9	413·6
Rubber and rubber products ..	214·9	248·8	284·1	306·1	316·6	335·
Chemical and chemical products ..	198·7	241·3	260·2	269·2	281·6	292·1
Non-metallic mineral products ..	249·5	278·7	311·7	373·7	404·1	430·6
Basic metal alloys and metal products ..	251·9	272·1	317·1	354·6	381·0	419·8
Machinery and transport equipment ..	215·9	239·4	265·1	277·9	289·6	303·6
Miscellaneous products ..	209·8	232·8	239·5	243·2	256·9	269.7

Source :—Ministry of Industries, Govt. of India.

TABLE—24

Plan Outlays

(Rs. in lakhs)

Sector/Head of Development		Outlay for 1987-88
1		2
A. Economic Services		
I. Agriculture and Allied Services		
1. Crop Husbandry		
(a) Agriculture	..	504·00
(b) Horticulture	..	346·00
(c) Dry Land Farming	..	35·00
	Total—(a+b+c) ..	885·00
2. Soil Conservation		
(a) Agriculture	..	110·00
(b) Forests	..	110·00
	Total—(a+b) ..	220·00
3. Animal Husbandry	..	131·00
4. Dairy Development	..	75·00
5. Fisheries	..	55·00
6. Forests and Wild Life	..	2,030·00
7. Agriculture, Research and Education		
(a) Agriculture	..	57·50
(b) Horticulture	..	79·50
(c) Animal Husbandry	..	29·00
(d) Forests	..	18·00
(e) Fisheries	..	3·00
	Total—(a to e) ..	187·00
8. Investment in Agriculture Financial Institution	..	113·00
9. Marketing and Quality Control		
(a) Agricultural	..	12·00
(b) Horticulture	..	20·00
	Total—(a+b) ..	32·00
10. Loans to Cultivators other than Horticulture	..	5·00
11. Cooperation	..	160·00
	Total—I—Agriculture and Allied Services ..	3,893·00
II. Rural Development		
1. Special Programme for Rural Development		
(a) Integrated Rural Development (IRDP)	..	204·00
(b) Integrated Rural Energy Programme (IREP)	..	75·00
	Total—(a+b) ..	279·00
2. Rural Employment		
(a) National Rural Employment Programme (NREP)	..	144·00
	Total—(1+2) ..	423·00

TABLE—24—contd.

(Rs. in lakh)

Sector/Head of Development			Outlay for 1987-88
1			2
3. Land Reforms			
(a) Cadastral Survey and Records of Rights		..	149·00
(b) Supporting Services to the new Allottees of Land		..	0·50
(c) Consolidation of Holdings		..	87·50
(d) Strengthening of Primary and Supervisory Land Records Agency		..	40·00
(e) Revenue Housing		..	20·00
(f) Forest Settlement		..	16·00
	Total—(a to f)	..	313·00
4. Community Development		..	88·00
5 Panchayats			45·00
	Total —II—Rural Development	..	869·00
III. Special Area Programme			—
IV. Irrigation and Flood Control			
1. Major and Medium Irrigation		..	170·00
2. Minor Irrigation		..	1,174·00
3. Command Area Development		..	50·00
4. Flood Control		..	75·00
	Total—IV—*Irrigation and Flood Control*	..	1,469·00
V. Energy			
1. (a) On going Projects			
(i) Rongtong		..	30·00
(ii) SVP—Bhaba		..	1,630·00
(iii) Andhra		..	300·00
(iv) Thirot		..	300·00
(v) Baner		..	50·00
(vi) Gaj		..	150·00
	Sub—Total—(a)	..	2,460·00
(b) New-Starts			
(i) Larji		..	170·00
(ii) Nathpa-Jhakri		..	200·00
(c) Mini Micro Hydel Projects	Sub—Total—(b)		370·00
(i) Killar		..	50·00
(ii) Holi		..	50·00
	Sub—Total—(c)		100·00
	Total—(a)+(b)+(c)	..	2,930·00

TABLE—24—contd.

(Rs. in lakh

Sector/Head of Development			Outlay for 1987-88
1			2
(d) Transmission and Distribution		..	1,500·00
(e) Rural Electrification			
(i) State Plan		..	30·00
(ii) REC funded Schemes		..	600·00
(iii) M.N.P.		..	50·00
	Sub-Total—(e)	..	680·00
(f) Survey and Investigation		..	30·00
(g) Board's Buildings		..	10·00
(h) Other (Bhaba Augumentation)		..	100·00
	Total—(a to h)	..	5,250·00
2. Bio-gas Development		..	80·00
3. N.R.S.E.		..	10·00
	Total—V—Energy	..	5,340·00
VI. Industry and Minerals			
1. Village and Small Industries		..	230·00
2. Large and Medium Industries		..	399·00
3. Mining		..	25·00
	Total—VI—Industry and Minerals	..	654·00
VII. Transport			
1. Civil Aviation		..	50·00
2. Roads and Bridges		..	3,200·00
3. Road Transport		..	425·00
4. Inland and Water Transport		..	10·00
5. Other Transport Services			
(i) Ropeways/Cable ways		..	100·00
(ii) Inter-Model Transport Study		..	5·00
	Sub-Total-5	..	105·00
	Total-VII—Transport	..	3,790·00
VIII. Scientific Services and Research			
1. Scientific Research (including S & T)		..	14·00
2. Ecology & Environment		..	5·00
3. Water and Air Pollution Prevention		..	5·00
	Total-VIII—Scientific Services and Research	..	24·00
IX. General Economic Services			
1. Sectt. Economic-Services		..	122·00
2. Tourism		..	140·00
3. Survey & Statistics		..	6·29
4. Civil Supplies		..	60·00
5. Other General Services			
(a) Weights and Measures		..	5·00
(b) Institutional Finance & Public Enterprise Cell		..	4·00
(c) District Planning		..	375·00
	Total—5	..	384·00
	Total—IX—General Economic Services	..	712·29
	Total—A—Economic Services	..	16,751·29

TABLE—24—contd.

(Rs. in lakhs)

Sector/Head of Development			Outlay for 1987-88
1			2
B. Social Services			
X. General Education			
1. General & University Education		..	1,450·00
2. Technical Education		..	279·00
3. Art & Culture		..	88·00
4. Sports and Youth Services		..	90·00
5. Others			
(i) Mountaineering and Allied Sports		..	25·00
(ii) Gazetteer		..	5·00
	Sub-Total—5	..	30·00
	Total—X—General Education	..	1,937·00
XI. Health			
1. Allopathy		..	545·00
2. Ayurveda & Other ISMs		..	71·00
3. Medical Education		..	120·00
	Total—XI—Health	..	736·00
XII. Water Supply, Housing and Urban Development & Sanitation			
1. Water Supply			
(a) Urban Water Supply		..	290·00
(b) Rural Water Supply		..	1,630·00
	Sub-Total—1	..	1,920·00
2. Sewerage and Sanitation			
(a) Sewerage		..	150·00
(b) Rural Sanitation		..	30·00
(c) Low Cost Sanitation		..	30·00
	Sub—Total—2	..	210·00
3. Housing including Police Housing			
(a) Pooled Government Housing		..	180·00
(b) Housing Department		..	125·00
(c) Loans to Government Employees		..	165·00
(d) Rural Housing		..	20·00
(e) Police Housing		..	145·00
	Sub-Total—3	..	635·00
4. Urban Development			
(a) Town and Country Planning		..	50·00
(b) Environmental Improvement of urban slums		..	18·00
(c) Grant-in-aid to Local Bodies and Directorate of urban local bodies		..	55·00
(d) Urban Development Authority		..	255·00
	Sub—Total—4	..	378·00
	Total—XII—Water Supply, Housing and U.D. & Sanitation	..	3,143·00

National Institute of Educational Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3823
Date 22.6.87

TABLE—24—concld.

(Rs. in lakhs)

Sector/Head of Development		Outlay for 1987-88
1		2
XIII. Information and Publicity	..	35·00
XIV. Welfare of SC/ST/OBC's		
(a) Welfare of Backward classes	..	85·00
(b) Scheduled Caste/Tribal Development Corp.	..	25·00
Total—XIV—Welfare of SC/ST/OBC's	..	110·00
XV. Labour and Labour Welfare	..	15·00
XVI. Social Welfare and Nutrition		
(i) Social Welfare	..	45·00
(ii) Nutrition		
(a) SNP including ICDS	..	101·00
Total—XVI—Social Welfare and Nutrition	..	146·00
Total—(B)—Social Services	.	6,122·00
XVII—C—General Services		
1. Stationery & Printing	..	95·00
2. Pooled non-residential Govt. Buildings	..	440·00
3. Others		
(a) HIPA	..	20·71
(b) Nucleus Budget for Tribal Areas	..	35·00
(c) Tribal Development Machinery	..	19·00
(d) Equity of Ex-Servicemen Corporation including PEX SEM	..	17·00
Total—3	..	91·71
Total—XVII—C—General Services	..	626·71
GRAND TOTAL (ALL SECTORS)	..	23,500·00

Source :—Planning Department, Himachal Pradesh.

TABLE—25
Incidence of Crimes

District		1981	1982	1983	1984	1985	1986
1		2	3	4	5	6	7
Bilaspur	..	480	468	571	538	556	635
Chamba	..	609	549	456	475	461	576
Hamirpur	..	301	299	328	333	334	321
Kangra	..	1,892	1,939	1,865	1,785	1,899	2,033
Kinnaur	..	194	227	267	258	174	236
Kullu	..	587	611	615	714	677	633
Lahaul-Spiti	..	72	82	69	51	83	68
Mandi	..	1,177	1,273	1,278	1,334	1,396	1,508
Shimla	..	987	1,111	1,231	1,653	1,698	1,585
Sirmaur	..	698	706	742	732	774	989
Solan	..	651	731	782	683	631	759
Una	..	412	423	490	529	458	493
Railway and Traffic	..	10	16	19	11	11	9
Himachal Pradesh	..	8,070	8,435	8,713	9,096	9,152	9,845

Source:—Police Department, Himachal Pradesh.

23879 P& S—Govt. Press, U.T. Chd.

NIEPA DC
D03823